मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा षष्ठम् सत्र

मार्च, 2015 सत्र

मंगलवार, दिनांक 24 मार्च, 2015

(3 चैत्र, शक संवत् 1937)

[खण्ड- 6] [अंक- 1]

मध्यप्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 24 मार्च, 2015

(3 चैत्र, शक संवत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

10.32 बजे **राष्ट्रगीत**

राष्ट्रगीत"वंदेमातरम्"का गायन

अध्यक्ष महोदय-- अब राष्ट्रगीत "वंदेमातरम्" होगा. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं.

(सदन में राष्ट्रगीत"वंदेमातरम्"का समूह गान किया गया.)

10.33 बजे **निधन का उल्लेख**

(1) श्री जी. कार्तिकेयन, अध्यक्ष केरल विधान सभा, तथा

(2) कर्नल(कुमारी)एफ.सी.वाटकिंस, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.

अध्यक्ष महोदय-- मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यन्त दुख हो रहा है कि केरल विधान सभा के अध्यक्ष श्री जी. कार्तिकेयन का 07 मार्च एवं मध्यप्रदेश की भूतपूर्व सदस्य कर्नल (कुमारी) एफ.सी.वाटकिंस का 24 जनवरी,2015 को निधन हो गया है.

श्री जी.कार्तिकेयन का जन्म 20 जनवरी,1949 को वरकला-केरल में हुआ था. श्री कार्तिकेयन ने छात्र जीवन से राजनीति में प्रवेश किया. आप केरल प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव और उपाध्यक्ष तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे. आप 06 बार केरल विधानसभा के सदस्य चुने गये और केरल सरकार में विभिन्न विभागों के मंत्री रहे. श्री कार्तिकेयन ने 02 जून,2011 से मृत्युपर्यन्त केरल विधान सभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया.

आपके निधन से देश ने एक वरिष्ठ राजनेता एवं कुशल प्रशासक खो दिया है.

कर्नल(कुमारी) एफ.सी. वाटकिंस का जन्म 06 अप्रैल, 1912 को हुआ था. आपने सन् 1940 में सैन्य सेवा में प्रवेश कर महत्वपूर्ण स्थानों पर कार्य किया. सन् 1962 में चीन द्वारा भारत पर किये गये आक्रमण के समय प्रशंसनीय कार्य करने के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रास द्वारा फलोरेन्स नाईटैंगल मेडल प्रदाय किया गया था. आप प्रदेश की पंचम विधान सभा(1972-1977) एवं सप्तम विधान सभा (1980-1985) में आंग्ल भारतीय समुदाय की नाम निर्दिष्ट सदस्य रहीं.

आपके निधन से प्रदेश ने एक कुशल महिला सैन्य अधिकारी एवं कर्मठ समाजसेवी को दिया है.

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री जी. कार्तिकेयन केरल के बहुत वरिष्ठ नेता थे. वे बचपन से ही सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हो गए थे. एक प्रभावी छात्रनेता के रूप में उन्होंने केरल में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी और कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते कांग्रेस के संगठन को केरल में स्थापित करने में उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा की थी. वे कांग्रेस के संगठन के विभिन्न पदों पर रहे. वे लोकप्रिय जननेता भी थे और इसलिए लगातार 6 बार विधान सभा के सदस्य वे चुने गए. विधान सभा के सदस्य के नाते भी उन्होंने अपने संसदीय ज्ञान से केरल की जनता के मुद्दे उठाकर केरल की जनता की बड़ी सेवा की. विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में उन्होंने कुशल प्रशासक होने का परिचय दिया था. माननीय अध्यक्ष महोदय, केरल

विधान सभा के अध्यक्ष के नाते निष्पक्षता के साथ उन्होंने जो काम किया, केरल में बहुत सम्मान के साथ इसके लिए उनका नाम लिया जाता है और मृत्युपर्यन्त तक केरल विधानसभा के अध्यक्ष के पद को वे सुशोभित करते रहे. उनके निधन से एक लोकप्रिय जननेता, कुशल संगठक और योग्य प्रशासक केरल ने खोया है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्नल (कुमारी) एफ.सी. वाटकिंस ने 1940 में सैन्य सेवा में प्रवेश किया था. उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर कार्य किया और 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ था उस समय प्रशंसनीय कार्य करने के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रास के द्वारा फ्लोरेंस नाईटैंगल मेडल प्रदान किया गया था, यह दुर्लभ सम्मान होता है. उनकी सेवाओं को देखते हुए प्रदेश की पंचम विधान सभा और सप्तम विधान सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय की नाम निर्दिष्ट सदस्य वे रही हैं. वह कुशल महिला सैन्य अधिकारी थीं, समर्पित समाज सेवी थीं. उनके निधन से हमने एक कर्मठ समाज सेवी, मानवीय गुणों से भरी हुईं एक जनसेवी को खोया है. इन दोनों महान विभूतियों के निधन से न केवल मध्यप्रदेश और केरल को बल्कि देश को भी अपूरणीय क्षति हुई है. मैं परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को, उनके शुभचिंतकों को, अनुयाईयों को यह गहन दु:ख सहन करने की क्षमता दे, ओम् शांति.

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे) -- अध्यक्ष महोदय, केरल के पूर्व विधान सभा अध्यक्ष आदरणीय श्री जी. कार्तिकेयन जी का असामयिक निधन हो गया और विधान सभा अध्यक्ष रहते हुए उनका निधन हुआ इससे लगता है कि उनकी राजनीतिक क्षमता कितनी थी, उनकी लोकप्रियता कितनी थी कि वे लगातार पद पर बने रहते चले आ रहे थे. उनके निधन से केरल को भी क्षति हुई, भारत को भी क्षति हुई और राजनीति को भी क्षति हुई.

अध्यक्ष महोदय, कर्नल (कुमारी) एफ.सी. वाटकिंस एक समाज सेवी महिला थीं. मानव जीवन में वह एक अलग तरह की समाज सेविका थीं, उनका बहुत योगदान था और उससे वे

बहुत लोकप्रिय थीं. अध्यक्ष महोदय, इनके निधन से मध्यप्रदेश को क्षति हुई, मध्यप्रदेश की राजनीति को क्षति हुई और देश की राजनीति को भी क्षति हुई.

अध्यक्ष महोदय, हम दोनों लोगों को श्रृद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं और उनके परिवार को, उनके मित्रों को, उनके समर्थकों को यह दु:ख सहन करने की शक्ति मिले, यह प्रार्थना करते हैं.

अध्यक्ष महोदय -- मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ. अब सदन दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेगा.

(सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रृद्धांजलि अर्पित की गई)

अध्यक्ष महोदय -- दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित.

(सदन की कार्यवाही 10.40 बजे से 5 मिनट के लिए स्थगित की गई.)

10.59 बजे { अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए }

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(क)मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन का वित्तीय वर्ष 2015-2016 का यथा-अपेक्षित विवरण.

(ख) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन का वित्तीय वर्ष 2014-15 की प्रथम छः माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छः माही समीक्षा विवरण

(ग) वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं-

(i) क्रमांक एफ ए-03-74-2014-1-पाँच(63),दिनांक 17 दिसम्बर,2014,

(ii) क्रमांक एफ ए-3-78-2014-1- पाँच(64),दिनांक 19 दिसम्बर, 2014,तथा

(iii) क्रमांक एफ ए-3-82-2014-1,पाँच(06),दिनांक 17 जनवरी 2015 एवं

(घ) वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-67-2014-1 -पाँच(61) दिनांक 10 दिसम्बर,2014

वित्त मंत्री (श्री जयंत मलैया)- अध्यक्ष महोदय,मैं,

(क) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 5 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-2016 का यथा-अपेक्षित विवरण,

(ख) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उपधारा (1) अन्तर्गत यथा-अपेक्षित वित्तीय वर्ष 2014-2015 की प्रथम छः माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छः माही समीक्षा विवरण,

(ग) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं-

(I) क्रमांक एफ ए-03-74-2014-1-पॉच (63) दिनांक17 दिसम्बर, 2014

(II) क्रमांक एफ ए-3-78-2014-1-पॉच (64)दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 तथा

(III) क्रमांक एफ ए 3-82-2014-1-पॉच(06) दिनांक17 जनवरी, 2015 एवं

(घ) मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) की धारा 13 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-67-2014-1-पॉच(61) दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 पटल पर रखता हूं.

(क) मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09
(ख) संत रविदास मध्यप्रदेश हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड भोपाल का
33 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2013-14
(ग) मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13

कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) - अध्यक्ष महोदय, मैं

(क) मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम 1978 की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09,

(ख) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार संत रविदास मध्यप्रदेश हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड भोपाल का 33 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2013-2014 (31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिये) तथा

(ग) मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक- 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 पटल पर रखती हूं.

(क) स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 44-19-2013-बीस-2, दिनांक 26 मई, 2014

(ख) मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2013-14

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) - अध्यक्ष महोदय, मैं

(क) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (क्रमांक 35 सन् 2009) की अपेक्षानुसार स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 44-19-2013-बीस-2, दिनांक 26 मई, 2014 एवं

(ख) मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम विनियम, 1974 के नियम-48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2013-2014 पटल पर रखता हूं.

(क) मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का द्वादश वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2013-14

(ख) पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का द्वादश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14

(ग) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2013-14 द्विभाषीय संस्करण

(घ) मध्यप्रदेश पॉवर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का अष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14

ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) - अध्यक्ष महोदय, मैं, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिग कंपनी लिमिटेड का द्वादश वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2013-2014 (दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक),

(ख) पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का द्वादश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 (दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि हेतु),

(ग) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर, का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2013-14 द्विभाषीय संस्करण,

(घ) मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14 तथा

(ड.) एम.पी.पॉवर मेनेजमेन्ट कंपनी लिमिटेड का अष्ठम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 पटल पर रखता हूं.

आदिम जाति कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-12-32-2013-4-पच्चीस, दिनांक 5 फरवरी, 2015

अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) - अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2014 की अपेक्षानुसार आदिम जाति कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-12-32-2013-4-पच्चीस, दिनांक 05 फरवरी, 2015 पटल पर रखता हूँ.

(क) मध्यप्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का सत्ताईसवां वार्षिक प्रदिवेदन वर्ष 2008-09, अट्ठाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10, उन्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 20101-11, तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 तथा इकतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13

(ख) एन.एच.डी.सी. लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2013-14

राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री लालसिंह आर्य) - अध्यक्ष महोदय, मैं,

(क) मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 12 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का सत्ताईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009, अट्ठाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010, उन्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011, तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 तथा इकतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 के साथ ही उपरोक्त सभी वार्षिक प्रतिवेदनों के व्याख्यात्मक ज्ञापन तथा

(ख) मध्यप्रदेश कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619 – क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार एन.एच.डी.सी. लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2013-2014 पटल पर रखता हूँ.

समय 11.05 बजे.

फरवरी-मार्च,2015 सत्र की दिनांक 27 फरवरी, 2015 से 20 मार्च, 2015 तक स्थगित बैठकों की प्रश्नोत्तर सूचियां पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय -- फरवरी - मार्च, 2015 सत्र की दिनांक 27 फरवरी, 2015 से 20 मार्च, 2015 तक स्थगित बैठकों की प्रश्नोत्तर सूचियां स्थायी आदेश 13 - क की अभेक्षानुसार पटल पर रखी गई.

समय 11.06 बजे.

राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना

अध्यक्ष महोदय -- मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्र में पारित मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 (क्रमांक 3 सन् 2015) को माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है. यह विधेयक अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2015 के रूप में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया गया है. अनुमति प्राप्त विधेयक का नाम कार्यवाही में मुद्रित किया जायेगा.

समय 11.07 बजे.

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्य महोदय -- कार्यमंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 24 मार्च, 2015 को संपन्न हुई. जिसमें निम्नलिखित कार्यों पर चर्चा हेतु समय निर्धारित किये जाने की सिफारिश की गई है-

1- वर्ष 2014-15 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.

(दो घंटे)

2- मध्यप्रदेश के अनेक जिलों में तेज आंधी, तूफान, वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसलों को हुई क्षति पर नियम 130 के अधीन चर्चा.

(दो घंटे)

संसदीय कार्य मंत्री(डॉ. नरोत्तम मिश्र) -- माननीय अध्यक्ष महदोय मैं प्रस्ताव करता हूं कि अभी अध्यक्ष महोदय ने जिन कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंधमें कार्यमंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनायी हैं. उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

अध्यक्ष महोदय -- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

प्रश्न यह है कि जिन कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्यमंत्रणा समिति की जो सिफारिश पढ़कर सुनायी है उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय -- माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सुझाव दिया है कि अनुपूरक मांगों पर मतदान के उपरांत नियम 130 -क के अंतर्गत कार्यसूची में उल्लेखित चर्चा करायी जाय.

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

समय 11.08 बजे.

वर्ष 2014-15 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

वित्त मंत्री (श्री जयंत मलैया) -- अध्यक्ष महोदय मैं राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2014-15 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करता हूं.

अध्यक्ष महोदय -- मैं इस द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 24 मार्च, 2015 को 2 घंटे का समय नियत करता हूं.

वर्ष 2014- 15 के द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय -- अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी सदन की परम्परा के अनुसार सबी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है.

अत: मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें. मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है.

वित्त मंत्री (श्री जयंत मलैय़ा)-- अध्यक्ष महोदय मैं राज्यपाल की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि -- दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त हने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 5,9 , 11, 12, 13, 15, 16 , 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 36, 38, 39, 41, 44, 45, 47, 50, 52, 55, 58, 63, 64, 66, 67, 69, 73, 74, तथा 75 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दस हजार छ: सौ सत्तावन करोड़ तेईस लाख अड़तीस हजार रूपये की अनुपूरक राशि दी जाय.

अध्यक्ष महदोय -- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा (मुंगावली) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें बजट पर बोलने का मौका नहीं मिला पिछली बार आप ने आनन फानन में बजट प्रस्तावित कर दिया जबकि अध्यक्ष महोदय ने मेरा नाम चर्चा के लिए पुकारा था. संसदीय कार्यमंत्री जिनकी की जिम्मेदारी होती है कि सदन को चलायें वह ही सदन को नहीं चलने दे रहे थे, बड़ी विडंबना की बात है कि वह नहीं चाहते थे कि सदन चले.

अब हमें मौका मिला है इस समय बोलने के लिए तो मैं माननीय वित्तमंत्री जी का ही कथन उद्घृत करता हूं उन्होंने पेज नंबर एक पर बजट भाषण में कहा था कि (1 जुलाई 2014) -- यह भी एक दुआं है खुदा से किसी का दिल न दुखे मेरी वजह से, हे ईश्वर कुछ ऐसी कर इनायत मुझ पर कि सबको खुशियां ही मिलें मेरी वजह से. आपने बजट में और इस वोट एंड एकाउंट में ऐसा कुछ नहीं दिया है, जिससे कि सबको खुशियां मिले. दिक्कत तो यह है कि कमाने वाला खायेगा और लूटने वाला लुट जायेगा. हमारा वित्त मंत्री अगर लुट रहा है, तो फिर प्रदेश का हाल क्या होगा, यह बताइये हमें. (प्रतिपक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) वित्त मंत्री जी ट्रेन में लुट गये न, इसलिये कह रहा हूं.

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) -- अध्यक्ष महोदय, तो तालियां बजानी चाहिये क्या. अगर यह घटना हो गई, तो तालियां बजाकर प्रसन्नता व्यक्त करना चाहिये क्या.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा -- नहीं बजाना चाहिये, मैं तो दुख प्रकट कर रहा हूं.

श्री मुकेश नायक -- तालियां नहीं बजाना चाहिये, (XX) . तालियां नहीं बजाना चाहिये. (XX) कि 14 प्रतिशत रेल्वे का किराया बढ़ाया गया.

(XX) : निर्देशानुसार विलोपित.

..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय -- कृपया सब बैठ जायें.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) -- अध्यक्ष महोदय, मलैया जी, वित्त मंत्री जी भी हैं, वाणिज्यिक कर मंत्री जी भी हैं और सिंचाई मंत्री जी भी हैं. कुल 10 हजार रुपये मिले. इससे अर्थ लगाया जा सकता है कि हमारे राज्य के मंत्री कितने ईमानदार हैं.

श्री आरिफ अकील -- उन ब्रीफकेस का उल्लेख नहीं किया, जो साथ में थे.

अध्यक्ष महोदय -- कृपया बैठ जाइये.कृपया माननीय सदस्य अपनी बात जारी रखें.

श्री गोपाल भार्गव -- अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा प्रमाण इस राज्य के मंत्रियों के ईमानदारी के बारे में कुछ नहीं हो सकता.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा -- अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी बहुत भले व्यक्ति हैं, उनकी इमेज बहुत अच्छी है, इसलिये मुझे विशेष दुख है कि उनके साथ ऐसा हुआ है, जिन पर प्रदेश के खजाने की जिम्मेदारी है. अगर वह लुट जायें, तो प्रदेश का क्या होगा. हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार थोड़ा बोलना शुरु किया था, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद, बजट पर भी. तो उन्होंने यह कहा था कि हमारे प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है. लेकिन जो आंकड़े हैं और जो आपकी गतिविधियां हैं, वह यह बताती हैं कि वित्तीय स्थिति मध्यप्रदेश की अच्छी नहीं है. कांग्रेस शासन के समय 20 हजार करोड़ रुपया कर्ज था, जो अब 88 हजार करोड़ का कर्ज हो गया है और 1 लाख करोड़ कर्ज पार करने वाला है. इतने अधिक ऋण पर भी आप

को गर्व है, यह ताजुब की बात है, क्योंकि आपने कहा था कि हम तो ऋण लेने की स्थिति में हैं, इसलिये ऋण लेते हैं...

श्री जयंत मलैया -- अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय महेन्द्र सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं. अभी बजट 2015-16 पर चर्चा नहीं चल रही है. बजट 2014-15 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर चर्चा चल रही है. इस पर अगर आप बात करेंगे, तो ज्यादा बेहतर होगा.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा -- उस पर बोलूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप इस पर बोलने दीजिये, क्योंकि आप लोगों ने इस पर बोलने नहीं दिया. आप वोट एंड एकाउंट मांग रहे हैं. आप जो खर्चे के लिये पैसा मांग रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि क्या मितव्ययिता करना आपका फर्ज नहीं है क्या. पिछली बार आपने जो भी पैसा लिया था, वह पूरा खर्च ही नहीं हुआ. उसमें से काफी बच गया. यह आंकड़े बताते हैं. सबसे बड़ी चीज यह है कि खर्चों में कटौती ऊपर से शुरु करना चाहिये. अफसरों और मंत्रियों के खर्चों में कटौती करनी चाहिये. 5 वर्ष पूर्व जो 39 करोड़ का खर्चा था, वह अब 72 करोड़ हो गया. यह बहुत दुख की बात है. आप मितव्ययिता की शुरुआत मंत्रियों के खर्चों से करें. उसके बाद आप नीचे कंट्रोल करें. लेकिन उसके पहले कंट्रोल नहीं हो पायेगा. आपका जो स्थापना व्यय हो रहा है, उसको भी आपको कम करना चाहिये, वह प्रति वर्ष बढ़ रहा है. सरकारी उपक्रमों को दिया हुआ पैसा नहीं मिल रहा है. जो वित्तीय अनुशासन है, वह आपको लाना चाहिये. वोट एंड एकाउंट के टाइम पर जो पैसा आप मांग रहे हैं, तो कम से कम आप वित्तीय अनुशासन भी तो देखिये. प्रदेश में वित्तीय अनुशासन बिलकुल नहीं है. खासतौर से जिलों में वित्तीय अनुशासन बिलकुल नहीं है. जिलों में ट्रेजरीज में जो खर्चा होता है, वह लोग पैसा लेकर विभिन्न एकाउंट्स में डाल देते हैं. जो केग की रिपोर्ट है, उसको मैं कोड करना चाहूंगा. मैं आपको यह राय दे रहा हूं कि आपको वित्तीय अनुशासन लाना बहुत जरुरी है. केग की ऑडिट में पता चला है कि सांस्कृतिक गतिविधियोंको बढ़ावा देने के नाम पर संस्कृति विभाग ने ऐसी अशासकीय संस्थाओं को करोड़ों रुपये की वित्तीय सहायता दे दी, जिनकी

मान्यता तक नहीं थी. इसी प्रकार प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विभागों के अफसरों ने कोषालयों से अग्रिम राशि निकाल कर अपने खातों में हेर फेर कर सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाया. यह आपका जो फायनेंशियल मिस मेनेजमेंट है, क्योंकि आप जिलों में जो पैसा भेजते हैं, वह पूरा खर्च नहीं होता है और ट्रेजरी कोड के नियम 268 के तहत और वित्त संहिता के नियम 6 का स्पष्ट उल्लंघन है इस प्रकार पैसा अन्य खातों में डालना. मध्यप्रदेश कोष संहिता के भाग 1 नियम 78,79 तथा सहायक नियम 284 तथा वित्त संहिता भाग 1 के नियम 6 के अनुसार शासकीय धन का कोषालय में आहरित करना, अन्यत्र खाता खोलना स्पष्ट रूप से वर्जित है, पर यह पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है और आप इस पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं. अगर आप जिलों में रोक नहीं लगा पायेंगे, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे कि मध्यप्रदेश में आपका वित्तीय अनुशासन ठीक है. मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि आडिटर जनरल आफ इंडिया जो आडिट करते हैं, तो जिन कंडिकाओं का आडिट आब्जेक्शन्स का जवाब देना होता है वह आपके विभाग नियत समयानुसार नहीं देते हैं और अन्त में आडिटर जनरल, श्रीवास्तव को आपके प्रमुख सचिव श्री अजय नाथ को एक पत्र लिखना पड़ा. उन्होंने यह कहा कि महालेखाकार के लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों की बहुत अधिक संख्या में लंबित कंडिकाओं का विभागीय अधिकारियों द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, कंडिकायें लंबित रहती हैं तथा उत्तरदायी अधिकारी की उच्चतर पदों पर पदोन्नति हो जाती है, या सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उन पर कोई उचित कार्यवाही समय पर नहीं हो पाती है. लेखा परीक्षा रिपोर्ट सिविल में 9 हजार 13 प्रतिवेदन, 22 हजार 437 कंडिका उन पर समय पर उत्तर नहीं आया और समय पर उत्तर नहीं आने से आप कसावट ब नहीं कर पायेंगे . आप सभी विभागों को निर्देश दें कि जब आडिट टीम्स आयें, तब उनके सामने कागज पेश करे और जो आडिट आब्जेक्शन्स हैं उन कागजों पर उनके उत्तर दें, लेकिन वह नहीं करते हैं और कंडिकायें बनती हैं, आडिट आब्जेक्शन्स बनते हैं और फिर जो फाइनेंशियल कमेटियां हैं, उनके पास भी उत्तर देने में विलंब किया जाता है और उस विलंब के कारण बहुत अधिक आडिट आब्जेक्शन जो हैं, उन पर जो सख्ती से कार्यवाही होनी चाहिये, वह

कार्यवाही उन जिम्मेदार अधिकारियों पर नहीं होती है और वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रदेश में और जिलों में दोनों जगह आप वित्तीय अनुशासन लाइये और उसके बाद में आप जितना पैसा चाहे विधान सभा से मांग लीजिये, कोई दिक्कत नहीं है और दूसरा पिछली बार आपने जो पैसा मांगा था वह पूरा खर्च ही नहीं हुआ है, तो इसलिये यह देखें कि जो पैसा मांगा जाये, वह खर्च भी हो और उतना ही मांगा जाये जितना खर्च हो. फिजूलखर्ची को रोकने के लिये मेरा आपसे दोबारा अनुरोध है कि आप विज्ञापनों का खर्चा देखें. 2010-11 में 37 करोड़, 2012-13 में 45 करोड़ और 2013-14 में पच्चानु करोड़ रूपया आपने विज्ञापनों पर खर्च किया है. अगर आआप विज्ञापनों पर इतना अधिक पैसा खर्च करेंगे , तो आप सोच सकते हैं कि जिस काम के लिये वह पैसा है, जिस कार्यक्रम के लिये पैसा है, उसका कैसे पालन होगा. मेरा आपसे अनुरोध है कि आपका जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा भी बढ़ता जा रहा है. बढ़ते हुए राजस्व घाटे और बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे के कारण आपका वित्तीय अनुशासन प्रभावित हो रहा है. इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सड़क, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली और सोशल फैक्टर पर जितना आपको प्रावधान करना चाहिये, आप उतना प्रावधान नहीं कर रहे हैं. पूरे देश में डीजल और पैट्रोल पर आपने सबसे अधिक वैट लगा रखा है और उसके कारण हालत यह हो रही है कि ....

अध्यक्ष महोदय--मेरा अनुरोध यह है कि माननीय सदस्य अनुपूरक पर ही चर्चा करें.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा---प्रदेश के लोग और बाहर के लोग हमारे यहां पेट्रोल ना खरीदकर पड़ोस के राज्य में जा रहे हैं, तो वहां से पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय--माननीय सदस्य, मेरा अनुरोध है कि अनुपूरक पर चर्चा करें. आप सारे विषयों पर आ गये हैं.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा--अध्यक्ष महोदय, हमको बजट पर मौका नहीं मिला. पेट्रोल डीजल के बारे में तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है.

डा. गौरीशंकर शेजवार--जब तैयारी नहीं होगी, तो ऐसा ही भाषण होगा. महेन्द्र सिंह जी का जीवन में आज का सबसे अधिक पूवर भाषण है. बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप आंकड़ों से लेकर विषय पर केंद्रित न रहने के लिये प्रसिद्ध हैं , लेकिन आज आप बिल्कुल इधर उधर जा रहे हैं और आज आपकी तैयारी नहीं है.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा--वह आज मैं इसलिये जा रहा हूं कि आपने हमको बजट पर बोलने नहीं दिया, आपने हमको बजट पर क्यों नहीं बोलने दिया ?

डा. गौरीशंकर शेजवार--आज आपकी तैयारी ही नहीं है.

अध्यक्ष महोदय--महेन्द्र सिंह जी, आपसे यह अनुरोध है कि अब जो विषय सामने हो , उस पर ही बोलें.

डा. गौरीशंकर शेजवार--आपने फूल तो लिया नहीं, अब पंखुड़ी मिली है तो उसीसे काम चलाइये भाई.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा--मैं वित्तीय मामलों पर बोल रहा हूं, मैं दूसरे विषय पर तो बोल नहीं रहा हूं और वह क्षतिपूर्ति कर रहा हूं. पूरे देश में आपका सबसे ज्यादा है. हमारे यहां पर कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, लेकिन अब पता चलेगा आपको, क्योंकि आप बोनस तो दे नहीं रहे हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है. इस प्रदेश में इस बार जो ओलावृष्टि हुई है और जो पाला पड़ा है उसमें आपने उसका पिछली बार प्रावधान क्यों नहीं किया. पिछली बार पटवारियों ने बहुत गलत आंकलन किया सैकड़ों किसान ऐसे थे जो कि रह गये, जिनको मुआवजा मिलना था, नहीं मिला. आपने इस बार प्रावधान किया है कि नहीं आपने मेरे ख्याल से जो ओला-पाला पड़ा है उसके लिये वित्तीय प्रावधान अलग से बजट में करना चाहिये, क्योंकि मैं जब जिलों में गया हमारे प्रभारी मंत्री हैं जिन्होंने एक कमेटी बनाई जब लोगों ने बताया कि बईमानी हो रही है मुआवजे के बारे में पटवारी लिख नहीं रहे हैं उस कमेटी ने कार्य सही रूप से नहीं किया उसमें लोगों को कोई फायदा नहीं मिला तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको बजट प्रावधान जहां

पर ओला पड़ा है उसके लिये निश्चित रूप से करना चाहिये, क्योंकि हमने यह वायदा किया था कि अगर कलेक्टर यहां पर रिपोर्ट भेज देते हैं कि इन-इन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है तो हम वित्तमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वह बजट प्रावधान करें.

श्री गोपाल भार्गव—आपने सप्लीमेन्ट्री बजट देखा नहीं उसमें 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है और उसमें यह भी कहा गया है कि जितनी भी राशि की आवश्यकता होगी उस राशि की प्रतिपूर्ति करेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा—साढ़े चार सौ करोड़ रूपये का प्रावधान किया है उससे कुछ नहीं होने वाला है. अभी तक किसानों को पिछला भी नहीं मिला है.

श्री गोपाल भार्गव—यह अंतिम नहीं है जैसे जैसे आवश्यकता होगी आप जानते हैं कि आर.बी.सी. 6 (4) में सर्वे के बाद ही पूरी रिपोर्ट आती है उसी के बाद ही सही आंकलन और राशि तय होती है इस कारण से पांच सौ करोड़ रूपये अंतिम नहीं है. मुख्यमंत्री जी ने तो यहां तक कहा है कि सारी राशि किसानों के लिये समर्पित है, हम योजनाओं में कटौती कर देंगे, लेकिन किसान को परेशान नहीं होने देंगे.

श्री रामनिवास रावत—आप यह बता दें कि क्या पिछली बार से ज्यादा आपदा नहीं है.

श्री गोपाल भार्गव—यह आंकलन के बाद ही पता चलेगा मुख्यमंत्री जी स्वयं 28 जिलों में स्वयं दौरा कर चुके हैं.

श्री कमलेश्वर पटेल—इतने दिन में आंकलन भी नहीं कर पायी सरकार.

अध्यक्ष महोदय—कृपया बैठ जाएं. माननीय कालूखेड़ा जी अपनी बात पूरी करें संक्षेप में.

श्री जितु पटवारी—आप यह तो दिखवा लें कि कितनी आपदा है किसानों की.

श्री गोपाल भार्गव—आपके समय में 50-60 रूपये के चेक मिला करते थे आपको कहने का अधिकार ही नहीं है.

डॉ.गोविन्द सिंह—साढ़े चार चौर करोड़ रूपये जो बजट में दे रहे हैं वह पैसा भी ऋण मुक्ति का है, जो ऋण में आपके ब्याज का है, राहत में इसके लिये कोई पैसा नहीं है.

श्री गोपाल भार्गव—आप पढ़ लें, राहत में इसमें 500 करोड़ रूपये का प्रावधान है.

डॉ.राम किशोर दोगने—मंत्री जी के विभाग के लोग गाड़ियों में नोट लाकर के थाने में जमा करवा रहे हैं. को-आपरेटिव बैंक के 3 करोड़ रूपये हरदा में जमा हुए हैं, मैंनेजर ने घर से लाकर के जमा किये हैं.

श्री गोपाल भार्गव—आपके समय में क्या जमा ही नहीं होते थे.

डॉ.रामकिशोर दोगने—घर से लाकर के जमा किये है, वे व्यक्तिगत उस पैसे का उपयोग कर रहे थे.

श्री गोपाल भार्गव—यह हम लोगों की क्षमता है.

डॉ.रामकिशोर दोगने—आपने क्या इसकी परमीशन दे रखी है.

श्री गोपाल भार्गव—जो भी प्रदेश में घोटाला करेगा, उस पर सख्ती से यह सरकार पेश आयेगी.

डॉ.रामकिशोर दोगने—जो बातें सदन में हो रही हैं उस पर ही चर्चा करें बार-बार पिछली बार कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है.आपकी जवाबदारी है 11-12 साल से आपकी सरकार है, आप किसानों की मदद करें.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा—अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश के 30 हजार गांवों में ओला-पाला, अतिवृष्टि से मुख्यमंत्री जी ने स्वयं 13 हजार करोड़ रूपये का नुकसान होने का कहा था उसमें 450 करोड़ रूपये से क्या होगा. जब राज्य शासन न्याय नहीं करता है तब एक सुजानसिंह रघुवंशी नाम के एक व्यक्ति ने जो कि विदिशा के हैं उन्होंने हाईकोर्ट में पीआईएल लगाई उसमें जब राज्य शासन को जवाब देने का मौका मिला तो उसमें राज्य शासन ने एक शपथ-पत्र दिया कि हेल्थस्टोन को लोकलिटीज कैलामिटीज नोटिफाईड किया इसलिये बीमा कम्पनी को पैसा देने के लिये तैयार नहीं

हैं. बीमा निगम से 1400 करोड़ रूपया फसल बीमा देने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है. हाईकोर्ट ने 1400 करोड़ का किया है आपने इसमें साढ़े चार सौ करोड़ की बात कही है उसमें उत्तर दिया गया है उसमें न्यायालय की अवमानना किया है. आपको इसमें 15 मार्च से पहले यह बीमा कम्पनी को पैसा देना था उसमें बीमा कम्पनी ने जवाब दिया है कि 1400 करोड़ में आधा पैसा राज्य-शासन का होना है, क्योंकि राज्य शासन ने आधा पैसा जमा नहीं कराया है इसलिये हम यह पैसा किसानों को देने में असमर्थ हैं. मेरा आपसे अनुरोध है कि जब राज्य शासन अपना हिस्सा नहीं देगा तो 1400 करोड़ रूपये किसानों को कैसे मिलेगा. जो कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है. यानी हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन आप बीमा कंपनियों से नहीं करवा पा रहे हैं. यह अत्यंत दुख की बात है आप बताएं कि आपने प्रीमियम के रूप में पिछले सालों में किसानों से कितना करोड़ रुपये इकट्ठा किया है और जो प्रीमियम के रूप में जो पैसा इकट्ठा किया है उसके बजाय बीमा कंपनियों ने बीमा का कितना पैसा किसानों को दिया यह आप बताएं जब आप बोलें क्योंकि करोड़ों रुपये का प्रीमियम लिया.

श्री गोपाल भार्गव – अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा की 22 करोड़ रुपये की राशि फसल बीमा के अंतगर्त मध्यप्रदेश के किसानों के लिये दी गई. पूरी की पूरी जितनी प्रीमियम की राशि है राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि जमा करवाई है.

श्री रामनिवास रावत – माननीय अध्यक्ष महोदय, ओला, पाला और बीमा पर चर्चा होनी है यह अभी से स्पष्टीकरण दे रहे हैं. अगर यह बहस करेंगे तो राज्य सरकार ने अभी राशि नहीं दी. 2012-13 और 2013-14 की यह आपका ही जवाब है. कम से कम जो चर्चा चल रही है उस तो चलने दो इतने सीनियर हो.

श्री गोपाल भार्गव – अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरा उल्लेख किया था अशोक नगर गुना जिले का इस कारण से मैं खड़ा हुआ था नहीं तो मुझे कोई आवश्यक्ता नहीं थी.

श्री महेन्द्र सिंह – अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रभारी मंत्री हैं और उन्होंने घोषणा की थी कि एक कमेटी बनाई जायेगी कि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ उसको दूर किया जायेगा लेकिन मैं

आपको सूचित कर रहा हूं कि यह अन्याय दूर नहीं हुआ है. आप प्रभारी मंत्री के रूप में उसअन्याय को दूर करने का प्रयास करें और इस कारण से मैं कह रहा हूं कि करोड़ों रुपये का प्रीमियम वसूला गया और आप बीमा के मामले में आप आमूलचूल परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक किसानों को बीमा नहीं मिलेगा और बीमा कंपनियां जो करोड़ों रुपये प्रीमियम के रूप में कमा रही हैं वह किसानों को वापस नहीं मिल रहा है और जब हाई कोर्ट में गये हैं और हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उसके बाद भी आप किसानों को बीमा नहीं दिला पा रहे हैं. सिर्फ इसलिये नहीं दिला पा रहे हैं कि आप अपना हिस्सा 1400 करोड़ का जो उन्होंने आदेश दिया है उसमें आप अपना हिस्सा नहीं दे रहे हैं इसका प्रावधान आपको बजट में करना चाहिये वह 1400 करोड़ किसानों को मिल सके आप 400 करोड़ की बात कर रहे हैं उससे क्या होगा. मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो खर्चा मांग रहे हैं उस खर्चे में आप इसको शामिल करें. यह आंकड़ों की बाजीगरी, जगलरी आफ फिगर्स यह हम समझते हैंबजट में लेकिन वित्त मंत्री जी को मैं अनुरोध करूंगा कि वह वित्तीय अनुशासन लायेंगे और किसानों के हित का विशेष ध्यान रखेंगे धन्यवाद.

श्री मुकेश नायक(पवई) माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मूल बजट आये हुए 15 दिन ही हुए हैं और सरकार का अनुपूरक बजट आ गया इससे पता लगता है कि इनके वित्तीय अनुमान और बजट बनाने का तौर-तरीका क्या है. भाई साहब, यह अनुमान आप 15 दिन पहले नहीं लगा सकते थे. ऐसा बजट बनाया जाता है कि 15 दिन में दूसरा बजट. मैं यह कर रहा हूं इसको जोड़ता हूं सी.ए.जी. की रिपोर्ट से. सी.ए.जी. ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है इसका जवाब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी से चाहता हूं. उस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सरकार के बजट बनाने के तौर-तरीकों में ऐसा अनुशासन है कि 72 हजार करोड़ के खातों के मिलान नहीं हो रहे जो आपने बजट बनाया. दो हजार करोड़ से ज्यादा की राशि शासकीय कर्मचारियों ने मार्च के महिने में बजट को मेनुकुलेट करने के लिये अपने निजी खाते में डाल दी. यह सी.ए.जी. ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नहीं. सी.ए.जी. ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि 9 हजार करोड़ रुपये ऐसी

सिंचाई की योजनाओं में नियोजित कर दिये जो अनुपयोगी हो गये वेस्ट गये . इतने गरीब राज्य में जहां किसानों की 3 फसलें नष्ट हो गईं. किसानों के पास पहनने के लिये कपड़े नहीं हैं. बच्चों की फीस भरने के लिये पैसे नहीं है. ऐसे गरीब राज्य में अगर सी.ए.जी. अपनी रिपोर्ट में कहती है कि 9 हजार करोड़ रुपये इस सरकार ने ऐसी सिंचाई परियोजनाओं पर नियोजित कर दिये जो अनुपयोगी हो गये वेस्ट हो गये. आप कल्पना करिये कि वित्तीय कुप्रबंध का इस राज्य में क्या हाल है. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग,कृषि विभाग एवं सिंचाई विभाग और यह जो बड़े बड़े विभाग हैं उनका मैं इसलिये नाम ले रहा हूं बाकि कम और ज्यादा लगभग सभी विभागों का यह हाल है कि मध्यप्रदेश में जो मार्च का महीना है, यहां पर कृषि मंत्री जी बैठें हैं। वह बहुत इंटरपशन करते हैं वह सदस्यों को बोलने नहीं देते हैं। वह अपने जवाब में बतायें कि कृषि विभाग का अस्सी प्रतिशत बजट कुल बजट का केवल मार्च में खर्च कर दिया । आपने यह बजट में कहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, यानि बजट का जो प्रवाह है और बजट की जो निरंतरता है यह किसी भी स्वस्थ बजट के लिये बहुत आवश्यक होता है और क्या कारण है कि कुल बजट का अस्सी प्रतिशत भाग केवल मार्च में खर्च कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप कृपया विषय पर आयें।

श्री मुकेश नायक:- आप बता दें महानुभव कि मैं विधान सभा में क्या बोलूं।

अध्यक्ष महोदय:- कृपया आप अनुपूरक बजट पर बोलें।

श्री मुकेश नायक:- अध्यक्ष महोदय, यह बजट का भाषण है।

डॉ गोविन्द सिंह :- अनुपूरक बजट में यह नहीं बतायेंगे, क्या इस तरह ये पैसा उठायेंगे, इनको रोक लगाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय :- जो विषय हैं उस पर ही बोला जाता है, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप नियम पढ़ लीजिये।

श्री राम निवास रावत :- आप पैसा खर्च कैसे करेंगे, यह व्यवस्था तो करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय :- जो विषय होते हैं, उन पर बोला जाता है, आप नियम पढ़ लीजिये, आपको नियम मालूम है आपको भी मालूम है,डॉ गोविंद सिंह जी को भी मालूम है, जो विषय लिया गया है उस पर बोलिये।

डॉ गोविन्द सिंह :- अध्यक्ष जी जब जनरल भाषण होगा तो बताना होगा कि आप कैसे इस पर कंट्रोल रख सकते हैं,आपको उड़ाने के लिये साढ़े दस हजार करोड़ रूपये नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अनुपूरक मैं सामान्यत: नहीं होता है, जनरल भाषण श्री कालूखेड़ा जी ने दे दिया है।

श्री मुकेश नायक:- अध्यक्ष जी जो अनुपूरक बजट होता है उसमें मध्यप्रदेश की आम जनता की बैचेनी, बजट बनाने के तौर तरीके और उससे आने वाले परिणामों पर कोई भी सामान्य सदस्य मध्यप्रदेश की विधानसभा में बातचीत कर सकता है और मैं सीएजी की रिपोर्टस् पर बोल रहा हूं । यह तो पूरे बजट का हिस्सा है।

श्री जयंत मलैया :- अध्यक्ष महोदय, बार बार सीएजी की रिपोर्ट याद की जाती है। यह वरिष्ठ सदस्य है यह जानते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट का आब्जरवेशन रहता है और पीएसी के चेयरमैन आपकी पार्टी के हैं और वह जो सारे के सारे आब्जरवेशन हैं, आपके यहां विटनेस के रूप में आते हैं अधिकारी आते हैं, उसमें कहीं कोई आउटइहस्टेंडिंग कही कोई पैसा रह जाता है, जिसका समायोजन नहीं होता है तो वह करके आपके पास आते हैं, आप उसको दंडित भी कर सकते हैं और जो अधिकारी दोषी पाये जाते हैं उनको दंडित भी किया जाता है। सीएजी की रिपोर्ट कोई हाईकोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है।

श्री मुकेश नायक :- अगर हाईकोट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी ने देश की लोकसभी सीएजी की रिपोर्ट को लेकर क्यों नहीं चलने दी, आप बताईये।

श्री ओमप्रकाश सखलेचा:- जितना सीएजी ने आंकलन किया उससे कई गुना ज्यादा राजस्व अभी कोयले में आया, जितना आंकलन आया, उससे उससे कई गुना ज्यादा आया है । अभी तो एक तिहाई भी ज्यादा कोल ब्लाक नहीं हुये हैं। इसलिये वहां और यहां के विषय में अंतर है।

श्री गोपाल भार्गव :- अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि विपक्ष के लोग पब्लिक एकाउंट कमेटी में चेयरमेन होते हैं। वह सारा परीक्षण कर सकते हैं। अब इसमें नुक्ताचीनी करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मुकेश नायक :- अध्यक्ष महोदय, इसमें नुक्ताचीनी कि आवश्यकता इसलिये हैं कि सीएजी जो टिप्पणी करती है, उसके जो संशोधन वित्त विभाग के द्वारा दिये जाने हैं उससे सदन को अवगत कराया जाता है और कराया जाना चाहिये अगर सदस्य आपत्ति उठा रहे हैं। आपके बहत्तर हजार करोड़ खाते के मिलान नहीं हो रहे हैं तो हम सरकार कि प्रशंसा कर क्या?

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा :- आपने केन्द्र में क्यों नुक्ताचीनी की, केन्द्र में वहां पब्लिक एकाउंट कमेटी के चेयरमेन आपके थे।

श्री मुकेश नायक:- आपने केन्द्र में लोकसभा चलने नहीं दी, सीएजी की रिपोर्ट को सत्ता हस्तांतरण का मुख्य मुद्दा बनाया, अब अगर हम वह विषय उठाया तो कहते हैं कि यह अप्रासंगिक हो रहे हैं आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे है कि हम अनुपूरक बजट पर बोलें अनुपूरक बजट की कापी अभी पांच मिनट पहले दी और पिछली दफा हम लोग सब्जेक्ट डिमांड पर कटौती प्रस्ताव पर बोलना चाहते थे, सुबह साढ़े दस बजे हम लोगों को बजट की प्रति मिली और हमसे कहा गया कि पांच बजे तक अपने कटौती प्रस्ताव पांच बजे तक प्रस्तुत कर दें । (XX)

अध्यक्ष महोदय—यह विलोपित कर दें, यह उचित नहीं है. कृपा करके आप विषय पर आयें यह उचित नहीं है. आप विषय से बाहर बोल रहे हैं. (व्यवधान)

श्री मुकेश नायक—(XX). (व्यवधान)

श्री सुदर्शन गुप्ता—व्यवधान किसने पैदा किया था, आप सदन के नेता को सुनना नहीं चाहते थे आपने व्यवधान पैदा किया था..(व्यवधान) आपने विधान सभा नहीं चलने दी आपने दुरुपयोग किया (व्यवधान)

(XX) : निर्देशानुसार विलोपित.

श्री मुकेश नायक—व्यवधान आते हैं विधान सभा में उसका निराकरण होता है बातचीत होती है, चीजें सुधारी जाती हैं उसको सुधारने का तरीका होता है विधान सभा के अन्दर (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—आप बैठ जाइये. श्री मुकेश नायक जी ने जो बातें कही हैं वे उचित नहीं हैं. विधान सभा की कार्यवाहियों के बारे में यहां चर्चा नहीं की जाती है. मैं आपका ध्यान नियम तथा प्रक्रिया संचालन की ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूँ—

"अनुपूरक अनुदानों पर वाद विवाद केवल उन मदों तक ही सीमित रहेगा जिन पर अनुपूरक अनुदान बताये गये हों और जब तक तद्धीन मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिये आवश्यक न हो, मूल अनुदानों पर या उनसे संबंधित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी."

इसलिये मैंने आपसे अनुरोध किया था आप अकारण गुस्सा हो गये.

श्री मुकेश नायक—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गुस्सा नहीं हुआ. यह पूरे विधान सभा सदस्यों की पीड़ा है.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार—अध्यक्ष महोदय, एक मिनट चाहूंगा. जो सो रहा हो उसे तो जगाया जा सकता है लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा हो उसे आप कैसे जगायेंगे.

श्री मुकेश नायक—डाक्टर साहब थोड़ी कृपा करें बोलने दें आप ऐसा क्यों करते हैं.

अध्यक्ष महोदय—कृपया समाप्त करें. 10 मिनट हो गये हैं आपको.

श्री मुकेश नायक—अध्यक्ष महोदय, सब वैसे ही समाप्त है पूरे देश में (हंसी) (व्यवधान)

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—पूरे देश में कांग्रेस समाप्त हो गई है.आपने सही बात बोली आभार आपका(व्यवधान)

श्री विश्वास सारंग—मुकेश भाई आपने बिलकुल सही बात बोली है, इसीलिये आप मुकेश नायक हैं (व्यवधान) मुकेश भाई बहुत बधाई.

अध्यक्ष महोदय—आप लोग कृपया बैठ जायें. श्री मुकेश नायक जी कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें.

श्री सुदर्शन गुप्ता—इनके नेता भी लापता हो गये हैं गायब हो गये हैं (व्यवधान)

श्री विश्वास सारंग—सही बात तो निकल ही जाती है.

श्री बाला बच्चन—क्या हाउस के नेता हैं यहां पर हाउस के नेता का भी तो कुछ अता-पता नहीं हैं.

श्री मुकेश नायक—(XX).

अध्यक्ष महोदय—आप अनुपूरक पर बोल रहे हैं ना.

श्री मुकेश नायक—(XX).

अध्यक्ष महोदय—यह सब विलोपित कर दीजिये, यह विलोपित कर दीजिये जो मुकेश नायक जी बोल रहे हैं यह कुछ नहीं लिखा जायेगा. श्री कमलेश्वर पटेल.

श्री मुकेश नायक—(XXX)

अध्यक्ष महोदय—रिकार्ड में कुछ नहीं आ रहा है, कृपया आप बैठ जायें.

श्री सुदर्शन गुप्ता—यह घोर आपत्तिजनक है.

अध्यक्ष महोदय—कृपया श्री कमलेश्वर पटेल अपनी बात रखें.

श्री कमलेश्वर पटेल (सिहावल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक बजट की किताब जो माननीय मंत्री महोदय ने यहां पर..

डॉ. गौरीशंकर शेजवार—अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनना और यह घोषणा करना कि हम सदन में मुख्यमंत्री का भाषण नहीं होने देंगे, यह लोकतांत्रिक है क्या ?

श्री रामनिवास रावत—यह बात कहां से उत्पन्न हो गयी है यह क्या चाहते हैं अध्यक्ष महोदय थोड़ा बहुत तो आप इनको संभालो (XX) इन मंत्रियों पर यह बात कहां से पैदा हो रही है.

(XXX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

(XX) : निर्देशानुसार विलोपित.

(व्यवधान)

श्री कमलेश्वर पटेल-- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर बोलने के लिए हमने चर्चा में भाग लिया, आपके सामने भी निवेदन किया, पर अभी तक भी विषयवार जो चर्चा के लिए, हमें यहाँ से जो बुक मिलनी चाहिए, नहीं मिली, जहाँ रैक्स हैं, हम वहाँ भी गए थे, कोई तैयारी नहीं है इस तरह से हम क्या चर्चा करेंगे. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में मध्यप्रदेश में हमारे विधान सभा क्षेत्र में, हमारे जिले में, जो स्थिति है, हम उसके बारे में बताना चाहेंगे क्योंकि अगर बजट में प्रावधान कोई भी सरकार करती है तो आम जनता के हित के लिए करती है पर जिस तरह से बजट पास हुआ, मेन बजट भी एक ही दिन में, आधे घंटे में पूरी तरह से आप लोगों ने पास कर दिया और किसी को भी चर्चा करने का मौका नहीं मिला. हम पहले भी अनुपूरक बजट और बजट में यहाँ पर आपके समक्ष चर्चा के लिए शामिल हुए थे तो एक सत्तापक्ष का सदस्य बोलता था, एक विपक्ष का बोलता था. अध्यक्ष महोदय, आज की व्यवस्था हमको समझ में नहीं आई. अध्यक्ष महोदय, आपको क्या यह लग रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग सरकार की जब प्रशंसा करेंगे तो असत्य प्रशंसा करेंगे. अध्यक्ष महोदय, चूँकि मैं पहली बार का सदस्य हूँ आप से ही कुछ चीजें हम लोग यहाँ सदन में सीख

रहे हैं. सच बात तो यह है कि वर्तमान में ग्रामीण स्तर में किसानों के जो हालात हैं एक तरफ बिजली के बिल की वसूली का..

एक माननीय सदस्य-- कमलेश्वर जी, पूर्व सीनियर मेंबर बैठे हैं राकेश जी हैं, सुनील जी हैं, आप उनसे प्रबोधन ले लीजिए.

श्री कमलेश्वर पटेल-- माननीय राकेश चौधरी जी और सुनील जी पूर्व विधायक यहाँ पर उपस्थित हैं उनका हम लोग स्वागत करते हैं पर मैं समझता हूँ कि प्रबोधन कार्यक्रम की आवश्यकता सत्तापक्ष के साथियों को ज्यादा है क्योंकि उनको असत्य बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, सही बात सदन के अन्दर नहीं रखते हैं. यह बड़ा चिन्ता का विषय है.

अध्यक्ष महोदय, आज आप बिजली की स्थिति देखें तो किसान सहकारिता में वसूली से परेशान है, किसान अपना धान बेचता है और अपना ही पैसा लेने जाता है तो उसको भीख जैसे मांगते हैं, वैसे दिन दिन भर इंतजार करना पड़ता है उसका जमा दो लाख है, सोसायटी में धान बेचा है दो लाख का और उसको मिलता है दस हजार, पाँच हजार और दिन दिन भर वह इंतजार करता है. किसी को अपनी बच्ची की शादी करनी है, कोई बीमार है, पर ये हालात हैं. अध्यक्ष महोदय, ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी सरकार का बजट का प्रावधान आम जनता के हित के लिए होता है. आज स्थिति यह है कि हमारे जिले में जो अतिथि व्याख्याता हैं साल भर से उनका भुगतान नहीं हुआ है. एक तरफ हम बजट का प्रावधान करते हैं, अनुपूरक बजट में हम फिर से कई सौ करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, आज डॉक्टर्स नहीं हैं, आज ये हालात हैं. आज छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हुआ है. हमारे सीधी सिंगरौली जिलों में गणवेश, छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हुआ है. दो दो साल से साइकिल नहीं मिली. यह हालत है, तो सरकार बातें तो बहुत बड़ी करती हैं लेकिन किसान यूरिया के लिए भटकते रहता है, सात सौ रुपये, आठ सौ रुपये में बाजार से मिलेगा पर सोसायटी से नहीं मिलता. अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में साल साल

भर से विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है, तो किनके लिए काम हो रहा है, हमको समझ में यह नहीं आ रहा है.

अध्यक्ष महोदय, आज सड़कें बनती हैं, लोक निर्माण विभाग की सड़कें हमारे सीधी, सिंगरौली जिलों में कहीं भी चले जाइये, सड़कों की हालत इतनी बदतर है, सरकार के पास पैसा नहीं है. प्रधानमंत्री सड़क की हालत बहुत खराब है. ठेकेदार छोड़कर भाग जाते हैं, जो उनका एग्रीमेंट रहता है, वे एग्रीमेंट के तहत काम नहीं करते.(व्यवधान) काँग्रेस सरकार ने जो किया है बहुत किया है. अध्यक्ष महोदय, यही काँग्रेस की सरकार जब दिल्ली में थी, मनमोहन सिंह जी थे, तो हजारों करोड़ रुपये मध्यप्रदेश सरकार को दिए. वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री जी इतनी बड़ी आपदा आई है मध्यप्रदेश के ऊपर पिछली बार पाँच हजार करोड़ रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा के लिए मनमोहन सिंह जी से मांगा था पर इस बार मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 1 हजार करोड़ भी माननीय प्रधानमंत्री जी से नहीं मांगा है यह बड़े दुख की बात है. माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हमारे माननीय सदस्य बातें करते हैं, टीका-टिप्पणी करते हैं वह आवश्यक नहीं है, आवश्यकता है कि हम सब मिलकर जो अभी वर्तमान आपदा मध्यप्रदेश के किसानों के ऊपर आई है उसका सामना करें. आज गरीब परेशान है, किसान जेल जा रहा है. अभी सीहोर जिले में कल एक घटना हुई जिसमें बिजली विभाग ने मालवीय परिवार को 54 हजार का बिजली का बिल भेज दिया उस वजह से उस व्यक्ति को हार्टअटेक हो गया, उसकी दो बड़ी-बड़ी बेटियाँ हैं, एक बेटा है उस व्यक्ति की पत्नी श्यामपुर थाने में बिजली विभाग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने गई थी किन्तु रिपोर्ट नहीं लिखी गई.

श्री सुदर्शन गुप्ता-- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय पर तो बोलें, यह तो भाषण दे रहे हैं.

श्री कमलेश्वर पटेल-- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही इसकी इजाजत ले ली है क्योंकि विषयवार हमको जो किताब मिलती है, वह हमको नहीं मिली है तो हम किस विषय पर

चर्चा करें. वर्तमान में मध्यप्रदेश में आपातकाल जैसी स्थिति है . निचले स्तर पर मुख्यमंत्री जी द्वारा सिर्फ हवाई सर्वे करने से किसानों का दुखदर्द दूर नहीं होगा बल्कि निचले स्तर तक जाकर काम करना होगा . पहले भी कई सौ करोड़ रुपये मिले किन्तु किसानों तक फायदा नहीं पहुंचा, गरीबों को फायदा नहीं मिला.

माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे पीएचई विभाग की बात करें पानी का अभी भी भारी संकट है कई जगह पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता है . कई गरीब लोग अभी भी नदी-नाले से पानी पीते हैं. हम मंत्री जी को ऐसी जगहों की सूची देंगे. कई ऐसे गांव हैं जहाँ अभी भी इस तरह की स्थिति है इसलिए आज कुछ ठोस काम करने की आवश्यकता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो केवल किसानों को राहत देने की बात की है और सभी विभागों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है तो यह काम होंगे कैसे ? एक तरफ तो यह बताया जाता है कि बिजली के उत्पादन की क्षमता बढ़ती जा रही है दूसरी तरफ बिजली की दरों में वृद्धि भी हो रही है, किसानों के बिल में कमी नहीं आ रही है और मनमानी बिलिंग हो रही है.माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो हालात हैं इससे निपटने के लिए सरकार ने जो अनुपूरक बजट में प्रावधान किया है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए. क्योंकि हर वर्ष बजट पारित होता है और यह पैसा कहाँ जाता है , कौनसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है. आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद.

श्री शैलेन्द्र पटेल(इछावर)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक बजट पर चर्चा हो रही है और जैसा कि पूर्व वक्ता कमलेश्वर पटेल जी ने कहा . मुझे भी अभी-अभी वह किताब मिली है. मैं तो अपनी चंद लाइनों से अपनी बात शुरु करना चाहता हूं कि**" यहाँ पर आते-आते सूख जाती हैं कई नदियाँ , मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा".** प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं लेकिन निचले और जमीनी स्तर पर जो बजट का कुप्रबंधन है वह हमको कई बार देखने को मिलता है. प्रदेश सरकार के ऊपर लगभग 96 हजार 163.87 करोड़ रुपये का कर्ज

है जबकि पिछले वर्ष 77 हजार 413. 87 करोड़ रुपये का कर्ज था और लगभग 18 हजार करोड़ रुपये का कर्ज हमारे प्रदेश पर और बढ़ा है. लगातार जो बातें होती हैं कि कांग्रेस की जो पिछली सरकार थी उस समय 18 हजार करोड़ का कर्ज इस प्रदेश के ऊपर था जो बढ़कर 98 हजार करोड़ रुपये के लगभग हो गया है. पिछले 11 वर्षों में 80 हजार करोड़ रुपये का कर्ज इस प्रदेश के ऊपर बढ़ा है . आज यह सोचना होगा कि लगातार हमारा कर्ज क्यों बढ़ता जा रहा है और क्यों इस सदन में हमको अनुपूरक बजट लेकर आना पड़ता है . सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं, इस बारे में वित्तमंत्री जी ने अभी तक इस सदन को अवगत नहीं कराया है कि सरकार क्या कटौती प्लान लेकर आई है ताकि बढ़ता हुआ कर्ज कम हो और जो खर्चे बढ़ रहे हैं वह कैसे रूके. प्रदेश में सड़क बनाने और आधारभूत ढांचे के जो काम हैं, वह सारे ठप्प पड़े हुए हैं, जब भी हम लोग जाकर कहीं बात करते हैं तो यही जवाब मिलता है कि अभी सरकार का खजाना खाली है अभी हमारे पास बजट नहीं है. पिछले कई महीनों से सरकारी खरीद पर इस प्रदेश में रोक लगी हुई है कोई भी काम उस तरीके से नहीं हो पा रहा है और बजट कुप्रबंधन की हालत यह है कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है. इस माह का भी वेतन बहुत से सरकारी कर्मचारियों का रुका हुआ है. पेंशन के मामले में जहां तक देखें, पिछले आठ महीनों से गांव में जो हमारे निर्धन लोग हैं, निराश्रित लोग हैं, उनकी पेंशन नहीं मिल पा रही है और सरकार ने इस अनुपूरक बजट में शायद कुछ राशि उसके लिए आवंटित की है. आरबीसी एक्ट के अंतर्गत जो जो राजस्व विभाग का मामला आता है उसमें बहुत से किसानों को जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए या सरकारी सहायता मिलना चाहिए वह लगातार नहीं मिल रही है. मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो हमारा अनुपूरक बजट पिछली बार भी पास हुआ और अभी भी पेश हुआ है, वह पैसा कहां पर जा रहा है. कैट की रिपोर्ट के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो बाहरी अनियमितताओं के बारे में कैट बार बार सवाल प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर उठा रहा है और हमारी विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर सवाल उठते जा रहे हैं पिछले वर्ष के बजट में से 38623 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ

था और इस कारण हमें बहुत सी राशि केन्द्र सरकार से भी आवंटित नहीं हो पाती है. साढ़े दस हजार करोड़ के लगभग का अनुपूरक बजट यह सरकार लेकर आयी है. मैं तो यह उम्मीद करता हूँ कि जो निचले स्तर पर पेंशन की समस्या है. चाहे हमारे आरबीसी एक्ट के अंतर्गत किसानों की समस्या है उनको यह राशि मिले ताकि जो सरकार की ओर वे देख रहे हैं, वह पूर्ति हो सके. एक और बात है इस अनुपूरक बजट में कि हम कितनी राशि ब्याज के ऊपर खर्च करने जा रहे हैं क्योंकि लगातार प्रदेश का वित्त विभाग है, जो सबसे बड़ा खर्च है वह ब्याज की राशि की अदायगी के ऊपर होता है तो हम कितना ब्याज अदायगी पर पैसा खर्च कर रहे हैं, यह देखने की बात है और कितना जो सरकारी खर्चे हैं, तनख्वाह है, उन पर कितना खर्च हो रहा है और कितना विकास के कार्यों पर खर्च हो रहा है, इसके बारे में मंत्रणा करने की जरुरत है कि ऊर्जा विभाग पर लगातार पैसे सरकार देती जा रही है लेकिन एक ओर कुर्की का माहौल पूरे प्रदेश में है. हर जगह किसान परेशान है और उनकी मोटरें, उनके साधन बिजली विभाग कुर्की करता जा रहा है. पंचायत चुनाव पिछले चार माह से थे, आचार संहिता लगी हुई थी उसके बाद में भी बजट आवंटन में, अनुपूरक बजट में उनको भी राशि आवंटित की गयी है लेकिन पंचायत विभाग में काम अभी तक ठप्प पड़े हुए हैं. अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से सुझाव है कि माननीय वित्त मंत्री जी को हम सभी विधायकों से सुझाव लेने चाहिएं कि कैसे हम प्रदेश में बढ़ते हुए कर्ज को रोकें, कैसे हम ब्याज अदायगी को कम करें और कैसे हमारे प्रदेश को हम विकास की ओर लेकर जाएं, यही मैं कहना चाहता हूँ. आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री सोहनलाल बाल्मीक(परासिया)-- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक बजट के संबंध में चर्चा करने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूँ. जैसा कि हमारे वक्ताओं ने पहले ही बताया कि अनुपूरक बजट का जो लेखा जोखा है और उसके संबंध में जो हमको जानकारी दी जानी चाहिए थी वह नहीं मिलने के कारण बहुत सारी चीजें हम लोग बोलने की स्थिति में नहीं हैं परन्तु जिस तरह

से हमारे सभी साथी वक्ताओं ने कहा है कि जिस तरीके से अनुपूरक बजट के अन्दर में जो प्रावधान किये जाना चाहिए और जो लगभग हम लोगों के विधायक बनने के बाद में जो हमारे क्षेत्र में और पूरे प्रदेश की स्थिति है, मैं सभी विधायकों की सभी सदस्यों की भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हूँ कि लगभग डेढ़ वर्ष से अधिक होते चला आ रहा है, आज भी हमारे क्षेत्र के अन्दर किसी प्रकार का हमारे विकास कार्यों का बजट आवंटित नहीं किया जा रहा है. जितने भी प्रस्ताव हम लोगों ने भेजे हैं, विभाग के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा आज तक हमारे क्षेत्रों के अन्दर कोई भी विकास के कार्य स्वीकृत नहीं हुए हैं जिससे बहुत ज्यादा स्थिति हमारे क्षेत्रों की खराब हो चुकी है. साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि कई विभागों की यह स्थिति है कि बजट की हम बात करते हैं, बजट के प्रावधान की बात करते हैं और जब इस प्रदेश के विकास की बात करते हैं तो कई कर्मचारी और अधिकारियों की सेलेरी तक का भुगतान अभी नहीं हो पा रहा है और धीरे धीरे यह स्थिति बनती चली जा रहा है कि लगभग एक महीना, दो महीना ड्यू बढ़ता चला जा रहा है. साथ ही साथ इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से विद्युत विभाग द्वारा जो वसूली की जा रही है, जिस तरीके से किसानों से ऋण वसूली की जा रही है और जो हमारे किसान भाई है, उन पर जो अत्याचार किया जा रहा है, जो जबर्दस्ती की जा रही है, आज हालात यह है कि लोगों को जेल पहुंचा दिया जा रहा है. बिना नोटिस दिये हुए उनके घरों से विद्युत विभाग के कर्मचारी सामान उठा के ले के जा रहे हैं, यह कैसी परिस्थिति है. एक तरफ इस सरकार के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बात करते हैं, उन्होंने बहुत सारी घोषणाएँ की हैं परन्तु जमीनी स्तर पर जाकर अगर हम देखेंगे तो बहुत गंभीर स्थिति पूरे क्षेत्रों के अन्दर बनी हुई है. मेरे विधानसभा क्षेत्र परासिया के अन्दर में मैंने बहुत सारे प्रस्ताव जलाशयों के, रोड़ों के, पुलियों के सारे पहुंचाये हैं परन्तु वित्तीय अभाव के कारण ये सारे के सारे प्रस्ताव हमारे रुके हुए हैं. मैं व्यक्तिगत रूप से हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय से मिला हूँ, परंतु उनसे चर्चा करने के बाद यह परिस्थिति बनी है, उनका अपना यह मानना है, उनका यह कहना है कि जितने भी बड़े प्रस्ताव या बड़े कार्य जो वर्तमान में प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, पहले

उन पर बजट आवंटन किया जाएगा और कोई नए कार्य नहीं स्वीकृत किए जाएंगे. प्रदेश सरकार में जितना बजट पिछली बार था चुनाव के चलते वहां पर भूमि पूजन किया गया, उनके कार्य प्रारंभ कर दिए गए, परंतु बजट नहीं होने की स्थिति में आज पूरे प्रदेश में जितने भी बड़े काम हैं, सारे के सारे स्थाई रूप से बंद पड़े हुए है. जब हम नए प्रस्तावों की बात करते हैं या पैसे की बात करते हैं तो यह कहा जाता है कि हम तब तक नए कामों को स्वीकृति नहीं देंगे जब तक कि हमारे पुराने काम पूर्ण रूप से नहीं हो जाएंगे. अध्यक्ष महोदय, यदि यही स्थिति रही तो क्या दो साल के बाद हमें पैसा मिलेगा और जब दो साल के बाद हमारे क्षेत्रों के लिए पैसा आवंटन किया जाएगा तो हमारे जो काम हैं, हमारी जो योजनाएं हैं, जो हम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं तो क्या ऐसी परिस्थिति बनेगी कि हम लोग जनता के बीच में जा पाएंगे, क्या उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो पाएगा ? अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सरकार सिर्फ कैग की रिपोर्ट या वित्तीय रिपोर्ट के आधार पर न चले वरन् जमीनी स्तर पर लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, आम जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, प्रदेश की जनता को वह कुछ नहीं मिल पा रही हैं, जिसके लिए सदन में सभी सदस्य बैठे हैं. मैं यहां कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, न भाजपा और कांग्रेस की बात कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि अपनी आत्मा पर हाथ रखकर सारे सदस्य इस बात को बोलें कि हमारे क्षेत्रों की क्या स्थिति है. आज पूरा प्रदेश कर्जे में डूबा हुआ है. प्रदेश के एक-एक व्यक्ति पर कर्जा है, तो यह कैसी वित्तीय स्थिति है ? हम कैसे वाहवाही लूटने की बात करेंगे ? क्या हमारी सबकी जवाबदारी नहीं है कि इस प्रदेश की साढ़े सात सौ करोड़ जनता के हक और अधिकार उनको दिलाएं. समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को उसका हक और अधिकार दिलाएं. आज ऐसी कोई भी स्थिति निर्मित नहीं है. मुझे बड़े दु:ख के साथ अपनी बात को यहां पर कहना पड़ रहा है कि यही स्थिति रही तो जिस तरीके से विपक्ष हम पर बार-बार यह आरोप लगाता है कि दुबारा आप नहीं आ पाओगे तो सही में आने वाले समय में हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमारे क्षेत्र में यदि काम नहीं होंगे तो जनता को जो वायदे हम करके आए हैं, जो बीच-बीच में, बार-बार जाकर हम उनसे बोलते

हैं, वे पूरे नहीं हो रहे हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, हम पेंशन नहीं दिला पा रहे हैं. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को चार-चार महीने से पेंशन नहीं मिल रही है. किसान हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है. आज किसानों ने स्थाई कनेक्शन थ्रेशर चलाने के लिए लिया है लेकिन विद्युत विभाग अलग से टी.सी. कटवा रहा है. यह कौन सा प्रावधान है, जब किसान थ्रेशर के लिए स्थाई कनेक्शन ले चुका है तो उसको टी.सी. कनेक्शन के लिए पैसा क्यों पटाना पड़ेगा, उसको उसी कनेक्शन में चलाने देना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, लेकिन उस पर कोई रियायत नहीं बरती जा रही है. कल ही मेरे विधान सभा क्षेत्र परासिया में किसान आंदोलन था, उसमें अनेक किसानों ने ऋण की बात उठाई कि क्या मध्यप्रदेश सरकार जिन क्षेत्रों में किसानों की फसलें खराब हुई हैं, उनके ऋण माफी की कोई योजना बना रही है ? क्या ऋण में कुछ राहत देने की बात की जा रही है ? जिस तरह से किसानों से वसूली की जा रही है, 28 तारीख को ही उनको नोटिस मिला है कि 28 तारीख को यदि आप पैसा नहीं पटाएंगे तो आपके घरों की कुर्की कर ली जाएगी. इस बात को सदन के माध्यम से, हमारे सदन के नेता के माध्यम से राहत देने के लिए प्रदेश के किसानों के लिए बोलना चाहिए कि जिनको ऋण दिया जा रहा है या ऋण दिया गया है, उनको अभी समय दिया जाए. हम यह नहीं कह रहे हैं कि पूरी छूट दे दी जाए, मगर जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं, उन्हें समय की छूट दी जानी चाहिए कि बाद वे अपना ऋण पटाएं. अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी इस बात का उल्लेख करें कि जो हम लोगों के प्रस्ताव पहुँचे हैं, उन्हें विभिन्न विभागों से कब तक स्वीकृति मिल जाएगी और कब तक राशि आवंटित कर दी जाएगी ताकि हमारे क्षेत्रों में काम हो. यही हमारी व्यथा है, हमारा दर्द है, हमारी तकलीफ है. यदि ऐसा नहीं होगा तो आने वाले दिनों में इस तरह से हम सदन में खड़े होकर अपनी बात नहीं रख पाएंगे. धन्यवाद.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया -- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अध्यक्षीय दीर्घा में माननीय सांसद श्री सुधीर जी गुप्ता आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं.

श्रीमती ऊषा चौधरी (रैगांव) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अनुपूरक बजट के लिए एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है. इसके पहले भी कई बार सत्र चले हैं, बजट पेश हुआ है और उसमें कटौती प्रस्तावों पर चर्चा हुई है. माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश की विधान सभा के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि कटौती प्रस्तावों पर चर्चा न हुई हो और बजट पास हो गया हो और फिर अनुपूरक बजट लाया गया हो. जहां 2-3 बार सदन चला, बजट पर चर्चा हुई और क्षेत्र के विधायक क्षेत्र के कार्यों को चर्चा में लाए. अनुपूरक बजट में आज तक साल भर के अंदर मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी ऐसा काम नहीं हुआ जिसके बारे मे हम सदन के अंदर बोल सकें. न तो सड़के हैं, यहां तक कि वृद्धाओं को जिनको 300 रूपये पेंशन मिलती थी उनको आज कहीं 150 रूपये,कहीं 175 रूपये मिले हैं और कहीं तो 8-8 महीनें हो गये हैं परन्तु उनको पेंशन नहीं मिली है. अध्यक्ष महोदय, पेंशन तो जो लोग वृद्ध हैं या अशिक्षित हैं उनकी बात है. यहां तक कि खाद्यान्न भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है और 8-8,10-10 महीने से कई लोगों के नाम कम्प्युटर से गायब कर दिये गये हैं. पर्ची नहीं बंट रही है,गरीब भूखे मरने की कगार पर हैं. आज किसान भी बहुत परेशान है. पिछले साल जो ओलावृष्टि हुई,अतिवृष्टि हुई उससे प्रभावित मेरे क्षेत्र के 70 प्रतिशत लोगों को मुआवजा नहीं मिला है. मुख्यमंत्री जी अभी सतना जिले गये थे और सतना जिले में भी केवल सतना विधान सभा क्षेत्र में गये क्योंकि वहां से सत्तापक्ष के विधायक हैं. वहां पर कुंवा गांव में गये, वहां के किसानो के केवल आँसू पोछने का काम किया. लेकिन रैगांव में सबसे ज्यादा ओला गिरने से और अतिवृष्टि से खेती नष्ट हुई है. रैगांव विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 70 गांव ऐसे हैं जहां पूरी तरह से खेती चौपट हो गई है. वहां पर बड़े बड़े ओले गिरे हैं जिससे वहां पर न तो चना बच पाया है,गेहूँ की बालियां गिर गई हैं जिससे गेहूं भी नहीं बच पाया है. जहां ओले नहीं गिरे उस क्षेत्र में अतिवर्षा के कारण गेहूं काले पड़ गये हैं जिनकी कीमत भी अब किसान को नहीं मिलने वाली है. पिछले साल के मुआवजे अभी तक नहीं मिले हैं. माननीय मुख्यमंत्री जी केवल एक गांव में दौरा करके आए हैं . अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक बजट में, मैं कहना चाहूंगी कि आज तक मेरे क्षेत्र में गरीब अनुसूचित

जाति,जनजाति के लोगों के यहां एक भी शौचालय नहीं बना.क्या आपने यह संकल्प ले रखा है कि रैगांव विधान सभा क्षेत्र में एक भी रूपया नहीं देंगे. अनुपूरक बजट के लिए जो एक दिन के लिए आपने सत्र बुलाया है तो जो काम साल भर में नहीं हो सका और आज केवल चार दिन जो बचे हैं उतने समय में आप क्षेत्र में विकास कर पायेंगे? हमारे क्षेत्र मे आज तक न तो शिक्षा विभाग में,न पंचायत विभाग में एक भी भवन नहीं बन पाया है,न ही वहां आश्रम बन पाये हैं. शिक्षा विभाग के जो भवन गिर गये थे वे भी नहीं बन पाये हैं. मैंने यहां पर तीन सड़कों के बारे में लिख कर दिया था ,सदन के अंदर भी मैं इस बात को बोली थी , लेकिन कोई काम न हीं हुआ. एक चुराही गांव है ,वहां पर लोग पैदल भी नहीं चल पाते.अगर किसी गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना हो तो उसको वहां से पैदल भी नहीं ले जा सकते . एक उदयसागर है जहां पर लोग अनशन पर बैठे थे, कम से कम 15 दिन अनशन पर बैठे थे. रैगावं की वह सड़क भी आज तक नहीं बन पायी है. क्या इस अनुपूरक बजट में ये काम होंगे? मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं दलगत राजनीति से हट कर अगर हर क्षेत्र की जनता के लिए ,उनकी पीड़ा को सोच समझ कर, गरीबी को देखते हुए अगर क्षेत्र में काम करें तो शायद पूरे विधानसभा क्षेत्र में काम होगा, प्रदेश में विकास होगा. अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या सदन में माननीय विधायकों द्वारा कही गई बातें मान्य नहीं हैं? जो क्षेत्र से विधायक चुन कर आते हैं क्या वे एक पुतले के समान हैं. हमारे क्षेत्र में जो जिले के अधिकारी होते हैं चाहें वो एसडीएम हो,चाहे कलेक्टर हों वे विधायक की बातों को कोई तवज्जो नहीं देते. चाहे भले ही वे अपनी बात लिख कर दें. जो दबंग लोग जमीनों पर अतिक्रमण करते हैं उनको तो नहीं हटाया जाता है लेकिन अगर गरीब कहीं झोपड़ी बना ले तो उसके लिये तुरन्त मुकदमा लग जाता है. अध्यक्ष महोदय,मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस अनुपूरक बजट में हमने जो काम लिख कर दिये थे और जिनके बारे में सदन के अंदर भी बोला था क्या उनको पूरा किया जायेगा? हमने एक बात और कही थी कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब समाज के बच्चे हैं जो छोटी छोटी पिच बना कर खेल खेलने का काम करते हैं,अपनी प्रतिभा को उजागर करने का काम करते हैं उनके लिये

किट की व्यवस्था की जाय. मंत्री जी ने इसी सदन के अंदर घोषणा की थी कि हर विधायक को हम 25 किट देंगे. लेकिन आज तक उस घोषणा को पूरा नहीं किया गया बल्कि यह कहा जाता है कि विधायक निधि से यह दिया जाय. क्या सदन के अंदर माननीय मंत्री जी द्वारा कही गई बात का कोई महत्व नहीं है? सदन में कही गई बात को पूरा देश देखता है. लोग आशा रखते हैं कि सदन में कोई बात कही गई है तो वह पूरी होगी. लेकिन क्या उनको पूरा न करने का संकल्प इस सरकार ने ले रखा है? अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से बहुत दुखी हूं. अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री रामनिवास रावत (विजयपुर) - अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश का एक दिवसीय सत्र केवल अनुपूरक बजट के लिए आहूत किया गया है. मैं समझता हूं कि प्रदेश के विधान सभा के संसदीय इतिहास में यह पहला मौका होगा, जब केवल अनुपूरक बजट पारित कराने के लिए एक दिवसीय सत्र बुलाया जाय और कार्यसूची में कोई भी विषय न हो, न तो प्रश्नकाल हो, न शून्यकाल हो, न ध्यानाकर्षण हो, कोई भी विषय नहीं है. यह प्रदेश के विधान सभा के इतिहास में पहला मौका होगा. आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसी स्थितियां क्यों बनीं? इस पर मैं समझता हूं कि सभी को चिंतन करने की आवश्यकता थी. पहले बजट सत्र चल रहा था. बजट सत्र में 12 या 14 मार्च को अनुपूरक बजट प्रस्तुत होना था और उसे पारित करना था.

अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूं कि नियमों में शिथिलता बरतने की बहुत बड़ी एक लम्बी कड़ी लग गई है. मैं समझता हूं कि आपका अधिकार है, आप नियम शिथिल कर सकते हैं. लेकिन विशेष परिस्थिति में ही नियम शिथिल किया जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे नियमों को सत्तापक्ष बना रहा है और सत्तापक्ष के इशारे पर ही शिथिल हो रहे हैं एवं सत्तापक्ष ही पूरा सदन चला रहा है. यह दुर्भाग्यजनक है. अनुपूरक बजट की आवश्यकता होती है, राज्य सरकार को पारित कराना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है. सरकार के खर्चे चलाने हैं. हमें

खुशी होती कि जैसे आपने पहले पूरा बजट नियम शिथिल करके पारित कराया, आप अनुपूरक बजट भी नियम शिथिल करके पारित करा लेते. आज की विधान सभा पर जो खर्च आता, उस खर्च को यदि किसानों के मांग 58 में ओला पीड़ित किसानों को राहत राशि में बांट देते तो मैं समझता हूं कि आपका और हमारा सभी लोग धन्यवाद देते कि इस खर्चें में हम कैसे कटौती करें. एक तरफ आप ऋण लेने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे हो, पूरे प्रदेश का किसान संकट में है. हम खर्चों की कटौती की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, खर्चों को बढ़ाते जा रहे हैं. इस पर कहीं न कहीं चिंतन तो करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. आज अनुपूरक बजट के लिए आपने बुलाया है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार - आप उपवास वगैरह रखे हैं, दाढ़ी यह बता रही है तो उपवास में (XX) नहीं बोलना चाहिए, इसका ध्यान रखो.

श्री रामनिवास रावत - क्या (XX) बोल रहा हूं?

डॉ. गौरीशंकर शेजवार - मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप क्या बोल रहे हैं. लेकिन बोल तो रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत - क्या (XX) बोल रहा हूं?

अध्यक्ष महोदय - (XX) शब्द निकाल दें.

श्री रामनिवास रावत - (XX) असंसदीय है. यह असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इतने सीनियर हैं. नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार - अध्यक्ष महोदय, मुझे अहसास इसलिए हुआ कि नवरात्रि का समय चल रहा है और ये दाढ़ी बढ़ाएं, इसका मतलब उपवास है और उपवास में (XX) नहीं बोलना चाहिए. यह मान्य परपंरा है. धार्मिक परपंरा है. इसका मतलब आप (XX) मत बोलो.

श्री रामनिवास रावत - तो असंसदीय भाषा का प्रयोग तो मत करिए.

अध्यक्ष महोदय - (XX) शब्द निकाल दें.

श्री मुकेश नायक - अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर साहब का तो उपवास है ही नहीं तो उनके पास तो पहले से लाइसेंस है ही (XX) बोलने का, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं.

(XX) : निर्देशानुसार विलोपित.

श्री रामनिवास रावत - अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आज पूरे प्रदेश का किसान संकट में है, अनुपूरक बजट है मैं बोलना भी नहीं चाहता था. पूरा कांग्रेस दल और पूरे सदस्यों की चिंता होनी चाहिए, आपकी ही सरकार ने केन्द्र सरकार से 5963 करोड़ रुपए की राशि की प्राकृतिक आपदा के लिए मांग की और आपको 240 करोड़ रुपए मेरी जानकारी के अनुसार प्राप्त हुआ है, हो सकता है कि और राशि अभी प्राप्त हो गई हो. आपने पिछले वर्ष लगभग 2000 करोड़ रुपए किसानों को बांटे, यह जानकारी आपने प्रदाय की है. यह आपने अपने ही बजट से बिना किसी सहायता के बांटी है. इस वर्ष पूरे प्रदेश में पिछले वर्ष से ज्यादा भीषण आपदा आई और इस बार आप केवल 5000 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहे हैं. पूरा कांग्रेस दल आपके अनुपूरक बजट को..

श्री जयंत मलैया - यह जो प्रावधान किया जा रहा है, इस वर्ष 2014-15 के मार्च के कितने दिन बचे हैं? मात्र उसके लिए यह प्रावधान है. वर्ष 2015-16 के लिए हमारे पास भरपूर प्रावधान है.

श्री रामनिवास रावत - वर्ष 2015-16 के लिए कितना प्रावधान है, यह बता दें? अगर इसी में राशि बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दें तो पूरा कांग्रेस पक्ष, पूरा सदन ध्वनिमत से आपका अनुपूरक बजट पारित कराएगा. अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद.

वित्त मंत्री (श्री जयंत मलैया) -- माननीय अध्यक्ष महोदय जैसा कि सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 समाप्ति की ओर है. विगत दिनों प्रदेश ने भारी प्राकृतिक

आपदा को झेला है जिससे हमारे किसान भाईयों की फसलों को भारी क्षति पहुंची है. किसान भाईयों की इस आपदा की बेला में हमारी सहायता की आवश्यकता है. किसान भाईयों की फसलों की होने वाली क्षति पूर्ति के लिए द्वितीय अनुपूरक में आवश्यक प्रावधान करने के साथ ही इस वित्तीय वर्ष में कुछ आवश्यक व्यय जिनका लेखांकन इस वित्तीय वर्ष में होना है, इसके साथ ही निम्नलिखित कारणों से द्वितीय अनुपूरक अनुमान लाना आवश्यक हो गया.आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किये जाने हेतु, कतिपय अप्रत्याशित अनिवार्य एवं प्रतिबद्ध स्वरूप के व्यय के प्रावधान किये जाने हेतु, शासन की प्राथमिकता वाली नई योजनाओं व नवीन मदों के प्रावधान किये जाने हेतु. केन्द्र प्रवर्तित केन्द्रीय क्षेत्रीय एवं अन्य स्त्रोतों की योजनाओं से संबंधित केन्द्रांश एवं राज्य शासन के अंश का प्रावधान किये जाने हेतु कुछ ऐसी मदें जिनके व्यय के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी ऐसी मदों के लिए केवल प्रतीकात्मक प्रावधान किये जाने हेतु.द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2014-15 में 10852 करो़ड़ 1 लाख 90 हजार केवल की मांग प्रस्तावित है. इसमें कुछ मदें ऐसी हैं जिन पर व्यय के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी ऐसी मदों के लिए केवल प्रतीकात्मक प्रावधान प्रस्तावित किये जा रहे हैं भारत शासन अन्य स्त्रोतों से प्राप्तियों एवं पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के समापन के उपरांत प्रथम अनुपूरक अनुमानों में प्रस्तावित मांगों के फलस्वरूप राज्य की संचित निधि पर पड़ने वाला शुद्ध अतिरिक्त भार केवल 2955 करोड़ 31 लाख 35 हजार 500 है.

द्वितीय अनुपूरक अनुमान का संक्षिप्त विवरण निम्नुसार है. कुल अनुपूरक अनुमान की राशि 10852.01 करोड़ स्वीकृत बजट से समर्पित होने वाली राशि 2.23 करोड़ भारत सरकार तथा अन्य स्त्रोतों से उपलब्ध राशि 7894.47 करोड़ राज्य की संचित निधि पर शुद्ध अतिरिक्त भार 2955.31 करोड़ रूपया होगा. इस अनुपूरक अनुमान में विद्युत कंपनियों को 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2014 तक प्रदाय कार्यशील पूंजीगत ऋण एवं इस पर कुल देय ब्याज की राशि 7728.45 करोड़ को शामिल किया गया है जो राज्य शासन की प्राप्ति में आने के पश्चात् इसे सतत ऋण में परिवर्तित

किया जायेगा. इस प्रकार इस मद में प्रावधान से राज्य की संचित निधि पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा. इस अनुपूरक अनुमान में पूरक प्रावधान निम्नानुसार हैं. अप्रैल 2011 से मार्च 2014 तक प्रदाय कार्यशील पूंजीगत ऋण एवं इस पर देय ब्याज का सतत ऋण 7728.45 करोड़ , ओला पाला 500 करोड़, सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालिक ऋण पर ब्याज अनुदान 450 करोड़, 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को सामान्य अनुदान 370.81 करोड़ मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा 5 हार्स पावर के कृषि पंपों थ्रेशरों एवं एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति 300 करोड़ रूपये, टैरिफ अनुदान 275 करोड़ रूपये, मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत उर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अंतरण 194.73 करोड़ , अध्यापक संवर्ग के वेतन के लिए अनुदान 160 करोड़ नगरीय निकायों को मूल भूत सेवाओं हेतु अनुदान राज्य करों में हिस्सा 84 करोड़ उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 80 करोड़ आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण 74.75 करोड़ पंचायतीराज संस्थाओं को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान 55.69 करोड़, एआईबीपी योजना 55 करोड़, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण 50 करोड़, बांध तथा संलग्न कार्य सिंचाई 41.50 करोड़, टैक्स टाइल उद्योगों के लिये विशेष ब्याज अनुदान, 2012 40 करोड़, राष्ट्रीय निगमों की देय बकाया राशि का अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के लिये 34.36 करोड़, चिकित्सा महाविद्यालय के लिये 28.34 करोड़, मंत्रालय का विकास 25 करोड़ रुपये, छात्र गृह योजना 23 करोड़ रुपये, बीओटी मार्गों के विकास का पर्यवेक्षण 20 करोड़ रुपये, सुधार सुदृढ़ीकरण पुनर्स्थापना 20 करोड़ रुपया, अनुरक्षण और मरम्मत इसके लिये 20 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी है. अध्यक्ष महोदय, मैं चूंकि यह अनुपूरक अनुमान है, इसमें ज्यादा कुछ बहस करने की गुंजाइश नहीं है. परंतु मैं आदरणीय महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा जी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे बढ़ते हुए स्थापना व्यय के बारे में जिक्र किया है. मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 2013-04 में जब आपकी सरकार थी, तो उस समय राजस्व

की आय का स्थापना व्यय 64 प्रतिशत था और आज हमारा जो स्थापना व्यय है, यह लगभग 36 प्रतिशत है. कितना कम हुआ. आप देखिये कि ब्याज भी इसी तरीके से हमने कम किया है. हमने सारे खर्चे अगर आप अनुपात उठाकर देखेंगे, तो हमने अपना फायनेंशियल मेनेजमेंट बहुत बढ़िया करके दिया है और जो आज बार बार बात की जाती है कि वित्तीय स्थिति कैसी है. हमारे प्रदेश की वित्तीय स्थिति देश के चंद राज्यों में जितनी अच्छी वित्तीय स्थिति होना चाहिये, उतनी आज हमारे प्रदेश की वित्तीय स्थिति है. जो आपने राजकोषीय घाटे की बात की है. वह राजकोषीय घाटा जो एफआरबीएम एक्ट,2005 के तहत 3 प्रतिशत से कम होना चाहिये, वह हमारा 3 प्रतिशत से कम है. मैं एक चीज का यहां और उल्लेख करना चाहता हूं. आपने बात की कर्जे की. आपके जमाने में कर्जा हुआ करता था वर्ष 2003-04 में 34671 करोड़ रुपये और आज हमारा करीब 95 हजार करोड़ रुपये है. हां और मैं फिर से कह रहा हूं कि हमें कर्जा लेना पड़ा अधोसंरचना विकास के लिये, बांध, सड़क बनाने के लिये, बिजली के काम के लिये. हम और कर्जा लेंगे. कर्जा लेने से कुछ नहीं होता है. दुनिया का हर देश कर्ज लेता है. अमेरिका कर्ज लेता है. ब्रिटेन लेता है. दुनिया का हर देश कर्ज लेता है. हमारे देश का हर राज्य जहां कहीं की भी बात कर लीजिये, परंतु सवाल देखना पड़ता है, अगर महाराष्ट्र कर्ज लेता है 3 लाख करोड़, तो वह अपनी राजस्व की आय का 22 प्रतिशत खर्चा करता है और अगर हम कर्जा लेते हैं 95 हजार करोड़ रुपये, तो हम अपनी राजस्व की आय का 6.7 प्रतिशत ही ब्याज के रुप में देते हैं. मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो आपने यह बात कही है कि हम कर्ज में डूबे हुए हैं, जब 2003-04 में आपकी सरकार थी तो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 33.31 प्रतिशत आपके ऊपर कर्जा था और आज 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 22.37 प्रतिशत हमारे ऊपर कर्जा है.

श्री मुकेश नायक -- अध्यक्ष महोदय, अगर आप अनुमति दें, तो मेरा आपसे निवेदन है कि पिछले एक वर्ष में आपने किस किस माह में कितना कितना कर्ज लिया है, सदन को अगर अवगत करा दें, तो बड़ी कृपा होगी.

श्री जयंत मलैया -- निश्चित तौर से जब आप प्रश्नोत्तर करेंगे वित्त विभाग के बारे में, जब अगली बार सत्र लगेगा, तो मैं उसका भी उत्तर दूंगा. अध्यक्ष महोदय, मैं यहां आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि सर्वसम्मति से उपरोक्त राशि में शामिल मतदेय की राशि को तथा इससे संबंधित विनियोग विधेयक को पारित करने की कृपा करें. धन्यवाद.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि –

" दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 36, 38, 39, 41, 44, 45, 47, 50, 52, 55, 58, 63, 64, 66, 67, 69, 73, 74 तथा 75, के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दस हजार छः सौ सत्तावन करोड़, तेईस लाख, अड़तीस हजार रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये. "

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

समय : 12.20 बजे. **मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2015**

श्री जयंत मलैया, मंत्री (वित्त)--अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2015 का पुर:स्थापन करता हूं.

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2015

श्री जयंत मलैया, मंत्री (वित्त)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाये.

अध्यक्ष महोदय--प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाये.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा--अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक में मांग संख्या 5 में जेलों के बारे में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जेलों में अत्यधिक कैदी हैं, जेलों में भोजन खराब मिलता है इसमें आपको सुधार करना चाहिये. मांग संख्या 9 राजस्व विभाग के बारे में मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि पटवारियों द्वारा जो सीमांकन और नामांतरण में देरी की जा रही है, सिटीजन चार्टर की चिन्ता नहीं की जा रही है, एक्ट का पालन भी नहीं किया जा रहा है और जब पटवारी गांवों में जाकर मूल्यांकन करते हैं, आंकलन करते हैं किसानों को जो नुकसान होता है तो उसका आंकलन भी ठीक नहीं कर रहे हैं. पिछली बार सैकड़ों किसानों को वंचित कर दिया गया और अभी मैं, मेरे मुंगावली क्षेत्र में गया था, जहां ओले पड़े थे तो पटवारी इतने निर्दयी हैं कि उन्होंने कहा कि अगली बार जब ओला पड़ेगा, तब हम आकर तुम्हारा आकलन करेंगे. मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं सभी पटवारियों को ब्लेम नहीं करना चाहता, जो अच्छे पटवारी हैं उनको आप इंसेंटिव दीजिये, उन्हें प्रमोट कीजिये लेकिन जो भ्रष्ट पटवारी हैं, जो किसानों को परेशान कर रहे हैं उनको रोकने के लिये आपके पास एक ही इलाज है कि उनके और रिश्तेदारों के लिये जो 15-20 सालों में उन्होंने जो जमीन और मकान खरीदे हैं, सिर्फ आप उनका आंकड़ा ले लीजिये तो सभी खराब

पटवारी आपकी पकड़ में आ जायेंगे और कौन अच्छे पटवारी हैं, यह भी आपको मालूम हो जायेगा, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सिटीजन चार्टर का आप पालन करवाइये. मांग संख्या 12 ऊर्जा के बारे में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी जो बिल के लिये दबाव दिया जा रहा है, उच्च अधिकारियों द्वारा मार्च के पहले ज्यादा से ज्यादा बिल वसूली की मांग की जा रही है और अध्यक्ष महोदय, इसके कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 80 गांव में पिछले 7 दिनों से अंधेरा है और इसलिये अंधेरा है क्योंकि वह कह रहे हैं कि बिजली के बिल जमा कराओ. अब किसान ओला पीड़ित है और यह तीसरा साल है जबकि किसानों को नुकसान हुआ है, वह पैसा कहां से लायेंगे ? वह पैसा अभी नहीं ला सकते , मुख्यमंत्री जी बारबार घोषणा कर रहे हैं कि बिजली के पैसे नहीं लिये जायेंगे लेकिन बिजली के पैसे के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र के 70 गांवों में अंधेरा पड़ा हुआ है और अन्य विधायकों से भी मेरी चर्चा हुई, कई विधायकों के गांवों में अंधेरा पड़ा हुआ है वसूली के कारण कई विधायकों के गांवों में अंधेरा पड़ा हुआ है और अभी फसलों पर पानी देने का टाइम है. ऐसे समय पर बिजली विभाग द्वारा इतनी क्रूरता करना, आप यहां से एक निर्देश देने का कष्ट करें कि अभी कोई वसूली नहीं हो और बिजली चालू कर दी जाये क्योंकि आप 24 घंटे बिजली की बात कर रहे हैं. मेरा आपसे यह अनुरोध है कि किसान कल्याण विभाग की जो 13 नंबर की डिमांड है, उस पर मेरा आपसे अनुरोध है कि अभी ओला पीड़ित होने के कारण कई किसानों ने आत्महत्या की है और उसके पहले भी आत्महत्यायें की हैं. प्रति वर्ष 1400-1500 किसान आत्महत्या कर रहे हैं. मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके पास किसान कल्याण फंड है, उसमें वृद्धि करिये और ऐसी आत्महत्या जिन किसानों ने की है, ना केवल उनको मुआवजा दिया जाये, वरना अगर उनका कर्जा है, तो वह कर्जा भी माफ किया जाये, उनके बच्चों की शादी में मदद की जाये आपको इसका प्रावधान करना चाहिये. सहकारिता और किसान, सहकारिता का 17 नंबर पर है. मेरा आपसे यह अनुरोध है कि जो गेहूं खरीदी केन्द्र है, उनमें काफी भ्रष्टाचार हुआ है. मैं सिर्फ अपने क्षेत्र मुंगावली का उदाहरण देना चाहता हूं जहां पर एक ग्राम ग्राम बहादुरपुर है जो कि बहुत बड़ा कस्बा है , वहां पर गेहूं खरीदी

केन्द्र था लेकिन उसको वहां से हटाकर एक छोटे से गांव कोपरा में कर दिया गया. पिछले 2 साल से वहां की जनता यह मांग कर रही है कि इस गेहूं खरीदी केन्द्र को आप कोपरा से बहादुरपुर कर दीजिये, लेकिन यह नहीं किया जा रहा है और वहां पर एक सहायक सचिव पदस्थ है, वह सहायक सचिव किसानों को बहुत बेइज्जत करता है, अब चूंकि आप बोनस नहीं दे रहे हैं, इसलिये अबकी गेहूं की मारामारी नहीं होगी लेकिन जब आप गेहूं का बोनस दे रहे थे, तब उत्तरप्रदेश के चंदेरी और मुंगावली से लगे हुए सैकड़ों किसान अधिक उपज प्राप्त करने के लालच में वहां गेहूं लाते थे और इसलिये वह हमारे किसानों का गेहूं नहीं खरीदते थे, उनका खरीदते थे, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो जिला सहकारी बैंक, गुना है उसके अंतर्गत अशोक नगर आता है, अशोक नगर को अलग सहकारी बैंक नहीं मिला है, ऐसा प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी हो रहा होगा. मैं कई दिनों से मांग कर रहा हूं कि सहकारिता विभाग के कर्मचारी जो राशन की दुकानों पर हैं या गेहूं वितरण केन्द्र में हैं. उन्होंने पिछले दस सालों में बहुत भ्रष्टाचार किया है तथा कालाबाजारी की है उसमें छोटे-छोटे कर्मचारी करोड़पति बन गये हैं उनको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं उनका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं. खाद्य विभाग ने एक जांच समिति बिठाई थी उसमें कोई स्वीकृति सिंह हैं उनको भेजा था उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसमें बहुत बेईमानियां पकड़ में आयी हैं, लेकिन वह लोग हाईकोर्ट में जाकर के स्टे लेकर के आये हैं और पूरा का पूरा जिला भ्रष्टाचार में लिप्त है इसलिये उस स्टे को वेकेट कराने की कोशिश नहीं की जा रही है तो सहकारिता विभाग तथा खाद्य विभाग मिलकर राशन वितरण में अशोकनगर या मध्यप्रदेश के अन्य स्थानों पर कर रहे हैं, उन पर आपको रोक लगानी चाहिये. मैं स्कूल-शिक्षा विभाग के बारे में बताना चाहूंगा मैं यह अनुरोध करूंगा कि स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकांश स्कूलों में, लगभग 1 लाख 27 हजार 271 स्कूलों में से 98 हजार 290 स्कूलों में अंधेरा है, बिजली नहीं है. एक तरफ तो हम कहते हैं कि 100 प्रतिशत बिजली दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं. जब हम कहते हैं कि स्कूल में बिजली नहीं है तो हमें जवाब मिलता है कि स्कूलों में तो पढ़ाई दिन में होती है उसमें बिजली की क्या जरूरत है. मेरा आपसे यह अनुरोध है

कि जब शौचालयों के निर्माण की बात आ रही है कि स्कूल में शौचालय होना चाहिये, तो जब स्कूलों में बिजली नहीं होगी तो पानी कैसे भरेगा, हैंडपम्प भी हर स्कूल में नहीं है, पानी नहीं है तो शौचालय स्वच्छ कैसे होंगे इसके लिये अत्यंत आवश्यक है कि आप एक टारगेट बनाईये कि हर स्कूल में बिजली दी जाये. मध्यप्रदेश में सबसे खराब स्थिति है. अभी 98 हजार 290 स्कूलों में बिजली नहीं है. राजस्थान में 51 हजार में, छतीसगढ़ में 22 हजार में, वहां पर आंकड़ा कितना कम है. मध्यप्रदेश में आंकड़ा बहुत ज्यादा है. मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि स्कूल शिक्षा विभाग की डिमांड्स के बारे में कि शोचालय बनाने के लिये करोड़ो रूपया खर्च हो रहा है. 2001-02 में 6 सौ करोड़, 2003 में 7 सौ करोड़, 2004 में 8 सौ करोड़, 2008-09 में 22 सौ करोड़, फिर 25 सौ करोड़, 27 सौ करोड़, फिर 31 सौ करोड़, फिर 33 सौ, 2014-15 में 44 सौ 40 करोड़ का प्रावधान शौचालयों का है, लेकिन अभी प्रदेश के 60 हजार स्कूलों में से बहुत कम स्कूलों में शौचालय हैं, अभी 60 हजार स्कूलों में शौचालयों की जरूरत है इनमें अभी शौचालय निर्माण नहीं हो रहा है. उधर हमारे जो जिलाधीश हैं, जो अधिकारी हैं वह विधायकों से फंड मांग रहे हैं कि आप शौचालय निर्माण के लिये फंड दीजिये. मुझे समझ में नहीं आता है कि जब 4 हजार 4 सौ 40 करोड़ का फंड है तो शौचालयों की आप गिनती करेंगे तो सैकड़ों शौचालय कागज पर हैं सब नीचे के लोग मिलकर पैसा खा गये हैं आप इनको दंडित नहीं कर रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि स्कूल शिक्षा में शौचालयों में बिजली के लिये आप विशेष प्रयास करने का कष्ट करें. सहकारी बैंकों में मांग संख्या 17 में सहकारी बैंकों में जबरदस्त भ्रष्टाचार है आप उसको नहीं रोक पा रहे हैं, जो अपात्र लोगों को कर्ज दिया था उसके बारे में पिछली विधान सभा में भी और इसमें भी कई बार काफी बार जिक्र आया है और खास तौर से जो भिंड है, गुना है, सीधी है, रतलाम है और होशंगाबाद है. मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहता हूं. आपके द्वारा अपात्र लोगों के ऋण माफ कर दिये गये हैं तो आप उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करके दंडित क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मेरा आपसे यह अनुरोध है. जिन लोगों ने अपात्रों को ऋण दिया है उन लोगों को आपको दंडित करना चाहिये

और प्रदेश में जो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है यह माननीय नरोत्तम मिश्र जी का विभाग है इसमें मेरा आपसे अनुरोध है कि स्वाईन फ्लू की पहचान के बारे में ग्वालियर में एक मरीज की पहचान कर निगेटिव रिपोर्ट नहीं बतायी गई उसको दिल्ली ले जाना पड़ा. इसी प्रकार से जो स्वाईन फ्लू की पहचान की व्यवस्था है अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन भविष्य में आप स्वाईन फ्लू की तथा डेंगू की दवाईयां आपको पूरी रखनी चाहिये ताकि इस प्रकार की आपत्ति में मरीजों को सहायता मिल सके. सैकड़ों पद डॉक्टरों के और नर्स के और सप्लीमेन्ट्री स्टॉफ के जो पद मध्यप्रदेश में रिक्त हैं इसके कारण आपके स्वास्थ्य विभाग अच्छी तरह से जनता को सेवा नहीं दे पा रहा है. मेरा आपसे अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य विभाग में इन रिक्त पदों की पूर्ति करनी चाहिये ताकि रिक्त पद भर जाएं ताकि इसका लाभ किसानों को भी मिल सके. उद्यानिकी विभाग की डिमांड में मेरा आपसे यह अनुरोध है कि उद्यानिकी विभाग में ड्रिप इरीगेशन में लाखों रुपये के घोटाले कई जिलों में हुए हैं. मेरा आपसे अनुरोध है कि घोटाले तो हुए हैं लेकिन घोटालों में किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति शासन को करनी चाहिये और जो लोग दोषी हैं उनको आप तत्काल निलंबित करिये. हार्टीकल्चर मिशन पर भी बहुत ज्यादा अनियमितताएं और घपले हुए हैं. स्वास्थ्य विभाग में मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में जो सीएजी की रिपोर्ट है उसमें एक हजार करोड़ रुपये के घोटाले की आशंका व्यक्त की गई है. मेरा आपसे अनुरोध है कि इसकी आप सख्ती से जांच करें और दोषी लोगों को दण्डित करें और भविष्य में इस प्रकार का घोटाला न हो पाये इसका आप इंतजाम करें. महिला एवं बाल विकास विभाग में मेरा अनुरोध है कि इस विभाग में मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर कम होना चाहिये यह कम हुई है लेकिन जिस गति से होनी चाहिये उस अनुपात में कम नहीं हो रही है. करोड़ों रुपये जो इस पर खर्च हो रहे हैं और लड़कियों की संख्या प्रत्येक जिले में कम हो रही है उस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिये. आप बेटी बचाओ आंदोलन में करोड़ों रुपये इसकी पब्लिसिटी पर खर्च कर रहे हैं मेहरबानी

करके वह पब्लिसिटी पर खर्च न करके सही रूप में एग्जीक्यूट करने के लिये खर्च करे. यह आपसे अनुरोध है.

अध्यक्ष महोदय – प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश विनियोग(क्रमांक-2) विधेयक,2015 पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2,3 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2,3, तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने.

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया – अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश विनियोग(क्रमांक-2) विधेयक,2015 पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय - प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश विनियोग(क्रमांक-2) विधेयक,2015 पारित किया जाय.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश विनियोग(क्रमांक-2) विधेयक,2015 पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(1) प्रत्यायुक्त विधान समिति का प्रथम प्रतिवेदन तथा द्वितीय एवं तृतीय(कार्यान्वयन) प्रतिवेदन

श्री जयसिंह मरावी(सभापति) – अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रत्यायुक्त विधान समिति का प्रथम प्रतिवेदन तथा द्वितीय एवं तृतीय(कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं.

(2) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का अड़तालीसवां से तिरपनवां प्रतिवेदन

श्री केदारनाथ शुक्ल(सभापति) – अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का अड़तालीसवां से तिरपनवां प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं.

प्रतिवेदन में वृद्धि का प्रस्ताव

विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय – श्री केदारनाथशुक्ल,सभापति, विशेषाधिकार समिति निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे.

" विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए."

श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति, विशेषाधिकार समिति :–

अध्यक्ष महोदय मैं मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन संबंधी नियमावली के नियम–228 के अंर्तगत प्रस्ताव करता हूं कि :–

1. माननीय डॉ. गौरीशंकर शेजवार, माननीय डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मंत्रीद्वय, मध्यप्रदेश शासन एवं माननीय श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य विधान सभा द्वारा माननीय श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय श्री बाला बच्चन, सदस्य विधान सभा के विरूद्ध,
2. माननीय डॉ. गौरीशंकर शेजवार एवं माननीय डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मंत्रीद्वय, मध्यप्रदेश शासन द्वारा माननीय श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के विरूद्ध,
3. माननीय श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव, सदस्य, मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा जिला इन्दौर के अंर्तगत मानपुर–लेबड़ मार्ग में वालेचा एल.एम. टोल प्राइवेट लिमिटेड के टोल प्लाजा नाके के कर्मचारियों तथा थाना प्रभारी, मानपुर के विरूद्ध माननीय श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य विधान सभा के साथ अपमानजनक व्यवहार एवं जनप्रतिनिधित्व कार्य में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

1. माननीय डॉ. गौरीशंकर शेजवार, माननीय डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मंत्रीद्वय, मध्यप्रदेश शासन एवं माननीय श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य विधान सभा द्वारा माननीय श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय श्री बाला बच्चन, सदस्य विधान सभा के विरूद्ध,
2. माननीय डॉ. गौरीशंकर शेजवार एवं माननीय डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मंत्रीद्वय, मध्यप्रदेश शासन द्वारा माननीय श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के विरूद्ध,
3. माननीय श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव, सदस्य, मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा जिला इन्दौर के अंर्तगत मानपुर–लेबड़ मार्ग में वालेचा एल.एम. टोल प्राइवेट लिमिटेड के टोल प्लाजा नाके के कर्मचारियों तथा थाना प्रभारी, मानपुर के विरूद्ध माननीय श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य विधान सभा के साथ अपमानजनक व्यवहार एवं जनप्रतिनिधित्व कार्य में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए।

[redacted]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बाला बच्चन :- माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी और राज्यसभा सदस्य आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी दीर्घा में बैठें हैं, मैं समझता हूं कि सदन उनका स्वागत करे।

अध्यक्ष महोदय :- आज सदन की दीर्घा में माननीय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी उपस्थित हैं सदन की ओर से उनका स्वागत है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- श्री तिवारी जी जो बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा ।

नियम -130 के अधीन सामान्य लोकहित के विषय पर चर्चा.

श्री सुन्दरलाल तिवारी :- (XXX) ...व्यवधान..

अध्यक्ष महोदय :- तिवारी जी कृपया आप बैठ जायें।

राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य (श्री शरद जैन):- तिवारी जी किसने क्या मांग की है यह विषय नहीं है। आपको जो कहना है अपनी बात करें।

अध्यक्ष महोदय :- आप कृपया बैठ जायें। महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है आप चर्चा चाहते हैं या नहीं, आप बैठ जाईये । आप पहले जो विषय है उस पर चर्चा करें, आप बैठ जायें। आप चर्चा करने देना चाहते हैं कि नहीं, अगर आप चर्चा कराना चाहते हैं तो फिर बैठ जाईये । (व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल तिवारी :- (XXX)

श्री शरद जैन :- तिवारी जी को किसानों से कोई लेना देना नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- तिवारी जी आप बैठ जायें। मेरी प्रतिपक्ष के नेता जी से और सचेतक जी से अनुरोध है कि श्री तिवारी जी को बैठा लें, ताकि इस विषय पर चर्चा प्रारंभ हो सके। (व्यवधान)

श्री सुंदरलाल तिवारी :- (XXX)

अध्यक्ष महोदय :- तो आप बैठ जाईये, श्री रामपाल सिंह कृपया आप अपना प्रस्ताव पढ़ें । (व्यवधान) तिवारी जी कृपया आप बैठ जाईये । (व्यवधान)

(XXX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

नियम -130 के अधीन सामान्य लोकहित के विषय पर चर्चा.

श्री रामपाल सिंह (राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि " प्रदेश के अनेक जिलों में तेज आंधी, तूफान, वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसलों को हुई क्षति पर चर्चा कराई जाये "

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि " प्रदेश के अनेक जिलों में तेज आंधी, तूफान, वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसलों को हुई क्षति पर चर्चा कराई जाये "

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- तिवारी जी आपका कुछ लिखा नहीं जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय—कृपा करके आप बैठ जायें. (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र)—अध्यक्ष महोदय, जब यह लोग बैठ नहीं रहे हैं तो क्या इसको यह माना जाये कि कांग्रेस ओले और अतिवृष्टि पर चर्चा नहीं चाहती है..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—मैं उनसे दो बार पूछ चुका हूँ (व्यवधान)

डॉ. नरोत्तम मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे हर सत्र से कह रहा हूँ कि कांग्रेस जनहित के मुद्दों से हमेशा कतराती है, आपने इस मुद्दे पर चर्चा ली, हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से चर्चा आई है कांग्रेस के एक व्यक्ति ने एक प्रस्ताव नहीं दिया ओलों पर चर्चा के लिये एक ने भी प्रस्ताव नहीं दिया. (व्यवधान) एक भी नेता नहीं गया किसी किसान के घर पर जहां ओले पड़े हैं. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—प्रतिपक्ष के नेता जी बोलेंगे आप बैठ जायें. (व्यवधान)

डॉ. नरोत्तम मिश्र—मुख्यमंत्रीजी 31 जिलों में गये इनका एक नेता नहीं गया. एक नेता खड़ा होकर बता दे कि कोई तीन जिले भी गया है क्या. इसके बाद भी हमारे नेता ने चर्चा ली, उसके बाद चर्चा नहीं होने दे रहे हैं. कांग्रेस किसानों की विरोधी हैं.

अध्यक्ष महोदय—आप कृपया बैठ जायें प्रतिपक्ष के नेता को सुन लें.

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे)—संसदीय कार्यमंत्री जी अब जरा शांत हो जाइये.

श्रीमती रंजना बघेल—(XX). (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—यह कार्यवाही से निकाल दें. (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष महोदय, जिस नियम के तहत विधान सभा का सत्र समापन होता है उसके बाद सत्र बढ़ाने के लिये आग्रह किया जाता है उसी नियम के तहत मैंने एक पत्र आपको लिखा, एक पत्र सीएम को लिखा एक पत्र इनको लिखा यह संसदीय कार्य मंत्री हैं (XX) (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—यह कार्यवाही से निकाल दें. यह उचित नहीं है (व्यवधान)

(XX) : निर्देशानुसार विलोपित.

श्री सत्यदेव कटारे—आप तो यह बताओ कि हमने पत्र लिखा है कि नहीं लिखा है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र—अध्यक्ष महोदय, यह नेता प्रतिपक्ष के लायक हैं यह पूरा प्रदेश देख रहा है..(व्यवधान)

श्री जितु पटवारी—संसदीय कार्य मंत्री हर वक्त अपनी असंसदीय कार्य प्रणाली से... (व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष पर यह आरोप लगाते हैं कि पूरा प्रदेश जान चुका है तो यह भी तो.. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—आप लोग चर्चा होने देना चाहते हैं या नहीं होने देना चाहते हैं. बैठ जायें.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—चिट्ठी लिखना किसी प्रक्रिया का अंग नहीं है. अध्यक्ष महोदय, इनका आपको, मुख्यमंत्रीजी को या मुझे पत्र लिखना यह किसी प्रक्रिया का अंग नहीं है. स्थगन देना है तो स्थगन की सूचना दी जाती है, अगर ध्यानाकर्षण देना है तो ध्यानाकर्षण की सूचना दी जाती है अगर प्रश्न करना है तो प्रश्न की सूचना दी जाती है. एक व्यक्ति ने कोई सूचना नहीं दी.

श्री रामनिवास रावत—संसदीय कार्य मंत्री जी यह सूचना मेरे द्वारा दी गई है. मैंने विधान सभा में सूचना दी है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र—एक जिले में नहीं गये आप लोग.

अध्यक्ष महोदय—कृपया आप लोग सीधे बात न करें. (व्यवधान) विधिवत नियमानुसार कोई सूचना नहीं आई है. आप बैठ जाइये. तिवारी जी, रावत जी बैठ जाइये (व्यवधान) एक मिनट आप लोग सुन लें. विधिवत नियमों के अन्तर्गत कोई सूचना आपके पास से नहीं आई है विधिवत सूचना राजस्व मंत्रीजी के पास से आई उसी पर चर्चा कराई जा रही है. आपने पत्र लिख दिया है विधिवत सूचना नहीं आई है .

श्री रामनिवास रावत—नियमों को शिथिल करने के लिए पत्र दिया है.

अध्यक्ष महोदय—आपने पत्र लिखा है. विधिवत सूचना नहीं आई है.

श्री सत्यदेव कटारे—सदन का सत्र बढ़ाने के लिये किस नियम के तहत आग्रह होता है.

अध्यक्ष महोदय—आप बैठ जाइये मुख्यमंत्रीजी खड़े हैं.

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश का किसान संकट में हैं एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है सरकार ने अपनी तरफ से ओला पीड़ित, तूफान या वर्षा से जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है उन पर चर्चा प्रस्तावित की है. अब जब भी ऐसी चर्चा की बात आती है तो प्रतिपक्ष इधर और उधर की बात करता है इनको तो सपने में भी चाहे अन्दर बैठे हों चाहे बाहर बैठे हों शिवराज ही नजर आता है इनको किसान दिखाई नहीं दे रहा है किसान की परेशानी दिखाई नहीं दे रही है..

श्री जितु पटवारी—वो लोग दिखते हैं व्यापम दिखता है (व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान—यह लोग बात करके मैदान छोड़कर भाग जाते हैं (व्यवधान)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- आप लोग कृपया बैठ जाएँ. (व्यवधान) अब ध्यान से सुन लें. नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपकी बात भी सुनी गई. (व्यवधान) सदन के नेता की बात होने दें फिर आपकी बात सुनेंगे.(व्यवधान)

श्री रामनिवास रावत-- चर्चा प्रारंभ करवा दी जाए. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- चर्चा करवाने के लिए आपके ही सदस्य रोक रहे थे मैंने आप से भी अनुरोध किया था. आप कृपया बैठ जाएँ. मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं. यह बात ठीक नहीं है. (व्यवधान) सदन के नेता बोल रहे हैं आप लोग कृपया बैठ जाएँ और मर्यादा का पालन करें. (व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान-- (व्यवधान) कानून कार्यवाही करता है. (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे-- मैंने लिखित में (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी आप खड़े होते हैं तो मैं सबको बिठाता हूँ. अब आप कृपा करके बैठ जाएँ. सदन के नेता खड़े हुए हैं.

श्री सत्यदेव कटारे-- मैंने लिखित में आग्रह किया था या नहीं, आप तो यह बता दें. सबसे पहले मैंने.....

अध्यक्ष महोदय-- आपने पत्र दिया था. आपने नियमों के अनुसार कोई आवेदन नहीं दिया.

श्री सत्यदेव कटारे-- नॉलेज में आया.(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- बैठ जाइये. वह पत्र आपने अखबारों में भी दिया था. जो मुझे दिया था वह पेपर में भी आ गया. आपने नियमों से कुछ नहीं दिया. (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे-- पर वह मालूम था. (व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान-- माननीय अध्यक्ष महोदय, काँग्रेस केवल ढोंग करती है अन्दर भी ढोंग करती है, बाहर भी ढोंग करती है, इनको किसानों की चिन्ता नहीं है, जनता की चिन्ता नहीं है, गरीबों की चिन्ता नहीं है. यह किसान की चिन्ता है आपकी? यह विषय था जिसको उठा रहे

हैं आप अभी इसलिए अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) मैं चाहता हूँ कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो प्रस्ताव दिया है, उस पर तत्काल चर्चा प्रारंभ करें.

श्री सत्यदेव कटारे-- मुख्यमंत्री जी, आप सबके नाम पर विधान सभा...(व्यवधान) हमारे सदस्य बोलेंगे आपकी सरकार की पोल खुलेगी तो विधान सभा छोड़कर भाग जाओगे.(व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान-- कितनी बार काँग्रेस मैदान छोड़कर भागी है यह तो सदन के रिकार्ड में शामिल है. हमें क्या भगाओगे यह सपने ही देखते रहो हमें भगाने के सपने साकार नहीं होने वाले. (व्यवधान) असत्य आरोपों से ये सपने कभी साकार नहीं होते. अगली बार फिर लौटकर आएँगे. देखते रहो. खयाली पुलाव पकाते रहो. कभी सफल नहीं होंगे.

श्री सत्यदेव कटारे-- पिछले सत्र में मंत्रियों ने उधम क्यों किया. आप बताइये. (व्यवधान)

श्री सुदर्शन गुप्ता-- डूबती काँग्रेस में अपने नंबर बढ़ाने लगे हैं. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- डॉक्टर गोविन्द सिंह जी खड़े हुए हैं कृपया उन्हें बोलने दीजिए. (व्यवधान) सभी माननीय सदस्य कृपया बैठ जाएँ. माननीय मंत्रीगणों से अनुरोध है कृपया बैठ जाएँ.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा-- व्यापम के कारण बदले की कार्यवाही बंद करें. व्यापम के कारण आप बदले की कार्यवाही से केस दर्ज कर रहे हैं, बंद करें यह बदले की कार्यवाही.

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ नरोत्तम मिश्र)-- माननीय अध्यक्ष जी, ये किसानों पर चर्चा चाहते हैं कि नहीं. (व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- (xxx)

अध्यक्ष महोदय-- कृपया बैठ जाइये. तिवारी जी का कुछ नहीं लिखा जाएगा. (व्यवधान)

डॉ. नरोत्तम मिश्र-- प्रदेश में काँग्रेस रो रही है और कोई नहीं रो रहा है.

अध्यक्ष महोदय-- मंत्री जी, बैठ जाएँ.

डॉ. नरोत्तम मिश्र-- प्रदेश में काँग्रेस की जो स्थिति है उससे आप लोग दुखी हों. सूपड़ा साफ हो गया. पंचायत से लेकर, नगर निगम से लेकर, लोकसभा तक. आप चारों, पाँचों चुनाव हारे हों.

श्री बाला बच्चन-- मिश्रा जी, निमाड़ का रिजल्ट देखा है आपने. खरगौन और बड़वानी का रिजल्ट आपने देखा.

अध्यक्ष महोदय-- कृपा करके बैठ जाइये. (व्यवधान)

श्री बाला बच्चन-- बीस जीती है काँग्रेस...(व्यवधान)

डॉ.नरोत्तम मिश्र-- वही मध्यप्रदेश है. (व्यवधान)

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- कहीं कहीं काँग्रेस का उप सरपंच भी बन गया है. खुशी मनाओ. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- डॉ.गोविन्द सिंह अपनी बात कहें. (व्यवधान) कृपया आप लोग बैठ जाएँ. (व्यवधान) आपके ही सदस्य बोल रहे हैं कृपा करके उनको बोलने दें. बाला बच्चन जी कृपया बैठें. (व्यवधान) डॉ.गोविन्द सिंह जी अपनी बात प्रारंभ करें. (व्यवधान) आपके ही सदस्य व्यवधान डाल रहे हैं. (व्यवधान)

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

डॉ. गोविंद सिंह(लहार)--- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 10-11 वर्षों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तबसे प्रदेश में कोई-न-कोई संकट और प्राकृतिक आपदायें लगातार आती रही हैं ,ऐसा कोई भी साल नहीं चूकता जिस समय कोई-न-कोई आपदा न आई हो....(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य-- कांग्रेस पर तो बहुत बड़ी आपदा आ गई है.

श्री रामनिवास रावत--- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को टोका टाकी से रोकें.

डॉ. गोविंद सिंह--- अध्यक्ष महोदय, लगातार ऐसा कोई वर्ष नहीं चूकता, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं ओला पड़ गया, कहीं पाला, कहीं अतिवृष्टि ,कहीं बाढ़ इस प्रकार की आपदायें इस प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता पर आ रही है. भारतीय जनता पार्टी की एक साध्वी मुरैना में प्रवचन दे रही थीं .

श्री भंवर सिंह शेखावत-- अध्यक्ष महोदय, जबसे दिग्विजय सिंहजी यहाँ आए हैं तबसे बोलना शुरु किया है...(व्यवधान),....

श्री सुदंरलाल तिवारी--- वित्तमंत्री जी लुट गये....(व्यवधान)...

पंचायत मंत्री(श्री गोपाल भार्गव)--- .अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)... राज्य के लोगों के ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं राज्य के लोगों के ऊपर इस प्रकार की आपदा आ रही है.

डॉ. गोविंद सिंह-- अध्यक्ष महोदय, अभी भारतीय जनता पार्टी की एक साध्वी मुरैना में प्रवचन दे रही थीं कि राजा के पाप प्रजा को भोगना पड़ते हैं. यथा राजा तथा प्रजा..... (व्यवधान)...आप जो भी असत्य और गलत कार्य करते हैं उसका पाप प्रदेश की जनता को लग रहा है.

श्री गोपाल भार्गव-- डॉ. साहब आप बतायें कि आप दतिया में राज्य के किसानों के खिलाफ तांत्रिक करवा रहे हैं या नहीं?हमको जानकारी मिली है कि आप करवा रहे हैं.

डॉ. गोविंद सिंह--- मैं तंत्र-मंत्र मानता ही नहीं हूं. फर्जी कामों में मेरा कोई विश्वास नहीं है.

श्री गोपाल भार्गव--- (XX) कि यह आपदा किसानों के ऊपर आए ताकि आपको बोलने का अवसर मिले.

डॉ. गोविंद सिंह-- मैं फर्जी बाबा, फर्जी नेता इनसे कोसों दूर हूं इन महात्माओं ने पूरे प्रदेश को लूट डाला ऐसे फर्जी लोगों पर मेरा विश्वास नहीं है.

श्री रामनिवास रावत-- भार्गव जी, आपको पता होगा जो मुख्यमंत्री बनना चाहता होगा वह तंत्र क्रिया करवा रहा होगा इधर तो अभी आवश्यकता ही नहीं है.

श्री गोपाल भार्गव--- आप श्योपुर में कैलादेवी में करवा रहे हैं.

डॉ. गोविंद सिंह-- अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के रहते हुए लगातार तीन वर्षों से कोई-न-कोई आपदा आ रही है. मुख्यमंत्री जी ने अभी 28 जिलों का दौरा किया प्रदेश के आधे से अधिक जिलों में अतिवृष्टि और ओले से किसान पीड़ित हुआ है , पूरी तरह से किसानों की फसल बर्बाद हुई . मैं कहना चाहता हूं कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में अनेक जिलों में जिसमें कि भिंड जिला भी शामिल है, अतिवृष्टि हुई और पूर्व व पश्चिम की इस प्रकार की हवा चली कि जो गेहूं की फसल में बाली निकल चुकी थी वह पूरी तरह से गिर गई और जब एक बार फसल नीचे गिर गई तो उसका दाना पतला पड़ जाता है या फिर दाना पड़ता ही नहीं है . इसी प्रकार पूरे प्रदेश में जगह-जगह मटर, सरसो, चना, ईसबगोल, धनिया, संतरा अनेक प्रकार की फसलें हुई थी , वह आधे से अधिक फसलें इस वर्ष बर्बाद हो गई हैं. मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया कई जगह गये परन्तु आज के सप्लीमेट्री बजट में इस विपदा के लिए मात्र 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. जब दिल्ली में कांग्रेस की, यूपीए की सरकार थी उस समय आप काफी हल्ला करते थे , मुख्यमंत्री जी धरने पर बैठते थे , भूख हड़ताल करते थे , यह (XX) आपने जगह-जगह प्रारंभ की थी. परन्तु आज पूरा प्रदेश तबाह हो गया, किसान रो रहा है, किसान भूखों मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है परन्तु मुख्यमंत्री जी ने अभी तक केंद्र सरकार से न तो अनुरोध किया है , न अभी तक सर्वे के लिए कोई केन्द्रीय दल आया है और न ही उसके आने की कोई सूचना अभी तक प्रदेश सरकार के पास आई है.

अध्यक्ष महोदय, पिछले 50 वर्षों में इतनी बारिश नहीं हुई जितनी इस समय हो गई, कई जिलों में रिकार्ड टूट गया है. तमाम जिले जैसे भैंसदेही,कोलारस,गोहद में 50 मि.मी. से अधिक वर्षा हुई है, मुलताई चिचोली में 40 मि.मी.वर्षा हुई, सतना, सिवनी, बैतूल , दतिया में 30 मि.मी. वर्ष हुई , डबरा, केवलारी, हटा , दबोह , भिंड में 20 मि.मी. और इन्दौर में 26 मि.मी. वर्षा हुई , अमरवाड़ा में 33 मि.मी. वर्षा हुई है. जब वर्षा ऋतु होती है तब भी कई जिलों में 20-25 या 30 मि.मी. वर्षा होती है . लेकिन जब वर्षा का मौसम नहीं था तब इतनी वर्षा हुई है कि कई जिलों में

50 वर्षों का रिकार्ड टूट गया है . इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम किसानों को राहत देंगे परन्तु मुख्यमंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास तहसीलदार हैं नहीं, भिण्ड जिले में आप लगातार तहसील खोलते जा रहे हैं, 9-10 तहसीलें खुल गयीं. वहां तीन तहसीलदार हैं. एक तहसीलदार के पास तीन से ज्यादा तहसीलें हैं.40 प्रतिशत पटवारी के पद रिक्त हैं. एक एक पटवारी पर 4-5-6 हल्के दिये गये हैं लेकिन अभी तक सर्वे नहीं हुआ. हमारे लहार-मिहोना-रौन तीन तहसीलों में एक तहसीलदार है और सात नायब तहसीलदार की जगह केवल दो नायब तहसीलदार हैं और वह भी जो तिवारी तहसीलदार है उनके घर में कोई मृत्यु हो गयी, वह भी छुट्टी पर है. अभी तक सर्वे का कार्य माननीय नरोत्तम मिश्र जी के दतिया में हुआ होगा लेकिन बगल में लगे हुए सेवढ़ा भांडेर में अभी तक सर्वे नहीं हुआ है. अभी तक आस पास लगे हुए जो गांव हैं, अभी दो तीन दिन पहले वहां एक कार्यक्रम में मैं गया था वहां पर पटवारियों नें अभी तक सर्वे का काम प्रारम्भ नहीं किया.

श्री घनश्याम पिरोनियां-- डाक्टर साहब,मेरी विधानसभा भाण्डेर में तो शुरु हो गया.

डॉ. गोविन्द सिंह - (X X)

अध्यक्ष महोदय-- यह रिकार्ड न किया जाए.

(xx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

डॉ. गोविन्द सिंह--अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार तमाम् प्रभारी मंत्रियों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया वहां पर कलेक्टर पहुंचे परन्तु भिण्ड में अभी तक किसी भी गांव में प्रभारी मंत्री जी जब गये उस समय जरुर कलेक्टर ने एक दिन जाने का कष्ट किया, बाकी अभी किसी भी गांव में न तो कोई वरिष्ठ अधिकारी पहुंचा है, न ही कलेक्टर पहुंचा है. कलेक्टर ने अभी तक तमाम् पटवारियों को और अधिकारियों को निर्देश दिये हैं और कलेक्टर का बयान समाचार पत्रों और टीव्ही पर दिखाया है कि भिण्ड जिले में केवल 15 से 20 प्रतिशत नुकसान हुआ है, यह कलेक्टर का बयान है. माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी फसल कटी नहीं है, अभी गेहूं भी खड़ा है, पानी गिरा है तो मटर जो

कट चुकी थी, वह पूरी मटर सड़ गयी.मसूर की फसल के लिए ज्यादा पानी की जरुरत नहीं होती, जो जहां काली मिट्टी है, पूरे के पूरे इलाके में पानी गिरने से मसूर की फसल वहीं की वहीं डूब गयी और सड़ चुकी है. गेहूं की फसल भी अभी आप क्रॉप कटिंग मौके पर वर्तमान में करवा लें तो गेहूं में 40 से 60 प्रतिशत नुकसान हुआ है. माननीय मुख्यमंत्री जी आप लम्बी चौड़ी घोषणा करते हैं. आप तीन साल पहले गांव गोरा में गये थे, आपने बड़ी सभा की, आपने पटवारियों को बड़ा लच्छेदार भाषण दिया कि 30 प्रतिशत नुकसान हो तो 50 लिखो. 50 प्रतिशत नुकसान हो तो 100 प्रतिशत लिखो. किसान 50 प्रतिशत लिखा के घूमते रहे लेकिन आज तीन वर्ष हो गये उनको मुआवजा नहीं मिला. पिछले बार अतिवृष्टि में तमाम् मकान क्षतिग्रस्त हुए,आपने कहा कि मुआवजा दिया जाएगा लेकिन आज तक नहीं दिया . हमने विधानसभा में बजट सत्र में प्रश्न भी लगाया लेकिन आपने पिछले वर्ष हमारे पूरे जिले में एक रुपया भी मुआवजा नहीं दिया. तमाम् किसान कर्ज के कारण मर रहे हैं.माननीय मुख्यमंत्री जी, आप रायसेन जिले में गये आपकी सभा में भी वहां पर किसान को हार्ट अटैक आ गया, वह बेहोश होकर के गिर पड़ा, मृत्यु हो गयी. तमाम् किसान जिनको बेटियों की शादी करना है, रो रहे हैं और अभी तक आपका सर्वे तक नहीं हुआ और 500 करोड़ में क्या होगा. जब पूरे प्रदेश में इतना नुकसान हुआ है करीब 40 से 50 हजार करोड़ रुपये की किसान की फसलों की नुकसान हुआ है और आपने साढ़े पांच सौ करोड़ बजट प्रावधान किया है तो क्या यह ऊंट के मुंह में जीरा नहीं होगा. आपने गेहूं पर बोनस बंद कर दिया, धान पर बोनस बंद कर दिया. इस वर्ष आपकी सरकार की नीति के कारण माननीय नरोत्तम जी आपके डबरा में मंडी है, हमारे भिण्ड, मुरैना के पूरे इलाके का धान डबरा में बिकता है आप सच्चाई जरा बतायें कि पिछले वर्ष धान की कीमत 4200 क्विंटल बिकी थी, इस बार कितना बिका है? 1300-1500 क्विंटल. किसानों को उसका मूल खाद बीज और उसकी मेहनत मजदूरी तक नहीं निकली, तमाम किसान बेचने को मजबूर हैं.

12.59 बजे

घोषणा

अध्यक्ष महोदय-- मध्यप्रदेश विधानसभा के सत्र, विधानसभा समिति की बैठकों एवं अन्य सचिवालयीन परिपत्रों को ई-मेल से भेजने हेतु विधान सभा सचिवालय द्वारा सभी माननीय सदस्यों के ई-मेल आईडी बनाये जा रहे हैं. इस हेतु मानीय सदस्यों के मोबाइल नम्बर की भी आवश्यकता है.

सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सूचना कार्यालय में उपलब्ध तदाशय की सूची का अवलोकन कर, अपना सही मोबाइल नम्बर एवं अपने ई-मेल आईडी को भी आवश्यक रुप से देख कर सूची पर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें, ताकि ई-मेल आईडी में शाब्दिक त्रुटि(Spelling mistake) न रह जाए.

डा. गोविन्द सिंह का भाषण जारी रहेगा. सदन की कार्यवाही अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित

(1.00 बजे से 2.34 बजे तक अंतराल)

समय 02.34 बजे

{उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.}

उपाध्यक्ष महोदय -- डॉ. गोविंद सिंह जी चर्चा प्रारंभ करें.

डॉ. गोविंद सिंह -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फरवरी माह में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि से जो किसान की तबाही हुई है उसके बारे में सरकार ने अभी तक कोई ठोस योजना नहीं बनाई है. इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने करीब 28 जिलों का दौरा किया और अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने करके अपनी संवेदनशीलता, किसानों के प्रति चिंता और उनको राहत देने की बात कही. माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहां पर 50 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हो, हम 100 प्रतिशत मुआवजा देंगे. जहां-जहां पर पूरी फसल नष्ट हुई है, वहां पर उन किसानों को एक रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गेहूँ देंगे.

उपाध्यक्ष महोदय -- डॉक्टर साहब, लंच के बाद आपकी आवाज कुछ दबी-दबी है.

श्री सुदर्शन गुप्ता -- अब दिग्विजय सिंह चले गए ना साहब, इसलिए आवाज बिल्कुल मंदी हो गई. इनको उस समय सुनना था.

डॉ. गोविंद सिंह – (XX) और आप मेरे बारे में पता कर लो.

श्री बाला बच्चन -- गुप्ता जी सुन लिया. अब मत खड़े होना.

डॉ. गोविंद सिंह -- जैसे आप लोग चापलूसी करते हो, मैं मुख्यमंत्री के पास कभी नहीं जाता हूँ.

श्री शरद जैन -- गोविंद सिंह जी, अब चापलूसी कौन कर रहा था, वह तो दिख रहा था पूरे सदन को. डॉक्टर साहब आज आपको एक बात के लिए बधाई देंगे कि आपने आज अपने भाषण में सत्य बोला. आपने एक लाईन बोली थी कि राजा के कारण प्रजा की ये हालत होती है और आपके राजा विराजमान थे.

डॉ. गोविन्द सिंह- राजा मतलब शासक. आपकी जो देवी है उनके भाषण का उदाहरण दे रहा था. वे कह रही थीं कि राजा के पाप प्रजा को भोगना पड़ते हैं. राजा अगर अच्छा काम करता है तो वैभव बढ़ता है, संपन्नता बढ़ती है.

श्री शरद जैन- 2003 के पहले जो राजा थे उनके कारण ही यह दुर्गति हुई है.

उपाध्यक्ष महोदय--मंत्री जी बैठ जायें.

डॉ.गोविन्द सिंह-- इनको नरोत्तम जी कभी बोलने का मौका ही नहीं देते. इनको तो अटेण्डर बना कर रखा है.

श्री शरद जैन- नरोत्तम जी हमारी बहुत चिन्ता करते हैं, जरूरत से ज्यादा चिन्ता करते हैं.

डॉ.गोविन्द सिंह- अच्छा बताओं कितने चपरासी के आपने ट्रान्सफर किये?

उपाध्यक्ष महोदय- यह अप्रासंगिक है. ओले पर चर्चा जारी रखें.

श्री शरद जैन-- शाम को आ जाओ सूची दे देंगे और चाय भी पिलायेंगे.जो आपने दिये थे वे भी हो गये. (व्यवधान)

डॉ.गोविन्द सिंह-यह एक किलो गेहूं का लिखा है, लेकिन इसमें यह तय नहीं हुआ कि एक परिवार को कितनी मात्रा में गेहूं देंगे. यह घोषणा आपने नहीं की. इसके साथ साथ हमारा यह भी सुझाव है कि गेहूं के साथ, जहां लोग चावल खाते हैं वहां चावल के साथ नमक भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से दिया जाय और वह इन पीड़ित किसानों को मिलना चाहिए. 25 हजार रूपये बेटी के विवाह के लिये देने की आपकी क्या नीति है? किस प्रकार से आप तय करेंगे, कब तक तय करेंगे ? आपने किसको कार्ड योजना बनाने के लिए निर्देशित किया है, यह भी स्पष्ट नहीं है. फसल बीमा का लाभ अभी तक केवल उन किसानों को मिलता है जो अल्पकालीन ऋण लेते हैं. वे ही कर्ज लेते हैं.अन्यथा दीर्घ किसान कर्जदारों को तो आप देते नहीं. जो कर्जा लेगा उसका बीमा कटौती होगी लेकिन अधिकांश किसान दीर्घकालीन ऋण लेते हैं उनका आप लोग बीमा कराते नहीं हैं, बिना उनके लिए भी आपने भी आपने कोई नीति निर्धारित नहीं की है. इसके विषय में भी आपको

कोई न कोई नीति बनानी चाहिए. मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की पाई-पाई का भुगतान,भरपाई करेंगे. लेकिन जब आपका अमला ही नहीं है तो कहां से भुगतान करेंगे. ' आँखों में आँसु नहीं आने देंगे,मैं हू ना.' कहां हैं आप? लच्छेदार भाषण देने में तो बिलकुल माहिर हैं. फिर कहा है-फसले हार मान जायें पर जिन्दगी हार नहीं मानेगी. आपकी कायको हार मांगेगी. व्यापम में करोड़ों से मालामाल हो रहे हैं तो हारने की बात कहां होगी. " ओला खेत में नहीं छाती पर गिरा है" अरे भाई मुख्यमंत्री जी छाती पर ओला गिर जायेगा तो फिर आप काम कैसे करोगे? हम भी चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहो,मजबूत रहो. ताकत बढ़ाओ और प्रदेश के किसानों के लिये ज्यादा से ज्यादा योजनाएं बनाओ,राहत बहुंचाओ. मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषणा की है , माननीय राजस्व मंत्री जी, गेहूं जो खराब हुआ है,गेहूं पतला पड़ा है और गेहूं कि चमक कम हुई. उनको भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जायेगा. परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि अभी के आपके जो निर्देश नागरिक आपूर्ति निगम ने केन्द्र प्रभारियों को भेजे हैं उसमें साफ लिखित में दिया गया है कि आप गुणवत्ताहीन गेहूं नहीं खरीदेंगे.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार - आप किसानों के खिलाफ जाकर शिकायत कर देना, यही तो आपने सीखा है? कहीं कोई थोड़ी बहुत मदद किसानों की करना चाहते हैं प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आप उठाकर शिकायत कर लेना. इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते ना? शिकायत ही करेंगे ना? जाओ कराओ.

डॉ. गोविन्द सिंह - आप क्या कह रहे हो, जनता को भाषण दे रहे हो, प्रदेश के किसानों को गुमराह कर रहे हो. शिकायत तो मैं करता नहीं हूं.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार - फिर क्यों लगे हैं?

डॉ. गोविन्द सिंह - जो घोषणा की है लेकिन उसके विपरीत निर्देश गये हैं. खाद्य विभाग ने, आपके निगम ने उन निर्देशों में यह स्पष्ट लिखा है कि गुणवत्ता विहीन गेहूं नहीं खरीदा जाय, अच्छी चमक वाला गेहूं खरीदा जाय. उसमें आप सुधार करें.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार - सब अपना-अपना काम कर रहे हैं. आप शिकायत करो?

उपाध्यक्ष महोदय - डॉ. शेजवार जी, इस तरह से हस्तक्षेप न करें. आप तो बहुत अनुभवी हैं, आप उधर के भी नेता रह चुके हैं.

डॉ. गोविन्द सिंह - लेकिन इधर के नहीं बन पा रहे हैं मुसीबत तो यह है.

श्री बाला बच्चन - उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीगण एक लय को बिगाड़ने के लिए ऐसा करते हैं. मैंने कई बार देखा है. उधर से विधायकगण कम करते हैं मंत्रीगण व्यवधान ज्यादा डालते हैं.

डॉ. गोविन्द सिंह - उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक जगहों पर, सार्वजनिक सभाओं में वक्तव्य दिये. माननीय श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने भी पिछली बार इस सदन में वक्तव्य दिया था एक प्रश्न के उत्तर में कि गेहूं का जो समर्थन मूल्य है, हमने वह भारत सरकार के दबाव में बंद किया है क्योंकि भारत सरकार किसान विरोधी है, उसके आदेश हमें भी मानना पड़ेंगे. लेकिन उसकी जगह अन्य किसी माध्यम से हम गेहूं के समर्थन मूल्य पर बोनस देंगे. बोनस के स्थान पर कोई योजना बनाकर उनकी क्षतिपूर्ति करेंगे. लेकिन अभी तक सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई, न ही ऐसी कोई दिशा है. अब गेहूं खरीदी प्रारंभ हो रही है.लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से देंगे और देना चाहते हैं तो आप घोषणा करिए कि किस रूप में देंगे? हमारा एक सुझाव यह भी है कि जहां पर ओले नहीं पड़े हैं, जहां किसानों का नुकसान नहीं हुआ, जो क्षतिपूर्ति पिछले वर्षों में आप समर्थन मूल्य पर बोनस के रूप में देते थे, उस बोनस की राशि उन्हीं किसानों को दी जाय जिनका कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हुआ है, जिनकी पूरी तरह से फसलें बर्बाद हुई हैं. एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि तीन विभागों के लोग सर्वे करेंगे तो जो पटवारी है वे जिस क्षेत्र के हैं, जहां पदस्थ अमला है उस इलाके से उसको अन्य जगह सर्वे के लिए भेजा जाय. ताकि कई लोग व्यक्तिगत कारणों से सामाजिक दबाव में, राजनीतिक दबाव में और अपने संबंधों के कारण कहीं ज्यादा, कहीं कम इस प्रकार से मुआवजे के लिए अपनी रिपोर्ट देते हैं, अतः इसमें हमारा सुझाव है कि जिले में ही एक तहसील से दूसरी तहसील, दूसरी

तहसील से अन्य तहसील में सर्वे के लिए अमले को भेजें. यही हमारा सुझाव है और ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी जिन किसानों की मृत्यु बिजली गिरने से हुई है, वह तो भारत सरकार पैसा दे रही है, लेकिन अभी तक एक को भी पैसा नहीं मिला. इसमें 24 घंटे के अंदर उनका भुगतान कराएं जिनकी मृत्यु हो गई है. गांव के किसान मजदूरों की मृत्यु हुई हैं, उनके लिए तत्काल आप व्यवस्था करें, एक सप्ताह में जैसा आप घोषणा करते हैं कि मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, केवल भाषणों तक सीमित न रहें, करके दिखाएं. कथनी, करनी में एकरूपता रखें यही हमारा कहना था और मुझे उम्मीद है कि आपकी सरकार जल्दी से जल्दी यह करेगी. अन्यथा किसानों के साथ अन्याय करेगी तो आपको सबक सिखाने के लिए हम लोग तो तैयार हैं . उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (मंदसौर) -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय कल शाम को 8 और 9 बजे तक , सदन में नेता प्रतिपक्ष विराजित हैं आपके निवास स्थान पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इस बात की चर्चा जोरों पर चल रही थी और इलेक्ट्रानिक मीडिया पर यह न्यूज फ्लेश हो रही थी कि सदन चलने नहीं दिया जायेगा, धरना दिया जायेगा.

डॉ. गोविन्द सिंह -- आप वहां पर मीटिंग में क्या कर रहे थे.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया -- आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा है मैंने इलेक्ट्रानिक मीडिया में देखा और सुना है. आप सुनते नहीं है गोविन्द सिंह जी यह ही तो तकलीफ है. उस ऊहा पोह की स्थिति को, जब प्रात: कार्य सूची हमें अपने निवास स्थान पर देखने को मिली, तो सारा भ्रम दूर हो गया. यहां पर चर्चा तो की जाना ही थी, आवश्यकता भी थी, फिर वह चाहे सत्तापक्ष की तरफ से हो या प्रतिपक्ष की तरफ से हो. लेकिन फिर यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदना परिलक्षित हुई है कि जिन्होंने इस चर्चा को न केवल ओला, अत्यधिक वर्षा, तेज आंधी तूफान इसको मिलाकर सामान्य लोक हित की चर्चा करना यहां पर जरूरी समझा है.

प्रतिपक्ष यहां पर चाहे जितनी भी आलोचना करे, कितनी भी माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति और नीयत को बिगाड़ने की कोशिश करे. माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता, मध्यप्रदेश का उनका विकास का एजेण्डा, जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी हितग्राही मूलक योजनाएं इन सबको देखकर इन सबको पाकर, हमारे सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को नीति आयोग के अंतर्गत भारत सरकार ने उप समिति का संयोजक बनाया है. यह इस बात को भी उद्घृत कर रहा है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी में न केवल संवेदना हैं बल्कि वे संवेदनशील भी हैं और विकास का माडल किस प्रकार से वह प्रस्तुत करने की कूबत रखते हैं. यह एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है. मेरा कहना है कि प्रतिपक्ष कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता है.

प्राकृतिक आपदा किसी भी सरकार के न्यौता देने पर नहीं आती है. तत्कालीन समय पर अगर कांग्रेस की भी सरकार होती थी तो उस समय भी आपदाएं आती थीं. फिर वह चाहे खरीफ की फसल हो या रबी की फसल हो, दोनों फसलों की अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं होती हैं. खरीफ में अतिवृष्टि हो जाती है अफलन हो जाता है, रबी में असामयिक वर्षा के कारण से या ओलावृष्टि के कारण से फसलें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं. मध्यप्रदेश के 51 जिलों में से 32 जिले प्रभावित हुए हैं. जैसा कि अभी गोविन्द सिंह जी ने 2 - 3 बार उल्लेख किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 32 जिलों में से 28 जिलों में उन चिन्हित स्थानों पर जाकर जहां पर ज्यादा नुकसानी को लेकर के खबरें प्रथम दृष्टया सामने आयी थीं. उनको चिन्हांकित करते हुए एक सघन व्यापक दौरा बनाकर 28 जिलों में अपनी वह यात्रा पूर्ण की, जिस संकट के समय में किसान इस बात की अपेक्षा सरकार से करता है कि दुख के समय सरकार हमारे सामने आये और वहां पर सरकार पहुंची, यहां पर माननीय श्री कैलाश जी चावला विराजित हैं श्री औम सकलेचा जी विराजित हैं. नीमच और मंदसौर जिले में भी व्यापक ओलावृष्टि हुई है. समाचार पत्रों की हेड लाइन में था नीमच का रेल्वे स्टेशन और उसमें यह लाइन थी कि यह कश्मीर का गुलमर्ग नहीं यह नीमच का रेल्वे स्टेशन क्षेत्र है.

चादर की चादर बिछ गई थी स्टेशन पर, खेत पूरी तरह से ओलों से पट गये, माननीय राजस्व मंत्री जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में दौरे पर पधारे थे. मंदसौर के नारायणगढ़ के समीप हरसौला ग्राम में पधारे थे .

पिछले 50 वर्ष में जब कांग्रेस हुआ करती थी तत्समय में आरबीसी में जो प्रावधान थे उन प्रावधानों को आगे बढ़ाते हुए मैं तुलनात्मक आंकड़े भी यहां पर रखना चाहता हूं जो राशि इन दस वर्षों में दो गुनी, तीन गुनी चार गुनी हुई है वह अद्वितीय है. माननीय कैलाश जी चावला जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और ओमसकलेचा जी जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. ईसबगोल को कभी भी तत्कालीन सरकारों ने फसल नहीं माना था. आज ईसबगोल की खपत गुजरात की तरफ जाती है पैदा हम करते हैं ईसबगोल की फसल पर ओला गिरना तो दूर की बात है अगर आधी बाल्टी पानी भी उस पर गिर जाय तो फसल बर्बाद हो जाती है. पिछले दो वर्षों से ईसबगोल की फसल को भी चिन्हांकित किया गया और आरबीसी की धारा 6 (4) के अंतगर्त न केवल उसको सम्मिलित किया गया बल्कि जहां पर पिछले वर्ष 25 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर नुकसानी का भरपाई करने का आंकलन करने का उसका मुआवजा राहत राशि तय की गई थी. जहां 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर नुकसान का, भरपाई करने का आंकलन करने पर उसका मुआवजा राहत राशि तय की गई थी. अभी जब मंदसौर और नीमच जिले में मुख्यमंत्री जी पधारे, उन्होंने 25 हजार रुपये की जगह 26 हजार रुपये की राशि करने की घोषणा की. किसी समय में फल,फूल, सब्जी, संतरा यह सारी चीजें ईसबगोल सहित उसमें सम्मिलित नहीं हुआ करती थी. मुख्यमंत्री जी की संवेदना है, उन्होंने मंदसौर जिले के भानपुरा क्षेत्र में व्यापक रुप से संतरे की फसल होती है, राजगढ़ में भी होती है. संतरे के प्रति पौधे की क्षति पर 500 रुपये प्रति पौधे का उसमें राशि का समावेश किया गया है. पशुपालन, बेल, बकरी, मुर्गा,मुर्गी हो, यह सब भी प्राकृतिक आपदा के यदि शिकार होते हैं तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है. उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी जब सीधे मंच पर पधारे, स्वागत सत्कार नहीं और मंच पर आकर

के यदि किसी विधायक से पूछते हैं, तो मुझसे पूछा कि क्या मंदसौर जिले में इस प्राकृतिक आपदा के दौरान ओलावृष्टि को तो छोड़ दो. इसके अलावा क्या बिजली गिरने से किसी किसान की मृत्यु हुई है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, अगर ऐसा है, तो उसको भी लिस्टेड करना चाहिये और उसके लिये सरकार 1 लाख 50 हजार रुपये की राशि मृतक के परिवार को मुआवजा के रुप में देगी. यह संवेदना है कि इतनी आगे बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं..

डॉ. गोविन्द सिंह -- यह नियम 10 साल से है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया -- 10 साल से है, तो यह हमारी सरकार ने ही बनाया है.

डॉ. गोविन्द सिंह - आपने बनाया है. केन्द्र सरकार ने बनाया है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया -- 10 साल से तो हम ही हैं. आपको धन्यवाद देना चाहिये कि हमारे समय में तो ऐसा कुछ था नहीं. पंचायत भवनों पर की गई सर्वे की सूची को भी सार्वजनिक किया जायेगा. एक नई चीज सामने उभर कर आई है. अगर पटवारी से कहीं चूक हो गई है और जो इधर उधर किसी प्रकार की गड़बड़ी होकर कोई हथियाने की कोशिश करे, तो उसको भी शामिल करने की कोशिश की गई है. वह चस्पा होगी. प्रभावित किसानों के परिवार को मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के साथ जोड़ते हुए आने वाले समय में फिर चाहे कल ही क्यों न, अप्रैल माह में विवाह होंगे. अगर ऐसी किसी किसान की जो ओला से पीड़ित है, उसकी बिटिया का 18 वर्ष की उम्र तय हो चुकी है. उसकी शादी होना है. 35 हजार रुपये की राशि से उसको भी नवाजा जायेगा. उन प्रभावित लोगों को जिसके बारे में गोविन्द सिंह जी ने जिक्र किया. एक रुपये किलो गेहू, एक रुपये किलो चांवल एवं एक रुपये किलो नमक दिया जायेगा. सारी व्यवस्थाएं चिह्नित हैं. अब गोविन्द सिंह जी बोल रहे थे कि कौन करेगा. वही करेगा जो विभाग इसकी देख रेख कर रहा है. इसके लिये अलग से कोई विभाग तो मुकर्रर नहीं होगा. मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना की जो राशियां तय की जा रही हैं, जो विभाग तय करेगा,

वही करेगा. खाद्य विभाग उसको एक रुपये में एक किलो गेहूं देगा. अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन व्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है. जीरो प्रतिशत पर जिन किसानों ने कर्जा ले लिया, उस किसान के लोन को, शॉट टर्म को मिड टर्मों में परिवर्तन करने की भी बड़ी घोषणा इस ओला वृष्टि के दौरान मुख्यमंत्री जी ने करके किसानों को राहत पहुंचाने का काम किया है. मैं अफीम उत्पादक जिले से आता हूं और इस अफीम उत्पादक जिले में अफीम की फसल को भी क्षति पहुंची है. नीमच और मंदसौर जिले में जब मुख्यमंत्री जी दौरे पर पधारे तो सबसे पहले उन्होंने यह बात कही कि अफीम की फसल में हुई क्षति को लेकर के केंद्रीय वित्त मंत्री, आदरणीय अरुण जेटली जी को इस बात को लेकर के पत्र लिखा जायेगा और आग्रह भी किया जायेगा कि अफीम की फसल का जब औसत का सवाल आयेगा, तब धुली हुई अफीम, जो धुल गई है, जो नष्ट हो गई है, जिसके डोढ़े ओले से टूट गये हैं, उसको अफीम की औसत में किस प्रकार से छूट दी जाय, यह बात आयेगी. यह बाद की चर्चा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इसको रेखांकित किया है. इसी प्रकार डोढ़ा चूरा अफीम का उत्पादन होता है. उस डोढ़ा चूरा की पॉलिसी तत्कालीन भारत सरकार के कारण से अभी अन्य प्रांतों में रुक गई है. 13 मार्च,2015 को उस डोढ़ा चूरा को खेत में जमींदोज करना पड़ेगा. राजस्थान में डोढ़ा चूरा को लेकर के निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं. हमारा जिला फिर प्रभावित हुआ. इस रबी की फसल में अफीम का. मुख्यमंत्री जी ने उदारता दिखाई और कहा कि जब राजस्थान में नीलाम हो सकेगा, राजस्थान में विज्ञप्ति निकल गई है. तो मध्यप्रदेश भी डोढ़ा चूरा की नीलामी करेगा. मध्यप्रदेश भी डोढ़ा चूरा के मामले में किसानों को राहत प्रदान करेगा. कांग्रेस इन दिनों अपनी ताकत को बढ़ाने में लग रही है . अब कांग्रेस तो पूरी तरह से घर बैठ गई है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--अब जब घर बैठ गई है तो घर की याद तो नहीं आ रही है. अब उनको याद आ रही है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चलो गांव चलें घर चलें.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा--व्यापम चलें.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--माननीय महेन्द्र सिंह जी, व्यापम व्यापम तो बात पुरानी हो गई है. मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष से कहना भी चाहूंगा और सुझाव भी देना चाहूंगा कि कांग्रेस अच्छा होता...

श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया--गांव तले घर जले, मतलब अभी तक गांव कभी गये नहीं, घर कभी गये नहीं.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--अब गांव की याद उनको सता रही है और गांव में भी घर की याद उनको सता रही है.

श्री कमलेश्वर पटेल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के साथी अच्छे दिन की तलाश करें, अच्छा दिन कहां है उसको ढूंढें.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा होता प्रतिपक्ष इस प्राकृतिक आपदा के समय यह नारा देता या यह संकल्प लेता कि चलो, गांव चलें और गांव में किसान के खेत पर चलें. अब घर पर जाकर तो ओले दिखेंगे नहीं. घर पर जाकर दिखेगा कि कांग्रेस के सदस्य बनो, हमारी ताकत बढ़ाओ, यह घोटाला हो गया, वह हो गया, अव्यवस्था हो गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया इसको लेकर कांग्रेस ने 24 तारीख से....

श्री सचिन यादव--आपको अपनी पोल खुलने का डर है क्या ?

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--नहीं, पोल खुलने का तो सवाल ही नहीं उठता. जब पोल होगी, तो खुलेगी ना.

श्री सचिन यादव--पोल खुलने का डर है क्या ?

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--सचिन जी, कोई पोल होगी तो खुलेगी और आपकी पोल की खोल की ढपली तो इतनी बुरी पिट गई है कि 51 जिलों में से 41 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जिला पंचायतों में सफलता मिली है 41, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत अलग.

श्री कमलेश्वर पटेल--उपाध्यक्ष महोदय, कैसे बने हैं यह पैसे की खरीदी मालूम चल जायेगी, तो भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल जायेगी.

श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कैसे बने हैं यह तो पूछिये. जनता ने इनको नकार दिया था, कैसे खरीद फरोख्त की है..(व्यवधान).

श्री जितु पटवारी--खरीद फरोख्त हुई है. (व्यवधान)

श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया--पुलिस के बल पर, शासन के बल पर, प्रशासन के बल पर कैसे खरीद फरोख्त की है.(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय--बलवीर सिंह जी, बैठ जायें.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हालात तो कांग्रेस के इतने गिर गये हैं कि ग्राम पंचायत में कोई पंच जीत जाये कांग्रेस की विचारधारा का और उपसरपंच बन जाये इतने बड़े बड़े विज्ञापन...

श्री कमलेश्वर पटेल--रिकार्ड मंगवा लें कि प्रदेश में कितने सरपंच कांग्रेस के जीते हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--इतने बड़े बड़े विज्ञापन, कांग्रेस इसी में खुश हो रही है कि हमने ग्राम पंचायत की पंच में सफलता प्राप्त कर ली है और ग्राम पंचायत के उपसरपंच में हम जीत गये. हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस निरंतर पीछे हो रही है.

उपाध्यक्ष महोदय--यशपाल सिंह जी, विषय पर आ जायें, ओलावृष्टि पर बोलें.

एक माननीय सदस्य--माननीय उपाध्यक्ष जी, यह भ्रम में हैं इनके पंच भी नहीं जीते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय--बैठ जायें. यशपाल सिंह जी, कृपा करके 2 मिनट में समाप्त करें.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवधान कितना खड़ा हुआ है.

उपाध्यक्ष महोदय--वह मैंने सब गिन लिया है उसमें.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--असली बात तो चुभती है.

श्री रामकिशोर दोगने--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी सदस्य यदि इस तरह की बात करेंगे तो सदन के बाकी लोगों का क्या हाल होगा.

उपाध्यक्ष महोदय--आप बैठ जायें.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--मैं विषय पर ही हूं.

उपाध्यक्ष महोदय--नहीं, माननीय विद्वान सदस्य हैं, विषय पर आ रहे हैं. यशपाल सिंह जी, लेकिन 2 मिनट में समाप्त करें.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--उपाध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस के उन कतिपय विधायकों को धन्यवाद भी देना चाहता हूं जिन्होंने उन क्षेत्रों में जहां पर मुख्यमंत्री जी गये और मुख्यमंत्री जी के जाने के कारण से, लोकलाज में मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े होकर उन खेतों को देखने की कोशिश की, 2-4-5 गिनती के हैं. मैं नियमित रूप से इलैक्ट्रानिक मीडिया के सारे चैनल देखता हूं, मुझे अच्छा लगा, उसमें आप भी दिख रहे थे(व्यवधान) नहीं, मुख्यमंत्री जी के आने पर....(व्यवधान).

श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर ओला पीड़ित किसानों के खेत में जाता है तो चाहे वह किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दौरा कर सकता है और अपनी मांगों को रख सकता है.

उपाध्यक्ष महोदय--बलवीर सिंह जी, आपका नाम है बोलने में.

श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया--अगर हम नहीं जाते, तो आज जो यशपाल सिंह जी कहते कि हमारा मुख्यमंत्री जाकर खेत देख रहा है और क्षेत्रीय विधायक वहां अपने घर पर रूके हुए हैं. यह लोक लाज है, यह परंपरा है और यह मध्यप्रदेश की संस्कृति है कि अगर विरोधी भी आता है और फिर तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्यों ना हम उनके साथ जाते.

श्री शैलेन्द्र जैन--आप परंपरा का निर्वहन करने गये थे वैसे आपकी इच्छा नहीं थी, है ना.

उपाध्यक्ष महोदय--यशपाल सिंह जी, समाप्त करें.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जो अखबार के.. (व्यवधान).

श्री रजनीश सिंह--अगर जनता ने आपको जनमत दिया होता..

उपाध्यक्ष महोदय--रजनीश जी, आप आसंदी की तरफ तो देखें.

श्री रजनीश सिंह-- आपके अधिकांश सदस्य होते, तो बात अलग होती. जब आप बहुमत में हैं नहीं, हमारे लोगों को छुड़ाकर लेकर जा रहे हैं, तो फिर कैसा बहुमत ?

श्री सचिन यादव--माननीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में, इनकी सरकार के नेतृत्व में सभी कांग्रेस के आ गये.

उपाध्यक्ष महोदय--देखिये, आपका भी नाम है बोलने वालों में, आपके समय में कटौती कर दी जायेगी.

श्री सचिन यादव-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तुलनात्मक एवं तथ्यात्मक बता दूं. उसके पहले एक बानगी 6 (4) के अंतर्गत पशु हानि के बारे में बताना चाहता हूं. 1992 में दुधारू पशु गाय-बैल इत्यादि के लिये 900 रूपये का प्रावधान था आज 16 हजार 500, बैल घोड़ा की मृत्यु होने पर 1800 रूपये था आज 16 हजार 500 रूपये है, गधे के मरने पर 550 रूपये, आज 10 हजार रूपये.

श्रीमती शीला त्यागी—जिन्दा लोगों को पेंशन के रूप में 500 रूपये की जगह 200 रूपये दिये जा रहे हैं वृद्धावस्था पेंशन.

श्री लालसिंह आर्य—उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के समय में आदमी के मरने पर 10 हजार रूपये परिवार सहायता दी जाती थी.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी यही कह रहा हूं कि व्यक्ति के मरने पर सांप द्वारा काटने पर असामयिक मृत्यु होगी कॉल के गाल में समाएगा तो उसके परिवार को--

भी खेत खलिहान में जहरीले जानवर अथवा सांप के काटने पर पहले 10 हजार रूपये की राशि दी जाती थी आज यदि

श्री कमलेश्वर पटेल—कलेक्टरों के पास पैसे की परेशानी है साल साल भर उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय खेत खलिहान में जहरीले जानवर अथवा सांप के काटने पर पहले 10 हजार रूपये की राशि दी जाती थी आज यदि कोई ऊंट मर जाता है तब 1300 रूपये आज 16 हजार 500 रूपये, बच्चा, गाय-भैंस का 300 रूपये था आज 10 हजार रूपये हो गया है, मुर्गा-मुर्गी 15 रूपये था आज 40 रूपये हो गया है मैंने बानगी सुनाई आप अनुमति देंगे.

उपाध्यक्ष महोदय—हाथ तो था मेरी तरफ था या उनकी तरफ पता नहीं (हंसी)

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—माननीय उपाध्यक्ष महोदय कुल-मिलाकर के प्रतिपक्ष ने सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिये ऐसा कर रही है. वैसे ही सरकार संवेदनशीलता रखती है, किसानों की हमदर्द है. एक बार नहीं, दो बार नहीं अनेक बार पिछले दस वर्षों में प्राकृतिक आपदा के समय जो क्षति हुई है जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई फिर चाहे कांग्रेस की यूपीए की सरकार हो, वह मदद करें ना करें माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों का हमदर्द बनकर के उनको राहत पहुंचाने का काम किया है. आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय—पिछले वक्ताओं ने काफी समय ले लिया अब जो भी बोलेंगे समय का ध्यान रखेंगे.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा (मुंगावली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस साल की ओलावृष्टि के पूर्व में पिछले साल की बेमौसम में अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि के कारण हजारों हेक्टेयर भूमि में नुकसान हुआ था, चने की फसल में अफलन हुआ था, गेहूं, चना, मसूर अरहर की फसलें चौपट हुई थीं, लेकिन उसका मुआवजा किसानों को नहीं मिला उसमें पटवारियों ने मनमानी की मैं

इस वर्ष जरूर राजस्व विभाग को बधाई दूंगा इस वर्ष मैं ओला-पीड़ित क्षेत्रों में गया तो मुझे आधे से ज्यादा जगहों पर पटवारियों के साथ साथ अन्य दो तीन अधिकारी भी मिले मुझे टीम मिली, पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, पिछली बार पटवारियों ने मनमानी की थी, लेकिन इस साल आधे स्थानों पर मुझे टीम मिली मैं उस टीम से मिला भी और वह सर्वे कर रहे थे इसके लिये बधाई देता हूं और कई स्थानों पर टीम नहीं थी सिर्फ पटवारी थे. इस साल करीबन 32 जिलों में मार्च के महीने में ओलावृष्टि से 2 हजार गांवों में 12 हजार करोड़ रूपये का नुकसान अनुमानित हुआ है आपने 500 करोड़ रूपये की बजट में व्यवस्था की है. मेरे विधान सभा क्षेत्र में खोकसी,बर्रा,रुसल्ला,तमाशा,नहरगढ़ में काफी नुकसान हुआ और खोकसी और रुसल्ला क्षेत्र में पटवारी और अन्य अधिकारियों की भी टीम थी जो कि सर्वे कर रही थी इसलिये हमें विश्वास है कि सर्वे ठीक होगा लेकिन दो-तीन गांव ऐसे थे एक गांव का नाम है ओझलपुर, वहां के पटवारी ने.

हाई कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि Agriculture Insurance Corporation of India Limited shall process all the claims under the scheme in regard to compensation towards loss caused to the Rabi crop in the year 2013-14 to the farmers within a period of three months from the date of receipt of copy of this order and the amounts be also disbursed to the farmers. जब यह हाई कोर्ट का डिसीजन हो गया लेकिन उसके बाद भी इंश्योरेंस कंपनी ने अनुदान देने के बारे में कोई कदम नहीं उठाये तब कंटेम्पट का केस पवन रघुवंशी और संजना रघुवंशी ने लगाया तो इंश्योरेंस कंपनी का जवाब यह था कि, क्योंकि कंपन्सेशन जो है वह प्रीमियम से अधिक हो गया है इसलिये राज्य सरकार और केन्द्र सरकार अपना हिस्सा नहीं देगी, तब तक हम इस राशि को नहीं दे सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- यह पहले भी रिकार्ड में आ गया है ।

आपने पहले भी उल्लेख किया है।

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा – यह दोबारा आना जरूरी है, एक बार कहने से यह सुनते नहीं हैं। एक बार आवेदन देने से रद्दी की टोकरी में चला जाता है। इनको पांच छ: बार लिखना पड़ता है।

किसानों का यह बहुत गंभीर मामला है, आप कोर्ट का डिसीजन नहीं मान रहे हैं किसानों को आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं इस पर एक्सरसाईज करना बहुत जरूरी था। उसी पर बहस हो रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बीमा कंपनियों को ताकीद करें और बीमा का सही आंकलन हो पिछले वर्ष जो पटवारियों ने सही आंकलन नहीं किया था, उसके कारण किसानों को बीमें की सही राशि नहीं मिली थी। इस बार उससे डबल नुकसान हुआ है। इसलिये आपसे अनुरोध है कि इस वर्ष आप लोग बीमे की राशि और मुआवजा भी किसानों को दिलवायेंगे और जहां जहां सिर्फ पटवारी आंकलन कर रहा है, वहां पर टीम भेजकर दुबारा आंकलन करवायेंगे, ताकि सही आंकलन हो सके। धन्यवाद् ।

श्री विश्वास सारंग :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय पर यहां चर्चा चल रही है और हमारे मित्र लोग हंस रहे हैं। यहां पर गोंविद सिंह जी ने चर्चा प्रारंभ की और उन्होंने कहा कि ...

श्री उमंग सिंघार :- आंसू किसानों के निकल रहे हैं।

श्री विश्वास सारंग – उपाध्यक्ष महोदय , यह हंस रहे हैं, किसी ने लिखा है कि कौम के गम में डिनर खाते थे हुक्काम के साथ , कांग्रेस के नेता अभी बहुत बातें कर रहे हैं कि किसानों के साथ हैं किसानों का यह हो गया , किसानों का वो हो गया, सरकार ने नहीं किया, किसी ने लिखा है कि कौम के गम में डिनर खाते थे हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत था मगर आराम के साथ । उपाध्यक्ष महोदय, बातें इतनी हो गयीं ओला गिर गया वर्षा हो गयी, किसानों पर कुठाराघात हो गया पर कांग्रेस के लीडर हैं कहां,हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी तो उसी दिन से किसानों के आंसू पोछने के लिये पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी रंज होता या आपको थोड़ा सा भी दुख होता तो आप भी जाते , कौन से कांग्रेस के नेता ने प्रदेश का दौरा किया। कौन से कांग्रेस के नेता ने ...

श्री कमलेश्वर पटेल :- उपाध्यक्ष महोदय, सभी विधायक अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। यह जरूर है कि हम लोगों को मीडिया में इतना नहीं दिखाते, जितना सत्ता पक्ष के लोगों को दिखाते हैं।

श्री उमंग सिंघार :-कांग्रेस के विधायकों के वाट्स एप ग्रुप में आप जुड़ जाईये तो आपको मालूम पड़ जायेगा कि सभी कांग्रेस के एमएलए घूम रहे हैं या नहीं ।

श्री विश्वास सारंग –बस आप वाट्स एप में लगे रहोगे इसलिये आपका हाल यह हो गया है। इसीलिये आप हार रहे हो। जो घूम रहे हैं उनको बधाई । मेरा यह कहना है कि सही मायने में आज जो यह स्थिति बनी है यह कोई राजनीति करने की स्थिति नहीं है। जबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्यप्रदेश में बनी है और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। अभी गोविंद सिंह जी बोल रहे थे कि लगातार दस वर्षों से प्राकृतिक आपदा हो रही है, बिलकुल सही बात है कि प्राकृतिक आपदा हो रही है, परन्तु हमें यह भी विचार करना पड़ेगा कि यदि मध्यप्रदेश में लगातार प्राकृतिक आपदा हुई है तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उस प्राकृतिक आपदा में भी शिवराज सिंह चौहान किसानों के साथ खड़े रहे हैं । किसानों के साथ खड़े रहे हैं उनके दुख और दर्द में उनके साथ रहे हैं उसी का परिणाम है कि 2003 के बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्यप्रदेश में बनी है लगभग 4 हजार करोड़ रुपये किसानों को अनुदान के रुप में बांटे गये हैं. यह मध्यप्रदेश ही नहीं देश के इतिहास में देखने को नहीं मिलता है. पिछले साल ही लगभग 2200 करोड़ रुपये बांटे गये हैं यह कोई छोटी-मोटी घटना नहीं है और यह कह रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है. मध्यप्रदेश सरकार के पिछले साल लगभग 12345 करोड़ रुपये किसानों या खेती पर व्यय हुए हैं. यदि हम विभागवार देखें तो राजस्व विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदा में फसल नुकसान पर मुआवजा के रुप में लगभग 3048 करोड़ रुपये प्रदाय किये गये. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा धान, मक्का, गेहूं आदि पर बोनस के रुप में लगभग 1327 करोड़ रुपये दिये गये हैं. किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत लगभग 2504 करोड़ रुपये किसानों को दिये गये इसी विभाग द्वारा

हितग्राहीमूलक योजनान्तर्गत लगभग 237 करोड़ रुपये का अनुदान मध्यप्रदेश के किसानों को दिया गया है. ऊर्जा विभाग द्वारा लगभग 4667 करोड़ रुपये किसानों को सबसीडी के रुप में प्रदाय किये गये. सहकारिता विभाग द्वारा लगभग 560 करोड़ रुपये मध्यप्रदेश के किसानों को दिये गये. कुल मिलाकर 12345 करोड़ रुपये व्यय किये गये. मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ कि मध्यप्रदेश ही नहीं देश के इतिहास में एक वर्ष में किसानों के हित में इतना पैसा किसी सरकार के द्वारा नहीं दिया गया होगा. इसकी आपको तारीफ करना चाहिये. यह किसानों के साथ खड़ी होने वाली सरकार है उसी का परिणाम है कि लगातार तीन वर्षों से मध्यप्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मिल रहा है.

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की जब सरकार थी यूपीए की सरकार के समय इसकी शुरुवात हुई.

श्री मुकेश नायक—उपाध्यक्ष महोदय, इनके विधान सभा क्षेत्र में एक क्विंटल गेहूं भी नहीं होता है.

श्री विश्वास सारंग—उपाध्यक्ष महोदय, मुकेश नायक जी मेरे बड़े भाई हैं मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि वे अपनी जानकारी थोड़ी ठीक कर लें, ज्यादा नहीं. आज आपका दिन ठीक नहीं है आज आप अनुपूरक और पूरक में ही कनफ्यूज हो गये थे. गोविन्द सिंह जी अभी कह रहे थे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है किसानों पर आपदा हो रही है, मैं उनको ठीक करना चाहता हूँ, आपदा तो हो रही है पर किसानों पर नहीं कांग्रेस पर आपदा हो रही है लगातार आप हर चुनाव हार रहे हैं. मुकेश नायक जी को बताना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में भी 4-5-8 गांव हैं और वहां पर गेहूं की फसल होती है आप कहेंगे तो आपको घुमाने ले चलूंगा.

उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश की सरकार लगातार किसानों के साथ खड़े होकर काम कर रही है और ऐसी आपदा जब होती है तो माननीय शिवराज सिंह जी ने इस बात को स्थापित किया

है कि मध्यप्रदेश की सरकार ने किसानों के हित में काम किया है. यशपाल जी ने आरबीसी के कुछ आंकड़ों की यहां पर बात की.

उपाध्यक्ष महोदय—विश्वास जी आप दो मिनट में समाप्त करें. आपके क्षेत्र में ग्रामीण अंचल भी कम है. आप समाप्त करें. समय का ध्यान रखें.

श्री विश्वास सारंग—आपने बहुत अच्छी बात बोली है परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि यह तो वही बात हो गई कि हम शराब बंदी की बात करें तो लोग हमसे यह पूछें कि क्या तुमने शराब पी है. मुझे नहीं लगता कि इस सदन में इस तरह की बात होना चाहिये कि किसके क्षेत्र में कौन-सा क्षेत्र है और कौन-सा क्षेत्र नहीं हैं. मुझे पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिये विधान सभा में भेजा गया है, यदि मुझे नहीं बोलना है तो मैं नहीं बोलूंगा. यदि किसी सदस्य को इस आधार पर समय दिया जाये कि किसके क्षेत्र में कौन-सा वर्ग रहता है तो मुझे लगता है कि यह तो ठीक नहीं रहेगा. मेरी मुकेश भाई की बात पर भी आपत्ति है मुझे लगता है इस तरह की बात...

उपाध्यक्ष महोदय-- सारंग जी, यह आपत्तिजनक है, इस तरह से आपका बयान उचित नहीं है, यह आपत्तिजनक है और हास-परिहास इस सदन में चलता है या तो आगे से आप भी करना बंद कर दीजिए.

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे)-- उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह यह है कि कार्यमंत्रणा में भी तय हुआ था कि सदस्यों को स्वतंत्रता से बोलने दिया जाए, तो यह एक जन पीड़ा का विषय है, समूचे मध्यप्रदेश में फैला है, दल से बाहर फैला है. आम आदमी परेशान है इसलिए सदस्यों को उसमें बोलने के लिए थोड़ी लिबर्टी दें, यह मेरी आप से प्रार्थना है.

उपाध्यक्ष महोदय-- आप अपनी भावनाएँ, विश्वास जी के भाषण से जोड़कर कह रहे हैं कि यह जनरल है आपकी बात.

श्री विश्वास सारंग-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा हमारे यशपाल भाई ने आर बी सी में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सकारात्मक परिवर्तन किए, जो कि आम जन और

किसानों के हित की बात थी उसके कुछ उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए. अध्यक्ष महोदय, कुछ आँकड़े मैं भी देना चाहता हूँ. उन्होंने, पशु की जो क्षति होती है उससे संबंधित है. मैं फसलों की बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ. 1992 में दो हैक्टेयर तक की 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की क्षति पर जो आर बी सी में मुआवजे का निर्धारण था वह पाँच सौ रुपये प्रति हैक्टेयर था और 2013 में यह बढ़कर पाँच हजार रुपये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है. सिंचित में उस समय मुआवजे का कोई प्रावधान ही नहीं था. यदि लॉस हो जाए तो कोई प्रावधान नहीं था पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौ हजार रुपये प्रति हैक्टेयर उसका प्रावधान किया है. इसी तरह 50 प्रतिशत से अधिक यदि लॉस हो जाए तो असिंचित जो पहले रकबा होता था उसमें केवल एक हजार रुपये प्रति हैक्टेयर के मुआवजे का प्रावधान था. आज बढ़कर मुकेश भाई आठ हजार रुपये प्रति हैक्टेयर हो गया है, यह किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने. उपाध्यक्ष महोदय, सिंचित यदि 50 प्रतिशत से....

श्री मुकेश नायक-- सब बातें तो हम आपकी मानने को तैयार हैं. आप से निवेदन है कि कौन कौनसी फसलें रबी में बोई गई और किन किन फसलों को नुकसान हुआ. कृपया सदन में उनका नाम बता दें.

श्री विश्वास सारंग-- माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे मुकेश भाई मेरी परीक्षा ले रहे हैं पर मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ कि आप रेडक्रॉस के अध्यक्ष बने हैं, आप यह बता दें कि स्वाइन फ्लू में कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं.

श्री मुकेश नायक-- एन एच वन और टेमीफ्लू.

श्री विश्वास सारंग-- एच में कौन कौन से लगाए जाते हैं. यह बता दो मुकेश भाई. उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है.

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री लाल सिंह आर्य)-- विश्वास जी, आपने ऐसा छक्का लगाया है कि वह बाउंड्री के बाहर गया.

श्री मनोज पटेल-- मुकेश भाई, यह तो आपने दूसरी बीमारी का इलाज बता दिया. जो लाइलाज बीमारी है उसके इंजेक्शन आपने यहाँ बता दिए.

श्री विश्वास सारंग-- उपाध्यक्ष महोदय, चूँकि गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि...

उपाध्यक्ष महोदय-- अब आप समाप्त करें.

श्री विश्वास सारंग-- उपाध्यक्ष जी, आपका जो आदेश होगा वह मुझे मानना ही पड़ेगा पर मेरा ऐसा मानना है कि केवल पिछले दस सालों की बात ही नहीं अभी भी इस बार यदि अतिवृष्टि हुई है, असमय पर वर्षा हुई है, तो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कदम उठाए हैं उसकी सराहना इस सदन में पूरी तरह से होनी चाहिए. यह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें बात करनी चाहिए. चाहे किसान किसी भी क्षेत्र का हो उसके प्रति संवेदना प्रतिपक्ष की भी होना चाहिए और सरकार की भी होना चाहिए इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको मिल कर इस प्राकृतिक आपदा में सरकार के जो कदम हैं उसका साथ देना चाहिए.

उपाध्यक्ष महोदय-- अब आप समाप्त करें.

श्री विश्वास सारंग-- एक मिनट.

उपाध्यक्ष महोदय-- नहीं, नहीं, समाप्त करें. एक एक मिनट करके आप बहुत समय ले चुके हैं.

श्री विश्वास सारंग-- उपाध्यक्ष महोदय, हम सबको साथ देना चाहिए और काँग्रेस के विधायकों को मैं कहना चाहता हूँ कि जो मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है....

उपाध्यक्ष महोदय-- अब आप एक शेर-शायरी सुना दीजिए. उसके साथ समाप्त करिए.

श्री विश्वास सारंग-- उपाध्यक्ष महोदय, जो निर्धारण किया गया है, वह ठीक ढंग से किसानों में बँट जाए इसकी जिम्मेदारी हम सबको लेनी चाहिए. मैं कैलाश चावला जी का....

श्री मुकेश नायक-- यही तो पूछ रहे हैं कौनसी फसलों के लिए निर्धारित किया गया है.

श्री विश्वास सारंग-- उपाध्यक्ष महोदय, मैं कैलाश चावला जी का यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ और मुझे लगता है सदन के सभी सदस्यों को इस बात का अनुसरण करना चाहिए कि उन्होंने अपने क्षेत्र में एक "विधायक हेल्प लाइन" शुरू की है और उस "विधायक हेल्प लाइन" के माध्यम से वह मुआवजे की पूरी की पूरी समीक्षा कर रहे हैं. बाला भाई, उपाध्यक्ष जी ने मुझसे कहा है कि एक शेर पढ़ दो तो पढ़ ही देता हूँ--

हम भँवर में, किनारे बनाया करें, तुम किनारों से तूफां उठाते रहो.

हम चरागों को खूं देकर रोशन करें, तुम अँधेरों की हिम्मत बढ़ाते रहो.

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री बाला बच्चन(राजपुर)--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण ओले गिरे हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा ओलावृष्टि हुई है और रबी से संबंधित जो फसलें थीं उनमें काफी नुकसान हुआ है और इस पर आपने जो चर्चा कराई है इसके लिए मैं मेरी तरफ से और हमारे दल के सभी सदस्यों की तरफ से भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं. मुख्यमंत्री जी को और उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि सरकार अभी भी घड़ियाली आंसू बहा रही है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी का बयान है कि उनके द्वारा कर्ज वसूली स्थगित कर दी गई है लेकिन हम प्रदेश के एकदम अंतिम कोने से आते हैं,प्रदेश के अंतिम पंक्ति के गांव से, इलाकों से , क्षेत्रों से आते हैं और कहीं पर भी इस तरह के लिखित आदेश या निर्देश नहीं मिले हैं. सहकारिता विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का कहना है कि हमारे पास ऐसे कोई लिखित आदेश नहीं मिले हैं जिससे कि कर्ज की वसूली स्थगित कर दी जावे, बहुत धड़ाके-से वसूली हो रही है और इसके कारण किसान बहुत परेशान हो रहे हैं . माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि पिछले समय में जो फसलों की बरबादी हुई है उसका मुआवजा तक हमारे यहाँ निमाड़ में किसानों को नहीं मिला है. कम से कम सरकार जो पिछले समय की ओलावृष्टि और अतिवृष्टि हुई है उससे फसलों का जो नुकसान हुआ था ,उसका मुआवजा इस समय करा दें तो मैं समझता हूं कि बेहतर होगा और सरकारी तंत्र भी अभी तक खेतों में नहीं पहुंचा है . सरकारी तंत्र या तो अपने दफ्तरों से या घरों में बैठकर किसानों की फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआयना कर रहे हैं .

समय 3.28 बजे. (सभापति महोदय (श्री मानवेन्द्र सिंह) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम संबंधित जिले के कलेक्टर अपने सरकारी तंत्र को खेतों तक पहुंचाने का बराबरी से काम करे जिससे फसलों का सही सर्वे हो सके और उसके बाद उनको मुआवजा मिल सके. माननीय सभापति महोदय,यहाँ तक कि कल से जो गेहूं की खरीदी होना है, खरीदी केंद्रों पर सहकारिता विभाग के कर्मचारी अभी से तैनात कर दिये गये हैं कि किस तरह से किसानों से कर्ज की वसूली की जाये. माननीय मंत्री जी यह जो चर्चा हो रही है तो किसी न किसी रूप में आपको कृपा करके किसानों को फायदा पहुंचाना होगा . किसान इस बार इस रूप में भी टूट चुका है कि अभी न तो उनको बिजली मिल रही है और दूसरी बात कृषि के जितने भी उत्पादन है, उसके जो रेट्स मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहे हैं. जैसे हमारे यहाँ निमाड़ में तो मिर्ची पूरी खत्म हो चुकी है , कपास रुपये में चार आना ही पका है . मतलब 25 प्रतिशत क्राप ही कॉटन की आई है लेकिन उसके जो रेट्स हैं वह साढ़े 3 हजार से 4 हजार रुपये तक सीमित रह गये हैं. जिस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस समय 6 से 8 हजार प्रति क्विंटल तक कपास के रेट्स थे.इसी प्रकार सोयाबीन के भी भाव कम हो गये हैं , गेहूं और मक्के के भी भाव कम हो गये हैं . कृषि उत्पादन जितने भी हैं, उनके रेट्स कम हुए हैं उससे किसान काफी मायूस हुआ है और टूटा है और कृषि के प्रति उनका मोहभंग हुआ है. माननीय सभापति महोदय, बात यही समाप्त नहीं होती है, हम लोगों ने खेतों में जाकर इस बात को देखा है कि खेतों में तंत्र पहुंचा नहीं और उन्होंने घर में बैठकर सारे आंकड़े भरे हैं . आदरणीय कालूखेड़ा जी ने इस बात को यहाँ पर कहा था कि भई, आप हमें इतना पैसा देंगे तो हम आपकी मुआवजा राशि इतनी सेंक्शन कराएंगे. माननीय सभापति महोदय, यह जो सारा सिस्टम होने लग गया है, चलने लग गया है , बिजली के बिलों की इतनी वसूली होने लगी है और यह आंधी,तूफान और इस ओलावृष्टि में माननीय ऊर्जा मंत्री जी आप भी मेरी बात यहां सुन रहे हैं. फीडर सेपरेशन का आपने जो काम कराया था. पिछली बार मैंने प्रश्न के दौरान भी यह बात रखी

थी कि खम्भे गिर रहे हैं, तार टूट रहे हैं. बिजली के बिलों की वसूली इतनी बड़ी हो रही है कि किसानों को बिजली के बिल चुकाने के लिए छिपना पड़ रहा है तो माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि एक तो कर्ज वसूली स्थगित की जाए. बिजली के जो बड़े बड़े बिल हैं उसको स्थगित किया जाए. दूसरी चीज जो कृषि उत्पादन के रेट्स हैं वह काफी कम हो चुके हैं, वह रेट्स बढ़ना चाहिए और चौथी चीज जब केन्द्र में हमारी सरकार हुआ करती थी तो छोटी छोटी बात में माननीय मुख्यमंत्री जी धरने पर बैठ जाया करते थे और केन्द्र सरकार को कोसते थे लेकिन मुझे अभी याद है, जो समर्थन मूल्य वाली फसलें हैं जिन पर सरकार ने बोनस समाप्त कर दिया है, उस पर मुख्यमंत्री जी, आपका एक भी बयान, एक भी शब्द नहीं आया है. मक्का पर, गेहूं पर 150 रुपये जो प्रति क्विंटल बोनस दिया जाता था वह बंद कर दिया गया है. सरकार ऐसा क्यों कर रही है. मेरा आपसे यह आग्रह है कि बिजली की और कर्ज की वसूलियां स्थगित करें. हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो नवनिर्माण और इन्फ्रास्ट्रक्टर के जो विकास कार्य हुआ करते थे वह सब भी दो साल से बंद पड़े हैं. कहीं भी राशि नहीं आ रही है तो किसानों को बाहर जाना पड़ रहा है. मजदूरों को मजदूरी करने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य प्रांतों में जाना पड़ रहा है तो किसानों में बहुत नाराजगी है. किसान मायूस हैं, किसान टूट चुके हैं और रही बात आपके मुआवजे के वितरण का जो सिस्टम होना चाहिए वह प्राकृतिक आपदा प्रबंधन का वह आपका सिस्टम भी पूरी तरह से फेल हो चुका है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप कम से कम अपने तंत्र को खेतों तक पहुंचाये और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपायी के लिए तंत्र को लगायें और किसान जो निराश और मायूस हो रहे हैं उसको आप रोकें और मजदूरी के लिए जो लोग बाहर पलायन कर रहे हैं उसको भी आप रोकें तो मैं समझता हूँ कि आज की यह चर्चा सार्थक होगी, जिसकी बेहद आवश्यकता है. प्रदेश में खेती और किसानी को लेकर किसानों का मोह भंग हो रहा है. माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे जो समय दिया, धन्यवाद.

श्री रजनीश हरवंश सिंह(केवलारी)-- माननीय सभापति महोदय, पिछले दिनों प्रदेश में प्राकृतिक आपदा और विपदा आयी जिसमें पूरे प्रदेश के अधिकांश जिलों में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि आंधी,तूफान और तेज हवा से इस प्रदेश के अन्नदाता किसान भाइयों की फसलों का नुकसान हुआ. मेरे सिवनी जिले में भी केवलारी विधानसभा क्षेत्र में, लखनादौन विधानसभा क्षेत्र में, बरघाट विधानसभा क्षेत्र में और सिवनी विधानसभा क्षेत्र में इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा और विपदा आयी और लगभग 275 गांवों की फसलों का नुकसाल हो गया. नुकसान कोई कम नहीं था. नुकसान इतना अत्यधिक हुआ कि हम मवेशियों के लिए चारे की भी व्यवस्था करने लायक नहीं हैं. इतनी बुरी आपदा और विपदा हमारे जिले में आयी. हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वहां पर पहुंचे, प्रभारी मंत्री जी वहां पर पहुंचे. हम लोगों ने संयुक्त दौरा किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपनी आंखों से हमारे इलाके का हाल देखा और हमने उन्हें खेत-खेत घुमाया और चाहे वह चना की फसल रही हो, चाहे मसूर की फसल रही हो, चाहे गेहूं की फसल रही हो, चाहे तेवड़ा की फसल रही हो, सब का बारीकी से हमने मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में उनको खेतोंखेत ले जाकर अवगत कराया. मुझे आज इस बात का दुख है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सब के लिए मुख्यमंत्री हैं. सब उनसे अपनी व्यथा कह सकता है, सब उनसे अपना दुखड़ा बयां कर सकते हैं. हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री जी के साथ दौरा किये और अपना फोटो प्रेस मीडिया में भिजवाये. अगर जिले में, इलाके में प्रदेश का मुखिया और प्रदेश का मुख्यमंत्री आपदा और विपदा की घड़ी में क्षेत्र में आता है तो आप बताइये कि क्या हम लोगों की ड्यूटी नहीं बनती कि हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ दौरा करें. हमें क्षेत्र की जनता ने बड़े विश्वास के साथ चुनकर अपनी बात रखने के लिए हमें मध्यप्रदेश के इस लघु लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में भेज रहा है और जब स्वयं मुख्यमंत्री जी हमारे इलाके में किसानों की पीड़ा जानने के लिए आते हैं तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम मुख्यमंत्री जी के कंधे से कंधा लगाकर एक-एक खेत उनको घुमाएं और उनको दिखाएं कि हमारे क्षेत्र की दुर्दशा कैसी है ? मुझे आज बहुत पीड़ा हुई.

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे उस मंच से घोषणा की कि जो आपदा-विपदा में हैं, जिनके गेहूँ, चने की फसल नष्ट हुई है, उनको रु. 15000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा. ऊँट के मुंह में जीरा की कहावत तो सुनी थी, पर यह तो उससे भी कम राई और सरसों के दाने के बराबर भी नहीं है. माननीय सभापति महोदय, एक एकड़ में लागत लगभग रु. 18000 से रु. 20000 की आती है और उत्पादन एक एकड़ में 25 क्विंटल का होता है. लगभग रु. 33000 का उत्पादन होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रभारी मंत्री ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि हम भूंसा को भी समेटने की स्थिति में नहीं हैं. आने वाले समय में मवेशियों को चारे और भूंसे की भी दिक्कत जाएगी. मेरा आपके माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाए. माननीय सभापति महोदय, उसके बाद बकरी का मूल्य रु. 950 तय किया गया, जबकि रु. 4000 से रु. 4500 से कम किसी बकरी की कीमत नहीं है. मुर्गी की कीमत रु. 40 आंकी गई, जबकि रु. 15 में तो अंडा आ रहा है तो हम मुर्गी की कीमत कैसे आंक रहे हैं. माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें भी सुधार करें. गाय, भैंस का मुआवजा रु. 16500, जबकि भैंस रु. 50000 से रु. 60000 की आ रही है. गाय रु. 30000 से रु. 40000 की आ रही है, मुआवजे की राशि केवल रु. 16500 में क्या होगा. मेरा निवेदन है कि इन सबकी राशि बढ़ाई जाए और अतिवृष्टि से गेहूँ का कलर फेड हो गया है, गेहूँ का रंग बदल गया है. तूफान आने से फसल आड़ी हो गई है, जिसमें कि दाना परिपक्व पका नहीं है. जब अभी खरीदी होगी तो उस पर अधिकारी कहेंगे कि छन्ना लगाओ, डिस्कलर हो गया है. मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि यदि कलर फेड गेहूँ भी आता है तो उसकी खरीदी सभी केन्द्रों में की जाए. माननीय सभापति महोदय, सब्जी के लिए, चाहे धनिया हो, चाहे तरबूज हो, चाहे खरबूज हो, मेरे इलाके में एशिया का मिट्टी का बांध जो कहलाता है संजय सरोवर, भीमगढ़ जलाशय स्थित है, इसके डूब क्षेत्र में तरबूज और खरबूज की फसल बहुत ज्यादा की जाती है. रु. 2 लाख किलो का तरबूज का बीज किसान वहां पर लगाता है और करोड़ों रुपए का तरबूज हमारे छपारा, भीमगढ़

क्षेत्र से डूब क्षेत्र से इस प्रदेश में और देश में बिकता है. माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरी सरकार से प्रार्थना है कि डूब क्षेत्र में जो तरबूज, खरबूज और सब्जियों की फसल का नुकसान हुआ है, वहां पर पूरी की पूरी फसल चौपट हो गई है, उसका भी मुआवजा ज्यादा से ज्यादा दिलाएं. माननीय सभापति महोदय, एक तरफ इस प्रदेश के अन्नदाता किसानों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पूरे भारत में कृषि कर्मण का पुरस्कार दिलाया हो, जहां इस प्रदेश के अन्नदाता ने प्रदेश के मुखिया का इतना सम्मान और गौरव पूरे भारत देश में कराया हो, उस प्रदेश के अन्नदाता किसान के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि दिल खोलकर मध्यप्रदेश सरकार के खजाने को लुटाकर इस देश के अन्नदाता किसानों की सहायता करें. माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में, मेरे जिले में लाख की भी खेती होती है. मुख्यत: मेरे क्षेत्र में बरघाट में, उगली में, सिवनी में, बालाघाट में, कटंगी में, लालबर्रा में लाख की खेती होती है. केन्द्र सरकार ने कुसमी लाख, जो कोसम में होती है, रु. 320 प्रति किलो का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है और पलाश और बेर में जो रंगीली लाख होती है, उसका रु. 230 किलो का निर्धारण किया है पर अभी तक मध्यप्रदेश में लाख के खरीदी केन्द्र कहीं नहीं खुले हैं. मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि इन केन्द्रों का निर्धारण हो और इन पर लाख खरीदी करने की शुरुआत हो. माननीय सभापति जी, आज मुझे सदन में बड़ी अजीबो-गरीब स्थिति देखने को मिली जब हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय दिग्विजय सिंह जी इस सदन में आये तो सत्तापक्ष पर ओले गिर गये,कई ने तो अपना मानसिक संतुलन खो दिया. कई हा हा कार करने लगे. सभापति महोदय, मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्या हो गया,पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ऐसा क्या लेकर आ गये कि जो अपने पिटारे से खोलने वाले थे और सत्ता पक्ष डगमगा गया. और सदन में उनके ऊपर ओले गिर गये. सभापति महोदय,आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिये धन्यवाद.

सभापति महोदय- काफी सदस्य बाकी हैं इसलिए आप लोग दो दो मिनट में अपना वक्तव्य देने का कष्ट करें.

डॉ.मोहन यादव (उज्जैन दक्षिण)- माननीय सभापति महोदय, थोड़ा सा मैं इस वीडियो कान्फरेंसिंग की व्यवस्था की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इसमें जब भी मैं बोलता हूं तो मेरा नाम तो आता है लेकिन चित्र आता ही नहीं.

सभापति महोदय-- यह बाद में बताईयेगा,अभी विषय पर बात करें.

डॉ.मोहन यादव- माननीय सभापति महोदय, असामयिक वर्षा,ओलावृष्टि से उज्जैन सहित लगभग 8 संभागों के 32 जिलों की रबी की फसलें प्रभावित हुई हैं. जिसमें ओलावृष्टि से लगभग 4 लाख खातेदार प्रभावित हुए हैं. 25 से 50 प्रतिशत क्षति वाले 3 लाख कृषक प्रभावित हुए हैं , 50 प्रतिशत से अधिक क्षति वाले एक लाख कृषक प्रभावित हुए, ओलावृष्टि से 25 से 50 प्रतिशत खेती का रकबा लगभग 4.50 लाख हेक्टेयर ,इसी प्रकार से 50 प्रतिशत से अधिक क्षति वाला रकबा लगभग डेढ़ लाख हेक्टेयर के आसपास क्षतिग्रस्त हुआ है. मैं इस आँकड़े के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा ,पहली बार ऐसा नहीं हुआ लेकिन जब जब भी ऐसी कोई भी ईश्वरीय आपदा,प्राकृतिक आपदा हुई है तब तब मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले आगे बढ़ करके हर उस क्षेत्र में जहां कोई घटना घटती है दुखियों के आंसु पोछने का, प्रभावित लोगों से मिलने का, सतत अपने स्वयं से अभियान प्रारंभ कर देते हैं और ऐसी ऐसी घोषणा और ऐसे ऐसे काम होते हैं जिसके माध्यम से वास्तव में जो समाज के अंदर प्रदेश के मुखिया का जो रोल होना चाहिए वह रोल सामने आता है. मैं 18 मार्च से, जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने अपना दौरा प्रारंभ किया,सबसे पहले उज्जैन संभाग के ,उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील में उसके बाद नीमच,मन्दसौर जो हमारे अपने आंकड़े से भी देखा जाय तो उज्जैन संभाग के 7 जिलों में से 4 जिले जो सर्वाधिक प्रभावित थे ,तुरन्त मुख्यमंत्री जी उनमें पहुंचे हैं . इतना ही नहीं, जिस प्रकार से उन्होंने निर्णय किये हैं , मैं यह नवभारत 29-10-2014 का पढ़ना चाह रहा हूं.

सभापति महोदय-- सुनिये एक मिनट मोहन यादवजी, आप अखबार की न्यूज न पढ़ें ,आप अपना वक्तव्य दीजिए.

डॉ.मोहन यादव- जी, सभापति जी, मैं बताना चाह रहा हूं चूंकि तुलनात्मक रूप से बात आयी थी ,मेरे मित्रों ने पूर्व में जो टिप्पणी की थी ,उन्होंने कहा था कि प्रभावितों को जो राशि मिली है ,उस राशि की अगर बात की जाय तो इसी वर्ष ओलावृष्टि से 27 जनहानि, 163 पशुहानि. 5618 मकानों को जो क्षति हुई है , यहां तक कि सर्वे होने के बाद में जिस प्रकार से लगातार कार्यवाही हो रही है, पूरा सर्वे आना बाकी है. लेकिन जिस ढंग से निर्णय किये जा रहे हैं , जिसका कोई भी नुकसान हुआ है ऐसा एक भी व्यक्ति सहायता राशि से बचने वाला नहीं है. जिस प्रकार से काम हो रहे हैं ,वास्तव में सर्वे टीम के बाद जो रिपोर्ट आने वाली है जो हमारे अपने पुराने आंकड़े बता रहे हैं कि चार हजार करोड़ की जो पिछली बार मुआवजा राशि बांटी गयी है , मेरे अपने उज्जैन विधान सभा में लगभग 17 करोड़ की रबी फसलों की पिछले बार की, एक विधान सभा में 17 करोड़ रूपया बांटना,वास्तव में मध्यप्रदेश में एक नया उदाहरण था. हम कभी सोच नहीं सकते थे कि छोटे छोटे गांव में जहां 100 मकान हैं वहां 40-40 लाख का मुआवजा बांटा जाय. तो वास्तव में जिस प्रकार से मुखिया का सहृदय होना चाहिए, फसलों के अंदर यद्यपि हम जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा है यह किसी के बस की बात नहीं है ,लेकिन ऐसी आपदा में जब वर्तमान का माहोल बनता है और किसी कारण से भी ऐसी हताशा आती है तो ऐसी हताशा निराशा के दौर में सरकार अगर कदम से कदम मिलाकर साथ में खड़ी होती दिखाई देती है तो निश्चित रूप से हमारे सबके लिए गौरव की बात होती है. हम सब लगातार महसूस कर रहे हैं कि तीन साल से असामयिक वर्षा हो रही है. लेकिन असामयिक वर्षा होने के बावजूद भी जिस प्रकार का माहौल बना है और हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस बात का प्रयास किया है कि होने वाली आपदा से जिस प्रकार से प्रबंधन किये जाये, उनके प्रभावितों के तो आसूं पोंछे ही जाये. लेकिन हमारी जो अपनी प्रगति है, जो कृषि कर्मण पुरस्कार के माध्यम से लगातार साबित हो रही

है. हम इस बात की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहेंगे कि यद्यपि हमारे कांग्रेस के मित्र सिवाय आरोप लगाने के कुछ करते नहीं हैं. लेकिन आरोप लगाना अपनी जगह है, उनका अपना धर्म हो सकता है. परन्तु अच्छे काम में, सच्चे काम में, नेक काम में उनका साथ भी चाहिए. जिस प्रकार की भावना बनी है, कोई कांग्रेस का सदस्य इस बात की टिप्पणी करता है कि भैया, आप 10 हजार रुपए नहीं, 50 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर कर दो तो आपकी सरकार 50 साल तक थी, आप क्या कर रहे थे? उस समय मुआवजा क्या स्थिति में था? आप झुग्गी-झोपड़ी से वोट लेने की तो बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार के समय किसी झुग्गी-झोपड़ी के किसी व्यक्ति को एक रुपया मुआवजा नहीं देते थे. हमारी सरकार ने ढाई हजार रुपए मुआवजा प्रत्येक झुग्गी-झोपड़ी को देने का प्रयास किया है. सभापति महोदय, बोलने के लिए बहुत कुछ है. लेकिन जिस प्रकार से काम हुए हैं, जिस प्रकार से चिंता की गई है, मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान के ऐसे माहौल में जब हमको कांग्रेस, बीजेपी से ऊपर उठकर किसानों के आसूं पोंछने की तरफ बढ़ना चाहिए. हम सब मिलकर इस दिशा में बढेंगे. निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रत्येक प्रभावित को जो वास्तव में दुखी-दर्दी है, वास्तव में जो पीड़ित है उसको मुआवजा दिलाकर उसकी हौंसला अफजाई करते हुए अगले जीवन की तरफ खासकर अगली फसल के लिए मानसिक रूप से तैयार करेंगे. बहुत-बहुत धन्यवाद, भारत माता की जाय!

श्री मुकेश नायक - सभापति जी, मेरा नाम बोलने वालों की सूची में पहले नम्बर पर था, शायद कोई त्रुटि हो गई, अब आप कह रहे हैं कि एक-एक मिनट बोलो तो एक-एक मिनट में क्या बोलेंगे?

सभापति महोदय - नहीं-नहीं. दो-दो मिनट. बहुत लम्बी सूची है.

श्री मुकेश नायक - पूरी रातभर विधान सभा चलेगी, मैं बता दूं और दो दिन तक विधान सभा चलेगी. कांग्रेस का एक भी एमएलए विधान सभा से बाहर नहीं जाएगा 48 घंटे तक. आप न्याय करें.

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे) - सभापति जी, इसमें जल्दबाजी न करें. उस समिति में मुख्यमंत्री जी थे, बैठक में बात हुई थी, मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं कि इस पर विस्तार से चर्चा हो, सदस्यों को अपने पूरे विचार रखने दें. यह प्रार्थना है.

सभापति महोदय - ज्यादा से ज्यादा विचार सामने आ रहे हैं.

श्री सत्यदेव कटारे - पूरा सदन अगर बोलेगा तो बोलने दो. सदन है किसलिए?

सभापति महोदय - किसी को मना नहीं है. समय की बात है.

श्री सत्यदेव कटारे - उन्हें अपनी बात रखने दो. मैं दो-तीन सदस्यों को देख चुका कि उनको टोक कर बैठा दिया जाता है.

सभापति महोदय - नहीं-नहीं. सात-सात मिनट हो रहे हैं. श्री शैलेन्द्र पटेल..

श्री शैलेन्द्र पटेल (इछावर) - सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम विधान सभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे नेताप्रतिपक्ष ने जब सदन में कृषि के विषय पर किसानों की पीड़ा पर बात रखने के लिए लिखा तो उन्होंने हम सभी को यह मौका दिया , इसलिए मैं विधान सभा अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं. चर्चा अभी हो रही थी, बहुत से सत्तापक्ष के विधायक अपने संबोधन में राजनीति और कांग्रेस की बात कर रहे थे. आज वह समय नहीं है कि जब हम राजनीति की बात करें. आज वह समय है जब हम किसानों की चिंता करें और उनकी चिंता कर शायद उनके कुछ आसूं पोंछ सकें तो इस सदन की कार्यवाही का कोई मतलब निकलेगा. अभी बहुत से सत्तापक्ष के सदस्य कह रहे हैं कि मुआवजे की राशि बढ़ी है. निश्चित रूप से जो मुआवजे की राशि है वह बढ़ी है लेकिन उसके साथ-साथ कृषि की लागत भी बढ़ी है. जो लागत पहले हुआ करती थी, उससे कई गुना ज्यादा लागत कृषि उपज में बढ़ चुकी है. इसलिए कहीं मुआवजे की राशि थोड़ी बढ़ी है तो वह नाकाफी है. मैं तो यह बात कहना चाहता हूं कि जो बातें यहां सुनने में आ रही है तो उस पर एक शेर याद आता है कि -

'तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है,

मगर यह दावे झूठे हैं, बातें बेमानी है.'

क्योंकि बातें जो यहां पर कही जाती है, जमीनी हकीकत उससे बहुत उलट है. मध्यप्रदेश किसानों का प्रदेश है, किसान हमारा अन्नदाता है और किसान किस कठिनाइयों से अपना जीवन-यापन कर रहा है, किस तंगी से अपना जीवन-यापन कर रहा है हम सभी इस बात को भली-भांति जानते हैं. पिछले 3 वर्षों में लगातार प्राकृतिक आपदा आने से किसानों के ऊपर कहर टूटा है और किसानों की स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है. पिछले 2 वर्षों में लगभग 2280 किसानों ने आत्महत्या की है. लगभग 3 से 4 किसान रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं. किसानों की मौत पर एक लाख रुपए की सहायता राशि देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना प्रारंभ की है. लेकिन उसकी जो हकीकत है, उसके अनुरूप 3.66 करोड़ रुपए की सहायता राशि इस योजना के अंतर्गत दी है. जो कि केवल 15 प्रतिशत के लगभग है 19.20 करोड़ रुपए की राशि अभी तक बांटी भी नहीं गई है. प्रदेश सरकार किसानों की आत्महत्या रोकने में अभी तक नाकामयाब रही है. सरकारी रिपोर्ट में यह बता दिया जाता है, कोई किसान आत्महत्या करता है तो उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या गृह कलह के कारण उसने आत्महत्या की है.लेकिन कृषि की हालात पर बात नहीं की जाती है. पिछले दिनों हुई असमय बारिश और ओलावृष्टि से गेहू, चना, मसूर, धनिया, लहसन और प्याज और जो भी फल सब्जी की फसलें हैं सभी पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं. आधे से ज्यादा प्रदेश के जिले इससे प्रभावित हुए हैं. कई जगह पर ओले गिरे हैं जहां पर फसलें पूरी तरह से नष्ट हुई हैं. बहुत से ऐसे जिले हैं लेकिन असमय बारिश के कारण वहां पर भी फसलें खराब हुई हैं अब फसल की कटाई की लागत बढ़ चुकी है. मैं सीहोर जिले की इछावर विधान सभा से आता हूं हमारा जिला शरबती गेहूं के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है इस बरसात के कारण इस शरबती गेहूं की चमक कम हो गई है और जो गेहूं 2500 से 3000 रूपये प्रति क्विंटल मंडी में बिकता है वह शायद अब उस कीमत में नहीं बिकेगा 1500 रूपये के आसपास उसकी कीमत आयेगी. यह नुकसान भी हमारे किसानों को हुआ है इसका भी आंकलन किया जाय. पिछले वर्ष मुआवजे का जो वितरण हुआ

है उसका हमारा अनुभव बहुत खराब रहा है. बहुत सी जगह पर वह मुआवजा आज तक नहीं मिला है. सरकार एक ओर दावा करती है कि वर्ष 2013-14 में 1095 करोड़ और 2014-15 में 1970 करोड़ रूपये का मुआवजा बांटा गया है. फसल बीमा में मात्र 14.20 लाख किसानों को 2187 करोड़ रूपये बांटे हैं. पिछले वर्ष मुआवजे के लिए जो राशि आवंटित की गई थी वह 3175 करोड़ रूपये थी लेकिन मात्र 1970 रूपये बांटे गये हैं जो कि 1205 करोड़ रूपये जो उस वर्ष में बांटा गयाहै वह आवंटन का मात्र 62 प्रतिशत बांटा गया है.

मेरे कुछ सवाल आपके माध्यम से हैं जो ओला पाला गिरा है तो क्या गांव में पंचायतों में किसानों से संबंधित सरकारी अमला पर्याप्त मात्रा में है, जैसे पटवारी तहसीलदार, पंचायत सचिव आदि कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में हैं जो कि इसका आंकलन कर सकें. क्या ओला एवं अतिवृष्टि के बाद में सरकार या मुख्यमंत्री जी ने बिजली के बिल वसूली पर रोक लगाई है. क्या मार्च माह में वसूली के नाम पर कुर्की का काम चल रहा है मेरे पूरे जिले में रोज किसी न किसी गांव में कुर्की चल रही है क्या उस पर रोक लगाई जायेगी. क्या ऋण वसूली पर अभी तक सरकार ने रोक लगाने का निर्णय लिया है. क्या ऋण वसूली के नाम पर कुर्की के नाम पर रोक लगाई है क्योंकि अखबार में तहसीलदार के यहां से रोज विज्ञापन आते हैं कि फलाने बैंक में उतनी कुर्की कर रहे हैं. क्या इस वर्ष में ऋण पर ब्याज माफ किया जायेगा. क्या इस बारे में कोई निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है. क्या इसका फायदा हम सभी को मिलेगा. हम यह चाहते हैं कि जो भी कहा जाय उसको क्रियान्वित किया जाय, कथनी और करनी में फर्क न हो मेरा आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से कुछ सुझाव हैं. मार्च माह के नाम पर जो बिजली विभाग कुर्की कर रहे हैं और बिजली विभाग बिजली के बिल की वसूली कर रहे हैं उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाय ऋण वसूली के नाम पर जो कुर्की की जा रही है उसको भी तत्काल प्रभाव से रोका जाय, ऋण पर ब्याज माफ किया जाय क्योंकि आज किसान की स्थिति नहीं है कि वह उस ऋण पर ब्याज दे पायेगा, गेहूं पर जो बोनस पूर्व की तरह दिया जाता था वह बोनस भी किसानों को मिले सरकारी खरीदी केन्द्रों पर,

अब 8 दिन देर से गेहूं की खरीदी होगी तो यह सुनिश्चित किया जाय कि सभी किसान सरकारी खरीदी केन्द्र पर अपनी फसल को बेच सकें मुआवजा राशि जो है उसकी प्रति पंचायत के ऊपर चस्पा की जाय , आन लाइन किया जाय ताकि सभी लोग उसको देख सकें फसल बीमा का लाभ व्यावहारिक तरीके से किसानों को मिले इस ओर सरकार निर्णय ले.

एक अंत में मेरा सुझाव है कि लगातार हम 3 - 4 वर्ष से देख रहे हैं कि मौसम में परिवर्तन हुआ है जो बारिश है वह फरवरी और मार्च तक चलती है. हमें इसतरह का क्रापिंग पैटर्न अपनाएं इस बारे में भी कृषि और मौसम वैज्ञानिक मिलकर कुछ निर्णय लें ताकि हमारी फसलें लेट आयें और किसान इस प्राकृतिक आपदा से बच सकें. आपने बोलने का मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री जितू पटवारी (राऊ) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम सबको अपनी बात रखने का अवसर दिया. मैं यहां पर मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जिस संजिदगी से, जिस सरलता से, जिस सादगी से जैसे ही पूरे प्रदेश में ओले पाले की बात आयी है उन्होंने दौरे किये हैं और किसानों के दर्द को समझने की कोशिश की है. मैं यहां पर हमारे साथ बैठे हुए सभी माननीय सदस्यो को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बात को पक्ष और विपक्ष की तरफ न देखते हुए , हम सबको इस बात की कोशिश करना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा किसानों को क्या लाभ दे सकते हैं. मैं इस अवसर पर यह घोषणा करना चाहता हूं और आप सबसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को अध्यक्ष जी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसानों की इस आपदा में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आपके साथ है. मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मध्यप्रदेश में पिछले 3 साल से किसानों के साथ प्राकृतिक आपदा से अन्याय हो रहा है. इसमें किसान मर रहा है और इसमें राजनीति हो, इससे मैं नहीं समझता कि यह ठीक होगा और नहीं तो यह पक्ष विपक्ष की बात सही होगी. मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय से मध्यप्रदेश के हालात किसानों को और कृषि को लेकर के जैसे बनते जा रहे हैं. इसमें 6 से 7 किसान रोज आत्महत्या करते हैं. यह मंत्री जी के

प्रश्न के उत्तर का ही मैंने भाग लेकर के इस बात को कहा है. जिस तरीके से बोनस कम हुआ है, उससे भी किसान पीड़ित हुआ है. बोनस छीना गया है, उससे भी किसान पीड़ित हुआ है. किसानों पर बिजली के 1 लाख 30 हजार प्रकरण दर्ज हुए हैं, इससे किसानों के मालों की कुर्कियां होने लगी हैं. मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और इस बात को बड़ी संवेदना से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्रदेश में यूरिया की काला बाजारी हुई और उसमें सरकार की जो प्रक्रिया रही, उसकी जितनी निन्दा की जाय, मैं निन्दा करने के लिये निन्दा नहीं कर रहा हूं, पर व्यवस्था में सुधार करने के लिये हम आगे आयें, इसके लिये आपकी ऐसी आवश्यकता है, क्योंकि 3 साल तो अभी सरकार में आप ही को रहना है. अगली बार जिस तरीके से आप फिर आओगे और तकलीफ फिर किसान पायेंगे, यह एक शोक,खेद का विषय है. इसमें सुधार की आवश्यकता है..

श्री कालूसिंह ठाकुर -- जितू जी, बहुत बहुत धन्यवाद. अगली बार के लिये भी आपने बोल दिया.

श्री जितू पटवारी -- मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि मेरी पूरी बात होने दें. मैं ऐसी कोई बात नहीं करने के लिये खड़ा हुआ हूं, जिसमें कि मैं कांग्रेस का दिखूं और ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जिससे बीजेपी को कहीं न कहीं क्रिटिसाइज होना पड़े. मैं किसान की भावना का, किसान के भाव का, मैं खुद किसान हूं, किसान का लड़का हूं. उसके दर्द को बयां आपके सामने बड़ी संजीदगी से करना चाहता हूं. मैंने जिस तरीके से अमानक बीजों की पिछले समय पिछले 2-3 साल में प्रदेश में एक तरह से व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ, वह आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है. आलू,प्याज,धान,कपास की फसलों के भाव गिर गये. लागत मूल्य बढ़ गया. इसके लिये हम सबको सोचना पड़ेगा, पूरे प्रदेश को सोचना पड़ेगा और देश को भी सोचना पड़ेगा. दलहन,तिलहन,चना, डालर चना इसके भाव घट गये. लागत मूल्य बढ़ गया और उत्पादन मूल्य घट गया. इस पर भी सब दुखी हो रहे हैं. मुख्यमंत्री जी, मेरा अनुरोध यह है कि इस पर भी आप

विचार करें. मुख्यमंत्री जी आपसे मेरी 5-6 मांगे हैं. एक तरह से बातें हैं, जो दर्द किसान का है, उसको संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं. कितनी फसलों का नुकसान अभी तक हुआ, मुआवजा पिछले समय नहीं मिला. जैसे आलू,प्याज, लहसुन, इन फसलों का सर्वे ही नहीं हुआ है. आप रिकार्ड में देख लें. जहां जहां, जिन जिन खेतों में, मंदसौर, नीमच जहां पर आप होकर आये हैं, इन्दौर और पूरा मालवा बेल्ट. जहां आलू के किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला. यह आपके सरकारी आंकड़ों में नहीं है. जैसा ईसबगोल का आपने लास्ट के भाषण में कहा था कि ईसबगोल डायरी में है. जो अपनी डायरी होती है, किसान की उसमें लिखा हुआ नहीं होता है. तो जो ईसबगोल की खेती जिन किसानों की है, उनको मुआवजा कैसे मिले. इसके लिये भी प्रावधान होना चाहिये. उन खेतों को गेहूं के बोनस फिर से चालू कैसे हो, इसमें सरकार फिर से, क्योंकि इस आपदा में अब किसानों को हम जितना लाभ दे सकें, उसकी आवश्यकता है. किसान एक बत्ती कनेक्शन और किसानों को जितने भी कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल माफ होने चाहिये. इस आपदा में किसान अपना पेट नहीं भर पा रहा है और बिजली विभाग का पेट कैसे भरेगा. सब जगह कुर्कियां हो रही हैं. हमारा अनुरोध है कि आप बिजली के बिल तत्काल रुकवायें. किसानों को जितनी जल्दी हो यह राहत देने की कोशिश करेंगे, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी. किसानों को जो ऋण पर ब्याज लग रहा है, उसकी समय सीमा भी बढ़ानी चाहिये और मैं तो आपसे अनुरोध करुंगा कि जिस तरीके से जीरो परसेंट ब्याज की बात होती है. अब ब्याज अगर सहकारी सोसायटियों में किसान भरेगा नहीं, तो अगली बार 15 परसेंट ब्याज लगता है उस पर. तो जब वह रुकेगा, तो उसके लिये भी प्रावधान करना चाहिये. किसानों को ओला,पाला कितने किसानों का कितना सर्वे हुआ. सर्वे का मापदण्ड मैं समझता हूं कि पटवारी हलके से करना चाहिये. पूरे हलके के हलके को जिस तरीके से एक साथ पटवारी के पैसे के लेन देन का काम जिसमें खत्म हो जाय. जिसमें तहसीलदार और नीचे के कर्मचारी सर्वे में नाम लिखने के लिय पैसे लेते हैं और सारे हमारे जितने भी सम्मानित सदस्य हैं, वे भुक्त भोगी भी होंगे. इस पर भी आप

विचार करें. मैं किसानों के बच्चों की स्कूलों की फीस के संबंध में भी आपसे अनुरोध करता हूं कि जो किसान परिवार के बच्चों की फीस कम से कम यह सरकार भरे. जहां जहां भी प्रायवेट स्कूल हैं, क्योंकि किसानों की स्थिति ऐसी नहीं है...

श्री विश्वास सारंग -- सरकारी स्कूलों में फीस नहीं लग रही है. किताबें एवं साइकिले फ्री मिल रही हैं. यह भाजपा की सरकार है. फ्री में है.

श्री जितू पटवारी--विश्वास जी, आप किसान तो हैं नहीं, आप तो भोपाल में रहते हैं (XX). हम लोग बहुत दुखी हैं दादा.

अध्यक्ष महोदय--यह निकाल दीजिये कार्यवाही से.

श्री विश्वास सारंग--जी, जितू भाई, आपको तो कुछ मिला ही नहीं.

श्री जितू पटवारी--मेरा अनुरोध सिर्फ इतना है, दो वाक्यों में आखरी बात कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, पूरा सदन आपके साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, हम आपके साथ देश की सरकार के प्राइम मिनिस्टर से मिलने चलने के लिये तैयार हैं अगर वह केन्द्र से ज्यादा से ज्यादा लाभ मध्यप्रदेश को मिले, इसकी हम आपके साथ पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे और आप उसके लिये धरना देंगे, तो हम कहेंगे कि मध्यप्रदेश से अच्छा मुख्यमंत्री दूसरा नहीं हो सकता कि उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ इस मामे मध्यप्रदेश के किसानों के लिये धरना भी दे दिया और पूरी कांग्रेस आपके साथ रहेगी, अध्यक्ष जी, मैं मुख्यमंत्री जी अगर ऐसा कदम उठायेंगे तो उनसे अच्छे मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं और इस अवसर पर एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि मध्यप्रदेश के कोष में सारे विधायक मिल कर अगर किसानों के लिये निर्णय लेना पड़े तो आप उसके लिये भी अपील करें, मैं जितू पटवारी इसके लिये तैयार हूं कि आज पूरा सदन इसका अनुसरण करे, धन्यवाद.

अध्यक्ष महोदय--श्री दुर्गालाल विजय.

श्री दुर्गालाल विजय (श्योपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, ओला वृष्टि के और अतिवृष्टि के कारण से भयंकर तूफान आने के कारण से पूरे प्रदेश के किसानों पर गंभीर संकट आया है और इस

संकट की घड़ी में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान रात और दिन परिश्रम करके किसानों के साथ रहे और उन्होंने किसानों को विश्वास दिलाया कि प्रदेश का मुख्यमंत्री भले ही फसलें नष्ट हो गईं, लेकिन आपके साथ में मैं खड़ा हूं और प्रदेश के किसानों ने इस बात पर विश्वास भी किया क्योंकि पिछले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसानों के हक में प्रदेश में जो कार्य किये गये, उन कार्यों के कारण से पूरे प्रदेश के किसान माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा करते हैं और अपने शुभचिंतक के रूप में, अपने लिये कोई काम करने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री है, या कोई व्यक्ति है तो उस रूप में अपने संकटमोचक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ देखते हैं. अगर मैं यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों के हक में फैसले और कार्य किये, उनके कारण ना केवल मध्यप्रदेश में बल्कि संपूर्ण हिन्दुस्तान में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी की प्रशन्सा हुई है. माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि समय की कमी है, एक एक बातों का उल्लेख करने से निश्चित रूप से आप मुझे रोकेंगे, लेकिन इतना तो मैं कह ही सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण से किसानों को बिना ब्याज के कर्ज प्राप्त हुआ, उनके कारण से किसानों को बोनस प्राप्त हुआ, मुख्यमंत्री जी के कारण से ही हमारे प्रदेश के अंदर किसानों को बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमारे प्रदेश के अंदरि कि कसानों को बहुत सारा लाभ प्राप्त हुआ और केवल एक वर्ष में विभिन्न सारी योजनाओं के माध्यम से लगभग 13 हजार करोड़ रूपये की राशि किसानों के हक में प्रदेश सरकार ने दी है और प्रदेश की सरकार ने इस राशि को दे कर, चाहे वह सहकारिता के माध्यम से दी गई राशि हो, बोनस के माध्यम से दी गई राशि हो, या अन्यथा अन्य क्षेत्रों में किसानों के लिये कार्य करने की दृष्टि से, उनकी उन्नति करने की दृष्टि से दी गई राशि हो, साढ़े 13 हजार करोड़ रूपया एक वर्ष के अंदर देने वाली मध्यप्रदेश की केवल एक सरकार है और वह माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार है. मेरे क्षेत्र में भी भयंकर ओला पड़ा है और वहां पर अतिवृष्टि के कारण बहुत सारा नुकसान हुआ. जिस समय पर हमारे क्षेत्र के अंदर ओला वृष्टि हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूरभाष

पर बताया कि किसानों से कहें किसी प्रकार की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों का सब बंदोबस्त करेंगे, वह हमारे जिले श्योपुर में पधारे और बघड़वां गांव के अंदर लगभग 10 हजार के के ऊपर उपस्थित किसानों ने जो ओलावृष्टि से पीड़ित थे और दुख से मारे हुए थे और बहुत ही कष्ट और वेदना में थे, लेकिन इसके बाद भी किसानों के हितैषी मुख्यमंत्री श्योपुर जिले में आये लोग वहां पर एकत्रित हुए मैं आपका एवं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मेरे मित्र कह रहे थे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल घोषणाएं करते हैं किसानों का उनके ऊपर विश्वास नहीं है. हमारे श्योपुर जिले के अंदर 10-15 हजार किसानों ने आपकी बात को बड़े ही ध्यान से सुना और भरोसा किया जब आपने उनके लिये घोषणाएं कीं उसके आधार पर श्योपुर जिले के किसानों ने कहा कि मुख्यमंत्री हों शिवराज सिंह जैसा जो हमारा हितैषी है जिन्होंने विपत्ति के समय हमारे लिये उन्होंने घोषणाएं कीं. आपने कन्या विवाह का फैसला कर दिया उसमें आपने 26 हजार रूपये देने का फैसला भी कर दिया है. जो मसाले एवं गेहूं की फसलों के नुकसान पर 15 हजार रूपये देने का फैसला कर दिया है. एक बात रह गई है जो किसानों के बिजली के बिल हैं मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि अप्रैल, 2014 तक के बिल स्थगित करने की हमारी मांग है. आपने समय दिया धन्यवाद.

कुंवर सौरभ सिंह (बहोरीबंद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि विपक्ष जनता की आवाज है. अगर आप विपक्ष को दबाते हैं तो जनता की आवाज को दबाते हैं. मध्यप्रदेश की जनसंख्या 7.26 करोड़ है जिसमें से 3.10 सीधे किसानी करते हैं, 2.90 लोग मजदूरी करते हैं कुल-मिलाकर के 5 करोड़ 19 लाख लगभग 72 प्रतिशत लोग सीधे किसानी से जुड़े हुए हैं. बड़ा ही खेद का विषय है कि मात्र 2 ढाई घंटा 72 प्रतिशत लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय—आप क्षेत्र की बात तो कर लें.

कुंवर सौरभ सिंह—अध्यक्ष महोदय, कटनी जिले में औसत पैदावार प्रति हेक्टेयर 33 क्विंटल मानी गई है और लगभग 40 हजार किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है जिसमें इस बार लगभग 33 से 40 प्रतिशत की कमी आयेगी लोगों के पास उत्पादन कम होगा. दिनांक 1.3.15 से 16.3.15 तक लगभग 34.33 बारिश के कारण अतिवृष्टि हुई है. 15 एवं 16 तारीख को मात्र दो दिन में 24.22 एमएम बारिश हुई है. मात्र 22 घंटे में 24.22 एमएम बारिश हुई है उसके बाद हमारा कटनी का शासकीय अमला यह कह रहा है कि कुल 161 गांवों में नुकसान हुआ है जिसमें गेहूं मात्र 10 प्रतिशत, चना 15 प्रतिशत एवं मसूर भी 15 प्रतिशत उसमें ओला-पाला का आज दिनांक तक उनका जो सर्वे है उसमें भी 12 से 15 प्रतिशत नुकसान का सर्वे है, जबकि मैं व्यक्तिगत तौर पर गया हमारे यहां पर बचईया, सोमा, गाढ़ा, धोतरी, कच्छारखेड़ा, वृन्दावन, मवई, देवरी, चरगवां पूरी एक पट्टी जाती है जहां पर सिर्फ नाम को सर्वे हुआ है वहां पर सर्वे नहीं हुआ है. इसी तरह से रीठी ब्लाक में इमलिया, खुदरी, खमरिया, सैदर रीठी इस पूरे हिस्से में सर्वे नाम को हुआ है, वहां पर कुछ नहीं हुआ है. आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कटनी जिले में जो नुकसान हुआ है 161 गांवों में जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे फिर से कराया जाए. क्योंकि एक पटवारी जिसके पास में 4 हलके हैं उसने मात्र 12 घंटे में रिपोर्ट बना दी है, जबकि चार हलके में अगर हलका के गांव भी छुए तो भी संभव ही नहीं है. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग के डेमों से होने वाली शास्ती राशि को माफ किया जाए. जो बोनस खत्म कर दिया गया है कम से कम जिन जिलों में जो प्रभावित जिले हैं जहां पर फसलों का नुकसान हुआ है वहां पर बोनस दिया जाए. 2013 की कटनी जिले की बोनस की राशि आज दिनांक तक अप्राप्त है इसको दिलवाने का कष्ट किया जाए. बचईया की सोसाइटी का जो धान का पेमेन्ट है इसमें करीब करीब 7 सोसाइटियां ऐसी हैं जिनका धान का पेमेन्ट आज तक नहीं हुआ है किसान को धान बेचे हुए तीन माह का समय हो गया है. हमारे यहां पर खाद भी उपलब्ध नहीं है 290 रूपये की खाद 600 रूपये में ब्लेक में किसान खरीद रहा है. हमारे यहां पर ऋण वसूली को रोका जाए. बिजली के बिलों की

जो कुर्की की जा रही है उस पर विराम लगाया जाये. मैं खुद किसान हूं. मेरी व्यथा है 1940 में मेरे यहां ट्रेक्टर इम्पोर्ट हुआ था. तब जब देश आजाद नहीं हुआ था तब ट्रेक्टर आया था और आज मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा किसान न बने. किसान सरकार का और हर किसी का बंधुआ मजदूर बनकर रह गया है न हमें हमारी फसल का उचित मूल्य मिल रहा है और जब प्राकृतिक आपदा आती है तो हम मल्हम लगाने की बजाय घोषणाएं ज्यादा करते हैं. मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और सारे साथी विधायकों से निवेदन है कि हर किसी के क्षेत्र में किसानों का यह हाल है तो कृपया यह नादिलशाही या अंग्रेजों के समय के कानून पर हम चर्चा नहीं करें हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि किसानों को मुआवजा मिले. एक अभी नया निर्देश आ गया है कि पिछले साल जो किसानों को ओला,पाला में नुकसान हुआ था. एक रुपये किलो उनको खाद्यान्न ही परची द जा रही है. जिन बेटियों की शादी करनी थी वह सब रोक दिये गये हैं. अभी पिछले हफ्ते निर्देश आया हमारे कटनी में तो जो घोषणाएं हम यहीं से कर रहे हैं नीचे के आपके शासकीय कर्मचारी उस पर बिल्कुल अमल नहीं कर रहे हैं. न सर्वे कर रहे हैं. यह तो वैसे ही हुआ कि आप कह रहे हैं कि सब पंचों की राय सर आंखों पर लेकिन नाला यहीं गिरेगा.

श्री सत्यप्रकाश सखवार(एडव्होकेट) (अम्बाह) – माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे मध्यप्रदेश में जिस प्रकार से ओला वृष्टि और अतिवृष्टि के कारण बड़ा नुकसान हुआ है. पूरा किसान आज बरबाद हो गया है और विशेषकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी ओला पड़ा है. काफी नुकसान हुआ है इससे किसान बहुत दुखी है और पिछले समय में भी ओलावृष्टि हुई थी उसका मुआवजा अम्बाह और दिमनी दोनों को नहीं दिया गया. वह इसलिये कि इस राजनीति के कारण क्योंकि हम लोग बहुजन समाज पार्टी से दोनों विधायक बने इसलिये हमें नहीं दिया गया और अभी भी ज्यादा नुकसान हुआ है. हम चाहते हैं कि किसानों को जो तबाही हुई है उसके लिये किसानों के जो कर्ज हैं वह माफ किये जायें. किसानों के जो बिजली के बिल हैं. आए दिन बिजली विभाग उनको परेशान कर रहा है प्रताड़ित कर रहा है उन्हें रोका जाये और किसानों के अभी हाल ही में पंचायत का जो चुनाव हुआ

था तो किसानों की रायफलें बंदूकें थानों में जमा की गई थी वह आज तक नहीं दी गई हैं उस पर भी बिजली का बिल जमा करने को कहा जा रहा है कि तभी रायफलें दी जायंगी जब आप बिजली का बिल जमा करोगे. मेरा यही निवेदन है कि किसानों को मुआवजा मिले और बिजली के बिल, किसानों के ऋण माफ हों और किसानों को राहत मिले. वहां पटवारियों की संख्या कम है. चार-चार मौजे में एक-एक पटवारी है इसलिये सर्वे करने में दिक्कत आ रही है इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां सर्वे कराने के लिये और पटवारियों की संख्या बढ़ाई जाये या और अधिकारी लगाये जाएं ताकि उसका ठीक से मूल्यांकन हो सके. किसानों को उसका फायदा हो. जो लगातार किसान बरबाद हो रहा है इससे किसान का खेती से मोह भंग हो रहा है. यह बात सही है. आपने बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री जयवर्धन सिंह(राघौगढ़) – माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आज नियम- 130 के अंतर्गत बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं. माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी स्थगन प्रस्ताव के द्वारा ओलावृष्टि पर चर्चा हुई थी. इस बार भी नियम-130 के अंतर्गत यह चर्चा हो रही है. पिछले साल भी प्रदेश में ओलावृष्टि से ज्यादा नुकसान हुआ था और अतिवृष्टि से कम नुकसान हुआ था. इस बार भी अनेक जिलों में ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ है मगर मैं मानता हूं कि इस बार ज्यादा नुकसान अतिवृष्टि के कारण हुआ है. पिछले साल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हेलीकाप्टर से अनेक गांव का दौरा किया था । मैं मानता हूं कि प्रत्येक विधायक ने चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो उन्होंने भी अनेक गांवों का दौरा किया था और पिछले साल जब चर्चा हो रही थी तो उस समय सत्ता पक्ष ने कहा था कि हमने यूपीए सरकार पांच हजार करोड़ रूपये की मांग की है ।माननीय मुख्यमंत्री जी ने धरना भी किया था , इस बार अनुपूरक बजट में सिर्फ पांच सौ करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। कुछ दिन पहले दिल्ली के प्रत्येक अखबार में प्रदेश सरकार ने ज्ञापन भी दिया है और मोदी जी को धन्यवाद किया था कि इस बार आप टैक्स कलेक्शन से प्रदेश सरकार को और पैसा दे रहे हैं। प्रदेश सरकार के खाते में और पैसा आने

वाला है, मैं मानता हूं कि इस प्रदेश सरकार को मुआवजे के लिये और राशि रखनी चाहिये थी, इसके साथ साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र राधौगढ़ में भी अधिकतर फसल गेहूं की और धनिया की होती है और पूरे गुना जिले में जो धनिया की फसल है वह पूरे भारत में काफी मशहूर भी है और मैं मानता हूं कि कुंभराज मंडी बहुत फेमस भी है और इस बार धनिया की फसल को बारिश के कारण नुकसान हुआ है पूरी तरह से चौपट हो गयी है। जहां अच्छे धनिया की कीमत एक क्विंटल की पच्चीस से तीस हजार पड़ती है आज यह स्थिति बन गया है कि धनिया करीब प्रति क्विंटल तीन से पांच हजार रूपये में बिक रहा है और मुझे जो खबर मिली है कि हमारे क्षेत्र में जो पटवारी घूम रहा है वह पेंसिल से सर्वे कर रहा है पक्की स्याही से सर्वे नहीं कर रहा है। उसके साथ साथ उसको जो नुकसान प्रति एकड़ लिखना चाहिये वह नुकसान नहीं लिख रहा है, सिर्फ यह लिख रहा है कि किसान वहां क्या उगा रहा है । हमने इसके बारे में एसडीएम और कलेक्टर साहब से भी बात की थी और अभी भी पटवारी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा अभी सदन में नहीं हैं। मगर जब वह अंत में बोलने के उठेंगे तो उनको बोलना चाहिये कि इस बार जब सर्वे हो रहा है तो प्रत्येक गांव में जो नुकसान है वह पटवारी लिखकर किसानों को दे और हर गांव में पंचनामा बनना चाहिये । उसमें किसानों के हस्ताक्षर होना चाहिये इसके साथ साथ हर बार मुख्यमंत्री जी भाषण देते हैं तो कहते हैं ओले किसानों की जमीन पर नहीं उनकी छाती पर गिरे हैं। वह कभी भी किसानों के आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। मगर इस बार जब वह सदन में बोलेंगे तो वह इस बार ऐसी भी घोषणा करें कि जो भी बिजली के बिल की वसूली हो रही है, वह रोकी जाये और जो भी किसानों के बिजली के बिल का बकाया है, वह माफ किया जाये , यही हम निवेदन करते हैं कि जो गेहूं पर समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है वह भी इस बार किसान को मिलना चाहिये, किसानों को एक चीज और मिलना चाहिये , जहां पर बहुत ज्यादा ओले गिरे हैं वहां पर किसानों के घर हैं उसके कबेलू टूट चुके हैं और उनका भी मुआवजा नहीं मिल रहा है। यह

घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिये । आपने बोलने का मौका दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री दिनेश राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि सिवनी जिले में लगातार अतिवृष्टि और ओला वृष्टि का यह चौथा साल है जिसकी वजह से हमारे किसानों की कमर टूट गयी है। मैं सरकार चाहूंगा कि आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सरकार मुआवजा दे रही है, राहत राशि दे रही है या खैरात बांटेगी ,इसका अर्थ क्या है मुआवजे का मतलब तो यह होता है कि जितनी क्षति हुई है उसकी पूरी राशि मिलेगी जब सरकार जमीन लेती है तो उसकी वास्तविक कलेक्टर रेट पर हमें राशि प्रदान की जाती है।मेरा निवेदन है कि जो भी किसान है कि उनको भरपूर मुआवजे की राशि मिले न कि राहत राशि न कोई खैरात । मेरा एक और निवेदन है कि किसानों को किसानी बंद करने के लिये क्या कोई बायलॉज ऐसा कुछ बनाए कि किसानी किसान न कर पाये। और उसका वास्तविक मूल्य उसे मिले क्योंकि सरकार से परेशान किसान, ऊपर वाले से परेशान किसान तो वह जाये कहां. माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी किसानों के हित में ऐसा कुछ कर लें कि किसानी न करना पड़े सब धंधा-पानी करें और सरकार सीधी-सीधी राशि दे नुकसान हो सरकार का फायदा हो सरकार का. जयहिंद.

श्री मधु भगत (परसवाड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, बालाघाट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत परसवाड़ा आता है यहां अति ओलावृष्टि 300 ग्राम के अन्दर हुई है. हमारे यहां पर गेहूं कम और चना ज्यादा होता है, मसूर होता है तुअर दाल ज्यादा होती है. अति ओलावृष्टि होने के कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई है. साथ ही बिजली का संकट तो है ही लेकिन बिजली के बिल का संकट उससे भी बड़ा है. बिजली के बिल की वसूली एक-एक हफ्ते की वार्निंग पर की जा रही है और जानवरों के ऊपर निशान लगा दिया गया है और कहा है कि अगर आपने बिजली का बिल एक हफ्ते के अन्दर नहीं भरा तो आपके यह जानवर जिनको हम चिह्नित कर रहे हैं इनको उठाकर ले जायेंगे. एक तो बिजली मिलती नहीं है और मिलती है तो बड़ा बिल आता है और ओलावृष्टि होती

है, ओलावृष्टि के बाद बिजली के बिल की वसूली यह गरीब किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है. मेरी आपसे विनती है कि मंत्रीजी इस और ध्यान देंगे और किसानों का बिजली का बिल इस बार माफ करेंगे यही प्रार्थना है, धन्यवाद.

श्री गोविन्द सिंह पटेल (गाडरवारा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत दिनों जो अतिवृष्टि और ओलावृष्टि हुई है उससे फसलों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. सरकार संवेदनशील है माननीय मुख्यमंत्रीजी ने 32 जिलों का दौरा किया है और राहत राशि देने की घोषणा भी की है. प्रकृति स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है प्राकृतिक आपदा होती रहती है और युगों से हो रही है लेकिन आज राहत राशि की चर्चा इसलिये हो रही है क्योंकि राहत राशि मिल रही है. अंग्रेजों के जमाने में ऐसे नियम, कानून, कायदे थे जिसमें राहत राशि मिलना असंभव था क्योंकि कहीं इकाई तहसील होती थी, ओला या अतिवृष्टि की इकाई कहीं राजस्व निरीक्षक मंडल होती थी कहीं ब्लाक होती थी कहीं किसी तहसील में प्राकृतिक आपदा एकजाई नहीं आती थी न एक राजस्व निरीक्षक मंडल में आती थी न विकासखंड में आती थी तो कभी भी किसान को राहत राशि मिलती नहीं थी लोग कभी आशा ही नहीं करते थे. लेकिन जब से मध्यप्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सरकार आई है तब से उस इकाई को तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल या ब्लाक छोड़कर और पटवारी हल्का नंबर छोड़कर एक किसान का खेत इकाई बना दिया गया है. यदि एक खेत में भी प्राकृतिक आपदा आती है ओला या बाढ़ कुछ भी तब भी राहत राशि मिलती है. पुरानी आरबीसी 6(4) अंग्रेजों के जमाने का कानून था. तब प्राकृतिक आपदा आती थी तो पटवारी/अधिकारियों से सर्वे का कहा तो वे 200-300 रुपये एकड़ का मुआवजा बना देते थे.

जब से मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सरकार आई है तब से आरबीसी 6(4) में संशोधन हुआ है. इकाइयां भी बदलीं व राहत राशि के मापदंड भी बदले गये. जहां 200-500 रुपये एकड़ राहत मिलती थी आज 18000 रुपये एकड़ तक किसान को नुकसान का मिलता है, पान बरेजा का नुकसान 30000 रुपये एकड़ तक मिलता है. पशु हानि में भी एक नॉमिनल राशि मिलती

थी 200-400 रुपये अब 16000 रुपये तक पशु हानि का भी सरकार देती है इसलिये आज राहत राशि की चर्चा हो रही है. राहत राशि में पहले 200-400 रुपये मिलते थे लोग तो यह राशि लेने ही नहीं जाते थे और दूर कहीं तहसील मुख्यालय पर यह राशि बांटी जाती थी अब तो यह गांव-गांव जाकर चेक बांटे जाते हैं और अब तो किसानों के बैंक खातों में यह राशि सीधे जमा की जा रही है. पिछले वर्ष भी प्राकृतिक आपदा आई सरकार ने पूरी संवेदना के साथ सर्वे कराया और पर्याप्त राहत राशि किसानों को दी गई. नरसिंहपुर जिले में लगभग 75 प्रतिशत जिले में हुई थी .एक अरब रुपया राहत राशि का पूरे जिले में बाँटा गया था. उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं उससे मैं सहमत भी हूँ. सर्वे में दिक्कतें आती हैं, तो राजस्व मंत्री जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सर्वे होता है उसमें जो सर्वे टीम जाती है, एक जो संबंधित किसान है, उसको कौनसी फसल उसके खेत में थी, कितने परसेंट उसमें नुकसान हुआ है, इतना लिखकर एक रसीद टाइप दे दें, तो बाद में जो दिक्कत आती है, किसान समझ जाता है कि मेरा 50 परसेंट से ऊपर नुकसान है और फिर उसको नहीं मिलता है, कहीं कहीं ऐसी विसंगति आती है तो ऐसी व्यवस्था एक राजस्व विभाग के द्वारा कर दें, एक रसीद दे दें कि इतने रकबे में तुम्हारी इस फसल का नुकसान हुआ है और इतने परसेंट नुकसान हुआ है, तो कम से कम किसान आश्वस्त हो जाए, तो फिर बाद में जो दिक्कत आती है, वह दिक्कत न हो. सर्वे तो लगभग ठीक होता है लेकिन कहीं कहीं कुछ लोग गड़बड़ करते हैं तो वह गड़बड़ न हो. पर्याप्त राहत राशि किसानों को मिले. इस बार भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पर्याप्त राशि किसानों को मुआवजे के रूप में मिलेगी. अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में ओलावृष्टि कम गाँवों में हुई है लेकिन अतिवृष्टि हुई है, तो अतिवृष्टि से जो दलहन फसल है, मसूर, बट्टी, चना, इनका नुकसान हुआ है क्योंकि जो खेत में कटी हुई फसल थी वह भी सड़ गई है और जो खेत में खड़ी फसल थी वह भी खराब हो गई, तो मैं राजस्व मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ अतिवृष्टि भी हुई है, वहाँ भी सर्वे कराया जाए और गेहूँ की फसल या बाकी फसलों के लिए, लेकिन दलहनी फसल में वहाँ भी नुकसान है 50 परसेंट से ऊपर याने दाना खराब हो गया, उसका सर्वे

कराकर उसमें राहत राशि वितरित कराई जाए. अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.

कुँवर विक्रम सिंह(राजनगर)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को, राजस्व मंत्री जी को और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस अति महत्वपूर्ण बिन्दु पर चर्चा कराने का निष्कर्ष लिया. अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे अपनी विधान सभा क्षेत्र की बात करूँगा क्योंकि समय कम है और बोलने वाले बहुत हैं.

अध्यक्ष महोदय-- आपको धन्यवाद.

कुंवर विक्रम सिंह-- अध्यक्ष महोदय, इमलिया, पथरगवाँ, बमारी, नाँदियाबेहर, बाहरपुरा, पाटन, बरबसपुरा, रनगवाँ, मजौटा और भुसौर, ये गाँव हैं हमारे, जहाँ पर ओला पड़ा है. ओले के साथ साथ अतिवृष्टि से पूरे विधान सभा क्षेत्र में और लगभग पूरे छतरपुर जिले में नुकसान 60 से 70 पैसा, सौ पैसे में 60 से 70 परसेंट नुकसान है. यदि आप खेत में जाकर देखेंगे तो या तो फसल लेट गई है और लेटी नहीं है तो उखट गई है क्योंकि मिट्टी ढीली हुई और हवा चली साथ में तो फसल उखट गई है और फसल उखटने से दाना छोटा पड़ गया है और दाना छोटा पड़ने से पतले बीज के कारण वह मापदंडों में जैसे आप जहाँ से सोसायटी से बीज लिया वहाँ पर लौटाने में किसान को दिक्कत पड़ेगी तो मैं माननीय राजस्व मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी सर्वे कराए गए हैं, सर्वे रिपोर्टों के आधार पर जहाँ फसल ओले से प्रभावित हुई है, ओले के अलावा जो अपनी अतिवृष्टि के कारण फसल में नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई के लिए जो ज्यादा से ज्यादा सरकार अपनी तरफ से किसानों के लिए कर सके, यह किसानों की संकट की घड़ी है और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि पूरे मध्यप्रदेश में यह समय प्राकृतिक आपदा से बढ़ कर आपदा बिजली विभाग के अधिकारियों की आपदा है. बिजली विभाग के अधिकारी जाते हैं और वसूली के नाम पर वे तो सीधी कुर्की करते हैं और कुर्की के साथ साथ वे यह भी नहीं देखते कि कल किसान की फसल निकलना है, उसका थ्रेशर अगर रखा है तो थ्रेशर का सूपा या मोटर निकाल लेते

हैं और दूसरी बात मोटरसाइकिल अगर उसके बच्चे की है उसे परीक्षा देने के लिए जाना है तो वह बच्चा परीक्षा देने नहीं जा पाता है. उसकी मोटरसाइकिल उठा ली जाती है और उसको जमा कर लिया जाता है, कहा जाता है कि जब तक पैसा नहीं जमा करोगे तब तक, किसान कहाँ से लाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन साल से किसान प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है. किसान अगर किसानी करना बंद दें तो मध्यप्रदेश में कैसे सरकार का काम चले और अन्य लोगों का काम चले ? यह बड़ा चिंतनीय विषय है. माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान अपनी फसल उगाने के लिए खेती बाड़ी करता है . मैं भी किसान हूं और किसानी करता हूं किंतु प्राकृतिक आपदा से बढ़कर आपदा हमारे क्षेत्र में जंगली सुअर और रोज(नीलगाय) हैं मैं इस विषय में वनमंत्री जी से कई बार बोल चुका हूं. हमारे क्षेत्र में यह भी बहुत बड़ी समस्या है इस आपदा का संकट ऐसा है कि जिस खेत में यह सुअर और रोज पहुंच जाते हैं वहाँ पर कनूका घर पर नहीं आता है यानि दाना घर पर नहीं आता है. माननीय अध्यक्ष महोदय, रोज(नीलगाय) जिस खेत में पहुंच जाता है उस खेत की फसल बिल्कुल चौपट कर देता है कुछ फसल को खाता है और कुछ वहाँ पर लोटता है तो लोटने में फसल खराब हो जाती है . इसी प्रकार से सुअर खेत में गोढ़ता है ,जब पानी लगता है तो फसल नुकसान हो जाती है. मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे लगभग 70 प्रतिशत गांव हैं , जो रोज(नीलगाय) और सुअर से प्रभावित हैं और छतरपुर जिले में ऐसा शायद ही कोई गांव होगा जहाँ पर रोज (नीलगाय) और सुअर की समस्या न हो मैं कहना चाहता हूं कि इनके बारे में भी कोई-न-कोई उपाय सोचा जाए. मेरी अंतिम बात कहना चाहूंगा कि जो घर अतिवृष्टि में गिरे हैं और जो मवेशी अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि के कारण खत्म हुए हैं उनका भी मुआवजा दिया जाए और उन गरीब लोगों के जिनके मकान गिरे हैं,जिनके पिछली बार की अतिवृष्टि में गिरे थे उनको आज तक कुछ नहीं मिला है मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा. आपने बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद.

श्री प्रताप सिंह (जबेरा)--- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर जो बोलने का अवसर दिया है उसके लिए बहुत –बहुत धन्यवाद. जिस प्रकार प्रदेश में अतिवृष्टि से फसलें खराब हुई उसी प्रकार हमारे क्षेत्र दमोह में और खासकर सागर संभाग के कई जिलों में भी फसलें खराब हुई हैं और जो आँधी आई व पानी गिरा उससे फसलें लेट गई और नीचे गिर गई उसके कारण उसमें दाना नहीं पड़ा. हमारे जिले में पिछले तीन वर्षों से अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान हो रहा है. मैं सदन से यह बात कहना चाहूंगा कि कुछ फसलें तो अभी तैयार भी नहीं हुई हैं लेकिन सहकारिता का खरीफ फसलों का जो अल्पकालीन ऋण है उसकी ड्यू डेट 31 मार्च होती है, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इस खरीफ फसल का जो 31 मार्च का ऋण है उसको जून माह कर दिया जाये वह भी बगैर ब्याज के तो किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी क्योंकि वह ड्यू नहीं हो पाएगा. दूसरी बात हमारे ही निर्वाचन क्षेत्र में करीब 70 गांवों की बिजली काट दी गई है और जबकि इसके एक माह पूर्व कई गांव के लोगों ने जो कुर्की हुई उसका पैसा जमा किया है और आज भी हमारे क्षेत्र के चार ट्रेक्टर कुर्की के कारण बिजली विभाग के लोग उठाकर ले गये हैं. हमने जब उनको बोला कि यह 54 हजार के बिल घरेलू कनेक्शन के किस आधार पर आए हैं क्योंकि अभी जो दो माह पूर्व पंचायत चुनाव हुए थे उनमें अभ्यर्थियों के द्वारा नोड्यूज दे दिये गये थे फिर भी उन्हीं व्यक्तियों के बिल आ गये तो वह किस तरह की रीडिंग ले रहे हैं . मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कुर्की एवं सहकारिता का ऋण माफ करने की घोषणा सरकार करे ऐसी मैं आशा करता हूं, धन्यवाद.

श्री मुकेश नायक(पवई)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेकर कितने गंभीर हैं इससे ही पता चलता है कि जब से सदन में इस विषय पर चर्चा शुरु हुई वह लगातार अनुपस्थित हैं. कभी सदन का वातावरण इस तरह का नहीं रहा, मैंने आज अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा के समय भी यह बात उठाई थी, इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता. सब लोग इस विषय को जानते और समझते हैं. आज मुझे लगता है कि मध्यप्रदेश में किसान जिस घुटन बैचेनी और अभाव का शिकार है ऐसा वातावरण मध्यप्रदेश में कभी नहीं रहा. पिछली खरीफ की फसल और अभी रबी की फसल औरऔर उसके पहले भी पिछले साल की दोनों फसलें अतिवृष्टि के कारण, ओलावृष्टि के कारण और तेज हवाओं के चलने से फसल लेट जाने के कारण अपूरणीय क्षति किसानों को हुई है. ऐसे समय में इस बार पानी गिरा, जब मसूर की फसल, चने की फसल और अलसी की फसल को बहुत अपूरणीय क्षति पहुंची है. माननीय कृषि मंत्री जी खुद किसान हैं, इस बात को जानते हैं. महाकौशल क्षेत्र में मसूर, चना और गेहूं की फसल, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में गेहूं की फसल, चने की फसल और मालवा क्षेत्र में कपास की, टमाटर की,मिर्च की और उद्यानिकी से संबंधित जितनी भी फसलें हैं उनको बहुत अपूरणीय क्षति मध्यप्रदेश में हुई है.अभी एक तरफ तो सूखे की चपेट में किसान हैं और दूसरी तरफ जो रोजगारोन्मुखी हमारे जो कार्यक्रम हैं जैसे मनरेगा है और हितग्राहीमूलक जोजो सुविधाओं के हमारे कार्यक्रम हैं जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेन्शन, विधवा पेन्शन, मेटरनिटी पेन्शन यह सारे के सारे देहातों में पिछले 6 से 8 महीनों में कार्यक्रम बंद पड़े हैं. चार चार महीने से निराश्रितों की 6-6 महीने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिली है.पिछले आठ महीने से मनरेगा में जिन्होंने मजदूरी की उन मजदूरों के पैसे खाते में नहीं गये हैं, उन्हें मजदूरी नहीं मिली है तो रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम भी बंद हैं, फसलें भी किसानों की नहीं आयी हैं. तीसरी समस्या कि सहकारी और भूमि विकास बैंकों से किसानों के जो कर्जे हैं, दिन प्रति दिन कर्जा वापसी का दबाव बैंक किसानों के ऊपर बढ़ा रहे हैं. वह एक अलग बहुत बड़ी समस्या

किसानों की है. चौथी समस्या अभी जब से चुनाव हुए हैं तब से मध्यप्रदेश में इस सरकार ने यह नियम बना दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर 50 प्रतिशत बिजली का बिल पूरे गांव का भुगतान है तब ट्रांसफार्मर रिप्लेस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे और होता यह है, एक गांव में मैं दौरे पर गया तो पूरे के पूरे गांव भर में बिजली का बिल 3 लाख रुपये था और वहां तीन लोग हैं जो चक्की चलाते हैं उनका अकेले का बिल डेढ़ लाख रुपये था. बताइये आप तीन लोगों का बिल डेढ़ लाख रुपये और पूरे गांव का बिल तीन लाख रुपये तो अगर तीन लोग बिजली का बिल जमा नहीं करते हैं तो पूरा गांव प्रभावित होता है, पूरे गांव को उससे कष्ट होता है यानी जो आपका ईमानदार उपभोक्ता है उसको भी सजा मिलती है. एक तरफ सूखा और बिजली की वसूली कैसी हो रही है, घर के सामने पलंग रखा है तो बिजली विभाग वाले किसानों का पलंग उठा के ले जा रहे हैं. दुकान में कुछ रखा है, विद्युत पम्प उठा के ले जा रहे हैं . इस तरह की कुर्की मैंने कभी नहीं देखी कि बिजली विभाग के लोग किसान का जो भी हाथ में लगता है वह उठा के चलते बनते हैं.मध्यप्रदेश में फसल नहीं आयी, सहकारी बैंक कर्जा मांग रहे हैं, बिजली वाले अपने पैसे मांग रहे हैं और अभी तक सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया. अगर मध्यप्रदेश में हम अधिकारियों की बात मानें और उस पर भरोसा करें तो रबी के सीजन में कुल बोया गया क्षेत्र 112 लाख हेक्टेयर बताया गया.

श्री गोपाल भार्गव -- मुकेश जी, आपको यह भी देखना पड़ेगा कि पिछले साल कॉ-ऑपरेटिव्ह बैंकों से 10 से लेकर 15 प्रतिशत तक वसूली हुई है. ये सब बैंक धीरे-धीरे बैठ रहे हैं.

श्री मुकेश नायक -- अगर अधिकारियों की बात मानें तो मध्यप्रदेश में 112 लाख हेक्टेयर बोया गया क्षेत्र है जिसमें 37 लाख हेक्टेयर को नुकसान हुआ और 11 लाख हेक्टेयर में 50 प्रतिशत नुकसान बताया गया. इसका अर्थ यह हुआ कि मध्यप्रदेश में 75 लाख बोया गया ऐसा क्षेत्र है, जिसमें अधिकारी कह रहे हैं कि किसानों को नुकसान नहीं हुआ. अगर इस तरह से फसलों के

नुकसान का आंकलन हुआ तो जो सहायता राशि किसानों को मिलना है, उसका बहुत असंतुलित वितरण हो जाएगा और किसानों को बेहद असुविधा का सामना करना पड़ेगा.

अध्यक्ष महोदय -- कृपया अब समाप्त करें.

श्री मुकेश नायक -- इतने गंभीर विषय पर बात चली रही है, कृपया 2-3 मिनट बोलने दें.

अध्यक्ष महोदय -- बोलने वाले बहुत लोग हैं. 40-50 नाम आपने दे दिए.

श्री मुकेश नायक -- हमारा सबसे पहले नाम था.

एक माननीय सदस्य -- तब आप उपस्थित नहीं होंगे.

श्री मुकेश नायक -- नहीं, जब हम थे तो पुकारा नहीं और जब देख लिया कि उपस्थित नहीं है तो नाम पुकार दिया. (हंसी)

अध्यक्ष महोदय -- यह ठीक बात नहीं है आपकी.

श्री विश्वास सारंग -- यह तो सीधा-सीधा इल्जाम लगा रहे हैं.

श्री मुकेश नायक -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ.

श्री गोपाल भार्गव -- मुकेश जी, ऐसी बात नहीं है अध्यक्ष जी बहुत अच्छे हैं.

अध्यक्ष महोदय -- कृपया समाप्त करें.

श्री मुकेश नायक -- हम कहां कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय अच्छे नहीं हैं, आप विधान सभा में ऐसा अर्थ क्यों प्रकट कर रहे हैं कि इस तरह का है.

अध्यक्ष महोदय -- निंदा कर लें पर अपनी बात समाप्त कर दें.

श्री मुकेश नायक -- मैं तीन-चार मिनट और लूंगा.

अध्यक्ष महोदय -- 6-7 मिनट आपको हो गए हैं.

श्री मुकेश नायक -- अध्यक्ष महोदय, हम लोग वरिष्ठ सदस्य हैं और लंबे समय तक हमने सदन की परंपराएं देखी हैं, नियम प्रक्रिया और संचालन को भी हम लोग समझते हैं. सदन में सदैव

यह उदारता रही है कि ऐसे गंभीर विषय पर वरिष्ठ सदस्य जब बोलते रहे हैं तो उनको अवसर दिए जाते रहे हैं. यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इसलिए मेरी आपसे विनती है.

अध्यक्ष महोदय -- वरिष्ठता देखते हुए 2 मिनट में समाप्त कर दिजीए.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय, सबेरे तो आप उदारता से समय दे रहे थे. आप बोल रहे थे कि रात तक बैठेंगे, कल तक बैठेंगे. सीनियर सदस्य बोलने आए हैं आप उन्हें सुनिए तो सही मुकेश जी के मुंह से कि किसान की पीड़ा क्या है ?

अध्यक्ष महोदय -- 2-3 मिनट में समाप्त करें.

श्री मुकेश नायक -- अध्यक्ष महोदय, हम तो रात भर बैठने तैयार हैं.

अध्यक्ष महोदय -- आप अपनी बात करें.

श्री मुकेश नायक -- अध्यक्ष महोदय, अब एक दिन की विधान सभा आपने बुलाई है, उसमें भी इतनी कंजूसी कर रहे हैं. मध्यप्रदेश में बड़े आश्चर्य की बात है कि कृषि मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं कि ये बोया गया क्षेत्र इतने असाधारण रूप से क्यों बढ़ता चला जा रहा है. मध्यप्रदेश क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है और सम्माननीय सदस्यों को भी मैं यह बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 वर्षों में उद्यानिकी का जो बोया गया क्षेत्र है, उसमें 7 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है. पहले 7 लाख हेक्टेयर बोया गया क्षेत्र था अब 14.40 लाख हेक्टेयर हो गया. माननीय कृषि मंत्री जी सुनिए, मैं बताता हूँ.

श्री गोपाल भार्गव -- उद्यानिकी विभाग कृषि मंत्री जी के पास नहीं है.

श्री मुकेश नायक -- किसी के पास भी नहीं है क्या ? किसी के पास तो होगा, हम तो अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार को एड्रेस कर रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय -- कृपया समाप्त करें.

श्री मुकेश नायक -- अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह कहा है कि मध्यप्रदेश में जो बोया गया क्षेत्र है इसमें 27 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है. अब जब शहरीकरण इतना बुरी तरह से बढ़ रहा है,

उद्योगों को आप जमीन दे रहे हैं, देहातों में कितने बड़े पैमाने पर शहरी क्षेत्र के लोग जमीन खरीद कर एक अतिथि किसान बन रहे हैं. ऐसे में समझ के परे है कि 27 लाख हेक्टेयर बोया गया क्षेत्र मध्यप्रदेश में कैसे बढ़ गया. दूसरी चीज, अभी मैं आगे चल के इस विषय पर बातचीत करूंगा, सिंचाईं मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं. सिंचाईं क्षमता का प्रयोग और सिंचित एरिया जिस पैमाने पर बढ़ा है उस पैमाने पर क्या आपका सिंचाईं से संबंधित जो राजस्व है, वह कितना होना चाहिए, क्या आपने इसका आंकलन किया और इतना बढ़ा-चढ़ाकर सदन और पूरे प्रदेश की जनता के सामने आपने आंकड़े प्रस्तुत कर दिए जो बिल्कुल असत्य प्रतीत होते हैं, बिल्कुल अप्रासंगिक मालूम होते हैं और ऐसा लगता है कि खुद की पीठ थपथपाने का एक प्रयत्न कर रहे हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो मुख्यमंत्री जी धरने पर बैठ गए थे और आज केन्द्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि अब कब धरने पर बैठ रहे हैं क्योंकि हम उनके साथ धरने पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं. वे अभी विधान सभा में नहीं हैं. अपने उत्तर में यह बताएं कि अब अगर धनराशि में कमी आती है तो वे कब अनशन पर बैठ रहे हैं क्योंकि हम उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके साथ अनशन पर बैठना चाहते हैं. अध्यक्ष महोदय, सरकार से मैं यह उम्मीद करता हूँ कि किसानों के इस कठिन समय में केवल पुरस्कार लेना भर जरूरी नहीं है, उनकी सहायता करनी भी उतना ही जरूरी है. आपने बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद.

श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया(दिमनी)--अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में पानी और ओलों से जो किसानों को क्षति हुई है और हमारे यहां मुख्यमंत्री जी गये थे,वहां उन्होंने जनता से इतने वादे कर दिये कि जनता उनका गुणगान करने लगी, पहले भी ऐसे ही ओले पड़े थे तो मेरी विधान सभा दिमनी और अम्बाह में जब मुख्यमंत्री जी गये थे तब भी उन्होंने ऐसे ही सपने किसान को दिखाये थे. अध्यक्ष महोदय, आज मध्यप्रदेश का किसान इतना दुखी है , मंत्री वगैरा सब बैठे हुए

हैं, मैं सही बात बता रहा हूं कि आज बिजली घर से किसान इतना परेशान है जितना कि ओले और पानी से नहीं है. मैं उर्जा मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि ऐसे आदेश दिये हैं कि पहले यहां पर लूट होती थी ,किसान लुटेरों से भी ज्यादा परेशान है. हमारे मुरैना जिले में 75 प्रतिशत डी पी उतार ली गयी हैं. किसानों के पहले ज्यादा से ज्यादा 500-700 रूपये के बिल आते थे अब किसानों के बिल पांच पांच हजार के आ रहे हैं. उन्होने बताया है कि जैसे किसानों की बन्दूक इन चुनावों में रखी गयी है ,तो उन्होंने कानून बना दिये कि बिजली घर से और कृषि विभाग से नो-ड्यूज करवा कर लाओ तब आपको बन्दूक दी जायेगी. आज 5-7 महीने हो गये हैं, हमारे यहां वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं . मुरेना क्षेत्र की जनता बिजली से ज्यादा पीड़ित है. जब हम उनसे कहते हैं कि कितना बिल है , पैसे वाले के यहां तो कोई बिजली वाला जाता नहीं है. जो गरीब जनता है उनका खून चूस रहे हैं. वहां पर जाकर बोलेंगे कि क्यों आपका बिल कितना है और उन्होंने कहा कि 500 रूपये और इस महीने कितना आया तो 5000 रूपया. मैने पहले भी बताया था कि जहां पर बिजली नहीं पहुंची है ,खाली खंबे लगे हैं ,कनेक्शन नहीं है ,डी पी नहीं है उन गांवों में बिजली दे दीजिए. तो उन गांवों की जैसे बंदूक जमा है तो बंदूक तब मिलेगी,चाहे उन्होंने 20 हजार रूपया रख दिया हो तो वह भर जायेगा तब बंदूक मिलेगी. अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि इस कानून को समाप्त करें और किसानों का जिनके यहां अतिवृष्टि और ओलावृष्टि हुई है उनका एक साल का बिजली का बिल माफ किया जाय. मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जनता को खुश रखना चाहते हो तो बिल माफ करे अन्यथा जनता की सुनवाई नहीं हुई तो जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने सफाई कर दी वेसी ही यहां हो जायेगी. मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं.

चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी(मेहगांव)-- अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में जिस तरह की आपदा आयी, मेरा अपना मेहगांव विधानसभा क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं रहा और भिण्ड जिले में सर्वाधिक नुकसान अगर कहीं हुआ है तो वह मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र मेहगांव में संपूर्ण नुकसान

हुआ है. अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि लगभग 49 गांव मेरी विधान क्षेत्र के जहां ओला प्रभावित हुए और लगभग 60 से ज्यादा गांव अतिवृष्टि से प्रभावित हुए. अध्यक्ष महोदय, मैं मानीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं एवं हमारे यहां की जो प्रभारी मंत्री श्रीमती मायासिंह जी का भी आभारी हूं. उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंच कर क्षेत्र का भ्रमण किया .किसान को सांत्वना दी और संपूर्ण किसान को यह आश्वासन दिया कि उनके साथ सरकार है और सरकार उनका ख्याल रखेगी. मैं इसी भावना के साथ पुनः आपके माध्यम से शासन से नुरोध करना चाहूंगा कि किसान क्षेत्र का अन्नदाता है. किसान प्रदेश का अन्नदाता है. संपूर्ण प्रदेश की उदरपूर्ति किसान करता है. आज किसान को आवश्यकता है और किसान की आवश्यकता में संपूर्ण पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को उदारतापूर्वक किसान के प्रति सोच रखना चाहिए. किसान को देने में रत्तीभर कंजूसी नहीं करनी चाहिए. मैं पुनः आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि किसान के लिए संपूर्ण पक्ष, प्रतिपक्ष एकमत हैं और जहां जहां प्रभाव हुआ है, आपदा का, अतिवृष्टि का, ओलावृष्टि या पाले का, मेरे क्षेत्र में ओला लगभग 49 गांवों में गिरा और 60 से ऊपर लगभग गांव अतिवृष्टि से प्रभावित हुए. माननीय प्रभारी मंत्री जी और मैं, दोनों हम गये, शेष गांव मैंने स्वयं घूमे. जिन गांवों में आज से 20 दिन पहले गया था, मटर की फसल इतनी बढ़िया लहलहा रही थी, किसानों से बैठकर बात होती थी, कुछ मटर के खेतों में बैठकर हमने मटर के जो चबेना होते हैं, वह चबाए. बड़ा अच्छा लगता था, किसान खिल-खिला रहा था. लेकिन उसी किसान के पास ओला गिरने के बाद जब गये तो उनकी शक्ल देखने में दर्द महसूस होता था, मतलब मेरी आंखों में आसूं आए. माननीय प्रभारी मंत्री जी सदन में बैठी हैं, इनकी आंखों में आंसू आए.

अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आंसुओं से काम नहीं चलेगा, उनके लिए सोचना पड़ेगा. उनकी पूर्ति करना पड़ेगी क्योंकि किसान के घर में लड़की की शादी भी होती है, अन्य व्यवस्थाएं भी उसको साल भर के लिए करना होती है और यह फसल ही उसका साधन है, जिससे वह सारे संसाधन जुटाता है. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संरक्षण में और आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध

करना चाहूंगा, प्रतिपक्ष से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इसमें राजनीति न करें, राजनीति अपनी जगह है, किसान अपनी जगह है. किसान संपूर्ण मध्यप्रदेश का है और संपूर्ण मध्यप्रदेश का अन्नदाता है. अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपके माध्यम से पुनः अनुरोध करता हूं कि सरकार किसान को ज्यादा से ज्यादा राहत दे. ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो, हम लोगों की सुविधाओं में से कटौती करे, सरकार अपनी सुविधाओं में से कटौती करें, सदस्यों की सुविधाओं में से कटौती करे, मैं तो यह कहूंगा और जो भी लेविशनेस है, जो भी लक्ज़री है, उसको खत्म करके किसानों को राहत दी जाय, इसी आशा और उम्मीद के साथ आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द.

अध्यक्ष महोदय - श्री सुन्दरलाल तिवारी..संक्षेप में और विषय पर बोलेंगे आपसे ऐसी अपेक्षा है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी (गुढ़) - अध्यक्ष महोदय, यह मानकर चलें कि सदन के पास में किसानों की बात सुनने का समय नहीं है, आपने बोलने के पहले ही मुझे रोका इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय क्या सदन के समय नहीं है?

अध्यक्ष महोदय - सबके पास में समय है परन्तु रिलेवेंट बात सुनने का है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी- यह बात आपने अध्यक्ष महोदय बहुत अच्छी कही कि बात रिलेवेंट होना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्तमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, अगर यह अनुपूरक बजट नहीं रह गया होता तो शायद सदन की यह बैठक आज हुई नहीं होती और किसानों पर चर्चा नहीं हो पाती. बीच में आपने एक अच्छा यह छोड़ दिया था, भगे तो बहुत तेज बजट के बाद और यह सदन अनिश्चिकाल के लिए स्थगित हो गया, यह दुर्भाग्य है. क्या परिस्थितियां आई कि सरकार पक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया? फिर हमारा यह कहना है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्तापक्ष की है कि नहीं?

अध्यक्ष महोदय - कृपया आप विषय पर आएं.

श्री सुन्दरलाल तिवारी - उसी पर जा रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, उसी पर हम आ रहे हैं.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार - पहले साहब, जो विद्वान हैं तो पहले विद्वान, विद्वत्ता बताएगा, फिर विषय पर आएगा.

श्री सुन्दरलाल तिवारी- हमारी विद्वत्ता को केवल शेजवार साहब जानते हैं. बाकी तो कोई जानता नहीं है. अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि सबसे बड़ी बात है कि अगर किसान के घर में खेत में ओला नहीं पड़े, अतिवृष्टि नहीं हो तो किसान की पहचान न इस देश के अंदर है, न प्रदेश के अंदर है. कर्मचारी की पहचान है, विद्यार्थी की पहचान है. लेकिन आप कभी भी किसी भी आदमी को यह नहीं कहसकते हैं क्योंकि किसान का कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है. क्या ऐसी व्यवस्था सदन नहीं बना सकता क्या ऐसे नियम कानून नहीं बन सकते हैं जिसके माध्यम से हम यह कह सकें कि प्रदेश के फलां फलां लोग किसान हैं कि इन लोगों को किसान की परिधि में रखते हैं. इसके दुष्परिणाम क्या हैं. जब ओला पड़ता है फसल नष्ट होती है तो जो आयकर का भुगतान करने वाले हैं जो लाखों और करोड़ों रूपये का आयकर दे रहे हैं. उनको भी उनकी जमीन का मुआवजा मिलता है अगर उनके पास में कोई कृषि योग्य भूमि है. जब मुआवजा बंटने लगताहै तो उन अरबपति, लखपति और करोड़पतियों को भी मुआवजा मिलताहै वह किस्से से जाता है, वह उस हिस्से से जाता है जो गरीब किसान खून पसीना खेतों में बहाता है, अपने हाथ से अपना काम करता है तो उसका हिस्सा चला जाता है आयकर का भुगतान करने वाले करोड़पतियों के हाथ में. मेरा अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन है कि आप सरकार को प्रेरित करें या यह सदन निर्णय ले कि जो आयकर का भुगतान करने वाले हैं या जो एक सीमा तक का आयकर भुगतान करने वाले लोग हैं उनको इस तरह का लाभ नहीं दिया जायेगा. वास्तविक किसानों को वह दुगना करके उपलब्ध कराया जायेगा. बार बार हम सुन रहे हैं हम मुख्यमंत्री की कृपा पर नहीं हैं, उस पक्ष के लोग बार बार मुख्यमंत्री जी हमारे गये, नहीं जायें वह हम नहीं बुला रहे हैं उनको, उनकी गरज हो तो वह जायें. हमने भी उनको पत्र लिखा था हमारे क्षेत्र में आने के लिए वह आये इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं लेकिन

हम सारा श्रेय मुख्यमंत्री को दे दें यहसदन में जितने विधायक हैं जितने मंत्री हैं हम कोई पागलबैठे हैं यहां पर , गला आप सब लोग फाड़ रहे हैं और श्रेय मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं. हमारा यह कहना है कि मुख्यमंत्री जी अकेले यह निर्णय नहीं लें, सदन निर्णय ले इस विषय पर कि कितना मुआवजा किसान को मिलना चाहिए हम एक प्रस्ताव कांग्रेस पक्ष के लोग ले आते हैं कि इतना मुआवजा प्रति हेक्टेयर हर किसान को मिलेगा, अगर कोई कर्मचारी निलंबित हो जाता है.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- अध्यक्ष महोदय मेरी विनम्र प्रार्थना है कि यह बहस श्रेय लेने के लिए नहीं हो रही है राहत देने के लिए हो रही है. किसको श्रेय मिलताहै , माननीय मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया निश्चित रूप से उनके मन में किंचित मात्र भी यह बात नहीं थी कि वह किसानों को सुविधा देकर या राहत पहुंचा कर श्रेय लेना चाहते हैं. उनके मन में केवल यह बात थी कि आज किसान जो ओला पीड़ित है एक प्राकृतिक आपदा आयी है तो इससे हम कैसे निपटें और गरीब किसान के हम आंसू कैसे पोंछे, आप क्या सस्ती लोकप्रियतावाली बात करते हैं श्रेय इसको मिले श्रेय उसको मिले. यह कौन सी मानसिकता है कांग्रेस जब तक अपनी इस मानसिकता से नहीं उबरेगी तब तक तिवारी जी आपकीऐसे ही दुर्गति होगी जो कि हो रही है.

श्री सत्यदेव कटारे -- अध्यक्ष महोदय कांग्रेस तो उस मानसिकता से उबरी हुई है लेकिन यह ध्यान रखिये कि मुख्यमंत्री जी का वह ओला पर्यटन था और वह चल रहा है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी -- मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हू कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जिम्मेदारी है. हमारी कांग्रेस की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी एक एक खेत में गईहैं हरियाणा में गई हैं अभी राजस्थान में घूम रही हैं(...व्यवधान)..मुख्यमंत्री जी का नाम लें तो आप सभी लोग प्रसन्न रहेंगे. मैं कह रहा हूं कि प्रदेश में किसानों का यह हाल है या राष्ट्र में किसानों का जो हाल है उस पर पूरी कांग्रेस चिंतित है...

अध्यक्ष महोदय -- एक मिनट. नियम 130 के अधीन जारी चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाय. मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है.

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.)

कृपया अब आप जल्दी समाप्त कर दें.

श्री सुन्दर लाल तिवारी -- अध्यक्ष महोदय, कल हो जाय.

अध्यक्ष महोदय -- आप अपना जल्दी समाप्त कर दें.

श्री सुन्दर लाल तिवारी -- अध्यक्ष महोदय, अब आप कहेंगे कि दो मिनट में कर दें. मामला इतनना विशाल है. इतनी बड़ी पीड़ा है.

अध्यक्ष महोदय -- सारी चर्चा आ चुकी है. अब रिपीटेशन हो रहा है.

श्री सुन्दर लाल तिवारी -- अध्यक्ष महोदय, किस बात का रिपीटेशन हो रहा है. मैंने अभी तक जितनी भी बात की है. वह बात अभी सदन में नहीं आई है. मैंने आयडेंटीफिकेशन की बात की, मैंने यह कहा कि इनकम टैक्स पेयी को मुआवजा नहीं दिया जाय. यह बात आई है क्या.

श्री गोपाल भार्गव -- अध्यक्ष महोदय, पहली बार कुछ तर्क संगत बोल रहे हैं.

श्री बाला बच्चन -- अध्यक्ष महोदय, तिवारी जी यह बात तो बिलकुल ठीक बोल रहे हैं कि कोई रिपीटेशन नहीं हुआ है. यह बात भी सही है कि तर्कसंगत बात कही जा रही है.

श्री सुन्दर लाल तिवारी -- अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि राइट टु सर्वे, यह सदन प्रस्ताव पारित करे कि कोई किसान अगर यह कहता है कि हमारी फसल नष्ट _हुई है, जिसका सर्वे पटवारी या तहसीलदार नहीं कर रहे हैं, तो वह बात खत्म हो जाय. यह सदन प्रस्ताव करे कि किसान अगर अपनी फसल का सर्वे चाहता है, अगर वह प्राकृतिक आपदा का शिकार है, तो वह राइट किसान के पास रहना चाहिये और वह राइट किसान को मिले. यह प्रस्ताव भी हमारा सदन करे. हमारा यह कहना है कि अब हमने 2 या 5 हजार रुपये किसान को दिया. यह क्या देना है. मेरा यह कहना है कि एक तरफ बिजली के नाम पर लूट रहे हैं. 50 प्रतिशत से अगर कम बिजली का बिल किसी मोहल्ले में जमा हुआ है, तो उसका ट्रांसफार्मर निकाल लिया. यह कैसी स्थिति है. बिल अगर नहीं दिया है, तो कुर्की के आदेश अकेले रीवा जिले में 10 हजार से ऊपर किसानों के घरों में कुर्की के आदेश पड़े हुए हैं. कह रहे हैं कि अगर तुम बिजली के बिल नहीं दोगे तो तुम्हारी यह कुर्की कर ली जायेगी. मेरा यह कहना है कि यह

कुर्की के आदेश वापस हों. मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्रीजी एवं मंत्री जी से भी मांग है कि कुर्की के आदेश उन किसानों के सबके वापस किये जायें, जो अतिवृष्टि से या ओलावृष्टि से परेशान हैं..

श्री गोपाल भार्गव -- एक ही रेल में ये ऊर्जा मंत्री जी के साथ में आते जाते रहते हैं. वहीं आप बात क्यों नहीं कर लेते हैं.

अध्यक्ष महोदय -- कृपया समाप्त करें.

श्री सुन्दर लाल तिवारी -- अध्यक्ष महोदय, पूरा खाद का जो ऋण है, उसको माफ किया जाय. बीज का ऋण माफ किया जाय. बिजली के बिल माफ किये जायें. हमारा यह कहना है कि जो को-आप्रेटिव्ह बैंक के, लैंड मॉडगेज बैंक के जो ऋण हैं, उनको भी माफ किया जाय. हमारा कहना है कि जिलों को भी केटेगिराइज किया जाय. जो हमारा जिला 2010-11 एवं 12 में सूखाग्रस्त जिला घोषित किया गया था. निरन्तर वह सूखे, प्राकृतिक आपदा की चपेट में है. यह शासन के रिकार्ड में है कि रीवा जिला सूखाग्रस्त घोषित किया गया था. फिर उसके बाद जैसे ही सूखा से उबरा अतिवृष्टि की वजह से पूरी फसल नष्ट हुई और सरकार ने यह घोषणा की कि हम सोयाबीन का भी मुआवजा देंगे. यह रिकार्ड उठाकर देखा जाय कि राजस्व मंत्री जी यहां बैठे हैं, उनसे निवेदन करुंगा कि क्या सोयाबीन का केवल 3 जिलों में मुख्यमंत्री जी के जिले में, राजस्व मंत्री जी के जिले में और होशंगाबाद जिले में सोयाबीन का मुआवजा दिया गया था. बाकी रीवा जिले में अभी सोयाबीन का मुआवजा पड़ा हुआ है. मेरा कहना है कि ..

अध्यक्ष महोदय -- कृपया समाप्त करें. श्री कमलेश्वर पटेल.

श्री सुन्दर लाल तिवारी -- अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरी बात अपनी कहने दीजिये.

अध्यक्ष महोदय -- नहीं, आपकी बात आ गयी है.

श्री सुन्दर लाल तिवारी -- अध्यक्ष महोदय,बढ़िया सदन चल रहा है. उसको चलने दिया जाये.

अध्यक्ष महोदय--चल ही रहा है सदन. तिवारी जी, अब आप कृपया बैठें. श्री कमलेश्वर पटेल..

श्री सुन्दर लाल तिवारी--तो मेरा यह कहना है..

अध्यक्ष महोदय--आप कृपया सहयोग करें.

श्री सुन्दर लाल तिवारी--अध्यक्ष महोदय,हम सहयोग कर रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय--नहीं, अब बिल्कुल नहीं, 12 मिनट हो गये हैं आपको बहुत समय हो गया है. अब आप बैठ जायें. कमलेश्वर पटेल अपनी बात करें.

श्री सुन्दर लाल तिवारी--मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सदन तय करे कि कितना मुआवजा देना है. बेहतर यह होगा किसानों का मुआवजा बजाये कि एक आदमी दस्तखत करके कर दे, किसानों को राइट टू सर्वे का अधिकार इस सदन के माध्यम से दिया जाना चाहिये.

अध्यक्ष महोदय--नहीं हो गया अब. ठीक है आपकी बात आ गई. अब श्री तिवारी जी का कुछ नहीं लिखा जायेगा, श्री कमलेश्वर पटेल..श्री कमलेश्वर पटेल जो बोलेंगे वही लिखा जायेगा.

श्री सुंदर लाल तिवारी--(XX)

अध्यक्ष महोदय--आप बैठ जायें कृपया, वही वही बात अब नहीं कर सकते. आप बैठ जायें प्लीज. श्री पटेल अपनी बात करें.

श्री सुन्दर लाल तिवारी--(XX)

अध्यक्ष महोदय--पटेल जी, आप अपनी बात शुरू करें.

श्री सुन्दर लाल तिवारी--(XX)

अध्यक्ष महोदय--नहीं, श्री तिवारी जी का कुछ नहीं लिखा जायेगा. श्री कमलेश्वर

(XX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

पटेल जो बोलेंगे वही लिखा जायेगा.

श्री सुन्दर लाल तिवारी--(XX)

श्री सत्यदेव कटारे--अध्यक्ष महोदय, सदस्य जो बात कह रहे हैं, नई बात कह रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय--नहीं, 12-15 मिनट हो गये हैं अब. संक्षेप में बात करिये.

श्री सत्यदेव कटारे--सदन आखिर है किसलिये ? किसानों पर चर्चा तो होनी चाहिये.

अध्यक्ष महोदय--किसानों पर ही चर्चा हो रही है पर इसका यह मतलब नहीं है कि वही वही बात आधे आधे घंटे तक करें.

श्री सत्यदेव कटारे--अध्यक्ष महोदय, आधा घंटे का जो कह रहे हैं, तो घंटे तय नहीं है.

अध्यक्ष महोदय--2 घंटे तय करे थे.

श्री सत्यदेव कटारे--तय यह है कि किसानों पर चर्चा होगी जरूर. मुख्यमंत्री जी ने बोला था रात भर बैठेंगे.

अध्यक्ष महोदय--नहीं, इस तरह से नहीं करें. आप कृपा करके सहयोग करें.

श्री सत्यदेव कटारे--हम तो निवेदन कर रहे हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय--आपसे मैं भी विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि आप कृपया सहयोग क करें , सारी बातें आ चुकी हैं, उन्हीं बातों का रिपीटीशन हो रहा है.

श्री सत्यदेव कटारे--तिवारी जी को बोल लेने दें.

अध्यक्ष महोदय--माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि उन्हीं उन्हीं बातों को नहीं दोहरायें, अपने क्षेत्र की बात करें, ताकि ठीक से चल सके और शासन का उत्तर भी ठीक से आ सके.

श्री सत्यदेव कटारे--ओला तो वही गिरा है, मेरे क्षेत्र में भी वही गिरा है, नरोत्तम मिश्र के में भी वही गिरा है. बात ओले की होगी तो उसी सफेध ओले की होगी, लेकिन तिवारी जी अपनी बात कह रहे हैं उनको अपनी शैली से बात कह लेने दें, मेरी आपसे प्रार्थना

(XX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

है कि उनको थोड़ा समय दे दें.

अध्यक्ष महोदय--12-13 मिनट हो गये. आप कृपा करके सहयोग करें.

श्री सत्यदेव कटारे--अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट और हो जायेंगे.

अध्यक्ष महोदय--नहीं, वह 2-2 मिनट करते हुए कई मिनट हो जायेंगे.

श्री सत्यदेव कटारे--आप तो सबेरे दे रहे थे आधा आधा घंटे.

अध्यक्ष महोदय--चलिये, 2 मिनट में समाप्त करें.5 बजकर, 7 मिनट हैं.

श्री सुन्दरलाल तिवारी--अध्यक्ष महोदय, यह ओला वृष्टि और अतिवृष्टि का तो हमने सर्वे किया है, लेकिन मैं सदन को आपके माध्यम से से बता देना चाहता हूं कि निरंतर 2 महीने से बरसात हो रही है और यह बरसात ऐसी हुई कि पानी गिरना बंद ही नहीं हुआ और निरंतर पानी गिरने की वजह से जो चने में फूल लगे थे या दीगर मसूर में फूल लगे थे, या गेहूं के लिये तो मान लीजिये कि फायदा था, लेकिन चना और मसूर को निरंतर इसकी वजह से नुक्सान हुआ, ओला वहां जरूर नहीं गिरा मान लीजिये, तो मेरा यह कहना है कि इसका मूलयांकन इस तरह हो कि निरंतर वर्षा से किन किन फसलों का नुकसान हुआ है, उन सभी किसानों को मुआवजा दिया जाये.

श्री कमलेश्वर पटेल (सिहावल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सीधी सिंगरौली जिले में भी ओला वृष्टि तो नहीं हुई, पर अतिवृष्टि लगातार हुई, जिसकी वजह से किसानों की फसलों का काफी नुकसान हुआ है, चाहे वह गेहूं की फसल हो, चाहे चने की फसल हो, चाहे मसूर की हो, या अन्य जो भी दलहन की फसल है, काफी नुकसान हुआ है और सरकार की तरफ से से और जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का ना सर्वे करवाया जा रहा है, एक तरफ जहां बारिश से नुकसान हुआ, दूसरी तरफ बाण सागर के नहर का पानी भी ऐसे समय में ही छोड़ा गया था कि उसी समय बारिश भी हो गई एक ही दिन बाद, तो और भी ज्यादा नुकसान हो गया. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा विशेषि निवेदन है कि जिस तरह से पिछले साल भी पाला राहत

जब सर्वे कराया गया था सीधी सिंगरौली जिले में पर किसानों को अभी तक कोई राहत राशि नहीं मिली है, तो इस तरह का कोई सर्वे और इस तरह का कार्य नहीं हो, जिस तरह का अभी हमारे कई सत्ता पक्ष के साथी लोग चर्चा कर रहे थे कि पिछले सालों में 3 सालों से मध्यप्रदेश में काफी बड़ा संकट आया हुआ है और अतिवृष्टि, पालावृष्टि, पाला इनसे फसलों का काफी नुकसान हुआ है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ कई सौ करोड़ रूपये पाल राहत, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि में मध्यप्रदेश ने पिछले तीन सालों में बांट दिये हैं और दूसरी तरफ यही सरकार कृषि कर्मण अवार्ड ले रही है एक तरफ करोड़ों रूपये किसानों के मध्यप्रदेश में नुकसान हो रहा है किसानों को पाला राहत, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि में पैसे का वितरण किया जा रहा है और सचाई यह है कि वितरण भी हो गये हैं, लेकिन किसान आज भी राहत के लिये भटक रहे हैं उनको राहत राशि नहीं मिली है हमारे जिले में तो यही हालत है. आज किसान सबसे ज्यादा परेशान है बिजली के बिलों की मनमानी वसूली हो रही है, गरीब के घर में अगर उसने सोसाइटी से कर्जा लेकर रखा ट्रेक्टर के लिये, किसानी के लिये उसकी अलग से वसूली चल रही है और जब किसान अपना ही धान एवं गेहूं बेचकर के आता है और जब सोसाइटी में जाता है तो अपना ही पैसा लेने के लिये तीन तीन महीने से चक्कर लगाता है, यह बड़ा चिन्ता का विषय है. कुछ तार्किक बातें हैं सरकार के साथी जो यहां पर पेश कर रहे थे, बड़ी प्रशंसा कर रहे थे. आंकड़ों के जाल से सरकार का चेहरा अच्छे से पेश करते हैं, पर सचाई तो छुप नहीं सकती है. सरकार का आंकड़ा है कि कृषि वृद्धि दर 25 प्रतिशत हो गई है, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा है अब यह बात सरकार की भी समझ में नहीं आ रही है कि इतनी ज्यादा वृद्धि दर के बाद भी किसानों की हालत कमजोर क्यों बनी हुई है, स्थिति तो यह होना चाहिये थी कि किसानों की हालत सबसे ज्यादा अच्छी होती और छोटी-छोटी जरूरतों के लिये किसान सरकारी सुविधाओं पर निर्भर नहीं रहते. सरकारी आंकड़ा है कि किसानों को भरपूर बिजली मिल रही है. सरकार यह भी कहते हुए नहीं थकती कि मध्यप्रदेश में जरूरत से ज्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा है. यदि ऐसा है तो बिजली वितरण कम्पनियां बिजली दर

बढ़ाने पर क्यों उतावली हैं. सच तो यह है कि हमारे सत्तापक्ष के सदस्यों को आज विद्युत उत्पादन का सही से आंकड़ा भी पता नहीं है. यदि बिजली का उत्पादन हो रहा था तो बिजली की खरीदी क्यों हुई, यह भी समझ से परे है. अब वितरण कम्पनियां बिजली का व्यापार शुरू करेंगी उसमें मनमानी भी करेंगी, भले ही किसान परेशान हो जाए ज्यादा बिल देकर के उसकी भी चिन्ता सरकार को नहीं है. हम मुख्यमंत्री जी को बिजली के मामले में निर्दोष भी मानते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा जानकारी भी नहीं है कि बिजली विभाग में क्या हो रहा है ? पिछले तीन सालों से प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों में भारी नुकसान हुआ है. सरकार कहती है कि किसानों को 15 हजार करोड़ रूपये दे दिये हैं, सवाल यह है कि जब खेती खराब हो गई थी तो फिर खाद्यान्न, गेहूं उत्पादन के लिये कृषि कर्मण अवार्ड पुरस्कार कैसे मिला, यह बड़ा चिन्ता का विषय है. किसानों को सही समय पर खाद नहीं मिल रहा है.

श्री सुदर्शन गुप्ता—आपकी सरकार माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कृषि कर्मण अवार्ड दो बार दिया है.

श्री कमलेश्वर पटेल—माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को चाहिये था कि यूरिया के दाम भी कम कर देती, क्योंकि इसमें परिवहन की लागत भी कम हो गई है. किसान आंदोलन करते रहे जब खाद मिलना शुरू हुआ और जब बोवाई का समय चला गया. हमारे कई सत्तापक्ष के साथियों ने सरकार की बहुत प्रशंसा की कि पिछली सरकार में बहुत सारा मुआवजा राहत राशि के रूप में दिया गया अब तो भारत देश में केन्द्र में तथा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आपके माध्यम से सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि किसानों के हितों की चिन्ता करें जो पिछली बार राशि दी गई थी उससे दुगनी राशि राहत के रूप में किसानों को दें अब तो अच्छे दिन आ गये हैं मुझे उम्मीद है कि सरकार चेतेगी और आम जनता को राहत देने का काम करेगी धन्यवाद.

श्री रामपाल सिंह(ब्यौहारी) – माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया. आज जो यह चर्चा सभी सम्मानित सदस्यगण नियम-130 के तहत सदन में कर रहे हैं.निश्चित रूप से यह हमारे प्रदेश की बड़ी समस्या है. साथियों, इस प्रदेश के किसान हमारे देश की, प्रदेश की रीढ़ होते हैं. हमारे देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था इन किसानों के ऊपर निर्भर रहती है और हमारी बहुत सी अर्थव्यवस्थाएं हमारे किसान भाईयों, हमारे अन्नदाताओं के भरोसे ठीक होती है. मैं अपने ब्यौहारी विधान सभा क्षेत्र की बातों को रखना चाहूंगा. बहुत सी जगह ट्रांसफार्मर जले हैं. किसानों ने पूरा बिजली का बिल भुगतान भी किया किन्तु आज तक 10-15 जगह ट्रांसफार्मर नहीं लगे.गेहूं की फसल का काफी मात्रा में नुकसान हुआ. ऐसी जगहों का हमने लिखकर कलेक्टर महोदय को दिया है कि ऐसी जगहों का सर्वे कराकर और पिछले सत्र में हमने प्रश्न भी लगाया था कि जिनका नुकसान हुआ तो सरकार उसकी भरपाई करेगी कि नहीं ? ओला से हमारे यहां नुकसान कम किन्तु अत्यधिक वर्षा होने के कारण बहुत सी जगहों पर चना,मसूर,मटर की फसल का नुकसान हुआ. गेहूं की फसल का नुकसान हुआ. मैं इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि गंभीरता के साथ पूरे क्षेत्र का सर्वे कराया जाय और जो उचित मुआवजा बनता हो उसका तरीके से किसानों को उसका लाभ दिया जाना चाहिये. आपको बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री आशीष गोविन्द शर्मा(खातेगांव) – माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह मध्यप्रदेश के कई सारी जगहों पर ओलावृष्टि हुई उसी तरह हमारे खातेगांव विधान सभा क्षेत्र में भी लगभग 8-10 गांवों में ओलावृष्टि हुई. कई सारे गांवों में अतिवृष्टि के कारण फसलों को नुकसान हुआ. मैं कहना चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदाएं प्रतिवर्ष मध्यप्रदेश में आ रही हैं लेकिन सरकार ने भी जिस तत्परता के साथ किसानों को राहत राशि प्रदान की है वह सराहनीय है. इस साल भी बारिश और हवा के कारण जो गेहूं की अच्छी फसल थी तो वह फसल गिर गई और उसका फलन खराब हुआ और उसकी गुणवत्ता भी खराब हुई है और आज वह खराब गेहूं किसानों के पास है और वह खाने

योग्य नहीं बचा है और कहीं न कहीं किसान के सामने बहुत बड़ी विपत्ति किसान के सामने आई है. मैं सरकार तक यह बात कहना चाहता हूं कि कई जगह सर्वे का काम राजस्व विभाग ने किया है. फसल कटकर खेत में पड़ी हुई थी किसान उसको समेट भी नहीं पाया तब तक ऊपर से बारिश आई. हमारे यहां डालर चने का बहुत अच्छा उत्पादन होता है. जिसकी मांग विदेशों तक है. डालर चना बहुत कीमती होता है उसकी अच्छी कीमत मिलती है तो वह भी इस बार खराब हुआ है जिससे किसान को नुकसान हुआ है और सब्जियों की फसल भी खराब हुई है. किसान को लगातार दूसरे तीसरे वर्ष फसल में नुकसान उठाना पड़ा है. सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है मैं चाहता हूं कि किसानों को मुआवजा भी प्राप्त हो और बीमे की राशि हम किसानों को दिलवा पाएं. त्वरित गति से राजस्व अमला जहां नहीं पहुंच पाया है जहां किसानों की फसलों को नहीं देख पाया है क्योंकि किसान चिंतित है मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगली दो-तीन दिन में फिर बारिश होसकती है. एक बात और हमें अच्छी देखने को मिली कि कृषि विभाग को समय पूर्व चेतावनी किसानों को प्रदान की गई जिससे कई सारे किसान सचेत होकर कुछ हद तक अपनी फसल को बचा पाये. आपने मुझे बोलने का अवसर दिया बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्रीमती शीला त्यागी (मनगवां):-

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे रीवा जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश में ओला वृष्टि और अतिवृष्टि से किसानों कि फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जो बहुत ही असहनीय दुख है जिसकी वजह से किसान बहुत दुखी और परेशान है और आत्महत्या करने के लिये मजबूर हैं। अध्यक्ष महोदय मनगवां विधान सभा में भी प्राकृतिक प्रकोप की वजह से साढ सत्तर गांव में पूरी तरह से फसल चौपट हो चुकी है। जैसे कि रामपुर आरआई सर्किल गंगेवगढ़, लालगांव और बहुत सारे गांव जैसे मनगवां के सेंटर में भी बीस पच्चीस गांव में फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। आप सभी को मालूम है माननीय अध्यक्ष महोदय, की लगातार तीन वर्षों से ओलावृष्टि और अतिवृष्टि और पाला

की वजह से पूरे प्रदेश में किसानों के साथ प्राकृतिक बराबर बढ़ता जा रहा है, इसके लिये सरकार ने बहुत सारे प्रावधान किये हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सारे वादे भी किसानों से किये हैं । मैं यह कहना चाहती हूं कि अभी भी मनगवां विधान सभा में पहले भी जो सोयाबीन की फसल पाले की वजह से चौपट हुई थी उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला। मैं एक कहावत के माध्यम से बताना चाहती हूं कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके , अभी तो सोयाबीन का मुआवजा मिला भी नहीं था कि और यह फिर बड़ी आफत आ गयी और किसानों का भारी नुकसान हुआ और रही बात हमारी मनगवां विधान सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि रीवा जिले में वह अक्सर दौरा करते हैं लेकिन हमारी विधान सभा जो कि रीवा जिले का मुख्य केंद्र बिन्दु है यदि माननीय मुख्यमंत्री जी का वहां भी दौरा हो और उनकी दया हमारी विधान सभा में भी रहे तो हमारे किसानों को भी और आम जनता को भी आपके द्वारा जो वायदे किये जाते हैं उनमें से भी पूरी हो जायें । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि जो पिछला मुआवजा साढ़े चार करोड़ के लगभग दिया गया था उसके संबंध में कहना चाहती हूं कि उसका सही सर्वे नहीं किया गया और अगर किया गया तो आपस में बंदरबांट कर लिया गया, और अभी जो 25 करोड़ रूपये की राशि दी गयी है। इसका भी पिछले कि तरह बंदरबांट न कर लिया जाए बल्कि सही सर्वे करवाकर मुआवजा दिया जाये और हमारे यहां के किसानों को उसका सही लाभ मिले मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहती हूं कि किसान भाईयों को जो आत्महत्या करने के लिये मजबूर हैं उनके कर्ज माफ किया जाये और उनको हर तरह से सुविधाएं दी जाएं और बिजली के बिल की जो फर्जी वसूली हो रही है, उसको भी माफ किया जाए औरसाथ ही साथ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी रीवा जिले में गये थे वहां उन्होंने घोषणा की है कि जिनकी फसलें ओला से नष्ट हुई है उनको तो दिया ही जाए मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे मनगवां विधान सभा में भले ही ओले कम गिरे हों वहां पर अति वर्षा की वजह से भारी हवा की तरह फसलें पूरी तरह से खेत में बीछ गयी हैं और चना और मसूर तो पूरी तरह से सड़ गयी है , लेकिन गेहूं भी काले हो गये हैं और खेतों में बीछ गये हैं । मैं

मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करती हूं कि आप हर बात में जहां कहीं भी जाते हैं तो मंच के माध्यम से कहते हैं कि मैं हूं न , मैं आपसे यही कहना चाहती हूं कि आप अगर इस शब्द को बड़ी सार्थकता के साथ यह बोलते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है अगर इसमें अमल करेंगे तो किसानों का भला होगा। आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री नीलेश अवस्था (मझौली) :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी विधान सभा में शतप्रतिश किसान रहते हैं तो माननीय आपसे निवेदन है कि हमारी विधान सभा में लगातार तीन साल से प्राकृतिक आपदा छेल रहा है वहां का किसान टूट गया है, बिल्कुल लचर हो गया है। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ओला से और अतिवर्षा से हमारे किसानों के पास शादी करने के लिये और फीस जमा करने के लिये पैसे नहीं हैं। ऋण चुकाने के लिये पैसे नहीं हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाये और पूर्व में भी मुआवजा राशि हमारे क्षेत्र में नहीं बटां है और जो सर्वे का काम चल रहा है वह अभी तक प्रारंभ भी नहीं हुआ है। पूरे जिले में अभी सर्वे टीम नहीं पहुंची है न ही हमारे विधान सभा क्षेत्र में सर्वे हो रहा है । हमारा आपसे निवेदन है कि सर्वे टीम जो कृषि,पंचायत और राजस्व विभाग को मिलाकर गठित की गई है वह क्षेत्र में जाये, प्रत्येक ग्राम में जाये और स्थिति देखें. माननीय मुख्यमंत्रीजी से एक और अनुरोध करुंगा कि आप भी हमारे विधान सभा क्षेत्र में आयें किसानों को राहत दें और स्थिति देखें कि अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से पूरी फसल नष्ट हो चुकी है. मैं सरकार से कुछ मांग करना चाहता हूँ कि पुराना मुआवजा तुरंत दिया जाय, सर्वे तत्काल चालू किया जाये, प्रत्येक ग्राम में सर्वे हो, बिल की वसूली पर तत्काल रोक लगे, बिजली के बिल माफ किये जायें, किसानों का ब्याज भी माफ किया जाये और ऋण वसूली तत्काल रोकी जाये. अधिक से अधिक मुआवजा राशि प्रदान की जाये, धन्यवाद.

प्रो.संजीव छोटेलाल उइके (मंडला)—माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश की तरह आदिवासी जिला मंडला और मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि की मार से हम लोग भी अछूते नहीं हैं. ओलावृष्टि न होती तो फसल पककर हफ्ते दस दिन में किसानों के घर में पहुंच जाती परन्तु दुर्भाग्य से प्रकृति की मार ने ओलावृष्टि के माध्यम से किसानों को वह मार मारी है कि किसान पूरी तरह से दुखी है.

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार भी जब प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों के मुआवजे की घोषणा हुई थी वह मुआवजा आज तक नहीं मिला है. मंडला विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत नैनपुर विकासखंड में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि के मुआवजे की राशि को जल्द से जल्द उपलब्ध करायें.

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद.

श्री दिलीप सिंह परिहार (नीमच)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अति महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा हो रही है. मुझे याद है माननीय चावला जी, माननीय ओम जी और मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी से मिले थे जब नीमच जिले में ओलावृष्टि प्रारंभ हुई थी उस समय छोटे-छोटे ओले गिरे थे. उस समय माननीय मुख्यमंत्रीजी अन्त्योदय मेले का कार्यक्रम बना रहे थे उन्होंने उस कार्यक्रम को कैंसिल किया और हमसे कहा कि मैं वहां किसानों के बीच में आऊंगा. जब हम नीमच पहुंचे तो नींबू और संतरे के समान बड़े-बड़े ओले गिरे ऐसा लग रहा था जैसे नीमच कश्मीर बन गया हो. छतों की चादरें फूट गईं, किसान अपनी जान बचाकर भागा ईश्वर की कृपा रही कि कोई जनहानि नहीं हुई. हमने देखा कि किसान की सारी फसलें सो गईं यही बात हमने मुख्यमंत्री जी से कही वे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किसानी के धंधे को देखा है खेती को उन्होंने करीब से किया है इसलिये वे जानते थे. वे उस संवेदना को लेकर नीमच आये और दारु गांव जो मालवा और मेवाड़ की धरती पर बसा हुआ है वहां गये. वहां सारी जनता और अन्य जनप्रतिनिधि उनको माला पहनाने

लगे उन्होंने माला नहीं पहनी और सीधे किसान के पास गये किसान ने कहा कि हमारी ईसबगोल की पूरी फसल नष्ट हो गई है. मुख्यमंत्रीजी किसान के खेत में गये वहां कंवरलाल नाम का एक किसान जो उनसे मिला और उसके धर-धर आंसू बहने लगे हमारे मुख्यमंत्रीजी ने उस किसान को सीने से लगाया. उस समय रामपाल जी हमारे प्रभारी मंत्री दीपक जी भी साथ थे वह दृश्य बहुत भावुक था. मुझे ऐसा लगा कि एक पिता जो किसान है वह आज किस प्रकार से रो रहा है, मुख्यमंत्रीजी ने उसकी संवेदना को देखते हुये उसी समय सभा में घोषणा की कि जिस भी किसान की ईसबगोल की फसल का 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है उसको 26000 रुपये हेक्टयर मुआवजा दिया जायेगा. इस घोषणा से किसान ताली बजाने लगे, नाचने लगे. उनका दर्द कोई कम करने आया तो ऐसा लगा कि कोई किसान का बेटा आज हमारे बीच में आया है और हम जानते हैं कि—

जिसकी फटी न हो बेवाई, वह क्या जाने पीर पराई.

यदि जिसने दुख नहीं देखे हों. इन कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं ने कभी दुख नहीं देखे. कभी आर बी सी में चेंज नहीं किया, दो सौ, पाँच सौ रुपये का, किसानों को यह मुआवजा देते थे. आज मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ाया है. मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ. हमारे यहाँ नीमच जिले में औषधि वाली फसलें होती हैं. चाहे कलौंजी हो, संतरा हो, अन्य प्रकार की औषधि की जो फसलें होती हैं, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि पटवारी के माध्यम से सर्वे हो और उन किसानों को भी मुआवजा राशि या सहयोग राशि दी जाएगी. मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे बना जी बोल रहे थे कि छाती पर नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये ओले मेरे सीने पर गिरे हैं, किसान के खेत में नहीं गिरे हैं. आज मुख्यमंत्री जी का सीना गर्व से बढ़ रहा है, प्रदेश का भी सीना गर्व से बढ़ रहा है कि वे किसानों के लिए, एक संबल देने के लिए, दुख के समय, उनके बीच में खड़े हुए हैं. मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत दुआएँ मिल रही हैं और दुआएँ हमेशा आदमी का खजाना भरा करती है. आज जो बजट है, उस बजट के माध्यम से हमारे काँग्रेस के कुछ मित्र यह कह रहे थे कि यह बजट के माध्यम से, तालाब बनाने के लिए, बिजली के लिए, डेम के लिए, यदि

कर्जा भी लिया है तो वह किसी का घर भरने के लिए नहीं लिया है, किसान की खेती को लाभ देने के लिए, हमारे अंतरिम बजट में यदि हम कर्जा ले रहे हैं तो किसान के लिए ले रहे हैं और आज हम सब लोग जानते हैं, अन्नदाता के आँसू यदि पोछने का कोई काम कर रहा है तो वह मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी जहाँ जहाँ भी जाते हैं, किसानों से मिलते हैं. वहाँ हमारी माताएँ, बहनें आ गईं, उनके चेहरे मुरझाए हुए थे, मुख्यमंत्री जी ने बेटी के सिर पर हाथ रखा और किसान से यह कहा कि किसान भाई, आपके दुख के समय हम आपके साथ में हैं और आपको चिन्ता करने की जरुरत नहीं है, यदि आपकी बेटी का भी विवाह कराना होगा तो मुख्यमंत्री करवाएगा. मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि यदि आपको गेहूँ चाहिए, चाँवल चाहिए, यदि और भी किसी किसान को वस्तु चाहिए तो वह देने का काम मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे. केरवा डेम बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी पैसा नहीं ले जाते. मुख्यमंत्री किसानों को बाँटने के लिए पैसा लेते हैं और आज किसान को देने का काम कर रहे हैं. मुझे याद है कि जो बीस भुजा माता का सावन में मंदिर है वहाँ भी पिछले वर्ष जब ओला गिरा था तो उन्होंने वहाँ हेलिकॉप्टर उतारा था और किसानों को राहत राशि दी थी. मुझे याद है कि जब हमने वह चेक किसानों को दिए थे तो किसानों ने हमें दुआएँ दी थीं और आज किसानों की दुआएँ, गरीबों की दुआएँ, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ है. कितनी ही बददुआएँ काँग्रेस के लोग करें मगर मुख्यमंत्री जी के साथ साढ़े सात करोड़ जनता की दुआएँ हैं, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि—

क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है

मिलता है जहाँ का प्यार उसे जो किसान के आँसू पीता है. (मेजों की थपथपाहट)

तो ऐसे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों के दुख में संबल देने वाले नीमच जिले में पधारे और किसानों को संबल प्रदान किया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ. अध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहाँ बँगला बगीचा समस्या की बैठक थी. मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा हमारे सांसद जी और नगर पालिका के अध्यक्ष आए हुए हैं, उन्होंने कहा आज कोई बैठक नहीं होगी. आज किसानों के लिए ओले

पाले के संबंध में सदन में चर्चा है तो एक ऐसा मुख्यमंत्री जो केवल सबकी चिन्ता करता है, किसानों की चिन्ता को प्राथमिकता से लेता है. अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ. मुख्यमंत्री जी नीमच जिले में पधारे इसके लिए धन्यवाद देता हूँ. किसानों के ऋणों में भी सुविधाएँ दें, ऐसा मेरा निवेदन है और जो हमारे किसानों का बीमा लिया जाता है उसमें भी कहीं न कहीं राहत प्रदान करें. बहुत बहुत धन्यवाद.

सुश्री हिना लिखीराम कावरे(लाँजी)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया. इसके पहले भी ओला पाला और अतिवृष्टि पर बोलने का अवसर मुझे इस सदन में मिला था और आज मैं एक बार फिर अपनी बात को दोहराना चाहूँगी. उस समय भी मैंने एक ही बात कही थी कि यदि हम कोई आयोजन करते हैं और उस आयोजन में हम सौ लोगों का खाना बनाते हैं और एक हजार लोगों को यदि हम आमंत्रित करते हैं तो कहीं न कहीं उस समारोह में अफरा-तफरी मचती है. आज मैं एक बार फिर उसी बात को कहती हूँ. इस ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से जो हमारा मध्यप्रदेश का किसान जूझ रहा है. मैं उनके बारे में एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जब भी हम किसानों के पास जाते हैं तो किसान सबसे ज्यादा दुखी होता है और जो व्यक्ति सर्वे करने जाता है, चाहे वह पटवारी हो, चाहे वह तहसीलदार हो, कोई भी व्यक्ति जब सर्वे करने जाता है तो हमारा किसान उसको लेकर बहुत क्रोधित होता है, वह एक ही बात कहता है कि मेरा इतना नुकसान हुआ लेकिन मुझे कम आँका गया. आदरणीय महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा जी ने सुबह एक बहुत अच्छी बात कही थी और उन्होंने यह बात दर्ज करवाई थी कि जितना नुकसान किसान को होता है उसका सही तरीके से आंकलन नहीं किया जाता और आज भी जब हम किसान के पास जाते हैं तो यही बात हमको सुनने में आती है. मैं एक बात कहना चाहती हूं कि कोई भी पटवारी या तहसीलदार वहाँ पर सर्वे करने के लिए जाता है वह अपनी तनख्वाह में से किसी को मुआवजा नहीं देता है, मुआवजा जहाँ से तय होता है वह तो सर्वे करने का एक माध्यम है. मैं सदन में यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि हम जो भी नुकसान हुआ

उसका सही मुआवजा तय करे और सही आंकलन करे और सही सर्वे करे . अगर सही सर्वे और आंकलन हमारे किसान की फसल का जो नुकसान होता है उसका होगा तो इस सदन में बैठे प्रत्येक व्यक्ति इस बात के लिए जवाबदार है चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का क्योंकि हमको जनता ने यहाँ पर उनकी आवाज बुलंद करने के लिए चुनकर भेजा है और यदि हम आंकलन और सर्वे सही करेंगे, हमारे पास जब सही आंकड़े आएंगे , तो निश्चित रूप से आज जो 500 करोड़ का मुआवजा देने की बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है वह कहीं –न-कहीं निश्चित रूप से बहुत कम है. इसलिए मैं यहाँ पर कहना चाहती हूं कि हम जानते हैं कि सर्वे में जो कमी-बेशी होती है उसका कारण यही है कि 100 लोगों का खाना बनाकर 1000 लोगों को आमंत्रित करना, यह वही बात है. आज जो दबाव चाहे वह पटवारी पर हो या तहसीलदार पर हो वह दबाव उन पर न बनाया जाये उनको यह बात बोली जाए कि आप जो भी सर्वे करें उसको सही रूप से करे और उसके बाद जितना मुआवजा उनको देना होगा वह सारे मुआवजे को हम मिलकर सामंजस्य बिठाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सांमजस्य बिठाकर कहां हमको कटौती करनी है कहाँ से हमको कैसे व्यवस्था करना है इस बात को हम सदन में उठाये और निश्चित रूप से इस बात को लेकर हमको केंद्र सरकार के समक्ष जाने के लिए अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से हम सत्ता पक्ष के साथ हमारे कांग्रेस के सभी सदस्य अन्य दलों के सभी सदस्य मिलकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के समक्ष मांग करने के लिए सहमत होंगे. आपने मुझे बोलने का अवसर दिया बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री सोहनलाल बाल्मीक(परासिया)--- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश के अंदर जो अतिवृष्टि ओलावृष्टि हुई है वह हम सभी के लिए दुख का विषय है. इससे सीधे तौर पर किसान तो प्रभावित हुआ है परन्तु पूरा प्रदेश और देश भी इससे प्रभावित होगा . आम जनता भी इससे परेशान होगी क्योंकि जो किसानों की फसलें खराब हुई हैं, जो सब्जियाँ खराब हुई हैं , जो फल खराब हुए हैं निश्चित रूप से आने वाले समय में इन सबके मूल्य बढ़ेंगे तो सीधा इसका जनता पर प्रभाव पड़ेगा. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज इस मौके पर बहुत सारे लोगों ने बात की मैं उस

बात को बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा परन्तु फिर भी सरकार के बैठे हुए नुमान्दों से कुछ अपनी मांग व सुझाव जरूर देना चाहता हूं. मेरी बात को थोड़ा-सा गंभीरता से सुने . जैसा कि जो बातें आई, फसलें खराब हुई, ओलावृष्टि हुई , इस बार सरकार के माध्यम से एक बात जरूर अच्छी हुई है कि पिछले बार सिर्फ पटवारी और कोटवार या आरआई ही फसलों का सर्वेक्षण करते थे. इस बार एक टीम बनी है जिसमें कृषि विभाग के लोग भी हैं, उद्यानिकी विभाग के लोग भी हैं व ग्रामसेवक भी हैं ऐसे पांच लोगों की टीम बनाई गई है वह निश्चित रूप से सरकार का सराहनीय कार्य है परन्तु इस टीम के अंदर में थोड़ी सी अनियमितता हो रही है उस पर जरूर रोक लगाने की आवश्यकता है नहीं तो सरकार की मंशा फिर कहीं-न-कहीं अटक जाएगी तथा आरोप व प्रत्यारोप का दौर चालू हो जाएगा क्योंकि जब प्राकृतिक आपदा आती है उसमें न सत्ता पक्ष का हाथ होता है न विपक्ष का हाथ होता है . इन सब चीजों से लड़ने के लिए हम सब को पूरी ताकत के साथ में, एकजुटता से ,बिना भेदभाव के , बिना राजनीति के किसानों की भलाई के लिए उनकी मदद के लिए हम सबको तत्पर रहना चाहिए. किंतु चूंकि हम लोग विपक्ष में है तो हमारी बात को भी सत्ता पक्ष को गंभीरता से सुनना चाहिए, समझना चाहिए . हम सिर्फ आरोप के लिए नहीं हैं, हम आपको सिर्फ नीचा दिखाने के लिए नहीं हैं. वास्तविक स्थिति यह है कि जो क्षेत्र के अंदर में, जमीनी स्तर पर जो तकलीफें होती हैं और शासन की जो योजना है वह हितग्राहियों तक नहीं पहुंचती है तो हम अपनी बात इस सदन के अंदर रखना चाहते हैं परन्तु इस सदन के अंदर भी उसको गलत तरीके से लेकर टीका टिप्पणी की जाती है. जिस तरीके से सुबह जब बात चल रही थी किसानों की बात हो रही थी तो आदरणीय हमारे पंचायत मंत्री जी ने इस बात को कहा कि कांग्रेस बगलामुखी के मंदिर में बैठकर तंत्र मंत्र की विद्या अपना रही है तो यह भी कहीं न कहीं जवाबदार लोग हैं, हम लोग तो छोटे लोग हैं, हम लोग पहली बार सदस्य चुन के आये हैं.

श्री गोपाल भार्गव-- माननीय बाल्मीकि जी, मैंने इस संदर्भ में कहा था कि माननीय गोविन्द सिंह जी कह रहे हैं कि जब से मुख्यमंत्री शिवराज जी प्रदेश के बने हैं तब से यह विपत्तियां

आयी हैं, तब मैंने इस बात को कहा था कि आप ही ही यह तंत्र मंत्र क्रिया करवा रहे हैं . मैं अकारण खड़ा नहीं हुआ था और न मैं होता हूँ. यह आपके ही सदस्य ने कहा था इस कारण से मैंने कहा था कि यह तांत्रिक विद्या न मैं जानता हूँ, न हमारे लोग जानते हैं. यह तो प्रकृति है, कभी भी नुकसान हो हो सकता है .

श्री सोहनलाल बाल्मीक-- मैंने बड़े स्पष्ट रुप से कहा कि यह आपके हाथ में भी नहीं है, हमारे हाथ में भी नहीं है, यह प्राकृतिक आपदा है. जो आपदा आयी है तो हम सबको इससे निपटने की आवश्यकता है और इस पर काम करने की जरुरत है. माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे छिंदवाड़ा जिले में भी सिहोर गांव में गये थे. मेरे क्षेत्र से लगभग 60 किलोमीटर दूर दूर पड़ता है मगर फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में गया, मैंने अपना ज्ञापन दिया, हो सकता है उनका ध्यान भीड़ भाड़ के कारण मेरी तरफ नहीं रहा हो, वह अलग बात है परन्तु उन्होंने मेरा ज्ञापन लिया . मैं चाहता हूँ कि उस ज्ञापन के अन्दर में मेरी बात को समझें, मेरे क्षेत्र की स्थिति को समझें. मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आज 15 हजार रुपये हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजे की घोषणा की है, क्या वह सही है, क्या वह उचित है. सरकारी तौर पर एक छोटा सा किसान भी इस बात को समझता है कि जब खेतों में हल लगाता है तब से लेकर फसल की कटाई तक में उसको कितना खर्चा आता है, एक छोटे से किसान को भी जानकारी होती है, क्या सरकार के पास इसका सही आंकलन नहीं है कि एक हेक्टेयर में कितनी फसल खराब होती है, कितना मुआवजा मिलना चाहिए. यह जो 15 हजार रुपये हेक्टेयर के हिसाब से फसले खराब होने की बात कही है और एक तरफ यह बोला जाता है कि 50 प्रतिशत जिसकी फसल खराब होगी उसको 100 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा तो 100 प्रतिशत मुआवजे का आंकलन क्या है, किस हिसाब से 100 प्रतिशत का आंकलन होगा. क्या 15 हजार रुपये हेक्टेयर से होगा, क्या उसका सही आंकलन होगा, जब से खेतों में वह अपना हल लगाने के बाद में फसल काटने तक का जितना भी खर्चा आता है, क्या उसका 100 प्रतिशत होगा, इस बात को भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या है. मेरे क्षेत्र में बहुत सारे किसानों ने

तरबूज खेतों में लगाया है, और उसको लगाने का जो खर्चा है प्रति एकड़ 60 हजार रुपये आ रहा है और लगभग सारे किसानों ने तरबूज की जो खेती की है, लगभग तबाह हो चुकी है तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या उनको 60 हजार रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाएगा और नहीं दिया जाएगा तो यह 100 प्रतिशत की जो बात की जा रही है, क्या वह 100 प्रतिशत सही तरीके से होगा. आज हम जो बहस कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी और निष्ठा से हम लोगों को करने की आवश्यकता है. आपने समय बढ़ाया है इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ. मैं तो सरकार से कहता हूँ कि सरकार बहुत खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने की बात करते हैं. माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार इस बात को बोला है. मगर खेती लाभ का व्यवसाय कैसे बने और किस तरीके से किसानों को लाभ मिले, इसके बारे में भी एक नीति बननी चाहिए क्योंकि जो नीति सरकार के माध्यम से बनायी जा रही है वह किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है. खेती लाभ का व्यवसाय कैसे बनेगा. आप मुझे बताइयेगा, लगातार तीन फसलें खेती की किसान की खराब हो रही है, किसानों का कर्जा माफी नहीं किया जा रहा है. सारे सदस्यों ने चाहे सत्ता पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो इस बात को कहा है, जिस तरह से विद्युत की की वसूली की जा रही है वह एकदम गलत तरीका है , कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, विद्युत विभाग के 5-6 आदमी जाते हैं, घर में जो भी चीज पड़ी हुई मिलती है, चाहे ट्रेक्टर हो, चाहे ट्रेक्टर का सामान हो, चाहे मोटर साइकिल हो, चाहे बेलजोड़ी भी हो उसको भी उठा के ले के जा रहे हैं, यह अत्याचार सरकार को बंद करना चाहिए और हम यह नहीं कह रहे हैं कि जो बिल नहीं पटा रहा है उसको हम बढ़ावा दें,यह बात हम नहीं कर रहे हैं मगर कहीं न कहीं ऐसी आपदा और विपदा आ रही है उसके भी सब कुछ नियम कानून हैं, उसके तहत् में कार्यवाही करें, न कि दादागिरी करें और न किसानों पर अत्याचार करें, इस तरह की कार्यवाही को अविलंब रोकना चाहिए. साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अभी बैंकों के ऋण की वसूली बहुत जोरों पर चल रही है, माइक चौंगा लगा के गाड़ी घुमाई जा रही है, लोगों को नोटिस बांटे जा रहे हैं, लगभग 11500 नोटिस बैंकों के ऋण के मेरे क्षेत्र में बंटे हुए हैं. मैं इस सरकार

से यह कहना चाहता हूँ कि हाल में जो ऋणों की वसूली की जा रही है और जो विद्युत विभाग के द्वारा बिलों की वसूली की जा रही है उसको कुछ समय दिया जाए, किसानों को उबरने का समय दिया जाए, कम से कम 6 महीने का समय दिया जाए ताकि वह अपनी स्थिति को अच्छे से सुधार सके. साथ ही साथ एक ऋण की बात आ रही है, जीरो परसेंट पर आपने किसानों को ऋण दिया है मगर उसका ओव्हर ड्यू होने के कारण 16 प्रतिशत उसमें ब्याज, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप बता दें, वसूला जा रहा है वह भी माफ किया जाए और जो ऋण माफी की बात हुई थी उसको ऋण माफी की माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करें कि 50 हजार रुपये के ऋण माफी की जो आपने बात कही थी, उसकी भी किसानों को राहत दी जाए. धन्यवाद.

डॉ. रामकिशोर दोगने -- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसानों की समस्याओं को लेकर संजीदगी दिखाई और चर्चा के लिए सदन को बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो समस्या हमारे मध्यप्रदेश में चल रही है, जो ओला पीड़ित किसान हैं और किसान के साथ पाला, ओला और इसके अलावा भी दूसरी बहुत सारी समस्याएं हैं. पर किसान हमेशा परेशान रहता है और पूरा सदन चिंतित जरूर है पर ऐसा लगता है कि चर्चा के साथ एक अच्छा परिणाम देने के लिए नहीं है. जो बातें होती हैं वे एक-दूसरे को कटाक्ष करने के लिए ही ज्यादा से ज्यादा हो रही हैं. जबकि हम देखें कि पॉलिसी अच्छी नहीं बन रही हैं. पॉलिसी अच्छी बनेगी तो निश्चित ही किसान का हित होगा और उसको लाभ मिलेगा पर पॉलिसी के ऊपर विचार नहीं होता है और आपसी विवाद ही जबरदस्ती होते रहते हैं. आज हम देखें कि किसानों का जो बीमा किया जाता है वह पटवारी हल्के के हिसाब से किया जाता है जबकि पटवारी हल्के के हिसाब से यदि देखें तो जब तक पूरे एरिये का नुकसान नहीं होगा, पूरे एरिये में पाला नहीं पड़ेगा, पूरे एरिये में अगर ओले नहीं पड़ेंगे या नुकसान नहीं होगा तो उसको बीमा की रकम नहीं मिलेगी तो जैसे हम

हमारी मोटर साइकिल या फोर व्हीलर का बीमा कराते हैं और नुकसान होता है तो हमको बीमे की पूरी रकम मिल जाती है तो ऐसे ही किसानों के साथ क्यों नहीं किया जाता. उसकी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए कि बीमा उसको प्रापर मिले. अगर 10 एकड़, 5 एकड़ या 2 एकड़ का बीमा वह करा रहा है और यदि उसको नुकसान हुआ है तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए. आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहां आग लग जाती है, आग लगने में उसके खेत का नुकसान हो जाता है तो बीमे का पैसा नहीं मिलता है. वह इसलिए नहीं मिलता है कि पूरे पटवारी हल्के का नुकसान नहीं हुआ है तो बीमे की पॉलिसी बनाई जानी चाहिए कि जितने भी एरिये में नुकसान हुआ हो, एक एकड़, दो एकड़ तो उसको उस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा मिलना चाहिए. मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पॉलिसी को सुधार करके बीमा प्रापर दिया जाए. दूसरा आज हम देख रहे हैं कि इस नुकसान के कारण आज हमारे किसान भाई परेशान हैं, किसानों की समस्याएं चल रही हैं, इसके बाद भी सभी सदस्यों ने, चाहे वे पक्ष के हों या विपक्ष के हों और पिछली बार भी चर्चा हुई है, मैंने भी पिछली बार चर्चा की थी और हमारे राजस्व मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मैं सर्वे कराऊंगा, उसके बाद भी सर्वे नहीं हुआ और वर्तमान परिस्थिति में भी किसान परेशान है, इसके बाद भी बिजली के बिल बड़े-बड़े आ रहे हैं और वसूली हो रही है और कुर्की की जा रही है. यह बंद होनी चाहिए जब तक किसान की फसल नहीं आती तब तक वसूली नहीं की जानी चाहिए. मेरा निवेदन है कि कुर्की बंद होनी चाहिए. बैंक और कॉ-ऑपरेटिव्ह बैंक के लोन वाले भी परेशान कर रहे हैं तो जब किसानों की फसल ही नहीं आई है तो किसान कहां से देंगे. किसानों की संवेदना भी समझनी चाहिए. मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि जो किसानों को ऋण दिया जाता है उसमें यह होता है कि 25 तारीख तक यदि किश्त जमा कर देंगे तो जीरो परसेंट लोन रहेगा, नहीं तो 25 तारीख के बाद आपको पूरा ब्याज देना पड़ेगा. पर 25 तारीख तक जब फसल ही तुलवा रहे हो, गेहूँ की तुलाई 25 तारीख के बाद शुरू हो रही है और सोसाइटी का पैसा एक महीने में आएगा तो वह कहां से भर पाएगा और 25 तारीख उसके पहले ही खत्म हो रही है तो

जीरो परसेंट ब्याज का लाभ भी किसान को नहीं मिल पा रहा है. इसलिए पॉलिसीज पर ध्यान दिया जाना चाहिए.

एक माननीय सदस्य -- यह सोयाबीन का पैसा है, गेहूँ का नहीं है. सोयाबीन का पैसा अभी भराएगा, गेहूँ का जून में भरेंगे. थोड़ी जानकारी अपनी दुरुस्त करें.

अध्यक्ष महोदय -- अब आप समाप्त करें.

डॉ. रामकिशोर दोगने -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल एक मिनट का समय चाहिए. मेरे क्षेत्र की समस्या है.

डॉ. रामकिशोर दोगने -- हमारे हरदा जिले में इंदिरा सागर डेम में 29 गांव डूबे हैं, किसानों की जमीनें डूबी हैं ऊँचाई पर मकान होने के कारण मकान नहीं डूबे हैं, अब उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है क्योंकि उसका मकान नहीं डूबा है. जमीन का मुआवजा मिल गया है. अब किसान की समस्या यह है कि उसकी जमीन डूब गई है और उसके पास काम करने के लिए जमीन नहीं है. किसान वहां पर कैसे रहे और कैसे काम करे तो उनको भी सही जगह पर विस्थापित किया जाए या प्रापर मुआवजा दिया जाए, किसानों की समस्या को लेकर मेरा यही निवेदन है. आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री निशंक कुमार जैन(बासौदा)-अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी विदिशा जिले के गंजबासौदा विधान सभा क्षेत्र के गंजबासौदा,त्योंदा,ग्यारसपुर और पूरे जिले में ही अतिवर्षा हुई,ओले गिरे,माननीय मुख्यमंत्री जी गये, हमारी सांसद श्रीमती सुषमा स्वराज भी गयीं मगर तकलीफ इस बात की है कि जहां पर सुषमा जी गईं और खुद घोषणा करके आयीं कि यहां वास्तव में नुकसान हुआ है उसी गांव को एक तहसीलदार ने अपनी जिद की वजह से छोड़ दिया, राजस्व मंत्री जी हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं उन्होंने निर्देश दिये, इसके बाद भी उस गांव को नहीं जोड़ा गया क्योंकि तहसीलदार ने उस समय कहा कि अरे ओले गिर गये तो गिर जाने दो पूरे गांव के लोग

जाकर बीड़ी बनाओ. उसकी उस बात से जब शिकायत हुई तो उससे कुपित होकर उन दो ग्राम के ग्रामवासियों को मुआवजा नहीं दिया गया. उसके लिए हमने हर स्तर पर प्रयास किये. मगर तहसीलदार और पटवारी की जिद के आगे न तो नेताओं की चली न और किसी की चली. अध्यक्ष महोदय, इस बार भी ग्यारसपुर तहसील के उन गांवों में दुबारा ओले गिरे हैं जिन गांवों मे पिछली बार ओले गिरे थे और 4-5 दिन पहले जब मैं दोरा करने गया तब ग्रामवासियों ने खेतों पर ले जाकर कहा कि क्या साहब हमें पिछली बार जैसा मुआवजा मिलेगा. चाहे आप हो,चाहे सांसद जी हों,चाहे मुख्यमंत्री जी हों,चाहे प्रभारी मंत्री जी हों,चाहे कलेक्टर हो, जो बात आप लोगों ने पिछली बार हमसे कही थी वही बात आज आप फिर दोहराने आये हो,क्या हमे मुआवजा मिलेगा? कहीं न कहीं किसानों के मन में इस बात को लेकर चिन्ता है कि यदि उन्होंने पटवारी को सेट नहीं किया तो शायद उनका नाम मुआवजे की लिस्ट से कट जायेगा. हमारे जिले मे और हमारी तहसीलों में तो यह हुआ है कि यदि किसी ने पटवारी को सेट कर लिया है तो गेहूं के खेत में चले की फसल लिखा गयी और उसके बाद का उनका आपस का निपटारा हो गया. इसकी क्लीपिंग दी गयी.

एक माननीय सदस्य- यह असत्य बात है, सर्वे हो रहा है, टीम जा रही है..

श्री निशंक कुमार जैन-- चलो मैं आपको सत्यता बता हूं. क्लीपिंग सुनोगे आप. जब पटवारी पांच हजार रूपये मांगता है और मुर्गा और दारू की बोतल मांगता है. और कहता है कि हम गेहूं को चना कर देंगे. मेरा कहना इस बात को लेकर है कि सबकी मंशा साफ है, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के लोग हों. सब चाहते हैं कि किसानों को राहत मिलनी चाहिए मगर जो कर्माचारी और अधिकारी इसमें आड़े आते हैं क्या आप उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे. माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जगह बोला है कि पेन्सिल से सर्वे नहीं होगा,पेन से सर्वे होगा. मगर अभी जब दुबारा सर्वे चल रहा है वह भी पेन्सिल से ही हो रहा है. मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पटवारी चौपाल पर पढ़ कर सुनायेंगे, राजस्व अधिकारी सुनायेंगे और टीम सुनायेगी कि किस किसान का कितना नुकसान हुआ है. मगर कहीं पर कोई चौपाल नहीं लग रही है. कहीं पर कोई सुनाने वाला

नहीं है. मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी आपका जिला है ,.आपका प्रिय जिला है मगर ऐसे कौनसे कारण हैं कि वहां पर सर्वे होने के बाद भी मुआवजा नहीं मिल रहा है और तो और जिनका ओले से नुकसान हुआ वह तो एक अलग बात है, सबसे ज्यादा इस समय जो नुकसान हुआ है वह अतिवर्षा से हुआ है,तेज हवा से हुआ है. अतिवर्षा की वजह से चना,मसूर और बटरा की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है,गेहूं की फसल आड़ी हो गई है. 306 जो शरबती गेहूं हमारे जिले में काफी होता था उसकी फसल की हालत यह है कि पूरे के पूरे खेतों से फसल चिपक गयी है. हमें भी तकलीफ होती है, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि किसानों की ऋण वसूली स्थगित की जाय. यहां पर शासन बोलता है कि हमने ऋण वसूली स्थगित कर दी.लेकिन विद्युत मंडल के सीएमडी ने मुझसे कहा कि भले ही आपके जिले मे ये गांव ओला पीड़ित घोषित किये हों मगर हम इनकी वसूली करके रहेंगे और वसूली हुई. विद्युत मंडल के सीएमडी, माननीय मुख्यमंत्री जी बात नहीं मान रहे हैं. आज भी विद्युत मंडल ने यह हालत कर रखी है ,पूरे गांव के गांव में ब्लेक आऊट है. लोगों ने कहा तो उनसे कहां कि हमें कोई मतलब नहीं है कि आपके पास पैसा है या नहीं . मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि पिछली बार की तरह इस बार ऐसी गलती न हो और किसानों के लिए अगली फसल के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाय,नो ड्यूज माना जाय नहीं तो यदि ओवर-ड्यू मान लिया तो सोसायटियां उनको कर्ज नहीं देंगी. किसानों की ऋण वसूली स्थगित की जाय. उनके ऋण माफ किये जायें और 2013 और 2014 जो के सी से के 2000 करोड़ रूपये प्रीमियम की राशि बीमा कंपनियों पर पड़ी है उस प्रीमियम की राशि को आधार मान कर यदि किसानों को बीमा की राशि दिलायी जाय तो हम समझते हैं कि हम हमारे अन्नदाता किसान का कुछ भला कर पायेंगे .मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध है , मुख्यमंत्री जी आप भी एक बार उस तरफ का दौरा बना लें ,चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हों चाहे भा.ज.पा. के कार्यकर्ता हों उनको साथ लेकर

सीधे किसान से पूछ लेंगे कि भैया पिछली बार तेरे साथ क्या हुआ तो हकीकत आपके सामने भी आ जायेगी. बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल (बैतूल) - अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में जिन जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, उनमें मेरा जिला बैतूल भी आता है. मेरे जिले बैतूल में लगभग 100 गांवों में ओले गिरे और लगभग 67 गांवों में फसल बुरी तरह बर्बाद हो गई है. लगभग 4 ब्लॉक बैतूल, भैंसदेही, गोहरडोंगरी और आमला में ये 67 गांव आते हैं. इसके अलावा बाकी पूरे जिले में अतिवृष्टि के कारण भी फसल बहुत बर्बाद हुई. मैं आपके माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ओले गिरने के एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने प्रभावित गांवों का दौरा किया. पीड़ित किसानों से मिले, उनके खेत गये और खुद ने जाकर उनका मुआयना किया. मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद वहां सर्वे में तेजी आई और मुख्यमंत्री जी ने वहां पर निर्देश दिया कि बाकी अधिकारी भी पटवारी के साथ दौरा करें. साथ ही साथ एक अच्छा काम जो मुख्यमंत्री जी ने किया, वह पूरी की पूरी सूची पंचायत में चस्पा करने के आदेश दिये, जिससे पारदर्शिता बनेगी. मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा. आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ओले के अलावा अतिवृष्टि और मेरे जिले में बोनी बहुत जल्दी हो गई थी, इसलिए खेतों में जो कटी हुई फसल थी, वह भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, उसका भी सर्वे हो, उसका भी मुआवजा मिले. इसके अलावा जो बाकी फसलें हैं, उनके सर्वे के आदेश भी सरकार दे. मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके दौरे के बाद किसानों में एक आत्मविश्वास आया है कि उनका जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई होगी. अंत में, क्योंकि समय नहीं है मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि अगली बार अगर हम चर्चा करें तो जो हमारी फसलें बर्बाद हुई है, उसके लिए तो बैठे हैं. लेकिन उसके अलावा एक समय निर्धारित करें ताकि इस प्रदेश में फसलों का पैटर्न क्या हो, हम ऐसी कौन-सी फसलें अपनाएं, जिससे किसानों को कम से कम नुकसान हो, हमारी राष्ट्रीय योजना आरकेवीवॉय

और प्रदेश की योजनाओं में समन्वय बने और ऐसी नीति बने, जिससे किसानों को फसलों का नुकसान कम से कम हो. आने वाले समय में इस तरह की जो दिक्कतें हैं, किसानों को इनका सामना न करना पड़े. इसके लिए सदन में गंभीरता से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा होनी चाहिए. इसके लिए समय निर्धारित होना चाहिए. ताकि आने वाले समय हमारा किसान इन विपत्तियों का सामना कर पाए. अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री गोवर्द्धन उपाध्याय (सिरोंज) - अध्यक्ष महोदय, आपने ओलावृष्टि पर बोलने का मौका दिया, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं. आज हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी भी विराजमान हैं. मैं उनको इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि ओला पड़ने के पश्चात् उन्होंने मध्यप्रदेश में काफी दौरे किये, विदिशा जिले में भी आप आए. आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विदिशा जिले में सबसे अधिक नुकसान विधान सभा क्षेत्र सिंरोज है जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें हुआ है. मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक बार थोड़ा-सा उधर आकर भी देखें तो अच्छा रहेगा. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विदिशा जिले में पिछली बार भी हमारे यहां ओले पड़े थे, उस ओलावृष्टि में सही ढंग से सर्वे नहीं हुआ और हम किसानों की मदद नहीं कर सके. किसानों ने आन्दोलन भी किया. उस आन्दोलन के तहत लोगों के ऊपर केस बनाये गये. मैं आज आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन किसानों के ऊपर प्रकरण दर्ज कराए गए, कृपया उन प्रकरणों को वापस लेंगे. अगर प्रकरण वापस लेते हैं तो उन किसानों के ऊपर बड़ी कृपा होगी. जब किसानों की सुनवाई नहीं होती तो किसान आन्दोलन का रास्ता अपनाता है. स्वाभाविक है. आप खुद किसान पुत्र हैं और किसानों की समस्या हमेशा आपने समझी है. मैं पुनः अनुरोध करना चाहूंगा कि जो असत्य प्रकरण बनाये गये, वह वापस लेने का कष्ट करेंगे. मेरे क्षेत्र में लगभग 50 से 60 गांवों में ओलावृष्टि हुई और ऐसी ओलावृष्टि हुई है कि जिसमें 100 प्रतिशत का नुकसान हुआ है. मैंने लगातार तीन दिन और तीन रात में दौरा करने के बाद खुद आंखों से देखा है, अधिकारियों ने भी देखा है.

अधिकारियों ने भी देखा है वास्तव में उन्होंने महसूस भी किया है कि भारी नुकसान हुआ है. लेकिन मैं चाहता था कि मध्यप्रदेश के प्रभारी मंत्री जो हमारे जिले के हैं. वह एक बार कम से कम दौरा करते या कोई जिम्मेदार मंत्री जी हमारे बीच में आते तो और भी अच्छा लगता मैं ऐसे गावों को आपके सामने इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि जि न गांवों में सर्वे का काम चल रहा है वह कहीं छूट न पाये. इसलिए बताना आवश्यक है कि वह कौन कौन से गांव हैं सबसे पहले विकास खण्ड सिरोंज में करईखेड़ा, विश्रामपुर, सुमेरपुर, मोहनखेड़ी, इब्राहिमपुर, भगवंतपुर पयासी, सेहतपुर, भौरा, सुरेन्द्रपुर, मुगलसराय सालवी, संतोखपुर, सांखलावेली, मूलाधरमू, असतखेड़ी, झंडवा और बावनखेड़ी, आनारेला, सिरसवास, अमुआढाना, सेमलखेड़ी धानुधा लटेरी तहसील में तितरबर्री, दौल्ला, झुकरमरिया मुनीमपुर, मोहटी, जरसेना, नारायणपुर कला, ओखलीखेड़ा, बंदीपुर, कालादेव, शेरगढ़, मोतीपुर, कुंडलपुर, मेहमूद गंज, नारायण खेड़ा, खिरियाखेड़ा बरखेड़ा देव, लालाटोरा , चांदबड, बागचा , सावनखेड़ी, खामखेड़ा, चवरउवरिया, चम्पाखेड़ी यहां पर 100 प्रतिशत से भी अधिक नुकसान हुआ है किसान काफी दुखी हैं वह रो रहे हैं. उसके ऊपर से बिजली का बिल , अभी ऋणों की वसूली तो यह सारे संकट उसके ऊपर आ गये हैं. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप किसी भी तरह से इस संकट की घड़ी में किसानों की मदद करें, साथ में ऋणों की वसूली में सख्ती की जा रही है उ समें भी उनको सुविधा दी जाय. साथ में बिजली के बिलों को लेकर जबरदस्ती उनकी कुर्की कर रहे हैं. उनको नोटिस दिये जा रहे हैं एक तरफ किसान ओलावृष्टि से परेशान है दूसरी ओर बिलों को चुकाना मुश्किल हो रहा है. ऐसी स्थिति में बिलों की माफी या जो भी सुविधा आप उनको देना चाहते हैं आप देने का कष्ट करें. आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद्.

समय 6.04 बजे. (सभापति महोदया (श्रीमती अर्चना चिटनिस) (पीठासीन हुईं)

श्री गिरीश भण्डारी (नरसिंहगढ़) --माननीय सभापति महोदया, किसानों के ऊपर चाहे वह अतितवृष्टि हो चाहे वह ओलावृष्टि हो या वह पाला हो इ सके कारण काफी प्रकोप हुआ है जिससे किसान काफी दुखी हुआ है. आज किसानों की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति दोनों काफी खराब हो चुकी हैं पिछले दो वर्षों में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2280 किसानों ने आत्महत्या की है लेकिन वास्तविकता यह है कि लगभग 5000 किसानों ने आत्महत्या की हैं और उन आंकड़ों में कमी का कारण यह है कि शासन पारिवारिक कलह और मानसिक बीमारी के कारण भी आत्महत्या करता है तो उसको वह आपदा पीड़ित नहीं मानता है. जबकि अगर घर में आर्थिक स्थिति खराब होती है तो पारिवारिक कलह भी होती है और आर्थिक स्थिति भी खराब होती है तो आदमी का दिमाग का संतुलन भी खराब हो जाता है और इसी कारण वह आत्महत्या करता है.

मैं यहां पर अपने क्षेत्र में हुए नुकसान को बताना चाहता हूं कि किस तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले तीन सालों से चाहे वह ओले गिरने के कारण या अतिवृष्टि के कारण या पाले के कारण किसानों की काफी दुर्गति हुई है आज भी पिछले 14 और 15 तारीख को ओले और अतिवृष्टि के कारण पूरी फसलें नष्ट हो चुकी हैं. उसके ऊपर स्थिति यह है कि सर्वे के नाम पर पटवारियों के पास में दो दो तीन तीन हल्के हैं. 15 से 20 गांव एक पटवारी के पास में हैं सर्वे के लिए उसे समय लगता है लेकिन उसके पास में समय नहीं है. तहसीलदारों की स्थिति यह है कि मेरे यहां पर तीन ब्लाक हैं और एक तहसीलदार हैं इसी कारण से सर्वे समय पर नहीं हो पा रहा है. हमारे कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें ओले के कारण गांव के पूरे के पूरे कबेलू उनके कच्चे मकान समाप्त हो चुके हैं उनके घरों के अंदर कीचड़ हो चुका है. जब मैंने वहां के अधिकारियों से निवेदन किया कि फसलों का सर्वे तो समय पर हो जायेगा लेकिन कम से कम कच्चे मकानों का कबेलू का नुकसान हुआ है. जो कवेलू, कच्चे मकानों में उनका नुकसान हुआ है, उनकी पूर्ति की जाय, जिससे कि उनको राहत मिले. वह अपने

घर में छांव कर सकें. खाना बनाने की, रहने की व्यवस्था हो सके. सभापति महोदया, सभी ने ओले, पाले पर अपनी बात कही है, लेकिन मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं. एक तो कृषि वैज्ञानिक भी कहते हैं कि फसलों का चक्र बदलना चाहिये. अगर इस बार गेहूं बोया है, तो अगली बार चना बोना चाहिये. अगर चना बोया है, तो धनिया बोना चाहिये. इस तरह फसल चक्र बदलना चाहिये. फसल चक्र किसान तो बदलता है, लेकिन फसल चक्र की जो एंट्री होना चाहिये. जो खाते खसरों में, बैंकों के पास जो एंट्री होना चाहिये, वह नहीं पहुंच पाती है. इसके कारण जो पुरानी फसलें गेहूं और सोयाबीन लिखा होता है, उसी के कारण उसको सही मुआवजा नहीं मिल पाता है. दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमारे जिले में मुझे यह पता नहीं कि और जिलों की क्या स्थिति है. लेकिन हमारे जिले में औसत उत्पादन गेहूं का जो सरकार ने माना है वह एक हेक्टेयर का 21 क्विंटल 40 किलो माना है, जोकि बहुत कम है और इसी औसत के मान से उनका मुआवजा तय होता है. इसलिये मेरा यह अनुरोध है कि शासन यह जो औसत उत्पादन है, इसमें संशोधन करे. जो वास्तविकता है, 5 सालों से जो उत्पादन हुआ है उसके आधार पर औसत उत्पादन तय करे. दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज मुख्यमंत्री जी ने आपने सभी जगह भाषणों में यह बोला है कि अगर मुर्गी का चूजा भी मरेगा, अण्डा भी फूटेगा, तो उसका मुआवजा दिया जायेगा. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कृषि का पाइप जिसको कि कास्ता पाइप भी बोलते हैं, बेजोड़ भी बोलते हैं. आरबीसी एक्ट में उन कृषि पाइपों का कहीं उल्लेख नहीं है. उसकी वजह से उसका मुआवजा किसानों को नहीं मिल पाता है. वह भी चूंकि कृषि का पाइप है, वह कृषि के उत्पादन में सहयोगी होता है, इसलिये उसके मुआवजे का भी निर्धारण होना चाहिये. आरबीसी एक्ट में कृषि पाइपों को भी शामिल किया जाना चाहिये. दूसरा किसानों को इस वर्ष शासन ने बोनस की व्यवस्था खत्म की है. मेरा यह अनुरोध है कि बोनस की वापस व्यवस्था की जाय. दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी बिजली विभाग के द्वारा किसानों की बिजली काटने की ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि किसान के ऊपर जैसे कि जले के ऊपर नमक छिड़का जाता है, इस

तरह की हालत हो रही है. आज मेरे विधान सभा क्षेत्र के 80 गांव की बिजली पूरी तरह से काट दी गयी है. ट्रांसफार्मर बंद कर दिये गये हैं. जिन गांवों में ओले एवं अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है, उन गांवों की बिजली काट दी गयी है. मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस व्यवस्था को सुधारा जाय. धन्यवाद, जय हिन्द.

श्रीमती झूमा सोलंकी (भीकनगांव) -- सभापति महोदया, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूं कि मुझे बोलने का अवसर दिया है. पूरे प्रदेश भर में ओलावृष्टि, बारिश और आंधी तूफान से जो नुकसान हुआ, वही स्थिति हमारे जिले की भी है. किन्तु इसके पहले पिछली बार भी नुकसान हुआ. मेरे विधान सभा भीकनगांव से एक भी किसान को एक रुपये का भी मुआवजा नहीं मिला. तो क्या उम्मीद की जाय कि इस बार मिलेगा. यह भरोसा हमको सरकार की ओर से दिलाया जाय कि जहां जहां नुकसान हुआ है, सही रुप से सर्वे हो. सर्वे के साथ मुआवजा भी सही हो. कम से कम सारी बातों पर विचार विमर्श होता है, यहां पर उपस्थित हमारे मंत्रिगण, मुख्यमंत्री जी हैं और सारे दलों के विधायक भी हैं. किन्तु विचार विमर्श के उपरांत जो निर्णय आता है, कम से कम उससे भी हमको अवगत कराया जाय, यह मैं आपसे चाहती हूं. दूसरी बात, आज हमारे किसान तकलीफ में हैं और उन्हें बोनस दिया जाना चाहिये था. बोनस देने की बजाय उसे खत्म कर दिया गया. किसानों की जितनी उपज आई है, उनकी गुणवत्ता में भी फर्क हुआ है. गेहूं सफेद हो गया और वह मंडी में बेचने के लिये जाता है तो दाम उन्हें नहीं मिल रहा है और ऊपर से बोनस भी नहीं मिल रहा है. दोनों बातों का सामंजस्य नहीं हो रहा है. किसानों को दाम मिलना चाहिये और ज्यादा मिलना चाहिये, बोनस भी मिलना चाहिये, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करती हूं. जो बड़ी बात सभी ने कही, मैं भी कहना चाहती हूं कि किसानों की ऋण माफी हो. बिजली के बिल माफी हो. साथ ही उनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, उनकी फीस भी माफ हो. क्योंकि बिजली के अभाव में किसानों ने कुछ समय पहले त्रासदी झेली और उसके पहले खाद के अभाव त्रासदी झेली और यह लगातार उनकी तकलीफें बढ़ती जा रही हैं. और ऐसे

समय में सरकार यदि मात्र घड़ियाली आंसू बहाने के बजाये, उन्हें सहयोग करे तो ज्यादा अच्छा होगा औरकिसानों की तकलीफें दूर होंगी, ज्यादा ना कहते हुए सबने अपनी बात कही, मुझे जो अवसर दिया गया, उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद .

सभापति महोदया--मेरा सभी माननीय सदस्यों से यह आग्रह है कि पुनरावृत्ति ना हो और बात संक्षिप्त में हो, ताकि सबकी बात आ सके.

श्री सचिन यादव (कसरावद)--माननीय सभापति महोदया, विगत दिनों मध्यप्रदेश में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, आंधी और तूफान से जो नुकसान हमारे किसान साथियों का हुआ है, वह बात किसी से छुपी नहीं है. आज हमारा किसान साथी एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है और इस संकट के दौर में हम सभी जनप्रतिनिधियों को चाहे वह सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, हमको इस संकट की घड़ी में उनके साथ में खड़े रहना चाहिये. विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के कई ओलाप्रभावित क्षेत्रों और अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और वहां पर उन्होंने कई सारी घोषणायें भी कीं, जैसे कि अगर किसी किसान की फसल खेत में कटी हुई है, तो उसको भी मुआवजे में शामिल किया जायेगा. अगर खलिहान में किसी किसान की फसल पड़ी हुई है, तो उसको भी मुआवजे में शामिल किया जायेगा. जो लोन बचा हुआ है, उसकी किश्तें भी आगे के लिये पोस्टपोन की जायेगी इस तरह की तमाम घोषणायें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने दौरे में की थीं, लेकिन देखने में यह आया है कि माननीय मुख्यमंत्री जो घोषणायें करते हैं, उसके अनुरूप जमीनी स्तर पर काम नहीं होता है . उसमें बहुत सारा विरोधाभास रहता है. जब मैंने अपने क्षेत्र में जो सक्षम अधिकारी हैं, चाहे वह जिले के अधिकारी हों, चाहे वह तहसील के अधिकारी हों, जब उनसे मैंने चर्चा की तो उन्होंने इस बात से साफ इन्कार कर दिया है कि हमें इस प्रकार का किसी भी तरह का कोई भी स्पष्ट लिखित आदेश हमारे पास में नहीं है और इन परिस्थितियों में हम किसान साथियों की किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर पायेंगे. आदरणीय सभापति महोदया, इस बात से निश्चित ही सरकार की मन्शा और माननीय मुख्यमंत्री की नीयत के ऊपर एक प्रश्नचिन्ह खड़ा होता

है. मैं चूंकि समय का अभाव है, मात्र एक दो सुझाव जो हैं, उनके माध्यम से मेरे क्षेत्र की बात भी रखना चाहता हूं. अभी हमारे पिछले वक्ता आदरणीय सुन्दरलाल तिवारी जी जब खड़े हुए थे, उन्होंने राइट टू सर्वे की बात कही थी, मैं उस बात का समर्थन करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि किसानों को राइट टू सर्वे का अधिकार इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और यह सरकार उसको यह अधिकार देगी. साथ ही साथ जो बाकी सदस्यों ने भी जो अपनी चिन्ता जाहिर की है, जिस प्रकार से बिजली के बिलों की जो सख्ती के साथ मेंथ में वसूली की जा रही है , उसको भी तत्काल प्रभाव से रोका जाये. जो ऋण की वसूली की जा रही है,उस ऋण की वसूली में भी किसान साथियों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो मन्शा है, उस मन्शा के अनुरूप जमीनी स्तर पर उसका पालन किया जाये, इन्हीं शब्दों के साथ पुन: आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं.

चौधरी चन्द्रभान सिंह (छिन्दवाड़ा)--माननीय सभापति महोदया, सारी बातें आई हैं. माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के अंदर में आर.बी.सी. में बहुत सारे प्रावधान किये और उसके कारण किसानों को वास्तव में लाभ भी मिल रहा है. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्यप्रदेश के अंदर में उद्यानिकी की फसलें ज्यादा पैदा हों, सब्जी भाजी का क्षेत्र बढ़े और इसलिये इस क्षेत्र में जो मल्चिंग फिल्म प्लास्टिक की है, उसकी लगाने की व्यवस्था की, ड्रिप सिंचाई सिस्टम को उन्होंने लागू किया, नैट हाउस और पॉली हाउस जैसी जो लंबी लागत है, जिनकी बड़ी लागत है ऐसी बहुत बड़ी मात्रा में प्रदेश के अंदर में किसानों ने लगाया और ओला वृष्टि के कारण यह जो मल्चिंग फिल्म है, ड्रिप सिंचाई सिस्टम है और नैट हाउस और पॉली हाउस पूर्णत: समाप्त हो गये और किसानों को बहुत बड़ा नुकसाल इसके अंतर्गत हुआ है और इसलिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आर.बी.सी. में इनका प्रावधान किया जाये, ताकि किसानों को इसका मुआवजा मिल सके.इसी प्रकार से किसानों की पाईप-लाईन खेत के अंदर रहती है वह भी ओलावृष्टि के कारण पूर्णतः समाप्त हो गई है इसका आर.बी.सी. में कोई प्रावधान नहीं है और इसके कारण जो किसानों का गेहूं-चने के अंतर्गत हुआ है

उससे ज्यादा नुकसान पाईप लाईन के कारण होता है क्योंकि एक पाईपलाईन वाली लाईन की लागत करीब करीब 9 लाख रूपये है उसमें से साढ़े चार लाख रूपये सबसिडी के हैं और बाकी का लोन किसानों के ऊपर रहता है और इसलिये मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी तथा एपीसी जी बैठे हैं. यह बहुत आवश्यक है कि आर.बी.सी. में इसका प्रावधान करें. इसी के साथ जो ओलावृष्टि में जो नुकसान हुआ है तथा अतिवृष्टि के कारण जो फसल बैठ गई है. नीचे के कर्मचारी पटवारी, ग्राम सेवक वगैरह जो जाते हैं वह कहते हैं कि फसल जो गिरी है उसका नुकसान नहीं है, पर जो फसलें एक बार गिर गईं पूर्णतः समाप्त हो गईं उसमें कोई फसल पैदा होने वाली नहीं है. इस बार गेहूं, चना, मसूर, बटरी इसमें बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है. इनका भी सर्वे करके इनकी भी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी करें. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जो नीचे के अधिकारी/कर्मचारी गड़बड़ करते थे कि जिसकी मर्जी आयी सर्वे कर दिया अब उसमें पंचायत के अंतर्गत उसका प्रकाशन करने की व्यवस्था गांवों में कर दी है उसमें जो सर्वे करेंगे उसका पंचायत के अंतर्गत सूची जारी करेंगे. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कई बार सूची चस्पा करेंगे लोग सूची को फाड़ देंगे, पटवारी भी अगर फाड़ देंगे सूची को तो किसानों को कोई पता ही नहीं लग पाएगा इसमें जिन भी किसानों का सर्वे किया उनकी एक एक को पर्ची दे देंगे तो उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा यह पर्ची किसान के रिकार्ड में भी रहेगी इससे किसी भी प्रकार की जो उलझन पैदा होती है, वह नहीं होगी, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी व्यवस्था करेंगे तो बड़ी कृपा होगी. बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री उमंग सिंघार (गंधवानी)—माननीय सभापति महोदया, चूंकि समय का अभाव है, लेकिन इस समय के अभाव के अंदर किसानों के दर्द की बात सभी की जुबानी सुनी. हमेशा देखता आ रहा हूं कि विपक्ष बोलता है और सरकार सुनती है, लेकिन निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है. अन्नदाता के सिर पर बर्बादी के ओले आज किसी ने बताया कि 2000 गांवों के अंदर ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक एक दाने का मुआवजा किसानों को

मिलेगा यह बात 14 तारीख को कही गई थी, लेकिन आज 24 तारीख होने को आ गई है जिलों के अंदर आज भी सर्वे नहीं हुआ है. कई जिलों में जैसा कि हमारे सचिन भाई ने बताया कि आदेश ही प्राप्त नहीं हुए हैं सरकार को जब टारगेट किसी भी योजना के अंतर्गत पूरे करने होते हैं, वह पूरे कर लेती है, लेकिन जब किसानों के मुआवजे, सर्वे तथा खेत के सर्वे की बात आती है, जब आप सरकारी अमले को सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं दिये जाते हैं आप समय पर मुआवजा के लिये सर्वे करें. यह बात अलग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राजस्व मंत्री, कृषि मंत्री के जिले के अंदर सभी को मुआवजा मिल जाता है, लेकिन प्रदेश के बाकी जिलों की विधान सभाओं का क्या होता है, यह प्रमाण की तथा कागज की बात है जितना मुआवजा इन तीन जिलों में दिया गया है बाकी प्रदेश के अंदर कई जिलों में मुआवजा नहीं दिया गया है, तो ऐसी भेदभाव की नीति क्यों ? आज यह बात भी सच है कई सदस्यों ने कहा कि बिजली को लेकर तानाशाही रवैया अपना रहा है. कई सदस्यों ने कहा कि बिजली को लेकर बिजली विभाग जो तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रहा है. निश्चित तौर पर शासन, प्रशासन का टारगेट पूरा करने का दबाव है लेकिन इस 31 मार्च के चक्कर में वह जमाना याद आ रहा है जैसे अंग्रेज कर वसूल करते थे उस तरह से बिजली विभाग कर रहा है. हमारे मुकेश भाई ने बताया कि पलंग ले जा रहे मोटर ले जा रहे जो मिल रहा वह उठाकर ले जा रहे हैं. क्या इस प्रदेश के अंदर लोकतंत्र है कि अंग्रेजों की तरह सरकार चला रहे हैं. मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सरकार को सबसे पहले बिजली विभाग के अमले को बोलना चाहिये कि आप इस प्रकार से गैरजिम्मेदार कार्य न करें. किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय लूटपाट न करें. सरकार से मेरी मंशा है कि आज जो बिजली के बिल आ रहे हैं सरकार को किसानों के हित में उनको तुरंत रोकना चाहिये तत्काल उनकी वसूली पर रोक लगाना चाहिये ताकि किसानों के हित में एक संदेश जाए. जो गेहूं पर बोनस की बात है. गेहूं पर बोनस नहीं दिया जा रहा है इस पर भी सरकार का वक्तव्य आये. मेरा अनुरोध है कि सरकार जो किसानों को ऋण देती है और बड़े-बड़े पोस्टर लगाती है कि हम बगैर ब्याज के हम पैसा दे रहे हैं. सरकार के मंत्री यह तो बताएं कि वह

उनको लोन कब देती है. आप मेला लगाते हैं कि हम एक साल के लिये उनको बगैर ब्याज के पैसा दे रहे हैं लेकिन आप उनको पैसा देते हो जुलाई-अगस्त में और वसूली करते हो मार्च के अंदर. 6,7,8 महिने के लिये पैसा देते हो और ढिंढोरा पीटते हो कि हम एक साल के लिये पैसा दे रहे हैं और जिसने मार्च के अंदर पैसे नहीं भरे तो उससे पूरे साल का ब्याज वसूला जाता है. किसान क्या व्यापारी है, किसान क्या उद्योगपति है. 31 मार्च को उसको फाईनेंशियल ईयर की एंडिंग करनी है. किसान को 30 अप्रैल तक की छूट दी जाती है ताकि उसकी फसल आये. गेहूं की फसल आगे-पीछे हुई है तो 30 अप्रैल तक छूट देनी चाहिये तब जाकर यह नीति आपकी बगैर ब्याज के रहेगी नहीं तो ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होगा सरकार इस बात पर गौर करे.

सभापति महोदया - श्री लाखन सिंह यादव, श्री आरिफ अकील,श्री सत्यदेव कटारे..

श्री सत्यदेव कटारे - सभापति जी, मेरी प्रार्थना यह है कि सभी सदस्यों को बुलवा लीजिये और वह जितना बोलना चाहते हैं बोलने दीजिये इस पर सबकी सहमति हो गई.

सभापति महोदया - सभी हो गये और विस्तार से बात हुई है.

श्री यादवेन्द्र सिंह - मैं बचा हूं. माननीय सभापति महोदया, बहुत से इंतजार कर रहा था मुझे मौका दें.

सभापति महोदया - दो मिनट में बात कह लें.

डॉ. नरोत्तम मिश्र – सभापति जी, और भी कोई बचा हो तो उसको भी बुलवा लें.

श्री यादवेन्द्र सिंह(टीकमगढ़) – माननीय सभापति महोदया, मेरे नागौद विधान सभा क्षेत्र में 30-35 गांवों में ओला गिरा और ओला गिरने के बाद मुख्यमंत्री जी सतना गये और नागौद तहसील नहीं गये. नागौद तहसील में सतना जिले में सबसे ज्यादा गांवों में ओले से नुकसान हुआ और जितना भी सर्वे का काम चल रहा है बहुत ढीला चल रहा है. तहसीलदार कह रहा है कि ओला नहीं गिरा. हमारे यहां ओले से जितना नुकसान हुआ है और अतिवृष्टि से इस वर्ष जो मसूर और चने का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा नहीं मिल रहा. पिछली बार मिला था. वह भी मुआवजा नहीं

मिला है, वह भी मुआवजा दिलाया जाए और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं यहां पर पीडब्ल्यूडी मंत्री जी यहां पर बैठे हैं कि एन एस 75 मंत्री जी वह दो महीने बाद रीवा से लेकर बमीठा तक और खजूराहो तक मार्ग जाम हो जायेगा, क्योंकि वहां का ठेकेदार भाग गया है वह पूरा होना चाहिये और हमारे विधानसभा की बर्गी की दायीं तटवर्ती नहर है वह बजट के अभाव में बंद है। उसे भी पैसा दिया जाए काम शुरू किया जाए यह किसानों की बात है और एक बात और कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी राजा के लड़के थे , हमारे शिवराज सिंह जी किसान के बेटे हैं उनके पिताजी बासमती चावल पैदा करते हैं और पूरा सदन मैं अभी सुन रहा था सब लोग उनका स्तुतिगान कर रहे थे कि वह हमारे किसान के बेटे हैं जब दिग्विजय सिंह जी ने 10 वर्ष किसानों के लिये बिजली और पांच सात पावर की मोटर का और गरीबों के लिये सिंगलबत्ती कनेक्शन माफ किये थे तो क्या किसान के बेटे साल भर के लिये माफ नहीं कर सकते हैं, पूरे तीन वर्षों से किसानों का नुकसान हो रहा है।

श्री चन्द्रभान सिंह :- हमारी सरकार ने तेईस सौ करोड़ रूपये दिये थे कोई माफ नहीं किये थे तेईस सौ करोड़ रूपये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरे हैं ।

श्री यादवेंद्र सिंह :- आप हमसे बात नहीं करिये, दिग्विजय सिंह की सरकार ने 10 वर्षों का बिल माफ किया, आपने कितने दिन का माफ किया। जिन गांवों के बिजली का बिल बकाया है वहां की बिजली काट देते हैं। मेरे में हिम्मत है तो मैं नहीं काटने देता। जहां के विधायकों की नहीं चल रही है तो वहां के कनेक्शन कट रहे हैं। वहां के एस ई और जेई पहलवान हैं , यह सब नाजायज हो रहा है। मैं नहीं मानता कि आपके शिवराज सिंह किसान के बेटे हैं। उनसे आप लोग कहिये की चार साल बचे हैं वह अपनी बहनों के मत्थे मुख्यमंत्री हैं किसी के मत्थे नहीं है आज उनकी बहन हमारी पत्नी है, वह भी उनको वोट दे देती है। सवाल यह है कि वह आपकी किसी करतूत के कारण नहीं है वह देश के हित में नहीं है, प्रदेश के हित में नहीं है कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बनें। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि पूरे प्रदेश में यह आपदा जो तीन वर्षों से चल रही है, इसलिये प्रदेश के किसानों

को बिजली की बहुत आवश्यकता है एक बात और आपको बता रहा हूं कि अभी मार्च वर्ष का आखिरी चल रहा है। एक खाते में छ: लोगों का नाम है, खाता लड़की, मां और पिता सबके नाम है, उसमें अभी तक किसानों को पिछले वर्ष के मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है। उसका कारण यह है कि एक लड़की नहीं आयी पांच लोग ले रहे हैं..

सभापति महोदया :- आपकी बात पूरी हो गयी आप बैठ जाईये, अन्य सदस्यों को भी अपनी बात कहने दें।

श्री यादवेंद्र सिंह :- जब आपको बात ही नहीं सुनना है तो आप फिर क्यों बैठी है ।

सभापति महोदया :- आपको समय की सीमा का एहसास कराने के लिये ।

श्री कमलेश्वर पटेल :- सभापति महोदया, बड़ी महत्वपूर्ण बात है उनको बोलने दिया जाए।

श्री यादवेंद्र सिंह :-सभापति महोदया, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर उसकी लड़की नहीं आयी तीस हजार का चेक मिला है तो उसमें एक का रोककर पांच लोगों का हिस्सा देना चाहिये । किसान का एक साल से चेक पड़ा हुआ है , इसके लिये भी कार्यवाही होना चाहिये अगर एक नहीं आया तो उसका गुणा भाग लगाकर उसका जो हिस्सा है, वह किसान को देना चाहिये । मेरा कहना है कि यह होना चाहिये। किसानों का बिजली का बिल माफ होना चाहिये , दूसरी बात अतिवृष्टि में चना और मसूर का भी मुआवजा देना चाहिये। आपने बोलने का समय दिया धन्यवाद्।

श्री वैल सिंह भूरिया (सरदारपुर):- सभापति महोदया , हमारे धार जिले में भी काफी ओला वृष्टि और अतिवृष्टि हुई है, पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे धार जिले का दौरा किया था। पिछले साल भी हमारे धार जिल में काफी ओला वृष्टि से पीड़ित किसानों को हमारी सरकार के द्वारा मुआवजा दिया गया, उसी तुलना में निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार फिर 13 दिसम्बर, 2014 को मेरे सरदारपुर विधान सभा में काफी अतिवृष्टि, ओलावृष्टि हुई थी . उसमें एक सेक्टर की 40 पंचायतें पूरी की पूरी ओलावृष्टि से पीड़ित हो गईं थीं और सारे किसानों के गेहूं तो साफ हुए ही थे सारे आदिवासियों के मकान भी टूट गये थे सर्वे भी हो गया था लेकिन अभी मुआवजा नहीं मिला

था. सभापति महोदया, मैं चाहूंगा कि उनको जल्दी से मुआवजा मिले. सरदारपुर के लगभग 92-93 गांवों में ओलावृष्टि हुई है इन गांवों का जल्दी सर्वे हो जाये और उनको उचित मुआवजा दिलाया जाये यही निवेदन है, जयहिंद.

सभापति महोदया—श्री सत्यदेव कटारे जी.

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे)—सभापति जी वैसे स्पीकर साहब आते हैं वे बुलाते हैं तब नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं लेकिन आपका आदेश है तो हम शुरु कर रहे हैं.

सभापति महोदया—अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं. आप बोलना शुरु करें वे कुछ ही देर में यहां पहुंच जायेंगे.

श्री सत्यदेव कटारे—मुख्यमंत्रीजी हम कोई लंबा भाषण नहीं दे रहे, राजनीतिक भाषण भी नहीं दे रहे हैं जैसे हमने बजट पर आपसे टू द पाइंट प्रश्न किये थे वैसे ही इसमें हम आपसे टू दी पाइंट सवाल और कुछ मांगें जो किसानों के हित की हैं वह कहना चाहेंगे और आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप मांग तो मानेंगे लेकिन अभी मान लेंगे, सदन में मान लेंगे तो ज्यादा बेहतर है और हमको भी अच्छा लगेगा कि हमारी एक बात तो मुख्यमंत्री ने मान ली.

सभापति जी, एक तो यह जो मुआवजे का वितरण होता है यह कभी भी 2-3-4 महीने से पहले नहीं होता है. चार महीने मैंने जल्दी बता दिये हैं मध्यप्रदेश की स्थिति यदि अभी देखें तो दो साल हो गये हैं दो साल से मुआवजे का वितरण नहीं हुआ है और उदाहरण के लिये यदि चाहें तो भोपाल का ही एक गांव है जिसमें हम गये थे उस किसान ने आत्म हत्या कर ली थी उसकी दो लड़कियां हैं शादी के लायक हैं उस पर 7 लाख से ऊपर का कर्जा है और इसी साल उसने फसल के लिये ही दो बार कर्जा लिया है

6.32 बजे {अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए}

क्योंकि एक बार कर्ज लिया बीज बोया पानी बरसने से वह खराब हो गया. ऐसे किसान पड़े हुए हैं एक-दो नहीं हैं हजारों में होंगे हो सकता है लाखों में भी हों. मेरी प्रार्थना यह है कि आप कोई भी

सिस्टम करो, प्रशासन को जो भी सिस्टम लागू करना पड़े करिये पर किसान को मुआवजा 30 दिन के अन्दर मिल जाना चाहिये.

दूसरा अनुरोध यह है कि मुआवजे का जो सर्वेक्षण या मूल्यांकन होता है वह जो भी करे चाहे पटवारी करे या R.I. करे वह सही नहीं होता है. कलेक्टरों के निर्देश यह हैं कि 10-15 प्रतिशत से ज्यादा हानि नहीं आना चाहिये. मैंने न रिकार्ड किया न टेप किया है पर मेरे पास अथेन्टिक जानकारी है. भिंड कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिये, भोपाल कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिये, दतिया कलेक्टर ने भी निर्देश दिये हैं. मंत्रीजी हम आपके यहां आपके क्षेत्र में होकर आये हैं और वह बिल लेकर आये हैं जिनमें 28 मार्च का नोटिस दिया गया है कि यदि 28 मार्च तक आपने बिजली का यह बकाया बिल जमा नहीं किया तो आपकी जमीन कुर्क कर ली जायेगी. मैं आपको यह कल या परसों दिखा दूंगा. मुख्यमंत्रीजी यह व्यवस्था गंभीर है इसको जरा रोकें इससे किसान को बड़ी राहत मिलेगी. दूसरा यह अनुरोध है कि जो किसान इससे पीड़ित हैं उनके बिजली के बिल पूरी तरह से माफ कर दिये जायें उनको बिल जमा करने के लिये थोड़ी सहुलियत दे दी जाये कि अभी जमा नहीं कर सकते हैं तो जुलाई से किस्तों में जमा कर दें.

मुख्यमंत्रीजी सरकारी धन वसूली के लिये जो कुर्की हो रही है बिजली के बिल, को-ऑपरेटिव के ऋण और चीजों के लिये इस पर आप रोक लगवाइये. आप नहीं मानेंगे हम आपको वह लाकर दे देंगे दिखा दिया करेंगे कि देख लीजिये यह कुर्की का नोटिस है. जगह-जगह नोटिस जा रहे हैं बैंक भेज रही हैं, एमपीईबी भेज रहा है इसको रोकेगा कौन ? किसान किससे कहने जायेगा आप जाते हैं मिलने तो बेरीकेट के बाहर मिल लिये और चले आये किसानों से बोल दिया मैं हूं ना, मैं तो हूं. उससे काम नहीं चलेगा केवल हम जो कह रहे हैं वह वास्तविकता कह रहे हैं गंभीरता से कह रहे हैं इसको आप गंभीरता से ही सुनें अगर आप इसको हल्के में लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. सभी प्रकार के ऋणों की हमने माफी चाही है.

अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध यह है कि जो किसान पीड़ित हैं जिनका नुकसान 50 प्रतिशत से ज्यादा हुआ है उनके छह महीने तक के खाद्यान्न की व्यवस्था मुख्यमंत्रीजी करवा दें. यह एक रुपये किलो देने का बोल रहे हैं लेकिन यह एक रुपये किलो अभी मिल नहीं रहा है अगर कहीं मिल रहा हो तो अचानक आप निरीक्षण कर लेना, हम कर लेंगे देख लेंगे, बता देंगे, लेकिन मिल नहीं रहा है तो मेरी प्रार्थना यह है कि 6 महीने की व्यवस्था करें, ऐसे परिवारों की, जिनकी पीड़ा ज्यादा है, तो उनको राहत मिले. जो मजदूर हैं, मनरेगा में काम करते थे, बेरोजगार हो गए, उनके लिए भी कुछ काम ढूंढ कर दें, जो भी सरकारी काम मिल सकता है, कृपया वह दें. किसान क्रेडिट कार्ड का पूरा मुआवजा, जो किसान क्रेडिट कार्ड से मिलता है वह किसान को दीजिए, मिलाइये. आगामी फसल के लिए खाद बीज की व्यवस्था करवा दो किसान की, जिससे कि वह आगामी फसल तो बो सके और सबसे बड़ा संकट है पशुओं के चारे की, वह जरूर करवा दें. अध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति में एक ही विभाग का इनका बता देता हूँ कि क्या स्थिति है. मुख्यमंत्री जी, हम यह राहत चाहते हैं, आज की स्थिति हम बता देते हैं. करीब बारह एक बजे हमने खबर ली कहीं से भी, जो हमारा सूत्र है, आपके यहाँ बिजली के कुल प्लांट कितने हैं. आज मालूम है बिजली उत्पादन कितना हुआ है. चार हजार तीन सौ मेगावाट आपकी टोटल क्षमता है छः हजार तीन सौ आपकी जरुरत है. अध्यक्ष महोदय, आज दिनाँक को टोटल सोलह सौ अठारह मेगावाट का उत्पादन हुआ. प्लांट बता देते हैं कौन कौन से प्लांट में हुआ. सतपुड़ा विद्युत इकाई नंबर 6 दो सौ मेगावाट की क्षमता है टोटल बंद है. अभी चालू हो गया हो तो पता नहीं. मैंने जिस समय खबर ली, 1 बजे के लगभग, संजय गाँधी इकाई नंबर 3, इकाई नंबर 5, दो सौ और पाँच सौ मेगावाट की क्षमता है, टोटल बंद है. अमरकंटक इकाई नंबर 3, इकाई नंबर 4, एक सौ बीस मेगावाट की दोनों की क्षमता है, दोनों बंद हैं. जब यह उत्पादन हो ही नहीं रहा है तो आप जो तेरह हजार तक की घोषणा कर देते हैं कई बार, कहाँ से आ रही है, कहाँ से मिल रही है. मध्यप्रदेश का कुल उत्पादन पाँच हजार सात सौ तेईस मेगावाट, केन्द्र के द्वारा आवंटित दो हजार सात सौ छब्बीस

मेगावाट, मध्यप्रदेश राज्य द्वारा प्राप्त दो हजार छः सौ चौंतीस मेगावाट. अध्यक्ष महोदय, यह हालत है. किसान का प्राइम टाइम चल रहा है. उसकी फसल आधी टूट गई है, आधी सूख गई, आधी बरसात से नष्ट हो गई. इस समय वह दौड़कर वो अपनी फसल ले जाकर खेत से खलिहान में और खलिहान से लेना चाहता है, उसको पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है तो कैसे काम चलेगा. अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि इस साल उन्होंने ओला पर्यटन कम कर दिया, पिछले साल तो बहुत किया था. ओला पर्यटन की जरुरत नहीं है, वास्तविक काम की जरुरत है और मुख्यमंत्री जी, मैं सच कह रहा हूँ, आपके वास्तविक काम में और भाषण में जरूर फर्क है और वह कई बार आपको टोक कर बताया. आप उसको इग्नोर कर जाते हों, उसका उत्तर नहीं देना चाहते हों, इससे सदन में विवाद खड़े होते हैं, मैं यह नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति बने. लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूँ कि सदन वास्तविक स्थिति से अवगत रहे तो इसलिए हम हमेशा टू दी प्वाईंट प्रश्न करते हैं आप भी सामने आइये टू दी प्वाईंट उत्तर दीजिए, क्या दिक्कत है. हम गलत होंगे तो विड्रॉ हो जाएँगे, क्या दिक्कत है. सदन को मालूम हो जाएगा क्या हालत है. अध्यक्ष महोदय, एक बत्ती कनेक्शन वाले जो गरीब लोग हैं, उनको अभी भी, इस हालत में भी, बिल जा रहे हैं, जबकि उसके पास एक बीघा जमीन है, एक एकड़ जमीन है, वह भी नष्ट हो गई है, तो ऐसी स्थितियाँ बहुत हैं. अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप एक शब्द अपना याद कर लो, आप पिछले 10 साल से किसानों से कह रहे हों कि हम कृषि को लाभ का धंधा बनाएँगे. आप याद कर लो, आज आपको 11 साल पूरे हो चुके. मध्यप्रदेश में कृषि लाभ का धंधा बना क्या. अगर नहीं बन पाया 10 साल में भी, तो इसके लिए दोषी कौन है. आपने कृषि कर्मण अवार्ड तो ले लिया. ये गैलरी में बैठे हैं आँकड़े बनाने वाले, ये तो बहुत सालों से बनाते रहे हैं, इससे काम नहीं चलता है. आप तो यह बता दीजिए कि जो वास्तविक आँकड़ों को लिया, जब मध्यप्रदेश में कुल जमीन ही 6 लाख हैक्टेयर है या 5 लाख हैक्टेयर है, जो भी है, तो उत्पादन फिर दोगुनी में कैसे हो जाएगा, कहाँ से बढ़ गया, हम हमारे यहाँ देखते हैं, सिंचाई क्षमता इतनी बढ़ गई, किसानों पर बिल जा रहे हैं सिंचाई के, जब जमीन में पानी

ही नहीं जा पा रहा है, चंबल डिवीजन से पानी आना चाहिए श्योपुर से, राजस्थान से, वहाँ से पानी नहीं आ पा रहा है. अगर दो-चार किलोमीटर बढ़ गया इसका मतलब यह नहीं कि सैकड़ो एकड़ बढ़ गया तो फिर आप कैसे कह देंगे कि उत्पादन बढ़ गया और यह जो आंकड़े हैं इन आंकड़ों के जाल में आप भी फंस गये और इन आंकड़ों के जाल में आपने भारत सरकार को भी फंसा लिया तो इस तरह की चीजें मत करिये . आज हम बैठे हैं, सच्चे मन से बैठे हैं, पीड़ित किसान के बारे में चर्चा करने और मांग करने बैठे हैं, हमने आपके सामने मांग रखी हैं आप इन पर विचार कर लें, आपके अधिकारी बैठे हैं, जब आप उत्तर दें तब इनमें एकाध मांग मान लें अगर आप मांग नहीं मानेंगे तो हम विवश होंगे फिर कुछ-न-कुछ मांग करने के लिए . अध्यक्ष महोदय, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपने बोलने का अवसर दिया . हमारा भाषण इतना ही है.

मुख्यमंत्री(श्री शिवराज सिंह चौहान)-- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपदाग्रस्त किसानों के संबंध में आज सदन में बहुत सारगर्भित चर्चा हुई है. हमारे पक्ष के माननीय सदस्यों ने, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी कई महत्वपूर्ण चीजों की तरफ ध्यान खींचा है . बुनियादी मुद्दे उठाये हैं और महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं . इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को मैं ह्रदय से धन्यवाद देता हूं उनका आभार प्रकट करता हूं. यह बात सही है कि जिन किसानों के ऊपर आपदा आई उनको तबाह कर गई, बर्बाद कर गई. भयानक ओलावृष्टि से ,असमय अतिवृष्टि से फसलें चौपट हुई हैं, बर्बाद हुई हैं . मैं स्वयं कई जिलों में गया अब यह अलग बात है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि मैं ओला पर्यटन करता हूं. पता नहीं क्यों उन्होंने कहा हो, मैं कोई लंबी टिप्पणी उस पर नहीं करना चाहता लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदा में किसान परेशान हैं और मुख्यमंत्री अपने वल्लभ भवन में या बंगले में बैठा रहे आराम से और कहे कि बाकी लोग आंकलन कर लेंगे. जब भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आई है मैं मुख्यमंत्री के नाते सीधे किसानों के खेतों में गया हूं उनके बीच पहुंचा हूं अपनी आंखों से मैंने परिस्थितियाँ देखी हैं और भरपूर कोशिश की है हम उनको ठीक से राहत दे पाये. कई माननीय सदस्यों ने सारगर्भित चर्चा की है लेकिन गोविंद सिंह जी ने आज

पता नहीं क्यों की, मुझे समझ में नहीं आया . वह सदन के गंभीर सदस्य हैं . उन्होंने कहा कि जबसे भाजपा की सरकार बनी है तबसे ओले गिर रहे हैं . अब पिछले साल तक तो पूरे देश में ही कांग्रेस का राज था . आप पूरे देश की हालत उठाकर देख लीजिये . कहाँ-कहाँ, प्राकृतिक आपदा आई, कहाँ-कहाँ पानी बरसा , कहाँ-कहाँ ओले गिरे . पिछली बार मार्च तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में नहीं थी. कांग्रेस की सरकार थी पूरे देश में तबाही आई. प्रकृति का चक्र बदल रहा है यह. और इसलिए इस तरह की टिप्पणी ऐसे गंभीर माननीय सदस्य से ,जो कई बार बड़ी सही बात बोलते हैं. लेकिन मैंने पढ़ा पहले कांग्रेस के कुछ मित्रों ने कहा कि मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं . मैं क्षेत्र में दौरा करने गया तो कहने लगे ओला पर्यटन कर रहे हैं और फिर कांग्रेस कह रही है कि कहाँ से दे दोगे, यह तो बता दो . इतना कर्जा है,पैसा नहीं है कहाँ से दे दोगे. अरे, मध्यप्रदेश सरकार के बजट से दूंगा और भरपूर दूंगा कोई कसर नहीं छोड़ेंगे किसानों के लिए. अब पता नहीं इस तरह की चीजें ऐसी गंभीर चर्चा में क्यों आती हैं. आपदा कोई बुलाता नहीं है, आती है. आज से नहीं है यह. जब से सृष्टि का उद्भव हुआ है , जब से सभ्यतायें दुनिया में आई हैं अनेकों बार हम सुनते रहे हैं कि कभी अकाल पड़ा, कभी बाढ़ आई. इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटना पड़ेगा और मैं दर्द इसलिए जानता हूं कि मैं खुद भी खेती करता हूं, आज भी खेती करता हूं. जब ऐसी कोई आपदा आती है ओलावृष्टि होती है , मैंने कई खेतों में जाकर देखा फसल पककर तैयार थी , दस-पांच दिन और मिल जाते तो कई किसान अपनी फसल घर ले जाते. पक्की फसल पर ओले गिरना, बालियां बिखर गयीं, अन्न के दाने खेत में बिखर गये. जब अन्न के दाने बिखरते हैं तो केवल अन्न के दाने नहीं बिखरते,किसान की जिन्दगी बिखरती है, उसके बालबच्चों का भविष्य बिखरता है. आप सब द्रवित हैं, सब ने अपने अपने ढंग से आपदा प्रभावित किसान के दर्द को अभिव्यक्त किया है, प्रकट करने का काम किया है और एकजुट होकर के सदन ने चिन्ता प्रकट की है कि संकट की इस घड़ी में हम सब मिल के पक्ष हो, प्रतिपक्ष हो, भूल जाएं राजनीति. आखिर कुछ मुद्दें तो ऐसे हों कि जिस पर हम राजनीति से हट के

बात करें और आज इक्का दुक्का टिप्पणी छोड़ दें तो राजनीति से हट के बात हुई है. सब ने मिल के चर्चा की है, सब ने मिल के चिन्ता प्रकट की है. (मेजों की थपथपाहट)

श्री यादवेन्द्र सिंह-- माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कह रहा हूँ कि इतने दिन से चर्चा चल रही है, क्या आपको बिजली के बारे में नहीं सुनाई दे रहा है, हम लोग आपसे क्या कह रहे हैं. आप माफ नहीं कर सकते हैं, जब दस साल पूर्व मुख्यमंत्री जी ने माफ किया तो क्या आप साल दो साल आप इस विपदा में नहीं माफ कर सकते हैं.

अध्यक्ष महोदय- आपकी बात आ गयी.

डॉ. नरोत्तम मिश्र-- देखिये, यह तो उचित नहीं है न अध्यक्ष महोदय.यह सारी बातें बोल चुके हैं.

अध्यक्ष महोदय-- मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, आप कृपया बैठ जाएं. बात हो गई न. आप सुन तो लें पहले पूरा.

श्री गोपाल भार्गव-- इतना सटीक उत्तर आ रहा है, इसके बावजूद भी आप नहीं सुनना चाहते हैं, खेद की बात है.

श्री यादवेन्द्र सिंह-- कुछ दें तो हम किसानों को.

श्री शिवराज सिंह चौहान-- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो आपदा आयी है, अभी तक जो जानकारी हमारे पास आयी है, जिन किसानों के खेतों में ओले गिरे हैं, फसलें पूरी तरह से चौपट हुई हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है लेकिन 107 लाख हेक्टेयर जमीन में फसलें बोयी गयी थीं, रबी का रकबा था. मुकेश जी कह रहे थे कि मैं हूँ नहीं सदन में, लेकिन मैं आपकी बात सुन रहा था. अब कई बार जब माननीय सदस्य मिलना चाहते हैं तो अपने कक्ष में भी बैठते हैं.

श्री मुकेश नायक-- 112 लाख हेक्टेयर यह सरकार का उत्तर आया है सदन में.

श्री शिवराज सिंह चौहान-- नहीं, नहीं . मैं एक एक आंकड़ा जो आपने कहा था, आपने कहा था कि रबी के क्षेत्रफल में इतनी बढ़ोत्तरी कैसे हो गई है . प्लाट कट रहे हैं, मकान बन रहे हैं, रियल

स्टेट आ रही है . जमीन घटनी चाहिए जमीन बढ़ कैसे गई. मेरे विद्वान मित्र सिंचाई का रकबा साढ़े सात लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर तीस लाख हेक्टेयर किया है . जिन क्षेत्रों में रबी दो फसल नहीं होती थी . एक फसली क्षेत्र थे उनको दो फसली कर दिया इसलिए इतना रकबा बढ़ा है. मैं वर्षवार बताना चाहता हूं . 2002-03 में 72 लाख हेक्टेयर में रबी की फसल बोई गई थी . 2003-04 में बढ़कर यह 84 लाख हेक्टेयर हुई . 2004-05 में बढ़कर 87 लाख हेक्टेयर हुई . 2006-07 में थोड़ा घटा था क्योंकि किसी साल यदि सूखा आ जाता है, समय पर मानसून नहीं आता है तो कभी कभी रकबा घटता भी है . उस समय 86 लाख हेक्टेयर में और उसके बाद 2009-10 में बढ़कर 92 लाख हेक्टेयर हुई क्योंकि कई ऐसे इलाके थे जहाँ सिंचाई की सुविधायें पहुंचा दी गई तो जो एक फसल केवल खरीफ की लेते थे , पानी मिलने के कारण वह रबी की भी लेने लगे और 2009-10 में 92 लाख हेक्टेयर हो गई. 2011-12 में 96 लाख हेक्टेयर , 2012-13 में 100 लाख हेक्टेयर , 2013-14 में 113 लाख हेक्टेयर, 113.90 लाख हेक्टेयर . लेकिन 2014-15 में यह रकबा इसलिए घटा कि मानसून देर से आया और देर से मानसून आने के कारण रबी का रकबा कम हुआ और यह रह गया 107.11 लाख हेक्टेयर तो यह बढ़ोतरी अगर होती है कभी, सिंचाई की अगर आप उत्तम व्यवस्था करें. माननीय कटारे जी स्वयं जानते हैं, गोविन्द सिंह जी जानते हैं, जिस चम्बल की नहर का वह जिक्र कर रहे थे, एक जमाना था भिण्ड में पानी कभी पहुंचता ही नहीं था लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया कि टेल एण्ड तक पानी पहुंचे. टेल एण्ड तक पानी पहुंचा तो सिंचाई का रकबा बढ़ा तो जब सिंचाई का रकबा बढ़ता है तो फसलों का रकबा बढ़ता है लेकिन इस साल अभी तक आंकड़े हमारे पास आये हैं उसको ध्यान में रखते हुए, उसका विवरण देते हुए 4 लाख हेक्टेयर में अभी सर्वे जारी है, यह रकबा थोड़ा बढ़ सकता है, 4 लाख हेक्टेयर में लगभग 4 लाख किसानों की फसलों को क्षति पहुंची है लेकिन बाकी जो 107 लाख हेक्टेयर की मैंने बात कही है. बड़ा हिस्सा आज भी हमारा सुरक्षित है. पिछली बार भी यह सवाल आया था कि जब इतना व्यापक नुकसान हुआ तो फिर 85 लाख मेट्रिक टन के आसपास खरीदी कैसे हो गई. खरीदी इसलिए हुई कि जहां फसलें थीं,

वहां फसल अच्छी आई, वह फसल लोग मंडी में भी ले गए. वह फसल लोग खरीदी केन्द्रों पर भी ले गए. इस बार भी मैं कह रहा हूँ कि इस आपदा के बावजूद भी जहां फसल सुरक्षित बची है, वह फसल अच्छी है वह फसल अच्छी आएगी. उसकी खरीद की हम व्यवस्था भी कर रहे हैं और इसलिए इस नुकसान को अगर छोड़ दिया जाए, जहां नुकसान हुआ है भयानक हुआ है तो पूरा दृश्य ऐसा नहीं है कि सब कुछ चौपट हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ बचा ही नहीं है. इसके बाद भी जो बचा हुआ रकबा है, उससे अच्छी फसल आएगी, उसके कारण बाकी किसानों की स्थिति ऐसी खराब नहीं रहेगी लेकिन जिन किसानों के खेत में ओला गिर गया, जिन किसानों के खेत में अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुआ. मैं अभी श्योपुर जिले में गया था, केवल ओले की ही बात नहीं है, पानी इतना गिरा कि खेत में पानी ऐसा भरा हुआ था कि उसके कारण फसलें सड़ गईं. हमारे सिवनी जिले के विधायक साथी यहां बैठे हुए हैं, मैं सिवनी जिले में गया था, केवल ओले के कारण नहीं, पानी अगर पूरा भरा हुआ है तो फसल बर्बाद हुई है. जैसे दतिया जिले में वहां धान की फसल भी होती है तो गेहूँ में पानी इतना भर गया कि पानी भरने के कारण फसल सड़ गई, तो फसल सड़ी भी है और इसलिए जहां नुकसान हुआ है वहां भयानक नुकसान हुआ है और उन किसानों का सब कुछ तबाह और बर्बाद हुआ है. ऐसी संकट की घड़ी में सरकार को किसानों के साथ खड़े रहने चाहिए और सरकार किसानों के साथ खड़ी है. हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे, ये केवल जुबानी जमा खर्च नहीं है. माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले साल की बात आई, पिछले साल अगर आप देखेंगे यह बात उठाई गई कि किसानों को मुआवजा राहत की राशि आज तक नहीं मिली. कई किसान रह गए. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी राज्य ने इतनी राहत की राशि नहीं बांटी, जितनी पिछले वर्ष हमने बांटी थी. 2600 करोड़ रुपये हमने रबी की फसल में किसानों को राहत की राशि के रूप में बांटने का काम किया गया था. जो सोयाबीन की फसल खराब हुई थी उसमें 600 करोड़ रुपये किसानों को बांटने का काम किया था. केवल इतना ही नहीं आप पुराने आंकड़े उठाकर देख लें, कांग्रेस की जब सरकार हुआ

करती थी, मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन उस समय की जो सरकारें हुआ करती थीं तब कितनी राहत की राशि मिलती थी, कितनी किसानों को राहत पहुँचाई जाती थी, कितना किसानों को लाभ पहुँचाया जाता था, कितनी किसानों की सुध ली जाती थी, आंकड़ेवार 1992-93 से लेकर 2002-03 तक मैं बता सकता हूँ.

श्री जितू पटवारी -- माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट के लिए अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ. (व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान -- अब यह टोका-टोकी हो रही है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय -- एलाऊ नहीं करेंगे. (व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान -- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर यह राहत किसानों को न मिलती, मैं राजनीति से मामला नहीं जोड़ रहा हूँ. पिछले चुनाव में जो परिणाम प्रकट हुए हैं क्या ऐसे परिणाम प्रकट होते, क्या लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घुसने देते. क्या मुख्यमंत्री को सुनने कोई जाता. अतिशयोक्ति किसी भी क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए. कहीं कमी हो सकती है, मैं नहीं कहता, लेकिन ये कहें कि कुछ दिया ही नहीं, कुछ बंटा ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, तो यह कहां चला गया. केवल हमने राहत की राशि नहीं बांटी है, हिंदुस्तान के इतिहास में मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जिसने पिछले साल 2127 करोड़ रुपये फसल बीमा की राशि 14 लाख किसानों के खाते में पहुँचाने का काम किया है. कब बंटा था, कोई बता दे इतिहास में. पिछली सरकारें रही हैं. कभी फसल बीमा योजना का लाभ मिलता था क्या.

श्री सत्यदेव कटारे -- माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा अच्छा भाषण दे रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि तुलना करते समय कांग्रेस की सरकार से तुलना न करें क्योंकि कांग्रेस की सरकार 10 साल पुरानी हो गई है. मैं आपको सच बता रहा हूँ, स्वस्थ भाषण देने के लिए यह जरूरी है. फिर इससे प्रतिक्रिया होगी. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय -- कृपया आप बैठ जाएं. (व्यवधान)

मैं मुख्यमंत्री जी की अनुमति से खड़ा हुआ हूं और मैने उनको सुझाव दिया है,अच्छा लगे तो माने, आपको हंसना है तो आराम से हंसिये. अभी पिछले दिनों देख चुके हो आज भी वही हो जायेगा. काहेको परेशान हो? यहां कोई हथियार घर में नहीं रख आये हैं, विधान सभा में ही रखे हैं,

श्री शिवराज सिंह चौहान- मैं तो हथियारों की नहीं प्रेम की भाषा बोलता हूं. मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष का आदर करता हूं,उनकी सलाह का आदर करता हूं. लेकिन अध्यक्ष महोदय जब कोई चीज कही जाती है तो क्या उसका उत्तर नहीं देते? अब यह 2187 करोड़ दिया गया,अगर अब माननीय सदस्यों में से कुछ ये कहेंगे कि मिला ही नहीं ,कुछ बंटा ही नहीं. सब बेकार है, सब बर्बाद है. तो क्या मैं ये आंकडें न रखूं कि कितना बांटा गया,कितना दिया गया. क्या 2187 करोड़ रूपया 14 लाख किसानों को,हिन्दुस्तान के इतिहास में किसी राज्य में किसी सरकार ने बांटा है? अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार हुआ था. हमारे हरदा के विधायक बोल रहे थे, वे दिल पर हाथ रख कर देखें, कितनी राहत की राशि मिली और कितनी फसल बीमा का लाभ मिला. मैं तो आपके यहां कार्यक्रम में गया था.

डॉक्टर रामकिशोर दोगने- माननीय मैं व्यवस्था की बात कर रहा था कि बीमा पॉलिसी जो है वह खराब है. हमारी पटवारी हलका के हिसाब से पॉलिसी बनी हुई है उसको चेन्ज करके रिवाईज किया जाय उसमें सुधार किया जाय..

अध्यक्ष महोदय-- आपकी बात आ गई है, आप बैठ जायें.

श्री शिवराज सिंह चौहान- आप मेरे परम मित्र हो, आपने कहा है कि पटवारी हल्का, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब पटवारी हल्का नहीं तहसील इकाई हुआ करती थी और यह कहा जाता था कि पूरी की पूरी तहसील बर्बाद हो जाय तो फिर फसल बीमा की बात होगी नहीं तो होती नहीं थी,इसलिये फसल बीमा का पैसा कभी मिलता ही नहीं था. हमने उसको व्यवहारिक बनाने का काम किया है. मैं आपकी उस चिन्ता से सहमत हूं. इसमें और सुधार होना चाहिए,और सरलीकरण होना चाहिए और फसल बीमा की इकाई किसान को बनाया जाना चाहिए. मैं इस

सुझाव से सहमत हूं. हम भारत सरकार से चर्चा करेंगे, फसल बीमा के बारे में व्यापक चर्चा होनी चाहिए,विचार होना चाहिए, यह बात सही है कि प्रीमियम की राशि को बीमा कंपनियां जमा करवा लेती हैं लेकिन वह राशि जमा करने के बाद नियम,प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि किसान के पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं था. उसके हाथ में कुछ आता ही नहीं था. और आज भी जो एक बड़ी विसंगती है ,मैं केवल चर्चा के लिए बात कह रहा हूं. वह बड़ी विसंगती यह है कि हम जो फसल बीमा करवाते हैं ,बीमा कंपनी केवल प्रीमियम की राशि देती है बाकी राशि के बारे में वह कहती है कि राज्य सरकार दे और केन्द्र सरकार दे. तो फिर वह फसल बीमा काहेका? जब केवल प्रीमियम की राशि दोगे. ज्यादा पैसा आयेगा तो तिजौरी में भरोगे और जब नुकसान हो जायेगा तो यह कहोगे कि हम केवल प्रीमियम की राशि देने का काम करेंगे. यह व्यवस्था ठीक नहीं है,इस पर पूरे देश में बहस होनी चाहिए,विचार होना चाहिए. हम भारत सरकार के सामने भी इस बिन्दु को पूरी विनम्रता के साथ उठाने का काम करेंगे. मेरे किसी एक माननीय सदस्य ने कहा कि वे सत्ताधारी पार्टी के विधायकों के यहां चले गये.हमारे सिवनी के विधायक बैठे हैं ,मैने उनको गाड़ी में साथ लेकर,गले लगा कर ,कांग्रेस विधायक के क्षेत्र में उतरा, मैने कांग्रेस,बी.जे.पी. नहीं देखा. इस पर काहेकी कांग्रेस,बी.जे.पी.भाई? विधायक विधायक होता है,चाहे किसी क्षेत्र का हो. जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, चाहे किसी दल का हो. यहां बैठे हुए हैं, मैं कलेजे से लगा कर ले गया कि नहीं ले गया? मैने नाम लिया कि नहीं लिया? यह स्थिति मैने कहीं पैदा नहीं होने दी.

श्री रजनीश हरवंश सिंह- माननीय मुख्यमंत्री जी, एक हमारे माननीय विधायक सिसोदिया जी हैं, उन्होंने यह कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आप थे,आपने साथ में फोटो खिचवाया. तो मैने उस पर से कहा कि मुख्यमंत्री जी हमे साथ ले गये और जब मुख्यमंत्री जी हमारे इलाके में आ रहे हैं तो हमारा वहां मौजूद होना बहुत जरूरी है. जब वे हमारी वेदना सुनने के लिए हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं तो हमें तो वहां तत्पर होना चाहिए और न केवल आपदा विपदा मैं तो यह कहता हूं कि

माननीय मुख्यमंत्री जी,सामान्य स्थिति के अंदर भी हमारे जिले में आते हैं तो वे हमारे प्रदेश के मुखिया हैं,हम चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं

हम उनके स्वागत और सम्मान के लिये वह तत्पर और खड़े रहेंगे. यह व्यवहारिकता कहती है,शिष्टाचार कहता है,

श्री शिवराज सिंह चौहान--मैं आपकी भावना का आदर करता हूं लेकिन मैने यह इसलिए कहा कि जहां भी प्राकृतिक आपदा आयी तो मैने क्षेत्र कभी नहीं देखा मैने वहां जाने की कोशिश की है. प्रयास यह किया कि एक जिले में कम से कम एक स्थान पर हम होकर आयें. वह किसी भी पार्टी का विधायक हो, विधायक तो विधायक होता है,जनता का प्रतिनिधि होता है, जनता चुनती है. पार्टी टिकिट देती है,यह बात अलग है और इसलिए उसमें भेदभाव करने का कोई सवाल नहीं था. और इसलिए मैं विनम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों भी राहत देने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है. और आज भी अगर आप आंकड़े देखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों, मैं केवल तुलना कर रहा हूं. यह बात आयी कि ऊंट के मुंह में जीरा है, कुछ भी नहीं दे रहे हो. इतने में क्या होगा. यह बात सच है कि जो नुकसान होता है, उस नुकसान की पूरी भरपाई करना क्योंकि यह मुआवजा नहीं, राहत की राशि कहते हैं. आज के नियम नहीं बने हैं. भारत सरकार ने मापदंड बनाए. आज से नहीं बनाए. जब यूपीए की सरकार थी, तब के मापदंड थे. उसके पहले के मापदंड थे. कांग्रेस की सरकार जब अकेली हुआ करती थी, उन मापदंडों को मैं विनम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं कि चाहे वह राज्य सरकार के प्रदेश की राज्य सरकार के मापदंड हों और चाहे केन्द्र सरकार के मापदंड हों, किसानों के हित में हमने उनको भी बदलने का काम किया है.

अध्यक्ष महोदय, एक जमाना था, जब ओला पीड़ित किसानों को प्राकृतिक आपदा पीड़ित किसानों को यह वर्ष 1992 से लेकर वर्ष 2003 तक 500 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि मिला करती थी. केवल 500 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से! आज हमने उसको बढ़ाकर किया है 15000 रुपया प्रति हेक्टेयर. अध्यक्ष महोदय, हमने यह बढ़ाया है. (मेजों की थपथपाहट)..भारत

सरकार के मापदंड आज भी, यूपीए की सरकार के समय भी 8500 रुपया अधिकतम 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान अगर सिंचित फसल में हो, तब देने का था. मध्यप्रदेश में हमने उस सीमा का अतिक्रमण किया और हमने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, हम अपने बजट से अपने खजाने से 15000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि देने का काम करेंगे. उस समय यह नियम था कि जो सिंचित फसल थी, उस पर कुछ दिया ही नहीं जाता था. प्रावधान ही नहीं थे. जब उस समय की सरकार हुआ करती थी, उधर की सरकार हुआ करती थी. हमने प्रावधान को बदला और हमने यह तय किया कि असिंचित पर भी देंगे, सिंचित पर भी देंगे. तुवर जैसी फसलों पर तब कुछ नहीं दिया जाता था. अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि बिफोर लॉस्ट ईयर भयानक पाला पड़ा. खड़े-खड़े तुवर की फसल एक दिन पहले खेत में लहलहा रही थी और पाले के कारण दूसरे-तीसरे दिन गये तो सूखे झंखाड़ खड़े हुए थे, उस समय भी भारी संकट आया था, तब 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की राहत राशि बांटी थी और तब हमने तय किया था कि तुवर जैसी फसल के लिए भी 15000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि हम देने का काम करेंगे. तब और अब की तुलना अगर आप करें, मैं एक-एक चीज बताऊंगा तो फिर हमारे मित्र कहेंगे कि 10 साल हो गये, फिर से आप दोहरा रहे हो 11 साल हो गये. लेकिन उस समय सचमुच ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राशि मिलती थी. कई गुना हमने ज्यादा बढ़ाने का काम किया है तो इस सरकार ने अपने किसानों के हित में किया है क्योंकि यह जरूरी था. इस संकट के समय किसान के साथ खड़े नहीं होते, यह बात आई, आपने भी उठाई कि पैसा कहां से आएगा, बांट कहां से देंगे, घोषणाएं बहुत कर रहे हैं? मैंने जब केबिनेट की बैठक हुई, मेरे मंत्रिमंडल के साथी बैठे हैं, हम लोग इस विषय पर विचार करने के लिए इकट्ठा हुए कि लगातार यह आपदा आ रही है और इस बार फिर इतना पैसा कहां से बांटेंगे, मैंने कहा कि हम जरूरत होगी तो विकास के काम रोक देंगे. विकास इंतजार कर सकता है, लेकिन किसान की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे.

मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें सहमति होना चाहिए कि आज किसान की जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है, नहीं बनेगी एक साल सड़क, कम सड़क बन जाएगी, नहीं होंगे विकास के काम, लेकिन राशि तो जुटाना पड़ेगी और इसलिए जो राशि आवश्यक है, वह राशि हम जुटाने का काम करेंगे, उस समय जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने देखा कि एक नियम और बना हुआ था कि किसी किसान की अगर 4 एकड़ जमीन है और 4 एकड़ में से 2 एकड़ नष्ट हुई और 2 एकड़ बच गई तो उसको राहत नहीं मिलती थी. कहा जाता था कि बची तो है फसल तुम्हारी, हमने यह तय किया, नियम बदला क्योंकि कई किसानों को कुछ मिल ही नहीं पाता था. हमने यह नियम बदला कि अगर 4 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन हो, जो भी हो, उसमें से एक एकड़ जमीन भी अगर नष्ट होगी तो एक एकड़ में जितना नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई राहत के जो हमने नियम बनाए हैं, उसके अंतर्गत करने का काम करेंगे. पहले कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि किसान की अगर एक चौथाई फसल भी नष्ट हो गई तो उसको बचता क्या है? उसके बाकी खर्चे वह इतने हो जाते हैं कि फिर वह संकट के घेरे में आ जाता है, इसलिए हमने वह राहत राशि देने का भी काम किया है.

अध्यक्ष महोदय, कई फसलें ऐसी थीं कि जिसका नुकसान दिया ही नहीं जाता था. अब आप देखिए, सब्जियों के बारे में उस समय एक धेला नहीं मिलता था. ईसबगोल जैसी फसल, नीमच और मंदसौर के साथी बैठे हैं, हम पिछले साल गये, पानी गिरा, ईसबगोल की फसल नष्ट हो गई, अब राजस्व में जो 6 (4) की पुस्तक है उसमें वह था ही नहीं. हमने कहा कि ईसबगोल भी किसान पैदा करता है, उसमें लागत ज्यादा लगती है, हमने पिछले साल तय किया 25000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से क्योंकि अफसरों से उस समय कहा तो उन्होंने कहा कि सर, यह तो लिखा ही नहीं है और लिखा नहीं तो कहां से दे देंगे? हमने कहा कि नहीं लिखा तो लिख लो भाई. ईसबगोल भी लिख लो, सब्जियां भी लिख लो. हमने जितनी भी सब्जियां थीं उस पर कोई राहत की राशि कांग्रेस की सरकार के समय नहीं दी जाती थी, हमने तय किया कि केवल 25000 रुपए नहीं, इस साल 26000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से सब्जियों में भी राहत की राशि देंगे. मसालों में भी राहत की राशि

देंगे. मैथी हो, धनिया हो, कई जगह धनिया, गुना जैसे जिले में, अशोक नगर जैसे जिलों में, धनिया बहुत पैदा होती है. धनिया तबाह और बर्बाद हो गई. वहां पर धनिया तबाह और बर्बाद हो गई, हमने कहा कि धनिया पर भी 26 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राहत देने का काम करेंगे, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) को पूरी तरह से हमने बदलने का काम किया है. अब फलदार वृक्ष हैं उसमें कहें कि 10 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दें तो क्या बचेगा उनको कुछ मिलेगा क्या, हमने कहा कि अगर फलदार वृक्ष की फसल को नुकसान हुआ है तो 500 रूपये प्रति पेड के हिसाब से राहत राशि देने का काम करेंगे. ताकि किसान कोकुछ तो मिले. कई नियम ऐसे बने हुए थे बान बरेजा इनका था 500 रूपये प्रति हेक्टेयर हमने उसको बढ़ाकर किया है 30 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से बुंदेलखण्ड में कई जगह पर पान बरेजे हैं हमने जहां जहां पर देखा कि वास्तव में ऊंट के मूंह में जीरा मिलने जैसी बात है राहत नहीं मिलती है नाम मात्र की मिलती है वहां पर हमने उसको बढ़ाने का काम कियाहै. कई गुना ज्यादा बढ़ाने का काम कियाहै. पता नहीं कहां से यह बात आयी नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे कि यह कह दिया गया है कलेक्टरों से कि कम से कम लिखना यह कम से सम लिखने का चक्कर उस समय चला करता था, यहां तो मुख्यमंत्री खुद खेतों में होता है, सर्वे में पिछली बार जिस तरह की कुछ शिकायतें आयी थीं, हम लोगों ने तय कर दिया है कि एक विभाग नहीं तय करेगा, सर्वे का काम केवल रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी अधिकारी नहीं करेंगे, अब सर्वे के लिए हम लोगों ने संयुक्त टीम बनायी है, उ समें राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी रहेंगे उनके साथ में कृषि विभाग के कर्मचारी भी रहेंगे, उनके साथ में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अधिकारी कर्मचारी भी रहेंगे, ऐसी टीम जायेगी इसमें समय थोड़ा लग सकता है. मैं यहां पर माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ईमानदारी से सर्वे होना है खेत खेत पर जाकर सर्वे होना है, अब इतनी जगह है 4 लाख हेक्टेयर की बात है तो कम से कम 4 लाख स्थानों पर तो जाना ही पड़ेगा लेकिन संयुक्त सर्वे होगा और उसमें संयुक्त सर्वे करने के बाद में हमने यह फैसला किया है कि पूरी सर्वे की जो सूची है किस किसान काकितना नुकसान हुआहै यह सूची

पंचायत भवन में सार्वजनिक रूप से लगायी जायेगी. ऐसा नहीं होगा कि किसी को पता ही नहीं है कि किसका कितना नुकसान हुआ है पंचायत भवन में आकर पूरे गाव के लोग देखें, अगर उसमें किसी को आपत्ति होती है कि गड़बड़ है या आपत्ति है , मैं मानता हूंकि कहीं कहीं पर इस तरह की गड़बड़ हो सकती है, कम का ज्यादा और ज्यादा का कम लिखा गया हो पिछले वर्षों में, लेकिन इसको पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए पंचायत भवन में वहसूची लगेगी उस पर अगर कोई आपत्ति करता है कि नहीं मेरा नुकसान सही नहीं लिखा गया है तो उस आपत्ति को सुनकर फिर से एक बार रिसर्वे करने का काम करेंगे ताकि वास्तविक जो नुकसान हुआ है उसका ठीक से आंकलन करने का काम हो, इसलिए यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कुछ मित्रों ने यह चिंता व्यक्त की जो कटी हुई फसल पड़ी थी

श्री यादवेन्द्र सिंह-- मेरा एक सुझाव है कि ईंटा वालों को मुआवजा नहीं दे रहे हैं उनका बहुत नुकसान हुआ है.

श्री शिवराज सिंह चौहान -- माननीय अध्यक्ष महोदय आदमी की अगर मृत्यु हो जाय बिजली गिरने से ओले गिरने से तो 1.5 लाख रूपये की राशि, अगर गाय बैल भैंस की मृत्यु हो जाय तो 16500 रूपये की राशि, अगर बछड़ा बछिया जैसे छोटे पशु की मृत्यु हो जाय तो 10 हजार रूपये की राशि देने का फैसला किया है अब बकरा बकरी पर 1650 देने का फैसला किया है, मुर्गा मुर्गी पर वह 40 रूपये कम बता रहे थे तो मुझे मुर्गा मुर्गी का ज्यादा अनुभव नहीं है लेकिन 40 अगर कम है तो उसके लिए 60 रूपये देने का काम हम कर देंगे उसको परिवर्तित करने का काम कर देंगे. इसके अलावा खपरा अगर टूटे हैं, मकान अगर ध्वस्त हुए हैं कुछ मित्रों ने यह बात उठायी थी कि मकान ध्वस्त हो गये हैं खपरे टूट गये हैं तो जो मकान ध्वस्त हुए हैं तो खपरा टूटने का मकान ध्वस्त होने का भी पैसा देंगे, कुम्हार के यहां अगर अबा (मिट्टी के बर्तन पकाने का) रखा होगा और बर्तन फूट गये होंगे तो उसका भी पैसा देने का काम करेंगे. कोई चीज नहीं छोड़ी जायेगी, अगर नुकसान हुआ है तो हर नुकसान का आंकलन करके हमारी कोशिश होगी कि कोई छूट गई है तो उसको भी

हम जोडने का काम करें क्योंकि नुकसान तो नुकसान होता है लेकिन तिवारी जी एक बात आपने बहुत अच्छी कही है मैं उस पर गंभीरता सेविचार करूंगा यह आपने सुझाव दिया कि जो लोग आयकर देते हैं जो फार्म हाऊसों के मालिक हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको क्यों राहत की राशि दी जाय. इस पर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिये, मुझे भी लगता है. सचमुच में मुझे लगता है कि यहां फार्म हाउस बना हुआ है, खेत ले लिया और मुख्य रुप से जो काम है, वह किसानी का नहीं है. वह तो इनवेस्टमेंट करना है. इसलिये फार्म हाउस बन गया, इनवेस्टमेंट करना है, इसलिये थोड़ी बहुत खेती दिखा रहे हैं. इसलिये हम इस पर जरुर गंभीरता से विचार करेंगे कि जो बड़े लोग हैं, वह किसी भी हालत में राहत की राशि का लाभ न उठा पायें और गरीब आदमी को, आम किसान को जो वास्तव में किसान हैं, उसको यह राशि का लाभ मिले. यह मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर विचार करने के लायक प्रश्न है. तिवारी जी, और अच्छी बात कभी कहोगे तो उसकी प्रशंसा भी करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है.

श्री गोपाल भार्गव -- मुख्यमंत्री जी, आप सदन में नहीं थे, मैंने पहले ही कह दिया था कि आपने संसदीय जीवन में पहली बार अच्छे सुझाव दिये हैं.

श्री सुन्दर लाल तिवारी -- मुख्यमंत्री जी, मैं हमेशा अच्छी बात बोलता हूं. आप अच्छे तरीके से सुनते ही नहीं हैं. आज पहली बार आपने अच्छे तरीके से सुना है. मैंने दो बातें और कही हैं. राइट टु गेट सर्वे किसान का यह अधिकार है और किसान को आयडेंटीफाई किया जाय. ओला गिरा, उसकी फसल नष्ट हुई, तब हम किसान की बात करते हैं. सामान्य स्थिति में यह नहीं जानते हैं कि किसान है कौन. हम कर्मचारी की बात करते हैं. छात्रा की बात करते हैं, वास्तविक किसान कौन कहलायेगा, यह भी परिभाषित हो, यह हमारी मांग है.

श्री शिवराज सिंह चौहान -- अध्यक्ष महोदय, किसान के दर्द को इस सरकार ने समझा और इसलिये कैसे समझा, चूंकि आपने पूछ लिया. इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार थी, तो 16 और 18 प्रतिशत ब्याज पर किसान को कर्जा मिलता था. उसको

घटाकर जीरो प्रतिशत करने का काम किया तो इस सरकार ने किया है. यह किसान के दर्द को नहीं समझते, यह नहीं हो सकता था. देखिये, खेती को लाभ का धंधा बनाना है, तो 3 उपाय करने होंगे. एक, उत्पादन की लागत घटानी होगी. इसलिये हमने 18 प्रतिशत से घटाकर 9 किया, फिर 9 से 7 किया, फिर 3 किया, फिर 1 किया, फिर अब जीरो प्रतिशत किया. दूसरी चीज, जिसकी बीच बीच में यहां जिक्र हुआ है. लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं इस भरे सदन में, माननीय विधायकों के बीच कि बोनस की बात उठी. बोनस किसने दिया था. क्या कभी कांग्रेस की सरकारों ने बोनस दिया था. एक पाई बोनस कभी कांग्रेस की सरकारों ने नहीं दिया, दिया था बोनस तो इस सरकार ने दिया था. भाजपा की सरकार ने देने का काम किया था. और आज, क्योंकि मैं मानता हूं कि किसानों को और ज्यादा सहायता की आवश्यकता है, इसलिये हम किसी न किसी रुप में किसानों से हम चर्चा कर रहे हैं. उनसे हम सुझाव मंगा रहे हैं. किसानों से हम बात करेंगे और पिछले वर्ष जो राशि बोनस के रुप में किसानों को दी गई थी, वह राशि हम किसी न किसी रुप में किसानों को फिर देने का काम करेंगे. वह तरीका क्या हो, इस पर हम विचार कर रहे हैं. हम सोच रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को उसका लाभ मिले. तीसरी चीज खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात होती है तो प्राकृतिक आपदा में अगर पूरी तरह से फसल नष्ट हो जाय, तो उसको राहत की राशि ठीक मिले. चौथी चीज उसके साथ जोड़ना है, तो खेती को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ना पड़ेगा. कई माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दये हैं. उन्होंने कहा कि इस पर भी तो सोचो. क्या ऐसी खेती को हम फायदे का धंधा बना पायेंगे. यह बात सही है कि केवल परंपरागत खेती नहीं, फलो,फूलों,सब्जियों, औषधि की खेती और उसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग तक हमको ले जाना पड़ेगा, ताकि किसान का जो कच्चा माल है, उसकी प्रोसेसिंग यहीं हो सके और प्रोसेसिंग यहां करने के बाद उसको लाभकारी मूल्य दिला सकें. एक बात और इसी सदन से, प्रतिपक्ष के मित्रों की तरफ से आई कि आखिर कब तक हम केवल ऐसी खेती करते रहेंगे और इसलिये मैं खुद मानता हूं कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिये प्रकृति

का यह जो चक्र बदला है, कौन सी फसलें उगाएं, कौन सी न उगाएं, उसके बारे में भी साइंटिफिक तरीके से सोचना पड़ेगा. ताकि ऐसे जो फसलें नष्ट हो जाती है, उसको हो सके तो हम बचाने का काम कर सकें. एक प्रयास और खेती के साथ साथ कोई न कोई काम धंधा और, क्योंकि अगर खेती की फसल बर्बाद हो जाय तो उसके बदले कुछ न कुछ और कोई काम धंधा किसान को मिल जाय. यह हर संभव उपाय करने का काम करेंगे. एक नहीं कई चीजें हम लोगों ने की और आगे भी हम करेंगे. बिजली की बात आई. मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने तय किया कि 1200 रुपया प्रति हार्स पॉवर की दर से फ्लेट रेट लेने का काम करेंगे. हिन्दुस्तान में कहां हुआ क्योंकि मीटर रीडिंग उसके कई तरह के झगड़े सामने आते थे. मैं माननीय सदस्यों की एक बात से सहमत हूं जो चिन्ता आप लोगों ने प्रगट की है और वह चिन्ता यह है कि ईमानदारी से अगर कोई पैसा दे रहा है और ईमानदारी से वह पैसा देता है, किसी ने नहीं दिया है तो उसके कारण ईमानदार किसान को या ईमानदार उपभोक्ता को परिणाम क्यों भोगना पड़े ? यह बात बिल्कुल सही है हम पूरी गंभीरता से इस पर विचार करेंगे और क्यो कोई ऐसा तरीका निकालेंगे कि जो बिल नियमित रूप से दे रहा है, उसको किसी भी तरह की परेशानी का सामना निश्चित तौर पर नहीं करना पड़े, मैं बिल्कुल सहमत हूं. आपने भी कहा, आपने भी कहा सुझाव आये, जो ठीक चीज आयेगी, जरूर स उस पर गंभीरता के साथ विचार करके हम फैसला करने का काम करेंगे, लेकिन इस आपदा की जो घड़ी आई है, उसमें मैंने कहा कि पूरी तरह से राहत की राशि आपकी जानकारी में मैं फिर से आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन केवल इतना ही नहीं, यह बात यह चिन्ता कई माननीय सदस्य लोगों ने प्रगट की है कि जो अगला साल है किसान का, वह कैसे ठीक निकलेगा इसकी चिंता करें, इसलिये राहत की राशि तो देंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रयास और गंभीरता के साथ करेंगे मैंने निर्देश दिये हैं कि फसल कटाई प्रयोग अभी से करें, ताकि फसल बीमा योजना का ठीक लाभ किसानों को दिलाया जा सके, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे फसल बीमा योजना का लाभ हालांकि उसमें आप जानते हैं कि 50 परसेंट राशि प्रदेश की सरकार क्यो को देनी पड़ती है , राशि का सवाल

नहीं है, फसल बीमा योजना के लिये फसल कटाई प्रयोग ठीक से हो, हमारे क्लेम ठीक से पहुंच जायें, हमारी भरसक कोशिश होगी होगी कि राहत राशि के साथ साथ फसल बीमा योजना का पैसा भी हम किसानों को दिला पायें और यह दो चीजें होगी, तो एक सीमा तक उसका जो नुकसान है, उसकी भरपाई होगी, लेकिन केवल इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं किजो ओला पीड़ित किसान हैं, जिनकी फसल नष्ट और बरबाद हो गई है,वह कर्ज कहां से देगा, इसलिये जिनकी फसलें बरबाद है, हम दो में अंतर कर रहे हैं जिनकी फसल ला अच्छी है , उनसे हमको वसूली करनी पड़ेगी. मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं सहकारिता मंत्री भी यहां बैठे हैं, कुछ बैंक ऐसे हैं हमारे कोआपरेटिव बैंक, जिनकी हालत बहुत ही खराब है और अगर हमने जिनकी फसलें अच्छी आई है, वहां से भी अगर हमने वसूली नहीं की, तो यह बैंक बैठ जायेंगे और यह बैठ गये, तो हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है, वह सिस्टम भी बैठ जायेगा और इसलिये जिन किसानों की फसल खराब हुई है, उनसे ऋण वसूली हम स्थगित करेंगे और केवल स्थगित करने का सवाल नहीं है, जो शार्ट टर्म लोन है, उसको मीडियम टर्म में परिवर्तित किया जायेगा और मीडियम टर्म में परिवर्तित करके अगली फसल ला तक का ब्याज किसान नहीं चुकायेगा , किसानों की तरफ से प्रदेश की सरकार चुकाने का काम करेगी, ताकि ब्याज का बोझ उसके सिर पर इतनी बड़ी गठरी ना बन जाये, कि जिसको वह चुकाने का ही काम ना कर सकें, क्योंकि मैं जानता हूं कि केवल ऋण वसूली स्थगित की, तो ब्याज इ इतना हो जायेगा कि उसके कारण फिर वह कर्जा जिंदगी भर नहीं चुका पाता इसलिये ब्याज का अनुदान, ब्याज माफ नहीं होगा माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान नहीं भरेगा किसानों की तरफ से सरकार भरने का काम करेगी और इसलिये उसको ब्याज...

श्री गोपाल भार्गव--आज की सप्लीमेंट्री में ही आपने साढ़े 4 अरब रूपया ब्याज पर कंपनसेशन दिया है.

श्री शिवराज सिंह चौहान--हम तो जीरो परसेंट ब्याज पर जो कर्जा दे रहे हैं, उसका भी बैंकों का ब्याज सरकार भरती है, ऐसा नहीं होता कि वह ब्याज भरा नहीं जाता सरकार भरती है

और यह ब्याज जो प्रभावित किसानों का है, जिनका भारी नुकसान हुआ है उन प्रभावित किसानों का ब्याज, जिनका 50 परसेंट से से ज्यादा नुकसान हुआ है , सरकार भरने का काम करेगी, लेकिन इसके साथ साथ.....

श्री सत्यदेव कटारे--अध्यक्ष महोदय, यहां एक भ्रांति पैदा हो रही है. मुख्यमंत्री महोदय, जब आपने ब्याज जीरो परसेंट पर किसान को ऋण दिया हुआ है, जीरो परसेंट पर किसान ने लिया है, तो ब्याज कहां से आ गया जिसे आप माफ करेंगे ?

एक माननीय सदस्य--डिफाल्टर हो गया ना कटारे जी, डिफाल्टर से जमा कराना पड़ता है.

श्री शिवराज सिंह चौहान--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही सरल बात है माननीय सत्यदेव जी, जब वह ऋण नहीं देगा तो वह ओवरड्यू हो जायेगा, ओवरड्यू हो जायेगा तो 15 परसेंट ब्याज उस पर लग जायेगा, अब वह 15 परसेंट ब्याज कहां से चुकायेगा इसलिये हमने कहा कि ओवर ड्यू नहीं होगा क्योंकि हम उसका ब्याज भर देंगे.

श्री गोपाल भार्गव--मार्च और जून खरीफ और रबी की वसूली की अग्रिम तारीख हैं जीरो परसेंट का लाभ लेने के लिये, इसके बाद यदि तारीख निकलती है तो उस पर फिर ब्याज शुरू हो जाता है.

श्री जितू पटवारी--मुख्यमंत्री जी, यह थोड़ी सी व्यवहारिक परेशानी है किसानों की.

कुंवर विक्रम सिंह--वित्तीय वर्ष जब समाप्त होता है लेकिन सभी किसानों की फसल उस समय पर नहीं आ पाती है और इस तारीख को बढ़ाकर 30 अप्रेल या मई करें.

श्री शिवराज सिंह चौहान--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रबी की फसल का कर्ज होता है, उसके भरने की जो तिथि है जीरो परसेंट ब्याज की, वह है 30 जून. 30 जून तक की है वह अप्रेल मार्च तक की नहीं है. खरीफ की फसल की बात आप कर रहे हैं रबी की नहीं और इसलिये मैं कह रहा हूं जो ओवरड्यू नहीं हो इसलिये उसका ब्याज भर देंगे तो ओवरड्यू नहीं होगा और अगली फसल का जो कर्जा है खाद और बीज का वह जीरो परसेंट ब्याज पर ही उसको मिल जायेगा.

इसलिये वह कर्जा भी उसको जीरो प्रतिशत ब्याज पर मिले इसका इंतजाम किया जाएगा इसके साथ साथ बिजली की बात आयी जो प्रभावित किसान हैं उसमें दो अंतर करने पड़ेंगे एक अप्रभावित और एक प्रभावित किसान उसमें जो प्रभावित किसान हैं जिनका 50 प्रतिशत से ज्यादा का नुकसान हो गया है उनके बिजली के बिलों की वसूली स्थगित कर दी जाएगी और स्थगित करके हम विद्युत विभाग के साथ बैठकर कैसे समायोजन करें इसका भी तरीका निकालेंगे उनसे विद्युत के बिलों की वसूली नहीं होगी. फिर यह सवाल भी कई जगह पर आया जिनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं वह किसान अब खाएंगे क्या ? क्या राहत की राशि से गेहूं-चावल खरीदेंगे इसलिये हमने संवेदनशील फैसला किया कि अगली फसल आने तक किसानों को एक रूपया किलो गेहूं, नमक, चावल किसानों को भी दिया जाएगा और जो बीपीएल परिवार हैं जिनको एक किलो शक्कर दी जाती थी वह देने का भी हम काम करेंगे उनको चार लीटर केरोसिन का तेल देने का भी काम करेंगे ताकि जब तक अगली फसल न आये उसका यह कष्ट भी दूर हो जाए. यह बात सच है कि कई जगह बिटिया की शादी थी मुझे कई ऐसे भाई किसान मिले जिनकी बेटी की शादी थी अब उनकी शादी कैसे करें तो हमने उस पर भी यह तय किया कि बिटिया की अगर शादी थी तो बिटिया की शादी के लिये इस सारी राहत के अलावा 25 हजार रूपये का चेक बिटिया की शादी के लिये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से अलग वह सामूहिक शादी के लिये विवश नहीं होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना में सामूहिक शादिया होती हैं, लेकिन वह पृथक से अपने घर में शादी करें उनकी बिटिया की शादी के लिये 25 हजार रूपये की राशि देने का काम भी किया जाएगा ताकि शादी उनकी निर्विघ्न रूप से सम्पन्न हो पाये. जितनी चीजें हमारे ध्यान में दौरे में आयीं और जो चीजें किसानों ने हमें बताने का काम किया, गरीबों ने भी बतायीं, जो बिल्कुल गरीब एवं छोटे किसान हैं पूरी तरह से समाधान करने की पूरी संवेदना के साथ में हमने कोशिश की है. अगर और कोई बात भी ध्यान में लायी जाती है और लगता है कि यह सब करने से किसान को राहत देने के लिये जरूरी है वह सारे उपाय भी सरकार उठाएगी. मैं एक बात सदन के माध्यम से

और सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के किसान बहिनों एवं भाईयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि संकट की घड़ी है, किसान परेशान हैं, लेकिन संकट की घड़ी में हमारी सरकार साथ में खड़ी है कदम से कदम मिलाकर के और कंधे से कंधा मिलाकर के और इस संकट के पार किसान को लेकर के ले जाएंगे अगले साल फिर अच्छा साल आयेगा उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे बहुत बहुत धन्यवाद.

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे)--अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना पूछना चाहता हूं कि आपने तो अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक बात कही पर मैंने बिल्कुल ही नहीं बोली थी मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूं कि आप यह बता दें कि आपने अपने भाषण में जो हमने किसानों के हित में मांग की या तो मांग को बता देंगे कि किसान के हित की नहीं है, नहीं तो कौन सी मांग मंजूर की जो कि किसान को तुरंत राहत दे.

श्री शिवराज सिंह चौहान—अध्यक्ष महोदय, मैंने सभी मांगें तो बोल दीं. अब पूरी रामायण बोलकर के नेता प्रतिपक्ष जी पूछें कि उसमें राम-सीता कौन थे तो मैं उसका क्या जवाब दे सकता हूं.

अध्यक्ष महोदय—बस बात समाप्त हो रही है.

श्री सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष महोदय आप एक भी मांग मानने को तैयार नहीं हैं आपको सीता और राम पर बहस करना है तो हम भी बहस कर लेंगे, हम किसी भी बात में कमजोर नहीं हैं.

अध्यक्ष महोदय—आप बैठ जाएं.

श्री सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग तो धरने पर बैठ रहे हैं चलिये सब.

(नेता प्रतिपक्ष अपने आसन से गर्भ ग्रह की ओर बढ़े)

अध्यक्ष महोदय—अब धरने का क्या रह गया है अब विधान सभा स्थगित हो रही है.

07.24 बजे

राष्ट्रगान

राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का गायन

अध्यक्ष महोदय---अब राष्ट्रगान जन-मन-गण का गायन होगा. कृपया सभी सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो जाएं.

(सदन में राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूह गान किया गया)

गर्भगृह में प्रवेश

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में प्रवेश

नेता प्रतिपक्ष, श्री सत्यदेव कटारे के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर गर्भगृह में आये और धरने पर बैठ गए.

सदन का अनिश्चितकाल के लिये स्थगन

अध्यक्ष महोदय—सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित.

सायं 07.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की गई.

भोपाल

दिनांक 24 मार्च, 2015

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा